मंगलवार, 7 अप्रैल 1981

17 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 37, मंगलवार, 7 अप्रैल, 1981/17 चैत्र, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	702, 704 और 706 से 708	5—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर ;		
तारांकित प्रश्न संख्या	705, 70ᶜ से 721 और 597	20—32
अतारांकित प्रश्न संख्या	6606 से 6619, 6621 से 6670, 6672 से 6683, 6685 से 6733 और 6735 से 6770	32—171
अतारांकित प्रश्न संख्या	7369 दिनांक 17-4-79 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	171
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		172—181
तम्बाकू का अधिक मूल्य दिलाने के लिए आन्दोलन कर रहे निप्पानी, कर्नाटक के किसानों पर गोली चलाया जाना		172
सभा पटल पर रखे गए पत्र		181—184
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति		184
(एक) कार्यवाही सारांश		
(दो) सातवां प्रतिवेदन		
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		184--185
(एक) कार्यवाही सारांश		
(दो) सोलहवां प्रतिवेदन		
अबिलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		185—195
ईरान-ईराक युद्ध आरम्भ होने से लेकर 400 भारतीय नाविकों के बसरा बन्दरगाह में अब तक फंसे होने के समाचार		

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
श्री रशीद मूसूद	187—189
श्री पी० बी० नरसिंह राव	189—190
कुमारी पुष्पा देवी सिंह	190—191
श्री राम बिलास पासवान	191—194
श्री परसराम भारद्वाज	194—195
गंगानदी के पानी के सम्बन्धों में भारत-बंगलादेश समझौते की समीक्षा करने के लिए अन्तर्सरकारी बैठक के निष्कर्षों के बारे में वक्तव्य	195—196
राव बीरेन्द्र सिंह	,,
नियम 377 के अधीन मामले	196—201
(एक) लखनऊ और इलाहाबाद के बीच एक अति तीव्र रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता	196—197
श्री बी० डी० सिंह	,,
(दो) राजस्थान में राष्ट्रीय भेड़ विकास संस्थान के कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें	197—198
श्री पी० राजगोपाल नायडू	,,
(तीन) उड़ीसा में एक अलग पुरातत्व मंडल बनाए जाने की आवश्यकता	198
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	198
(चार) दनोज पतन को महापतन में बदले जाने की आवश्यकता	198—199
श्री बापूसाहिब परुलेकर	,,
(पांच) हाल ही की जनगणना में धार्मिक और भाषाओं अल्पसंख्यकों के बारे में गलत जानकारी दर्ज करने का समाचार	199—200
श्री जी० एम० बनातबाला	,,
(छः) वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि के समाचार	200
श्री अर्जुन सेठी	,,
(सात) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ओलावृद्धि से हुई फसल की क्षति के लिए किसानों को राहत	200—201
श्री राजेश पायलट	,,

विषय	पृष्ठ

अनुदानों की मांगें, 1981—82	201—264
श्रम मंत्रालय	
श्री मूल चन्द डागा	201
श्री एम ० कंडा स्वामी	210
श्रीमती उषा वर्मा	212
श्रीमती प्रमिला दंडवते	210
श्री बी० के० नायर	218
श्री दया राम शाक्य	223
श्री रामस्वरूप राम	225
श्री चन्द्रपाल सिंह	229
श्री गिरधारी लाल व्यास	230
श्री नारायण चौबे	235
श्री सुन्दर सिंह	240
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	242
श्री हरिकेश बहादुर	244
श्री ए० के० राय	246
श्री चित्त बसु	248
श्री जयपाल सिंह कश्यप	251
श्री नारायण दत्त तिवारी	253
सदस्य की गिरफ्तारी	265
श्री अशोक सेन	

लोक-सभा

मंगलवार, 7 अप्रैल, 1981/17 चैत्र, 190. (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, कभी तो 388 नियम को निलम्बित कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सदस्यों को सूचित कर दिया था । (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप सब सलाह करके आए हैं कि बवेश्चन आवर करना ही नहीं हैं तो वैसे ही छोड़ देते है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं । नो प्वाइंट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृयान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा आप बैठिये । बैठेंगे नहीं आप ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो स्पीकर रह चुके हैं । आपसे तो मुझे सीखना है । आप को बिठाऊं तो फिर करेंगे यही ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नियम के अनुसार सुनी जा सकती है । कल और परसों दो दिन से यह होता आ रहा है । उसके पश्चात मैं दूसरे ट्रेक पर नहीं चल सकता । एक ही ट्रेक पर चलूंगा । नियम सबके लिए एक लागू होते हैं । स्टेट सबजेक्ट सबके लिए एक समान स्टेट सबजेक्ट हैं, मैं दूसरा नहीं बना सकता हूं ।

प्रश्न-काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता । मैं दो पैमाने नही रख सकता ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता आप लोगों में आत्म संयम क्यों नहीं है। आप सुनते क्यों नहीं हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि आप ही नहीं सुनते तो दुनिया क्यों सुनेगी। लोग तो आप से भी ज्यादा उतावले रहते हैं। आप तो बिल्कुल संयम नहीं बरतते। मैं तो अकेला हूं आप ढेर सारे हो। मेरी फिर भी नहीं सुनते। आपका साथी हूं आपका बनाया हुआ हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सबजेक्ट जो ढबैको का था इस पर मेरे पास काल अटेंशन आये हुए कई दिन हो गये थे और बिल्कुल मेरे विचाराधीन था क्योंकि मिनिस्टर अवेलएबिल नहीं थे इसलिये रुका हुआ था और कोई वजह नहीं थी बस यही बात थी।

मेम्बर्स का भी पता है कोई एक जरूर चीज होती है जिसका मैं पूरा समाधान करना चाहता था। तो मैंने यह पक्का इरादा किया हुआ था, यह एक ऐसा मसला है जिस पर हमें करना चाहिये। तो मैं कर रहा था। अब भी मेरे पास वही चीज़ है, जो कहने की बात होती है उसका समाधान करने के लिये इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करवाना चाहता हूं, क्योंकि यह आपका सही स्थान है और आपको करना चाहिये। मैं इस पर काल अटेंशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं।

जहां तक ला ऐंड आर्डर की प्रोबलम है...

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में मेरी अनुमति के बिना कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो बात कह रहा था, आप बीच में फिर बोल पड़े। वह अपनी बात कहते हैं, आप क्यों उनकी बात सुनते हैं।...

(व्यवधान)

मैं तो आपकी बात भी नहीं कहता, उनकी बात भी नहीं कहता हूं और न मंत्री की परवाह करता हूं। मेरे लिए यहां मन्त्री भी मेम्बर हैं और मेम्बर भी मन्त्री है। अपने लिए कोई फर्क नहीं है। आपको क्यों वहम पैदा हो गया ? आप मन्त्री को क्यों इतना बड़ा समझते हैं ? क्यों फर्क समझते हैं आप ?

तो मैं यह कह रहा था कि संयम से बात करें। कानून आपके बनाये हैं। मैं इस मामले को जो आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप चर्चा करना चाहते हो, इसके लिए मेरे पास समाधान है। अगर हाउस चाहेगा तो मैं वह भी करवा दूंगा।

जहां तक नियम 388 का ताल्लुक है, आपके बनाये हुए हैं। लेकिन आप उसको पूरा पढ़िये। मैं तो रोज पढ़ता हूं। मेरी जवानी याद है। 14, 15 महीने इनको आपने पढ़ाया मुझे।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपके बिहार गया था तो मुझे पता लगा कि मण्डल जी वहां सोकर रह चुके हैं इसलिए उनसे शिक्षा ले लिया करूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका जो समाधान है इसके लिये ही बहस करवा सकते हैं। लेकिन कल बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में रखवा देता हूं जिसमें सारा इनका भी फैसला और आपका भी फैसला तय हो जाएगा और। आप निश्चित रहिये। आज में फैसला करके करवा दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : हमारी सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : सुनने की बात तब रहे जब मैं समाधान करने के लिये न तैयार हूं। अगर फिर भी यह हाउस नहीं चलने देना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। जैसे मर्जी हो आप चलायें। मैं तो सदन को आपके काम के लिए चला रहा हूं, आपके लिए चला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैंने अपनी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख रखे हैं। मुझे मंडल जी के लिए खतरा पैदा हो रहा है। मुझे आपके लिए बहुत चिन्ता है।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, मैडम। रीजन की बात किससे करें?

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है आपको।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।...

(व्यवधान)..

इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब बैठिए आप। यह अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपकी बात सुन ली है।

***कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं, मेरा जो फैसला है में उस पर अडिग हूं। जो मेरा फैसला है,...

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। यहां पर जो कुछ मेरी परमिशन के बगैर कहा जाता है, वह रिकार्ड नहीं होता है—न उनका न आपका। मैंने कह दिया है सो सिम्पल इट इज। हमने कल मीटिंग की थी। मैंने हाथ जोड़ कर विनती की थी और आज भी कर रहा हूं, कि कोई ऐसा मसला नहीं है, जिसका समाधान यहां मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह करना चाहें, तो मैं चुप बैठा रहूंगा, आप चाहे जैसे हाउस को चलाते रहें।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में क्यों बोलते हैं? आपस में न बोलिए। मैंने आपको कहा है कि इसका समाधान है। आप बात करना चाहते हैं, डिसकस करना चाहते हैं। इसका सारे का सारा समाधान मेरे पास है। मैं करवा दूंगा। लेकिन आप अपनी मर्जी से करना चाहें, यह नहीं हो सकता है। मर्जी तो मेरी चलेगी, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से मुझे यहां बिठाया है। मैं जरूर कराऊंगा। मैंने यकीन दिलाया है। मैं कभी भी अपने दिलाए हुए यकीन से पीछे नहीं गया हूं।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही बात सदन में बताई है। इनको भी बता रहा हूं और आपको भी बता रहा हूं। अब आप एक काम कीजिए, आज बात कर लीजिए।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय : तो आप डिस्कस क्यों नहीं करना चाहते इस सवाल को?

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप तो नहीं करने देना चाहते।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप को यही तो कहा कि डिस्कशन होगा।

(व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : तो आप बैठिए न, मैं डिस्कशन करवा रहा हूं। मैं बता रहा हूं।

...कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता अपनी मर्जी से नहीं चलेगा मेरी मर्जी से चलेगा हाउस ।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । मैंने उसकी अनुमति दी है ।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं ने तो एक बात कह दी । अगर आपको उस पर यकीन नहीं आता तो आप जो मर्जी आवे करें । मैं ने यकीन दिलाया हाउस को कि डिस्कशन होगा लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से ।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कहा है मैं उस पर अडिग हूं मैं नियमानुसार बातें कहीं हैं। मेरा कोई अपना राज्य नहीं है ।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास चारों तरफ से प्रस्ताव है ।

(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : डा० वसन्त कुमार पंडित ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : प्रश्न नं० 5 02

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । मैंने तो नहीं कहा । आप तो मुझसे बात कर रहे हैं । मैंने नाटक कहा ।

(व्यवधान)...

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

होने वाली सभा की बैठक के लिए प्रश्न ।

घरेलू गैस सिलेण्डरों का आयात

* 502. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

...कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(क) क्या भारत को जितने घरेलू गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता है वह उन सभी का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के आयात के आंकड़े क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो भारत में पिछले तीन वर्षों में कितने घरेलू गैस सिलेण्डरों का उत्पादन हुआ;

(घ) सिलेण्डरों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ङ) अगले तीन वर्षों में घरेलू गैस सिलेण्डरों की अनुमानित मांग का (वर्ष-वार) ब्यौरा क्या है; और

(च) सिलेण्डरों की कमी के कारण कितनी और कितने मूल्य की घरेलू गैस व्यर्थ नष्ट हो रही है या जल रही है। (गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानतः कितने रुपये की हानि हुई।)

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) - तेल कम्पनियों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में घरेलू गैस सिलेंडरो (संगठित क्षेत्रों में) का संभावित उत्पादन इस प्रकार रहा है :

1978	—1,20,000
1979	- 8,70,000
1980	—9,40,000 (अनुमानित)

(घ) 18 लाख सिलेंडर प्रतिवर्ष की वर्तमान उत्पादन क्षमता को 1982 तक 25 लाख तक बढ़ाने का अनुमान है। तेल कम्पनियों से निर्देश दिया गया है कि वह सिलेंडरों की प्राप्ति को बढ़ायें तथा प्रत्याशित उत्पादकों को यह आश्वासन दें कि उनके द्वारा प्रस्तावित क्षमता का 50 प्रतिशत अवश्य उठाया जायेगा। राज्य सरकारों मे प्रार्थना की गई है कि वह ऐसी उत्पादन एककों को बिजली कटौती से छूट दें गैस सिलेंडरों के उत्पादकों को उर्वरकों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्टील कराने के सभी सम्भव कदम उठाए गए हैं।

(ङ) अगले तीन वर्षों में नए उपभोक्ताओं के वास्तविक नामांकन के आधार पर सिलेंडरों की वार्षिक आवश्यकता 14 से 20 लाख सिलेंडर प्रतिवर्ष के हिसाब से होगी।

(घ) देश में घरेलू गैस सिलेंडरो के कारण खाना पकाने की गैस बेकार नहीं जा रही है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : महोदय, आजकल कोयला, जलाने की लकड़ी, मिट्टी के तेल आदि ईंधन के अत्यधिक अभाव के कारण गैस प्रत्येक घर में एक आवश्यक वस्तु बन गई है। इस प्रश्न का मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमे कुछ गलतियां है। मैं चाहता हूं कि वह जो स्पष्ट गलतियां हैं उन्हें ठीक करने का प्रयास करें। महोदय, मैंने यह पूछा था कि क्या भारत में गैस सिलेण्डरों का आयात किया जा रहा है तो उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि कोई भी कम्पनी सिलेण्डरों का आयात नहीं कर रही है। इस उत्तर से यह संदेह उत्पन्न होता है कि तेल कम्पनियों के अलावा कोई और आयात कर रहा है।

दूसरी बात यह है कि 1980 में एल० पी० जी० सिलेण्डरों का उत्पादन 9,40,000 था जबकि मन्त्री महोदय स्वयं कहते हैं कि वर्तमान उत्पादन क्षमता 18 लाख सिलेण्डर हैं। इस क्षमता का पूरा उपयोग कब तक किया जायेगा ? आप इस क्षमता को 1982 तक बढ़ाकर 25 लाख सिलेण्डर करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि घरेलू गैस सिलेण्डरों की स्थापित उत्पादन क्षमता क्या है ? इस समय कितनी गैस उपलब्ध है और बम्बई हाई के चालू हो जाने पर कितनी गैस उपलब्ध हो जायेगी ? गैस सिलेण्डरों की कमी के कारण कितनी गैस बेकार हो रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक सिलेण्डरों के आयात का सम्बन्ध है, इनका आयात नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, गैस कम्पनियों के अलावा सिलेण्डरों का कोई उपभोक्ता नहीं है। अतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैस सिलेण्डरों के आयात का प्रश्न ही नहीं उठता है।

महोदय, यह सही है कि देश में स्थापित क्षमता 18 लाख सिलेण्डरों की है और हम केवल उसके 60 प्रतिशत का ही उपयोग कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी बिजली की कटौती हो जाती है अथवा श्रमिक संकट पैदा हो जाते हैं। किन्तु इस कारण से गैस व्यर्थ नहीं गई है। वर्तमान अनुमानित उत्पादन 9,40,000 सिलेण्डर हैं। यह क्षमता बढ़ाकर 25 लाख सिलेण्डर कर दी गई है। अगले वर्ष हम 18 से 20 लाख सिलेण्डर निर्मित करने का प्रयास करेंगे और अत गैस सिलेण्डरों की कमी नहीं रहेगी। जहां तक एल० पी० जी० का सम्बन्ध है, इस समय लगभग 4 लाख टन एल० पी० जी० उपलब्ध है। उरान संयंत्र लग चुका है और हम वहां से 10,000 लाख टन अधिक एल० पी० जी० के उत्पान की आशा कर रहे हैं और मथुरा, कोयाली और बम्बई में उरान यथा असम से गैस मिलने के बाद यह उत्पादन 5 लाख टन हो जायेगा। कुल स्थापित क्षमता 9 लाख टन हो जायेगी।

डा० बसन्त कुमार पंडित : महोदय, भारी निर्माताओं से उनके उत्पादन का 50 प्रतिशत अवश्य उठाया जायेगा, ऐसा उन्हें आश्वासन दिया गया हैं। शेष 50 प्रतिशत का वह क्या करेंगे ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सिलैंडर कितनी देर तक चलता है ? यह कब तक बेकार हो

जाता है ? इसकी जीवनवधि कितनी है ? क्या सरकार ने उत्पादन क्षमता स्थापित करते समय इन बातों को ध्यान में रखा था ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, हमने सिलेंडरों के प्रयोग होने के कारण टूट-फूट आदि से प्रति वर्ष 2 लाख सिलेंडरों के बेकार हो जाने का अनुमान लगाया है । महोदय, मैं यह नहीं बता सकता कि एक सिलेंडर कब तक चल सकता है । यह उसके प्रयोग पर निर्भर करेगा । महोदय यह सत्य है कि 50 प्रतिशत उत्पादन को उठाने का आश्वासन कम्पनी को दिया है किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम और गैस सिलेंडर नहीं उठायेंगा ।

श्रीमति प्रतिडा दलवते : अध्यक्ष महोदय, हम ग्रहणियो का अनुभव है कि सिलेंडर में गैस कम रहती है । यह सारा इन्डिजोनस प्रोडक्शन है । मैं सरकार से यह विनती करती हूं कि क्या उस पर एक इन्डोक्टर लगाने की व्यवस्था हो सकती है, क्या कोई रेंगुलेटर लगाने की व्यवस्था हो सकती है ? ताकि यह पता चल सके कि सिलेंडर मे कितनी गैस भरी हुई है ? मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें संशोधन होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, क्या इस बारे मे भी सरकार सोच रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्या द्वारा दिये गये सुझाव के साथ पूरी तरह सहमत हूं और इस सुझाव देने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं और हमने अनुसन्धान और विकास विभाग से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए कह दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : हिन्दी का जवाब हिन्दी से दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप जो सिफारिश कर रहे हैं, वे अच्छे खाने के लिए कर रहे हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आपका सुझाव स्वागत योग्य है कि सिलेंडर में इस प्रकार की कोई युक्ति लगाने की व्यवस्था हो सकती है, तो वह की जाए । लेकिन मैं सदन को जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि हमने हर जगह जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंटस हैं, वहां पर एक कम्पलेंड सैल खोलने का फैसला किया है और आफिसर्स की नियुक्तियां की जा रही है । जहां कहीं भी गैस की सप्लाई में शॉर्ट-फाल होगा उसके वजन में उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे । वैसे सप्लायर के यहां से सिलेण्डर सील-बन्द चलता है, लेकिन बीच मे कहीं अफरा-तफरी होती है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा ।

श्रीमति प्रमिला दंडवते : गैस सिलेंडर में इन्डीकेटर के बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आपके सुझाव का मैंने स्वागत किया है और आपको धन्यवाद दिया है । उसके लिए मैं रिसर्च डिपार्टमेंट से कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की कोई युक्ति निकल सके, जिससे गैस मेजर की जा सके, तो बहुत अच्छा है ।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, गैस सिलेंडरों का अनुमानित उत्पादन 9,40,000 है । प्रश्न

(ख) और (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुझाव दिया था कि कोयले के सभी ग्रेडों के लिव स्वामित्व की दर मूल्य के आधार पर निश्चित की जाए। इस मामले पर कोयला विभाग द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल ने और फिर वाद में सरकार ने बहुत सावधानी से विचार किया था। अन्ततः यह निर्णय किया गया था कि स्वामित्व को टनेज आधार पर नियत करने की पद्धति चालू रखी जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहले इन्होंने खान और खनिज (विनियम और विकास), अधिनियम, 1957 का उल्लेख किया है जबकि श्री विक्रम महाजन अभी बच्चे ही थे। (व्यवधान) यह संगत है क्योंकि यह अब बिलकुल पुराना पड़ गया है। उस समय प्रति टन कोयले का भाव आज के भावों का केवल एक छोटा अंश था। (व्यवधान) वह एक छोटे से मजाक को महसूस नहीं करते परन्तु यहां उनके चमके हमेशा शोर मचाते रहते हैं।

धारा 9(3) कहतो है "केन्द्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके द्वितीय अनुसूची में सशोधन कर सकती है।" और उन्होने जो उपबन्ध के रूप में पढ़ा है, वह सही है अर्थात कि वे इसमें चार वर्ष में एक बार से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। परन्तु दुर्भाग्यवश दूसरी अनुसूची इस समय बहुत ही पुरानी और असगत हो गई है। सरकार को इसमें संशोधन करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। धारा 9 के संबंध में दूसरी अनुसूची मे निम्नलिखित व्यवस्था है :

"प्रथम ग्रुप के कोयला :

बगाल-बिहार कोयला क्षेत्र :

(क) कोकिंग कोयला—श्रेणी

क, ख और ग

(ख) गैर-कोकिंग कोयला :

प्रवर श्रेणी, क"

सारे अण्डे एक ही टोकरी में रख दिए गए हैं। क्या माननीय मन्त्री जी हमें इस विषय में बताएगे ? यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ मन्त्री इस बारे में कुछ कहें। महोदय, उन्हें न तो आप विवश कर सकते हैं और न मैं। कोकिंग कोयले की जिन क, ख और ग श्रेणियों को एक ही टोकरी में रख दिया गया है उनकी तथा नान कोकिंग कोयले की प्रवर श्रेणी क की वास्तविक रेल पर्यन्त निःशुल्क कीमत क्या है ? इस समय उनकी रेल पर्यन्त निःशुल्क कीमत क्या है ? निस्सन्देह मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न अलग होगा और उसे मैं बाद में पूछूंगा।

श्री विक्रम महाजन : उन्हें देना संभव नहीं है क्योंकि यह विभिन्न खानों पर निर्भर करता है और यह भी कि कुछ मामलों में रेल पर्यन्त निःशुल्क व्यवस्था भी परिवहन आदि पर निर्भर करती है। ऐसे मामलों में प्रत्येक खान के संबंध में परिवहन लागत पर निर्भर करता है। (व्यवधान) मुझे उत्तर देने दीजिए। हमने रायल्टी दरों में पर्याप्त संशोधन कर दिया है और

बंगाल को अतिरिक्त राशि मिलेगी (व्यवधान) पुरानी रायल्टी दरों के हिसाब से उन्हें 8 करोड़ रुपये मिलने थे। अब उन्हें 12 करोड़ रुपये मिलेंगे । यह अन्तर है । दूसरे, उन्हें कोयले पर उपकर बढ़ा दिया है जिसको बढ़ाने का उन्हें अधिकार है, परन्तु हमने उन्हें वृद्धि करने से मना किया है, क्योंकि पुरानी दरों पर उन्हें स्थिर कर दिया गया था। परन्तु फिर भी उन्होंने उपकरों को बढ़ा दिया है और उस राशि विशेष से उन्हें अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। आज प्रश्न यह है कि क्या उपभोक्ताओं को लूटा जाए या उन्हें उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराया जाए। हमने निर्णय किया है उपभोक्ताओं को कोयला उचित दर पर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि कि क्या अधिनियम बहुत पुराना पड़ गया है या नहीं। यह अपना-अपना विचार है। हम आपसे सहमत नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है क्योंकि मैंने कोयले की खानों के आधार पर रेल-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य नहीं पूछा है। मैंने कोयले की श्रेणियों के आधार पर रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पूछा है ? श्रेणी 'ख' के कोकिंग कोल का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य क्या है ? श्रेणी 'ग' के कोकिंग कोल का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य क्या है तथा प्रवर श्रेणी 'क' के गैर-कोकिंग कोयले रेल-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य क्या है ? मन्त्री महोदय इसका जवाब दें तत्पश्चात् मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर उन्हें भेजा जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें नोटिस दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (व्यवधान)। नहीं, यह इस प्रश्न से संबद्ध है। क्या आपकी सूचनार्थ में यह कह सकता हूं कि श्री विक्रम महाजन ने, जिनके बारे में मेरी राय उनके वरिष्ठ साथी की अपेक्षा अच्छी है, अभी कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि आप 10 मार्च 1981 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2905 के उत्तर को देखें तो आप पाएंगे कि आपके वक्तव्य के अनुसार यह राशि 10085 करोड़ रुपए है, 12 करोड़ रुपए नहीं। सभा के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। आप कृपया देख लीजिए कि वे तैयारी करके नहीं आते। वे पूर्णतया अफसरों पर निर्भर हैं। यदि आप उनसे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वे कुछ नहीं बता सकते। यहां एक परिशिष्ट है चार विभिन्न श्रेणियों को एक साथ रखा गया है—चार बिल्कुल विभिन्न श्रेणियों को जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। वे यह नहीं बता सकते कि क्या यह मुहाने पर मूल्य है या रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है। उनकी जानकारी के लिए मैं बतादूं कि एफ० ओ० आर० का अर्थ है रेल पर्यन्त निःशुल्क। इसमें मुहाने पर ढुलाई, लदान, सील बन्दी आदि अन्य सभी खर्चे शामिल हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से, जिनसे मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है, यह पूछना चाहता हूं कि दूसरी अनुसूची के ग्रुप 1 में दी गई कोयले की विभिन्न श्रेणियों का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य क्या है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं आता (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। (व्यवधान)। वे तो निम्न श्रेणी क्लर्क बनने लायक भी नहीं है। (व्यवधान) मैं आपको यह स्पष्ट करूंगा। मेरे पास अधिनियम की प्रति है। अधिनियम में इसका उल्लेख है। पृष्ठ 4 पर निम्नलिखित बात लिखी है :—

"वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है·······" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रायल्टी टन भार के अनुसार होती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें चार श्रेणियां एक साथ रख दी गई हैं। मैं यह बात इसलिए पूछ रहा हूं कि इन श्रेणियों के मूल्यों में बहुत अन्तर है। श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ग' के मूल्यों में दुगना अन्तर हो सकता है। मैं सभा की सूचनार्थ यह पूछ रहा हूं कि 'क' श्रेणी के कोयले का रेल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य क्या है। इसमें चार श्रेणियां हैं। मैं रेल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के बारे में पूछ रहा हूं। मैं सरकार द्वारा निर्धारित और कानून द्वारा अपेक्षित रेल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य पूछ रहा हू।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है। पूछे गए प्रश्न का उत्तर मौजूद है। इसमें दो मत हैं। एक रायल्टी है जिसका निर्धारण टन भार के आधार पर किया जाता है। एक दूसरी राय···(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका श्रेणियों से कोई संबंध नहीं है। (व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : एक दूसरी राय यह है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या एक श्रेणी और दूसरी श्रेणी में अन्तर है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अन्तर है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अन्तर तो अवश्य ही होगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : अनुसूची के अनुसार उन्हें कितना भुगतान करना चाहिए ? (व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उन्हें प्रश्न की सूचना देने के लिए कहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके पास उत्तर नहीं है। (व्यवधान) वह नहीं जानते हैं। उनके पास उत्तर नहीं है। (व्यवधान)। मेरा दूसरा प्रश्न यह है। देश इस समय दो अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों—बिजली और कोयले में उलझा हुआ है और इन मन्त्री महोदय को कोयले के रेल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का भी पता नहीं है। (व्यवधान) मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि···(व्यवधान) मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कोयले का मूल्य···(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, श्री ज्योतिर्मय बसु ने मन्त्री जी की तुलना क्लर्क से की है...(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं मैंने नहीं की। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं कृपया (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक क्लर्क का अपमान क्यों करूंगा? (व्यवधान) मैं एक क्लर्क का अपमान क्यों करूंगा? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह अपमान करने वाली बात कैसे होगी (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस समय कोयले का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह उससे बहुत कम है जो बाजार में मिल सकता है। आप जानते हैं महोदय, पंजाब में यह 1200 रुपये प्रति टन है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे कम करना चाहते हैं?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, नहीं। मैं चाहता हूं कि बिचौलियों के कारण कोयले के समान मूल्य मिलना चाहिए और 400 रुपये या 500 रुपये प्रतिटन के हिसाब से हार्ड कोयला खरीदने की वर्तमान समस्या...(व्यवधान) पर बाजार में बेचा जा रहा है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस अधिनियम के उपबन्धों के बाहर कोयले की किस्मों का ध्यान रखते हुए हमें इसका मूल्य बताएंगे? वास्तविक मूल्य की पुनरीक्षा विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाए जो कोयले की खुदाई के बारे में जानते हों और इस व्यवसाय में न तो उनकी रुचि हो और न ही इसमें लगे हुए हों। (व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान) 1968 से पूर्व खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन रायल्टी का भुगतान निर्धारित पाऊंड मूल्य में किया जाता था (व्यवधान) खान क्षेत्रों के लिए रायल्टियों, दरों और विकास संबंधी अध्ययन दल ने विभिन्न कठिनाइयों की ओर संकेत किया था...(व्यवधान) उन्हें यह नहीं चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औरंगाबाद और नासिक में दूरदर्शन केन्द्र

*705. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को देखते हुए कि औरंगाबाद तथा नासिक क्षेत्र (महाराष्ट्र) से दूरदर्शन केन्द्र की मांग की जा रही है क्या वहां पर केन्द्र खोला जाना है; और

(ख) यदि हां, तो नासिक और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में दूरदर्शन केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण छठी "योजना" अवधि (1980-85) के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद और नासिक क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार नहीं है। देश के दूरदर्शन के विस्तार के लिए भावी योजनाएं बनाते समय इन स्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

विभिन्न राज्यों के लिये हाई स्पीड डीजल तेल

*709 **श्री के० मालन्दा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनवरी, 1980 से विभिन्न राज्यों द्वारा हाई स्पीड डीजल तेल के उपयोग के बारे में कोई राज्य-वार अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां तो क्या कर्नाटक राज्य की मांग की तुलना में उस राज्य को सप्लाई की गई मात्रा पर्याप्त है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य की हाई स्पीड डीजल तेल की मांग एवं सप्लाई के बीच कोई अन्तर है, और

(घ) यदि हां तो सरकार ने इस बारे में स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) यह मन्त्रालय राज्यों एवं शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी०) का मासिक आवंटन करता है। आवंटन को विभिन्न डीजल उपभोक्ता क्षेत्रों, जैसे कि कृषि, परिवहन, उद्योग इत्यादि को राज्य सरकारों द्वारा स्वयं बांटा जाता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि एच० एस० डी० के विभिन्न उपयोगों के लिए अन्तक्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करें एवं उसके वितरण को इनके अनुसार ही नियंत्रित करें।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने हाल के महीनों में 47,000 मी० टन० एच० एस० डी० की मात्रा को राज्य के लिए न्यूनतम मासिक आवश्यकता के रूप में दर्शाया है। जनवरी, 1980 तथा फरवरी, 1981 के बीच राज्य में एच० एस० डी० की बिक्री 33,700 मी० टन और 48,000 मी० टन० प्रतिमाह के बीच रही। कर्नाटक को एच० एस० डी० की सप्लाई स्थिति अब आमतौर पर संतोनजनक है।

(घ) उपरोक्त समय के दौरान कर्नाटक में एच० एस० डी० की मांग को आमतौर पर पूरा किया गया है। वास्तव में कुछ महीनों में कम मांग के कारण एच० एस० डी० का उठान आवंटन से कम था हालांकि तेल कम्पनियों के डिपों में पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध थी।

सम्बलपुर दूरदर्शन

*710. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सम्बलपर दूरदर्शन के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, सम्बलपुर के दर्शकों से समय-समय पर सुझाव, शिकायतें मिलती हैं। गत वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें मुख्यत: उड़िया फिल्मों की पुनरावृत्ति, प्रेषक समय बढ़ाने तथा हिन्दी की अधिक फीचर फिल्में दिखाने, इत्यादि से सम्बन्धित हैं।

(ग) उड़िया फिल्मों की पुनरावृत्ति न करने के प्रयास किए जाते हैं। हिन्दी की फीचर फिल्मों की आवृत्ति बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सम्बलपुर ट्रांसमीटर से टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है। बेस प्रोडक्शन सेंटर, कटक, जो सम्बलपुर ट्रांसमीटर के लिए कार्यक्रम बनाता है, में उपलब्धि सीमित कार्यक्रम सुविधाओं के कारण प्रेषण समय बढ़ाना संभव नहीं पाया गया है।

भारतीय कम्पनी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता

*711. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय कम्पनी अधिनियम पुराना हो गया है और उसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि हजारों नकली कम्पनियां बन गई हैं और वे जनता तथा सरकार को धोखा देती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कानून में संशोधन हेतु कोई कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय

कानून को यथार्थ में ध्यान में रखते हुए, समय के परिवर्तनशील आचार और समाज की आवश्यकताओं तथा देश के सामाजिक-आर्थिक दर्शन के साथ-साथ चलना चाहिए, अतः केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधनों के साथ-साथ सुझाव देने के लिए नियुक्त उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों, वाणिज्य मंडलों और अन्य संस्थानों के सुझावों की उत्सुकतापूर्वक परीक्षा कर रहा है।

सरकार की सूचना में नहीं है कि नकली कम्पनियां काफी संख्या में बन रही है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनियों के पंजीकरण के लिए निर्धारित विभिन्न प्रक्रियायें और छानबीन बहुत ही कठोर और व्यापक है। धारा 15 के अन्तर्गत प्रवर्तकों अभिदत्त-कर्ताओं को उचित पहिचान है। तथापि यह मानना पड़ता है कि कोई भी कानून पूर्णतः इतना स्पष्ट सुनिश्चित नहीं हो सकता है कि उसमें कोई भ्रम हो किन्तु इस प्रकार के निष्प्रयोज्य मामलों का पता चलता है, तो कम्पनी अधिनियम के उपबंधों की सीमा के अन्तर्गत प्रभावी रूप से तथा कतिपय मामलों में दंडात्मक कानून के उपबंधों के अन्तर्गत संव्यवहारित किया जा सकता है।

भारत में न्यायिक प्रणाली

*712. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान न्यायिक प्रणाली दोषपूर्ण है जिसके अन्तर्गत हरिजनों यथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसमें परिवर्तन किये जाएंगे और किस तरीके से।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ओर (ख) संविधान में हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कतिपय रक्षोपायों का उपबंध है। सभी व्यक्तियों को उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप शीघ्र, निष्पक्ष और कम खर्चीला न्याय सुलभ कराने के लिए न्याय प्रशासन की विद्यमान प्रणाली के पुनर्विलोकन की आवश्यकता पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है। न्यायिक सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है।

कोल इंडिया द्वारा कोयले की सड़क से ढुलाई

*713. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार ने कोल इंडिया को सड़क से कोयले की ढुलाई की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्यविधि क्या है और कितने व्यक्तियों अथवा पार्टियों ने इससे लाभ उठाया है; और

(ग) सड़क से ढुलाई किए जाने वाले कोयले की कुल मात्रा कितनी हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) कोयले का परिवहन उपभोक्ता ही करते हैं इसलिए इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि सरकार कोल इंडिया लि० को सड़क से कोयले के परिवहन की अनुमति प्रदान करे। परन्तु सारे देश में अनेक ऐसे उपभोक्ता अपनी जरूरत का कोयला सड़क से लेते हैं जो या तो कोयला क्षेत्रों के निकट ही हैं या फिर जिन्हें कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रेल वैगन नहीं मिलते। वर्ष 1980-81 में कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० की खानों से लगभग 25 मिलियन टन कच्चा कोयला सड़क से ले जाया गया। कोयला कंपनियां उन उपभोक्ताओं के कोई समेकित आँकड़े नहीं रखतीं जिन्हें सड़क से ले जाने के लिए कोयला दिया गया है।

उप-नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के सिनेमाघरों का निर्माण

*714. श्री जगदीश टाईटलर
श्री हीरालाल आर० परमार : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम उप-नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के सिनेमाघरों के निर्माण को बढ़ावा देने की एक परियोजना आरम्भ कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निगम ऐसे कितने मामलों को पहले ही अनुमोदित कर चुका है; और

(घ) इसमें कितना वित्त अन्तर्ग्रस्त है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाले सिनेमाघरों के निर्माण को वित्तपोषित करने की योजना भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम द्वारा 1979 के दौरान चलाई गई थी। इस निगम को अप्रैल, 1980 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मिला दिया गया था और अब उक्त योजना को उत्तरोक्त कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा है। उक्त योजना का मोटा ब्यौरा विवरण के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) निगम ने अब तक 17 मामलों में 85.76 लाख रुपए की कुल राशि के ऋण मंजूर किए हैं।

विवरण

विकास निगम द्वारा सिनेमाघरों के निर्माण को वित्तपोषित करने की योजना का मोटा ब्यौरा।

1. सिनेमाघर कार्यात्मक और मितव्ययी होंगे।
2. सिनेमाघरों के निर्माण के लिए निम्नानुसार ऋण देता है :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए, अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ऋण ।

(ख) अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए अधिकतम लाख रुपए तक का ऋण ।

(ग) शहरी क्षेत्रों मे सिनेमाघरों के लिए, अधिनियम 7.5 लाख रु० तक कुल लागत का 50% ऋण ।

3. ऋण की वापसी 60 बराबर किस्तों में होगी जो सिनेमाघर के खुलने के 30 दिन के बाद या निम्नलिखित समय सीमा के अन्दर जो भी पहले हो शुरू होगी :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए, पहली किस्त के रिलीज होने की तारीख से 8 महीने ।

(ख) अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए, पहली किस्त के रिलीज होने की तारीख से 11 महीने ।

(ग) शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए, पहली किस्त के रिलीज होने की तारीख से 1 महीने ।

4. इन ऋणों पर ब्याज 12 1/2 प्रतिशत वार्षिक है तथा नियत तारीख पर भुगतान करने के लिए 1% का रिबेट और निर्धारित अवधि की आधी अवधि के भीतर भुगतान करने के लिए 1% का अतिरिक्त रिबेट दिया जाता है ।

5. इस योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित सिनेमाघर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्तपोषित/प्रायोजित फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए 50:50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के आधार पर उपलब्ध होंगे ।

हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे मेले के लिए प्रचार

*715 **श्री राम विलास पासवान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा पर हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे एशिया में प्रसिद्ध मेले का प्रचार करने वाले उनके मत्रालय के यूनिटों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक केद्वारा क्या-क्या कार्य किया गया ;

(ख) इस सम्बन्ध में अगले वर्ष सम्भावित योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग(क्या फिल्म्स डिविजन का विदेशों में प्रदर्शन हेंतु हाथियों के मेले के आधार पर एक रंगीन फिल्म बनाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों का अपने कवरेज/प्रचार कार्यक्रमों में देश के विभिन्न मेलों और त्यौहारों

का उपयुक्त रूप से उपयोग करने का सतत् प्रयास रहता हैं। पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व सन्ध्या पर हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे इस मेले को उपयुक्त कार्यक्रम रूशों के माध्यम से उपयुक्त प्रचार/कवरेज दिया गया था। इस अवसर पर विभिन्न माध्यम एककों द्वारा दिए गए कवरेज/आयोजित किए गए कार्यक्रमों को दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) इस अवस्था पर माध्यम एककों द्वारा कोई विशिष्ट योजना सोची नहीं गई है। तथापि, माध्यम एकक अपनी सामान्य गतिविधियों के अंग के रूप में इस मेले को उपयुक्त प्रचार/कवरेज देते रहेंगे।

(ग) फिल्म प्रभाग सोनपुर मेले की झलकियों को 1949 से अपनी न्यूजीरलों में कवर कर रहा है और उन्हें रिलीज कर रहा है। तथापि, यह समझा जाता कि संभवतया विशेष डाकुमेंट्री फिल्म, सादी या रंगीन, का निर्माण रोचक न हो, क्योंकि मेले में भाग लेने वालों की संख्या कम होती जा रही बताई गई है।

विवरण

पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूर्ण सन्ध्या पर हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे एशिया के प्रसिद्ध मेले को प्रचार देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों द्वारा दिया गया कवरेज/आयोजित किए गए कार्यक्रम।

1. **फिल्म प्रभाग :** फिल्म प्रभाग ने पिछले वर्ष लगे सोनपुर कार्तिक मेले को 25 मीटर की लम्बाई में कवर किया और उसको भारतीय समाचार समीक्षा 1677 (प्रादेशिक) में शामिल किया जो 5.12.1980 को रिलीज की गई थी।

आकाशवाणी : आकाशवाणी द्वारा सोनपुर मेले को दिए गए कवरेज का ब्योरा इस प्रकार है :—

(1) 20 नवम्बर और 24 नवम्बर, 1980 को कृषि समाचार में प्रत्येक दिन दो-दो मिनट की अवधि के लिए मेले के समाचार।

(2) 28 मिनट के लिए 22 नवम्बर, 1980 को "कर्टेज रेजर" के रूप में "सोनपुर मेला की झांकी"।

(3) 5 मिनट के लिए 26 नवम्बर, 1980 को समाचार ध्वनि चित्र में डिस्पैच

(4) 25 मिनट के लिए 28 नवन्बर नवम्बर, 1980 को सोनपुर कृषि प्रदर्शनी की झाकी।

(5) 28 मिनट के लिए 2 दिसम्बर, 1980 को सोनपुर मेला पशु प्रदर्शनी की झांकी।

3. **दूरदर्शन :** उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा सोनपुर मेले को विशेष रूप से कवर

किया गया था और उसको जयपुर, मुजफ्फरपुर तथा रायपुर से निम्नलिखित तिथियों को टेलीकास्ट किया गया था :—

1980	22-1-1981	दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर
	29-1-1981	दूरदर्शन केन्द्र, मुजफ्फरपुर
	5-2-1981	दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय : क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की मुजफ्फर और मोतीहारी यूनिटों ने 20 नवम्बर से 29 नवम्बर, 1980 तक कार्यक्रम आयोजित किए ब्योरा इस प्रकार है :—

यूनिट का नाम	फिल्म शो	गीत और नाटक कार्यक्रम	मौखिक संचार कार्यक्रम	फोटो प्रदर्शनी
1. मुजफ्फरपुर	23	10	11	10
2. मोतीहारी	21	11	5	शून्य

5. **विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय** : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की पटना स्थित क्षेत्रीय प्रदर्शनी यूनिट ने 21-11-80 से 5-12-80 तक सोनपुर मेले में सामाजिक और साम्प्रदायिक मेल मिलाप के विषय पर "हम एक हैं" नामक प्रदर्शनी लगाई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लगभग 3 लाख लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा बताया गया है।

6. **पत्र सूचना कार्यालय** : पत्र सूचना कार्यालय ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार किया।

गीत और नाटक प्रभाग : गीत और नाटक प्रभाग द्वारा विभागीय मंडलियों के माध्यम से या पंजीकृत गैर-सरकारी दलों के साध्यम से अपली सोनपुर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	मास	कार्यक्रमों की संख्या
1.	मिश्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम	नवम्बर, 1980	7
2.	तथैव	नवम्बर, 1980	10
3.	कव्वाली	नवम्बर, 1980	6
4.	कठपुतली कार्यक्रम	नवम्बर, 1980	15

मैसर्स इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कम्पनी कानूनों का कथित उल्लघंन किया जाना

*716 **श्री धर्मदास शास्त्री)**
श्री के० लकप्पा) : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रियल इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास कम्पनी कानून अधिनियम की धारा 217 (3) के अन्तर्गत कम्पनी कानूनी का उल्लंघन कर रही है ;

(ख) यदि हां तो इस कम्पनी के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

(ग) विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मैसर्स इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रियल इक्यिूपमैंट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ने निश्चित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में उचित रिकार्ड न रखने के विषय में 30.3.1977 और 31.3.1979 तक कम्पनी के तुलना-पत्रों में, उसके लेखापरिक्षकों द्वारा पुष्ट की गई टिप्पणियों की रिपोर्ट का निदेशक मंडल की रिपोर्ट में स्पष्टीकरण न देने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (3) का उल्लंघन किया था ।

(ख) मामले में आवश्यक कार्यवाही के लिए कम्पनी को लिखा जा रहा है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

होने वाली सभा की बैठक के लिए प्रश्न 1

गुजरात तेल शोधक कारखानों के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

*717. श्री बी० वी० देसाई)
श्री एम० वी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने गुजरात तेल शोधक कारखाने में कर्मचारियों द्वारा किये गये नौ दिवसीय नियमानुसार काम करने के आन्दोलन से उत्पन्न गंभीर संकट पर केन्द्रीय सरकार तथा गुजरात सरकार के साथ परामर्श किया था ;

(ख) यदि हां तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला था ;

(ग) क्या इस तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन से तेल की सप्लाई पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ;

(घ) क्या इस आन्दोलन से पेट्रोलियम उत्पादनों का लदान 25 प्रतिशत कम हुआ था जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थों के प्रेषण, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, परिवहन क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ; और

(ङ) यदि हां. तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय लिया गया था कि आन्दोलन अनुसूचित था और इंडिलन आयात कार्पोरेशन को चाहिए कि वे शोधनशाला के कार्यसंचालन में सहायता देने के लिए होम गार्ड्स को कार्य पर लगायें और आन्दोलनकर्त्ताओं के विरुद्ध कारंवाही करें।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ दिन के लिए शोधनशाला का संचालन सामान्य से घटकर 25% रह गया था।

(ङ) होम गार्ड्स को कार्य पर लगने और अन्य विशेष उपायों को अपनाने से शोधनशाला के संचालन में सुधार हुआ। 2 अप्रैल, 1981 को आन्दोलन समाप्त हो गया।

चलचित्रों का परिचालन से वापस लिया जाना।

*718. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1977 से 1979 के दौरान किसी वृत्तचित्र अथवा समाचार चित्र को सिनेमाओं में परिचातन से वापस लिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी फिल्में किन कारणों से वापस ली गई; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) मार्च, 1977 में सरकार ने फिल्म प्रभाग से देश में प्रदर्शित की जा रही डाकुमेंट्री फिल्मों और न्यूजरीलों की छानबीन करने तथा अनुपयुक्त समझे जाने वाली सभी डाकु ट्री फिल्मों और न्यूजरीलों को सर्कुलेशन से वापस लेने के लिए कहा था। इन अनुदेशों के परिणामस्वरूप फिल्म प्रभाग ने 22 भारतीय समाचार समीक्षाओं के अलावा. 40 डाकूमेंट्री फिल्मों को अपने थियेट्रिकल सर्किट से तथा 5 डाकुमेंट्री फिल्मों को अपने गैर थियेट्रिकल सर्किट से वापस ले लिया। फिल्म प्रभाग से 4 फिल्मों को रिलीज न करने तथा 2 फिल्मों का निर्माण बन्द कर देने के लिए भी कहा गया था। "फ्रीडम फ्राम फीयर" नामक एक फिल्म मुकम्मल हो चुकी थी, किन्तु फिल्म प्रभाग को इसे रिलीज न करने से निर्देश दिए गए थे। सर्कुलेशन से वापस ली गई डाकुमेंट्री फिल्मों तथा न्यूजरीलों के निर्माण और वितरक अन्तर्निहित कुल लागत लगभग 1,66,00,000 रुपए है।

दूरदर्शन पर बच्चों की फिल्म दिखाना

*719. **श्रीमति कृष्ण साही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल फिल्म समिति द्वारा बनाई गई फिल्में दूरदर्शन पर नहीं दिखाई जाती है।

(ख) क्या यह सच है कि बच्चों के लिए सिनेमा हाल जाने की अपेक्षा दूरदर्शन पर फिल्में देखा सुविधाजनक है; और

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन पर बच्चों की फिल्में दिखाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) बाल फिल्म समिति द्वारा बनाई गई फिल्मों को, टेलिकास्ट करने के लिए दूरदर्शन द्वारा प्रस्तावित भुगतान की दरों की अस्वीकार्यता के कारण टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन द्वारा हासिल नहीं किया जा सका। तथापि, बाल फिल्म समिति अब टेलिकास्ट के लिए सहमत हुई दरों पर बाल फिल्में सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है । दूरदर्शद का विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से टेलिकास्ट करने के लिए इन का उपयोग करने का प्रस्ताव है ।

हानि में चल रही समाचार एजेन्सियां

*720. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी हिन्दी तथा अन्य समाचार एजेन्सियाँ हानि में चल रही हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक को चालू वर्ष में तथा पिछले दो वर्षों में प्रति वर्ष कितनी हानि हुई;

(ग) उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाये गये और किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या इस प्रकार का कोई सुझाव है कि उनमें से कुछ एजेंसियों का आर्थिक दृष्टि से सक्षम अंग्रेजी समाचार एजेंसियों के साथ विलय किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) देश में चार समाचार एजेंसियां हैं अर्थात प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया, यूनाइटिड न्यूज आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती। समाचार एजेंसियां निजी क्षेत्र में हैं । इनके वित्तीय मामलों का प्रबन्ध समाचार एजेंसियों द्वारा स्वयं किया जाता है और ये सरकार के अधिकार क्षेत्र या उत्तरदायित्व के अन्तर्गत नहीं आती ।

(घ) और (ङ) समाचार एजेंसियों का स्वतत्र अस्तित्व है और इनकी संगठनात्मक संरचनाओं या ढांचों के बारे में विचार या निर्णय करना इन्हीं का काम है। समाचार एजेंसियों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पतरातू ताप बिजली घर द्वारा फालतू पुर्जों की कमी का सामना

*721. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पतरातू ताप बिजली घर फालतू पुर्जों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) क्या अपेक्षित फालतू पुर्जे देश में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन फालतू पुर्जों का आयात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उनका आयात करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) बिहार में पतरातू ताप विद्युत केन्द्र में सोवियत संघ से आयातित 50-50 मेगावाट की चार यूनिटें तथा 100-100 मेगावाट की दो यूनिटें हैं और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा सप्लाई की गई 110-110 मेगावाट की दो यूनिटें हैं। यद्यपि सोवियत संघ द्वारा सप्लाई की गई यूनिट 1 से 6 के मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए फालतू पुर्जे वहां से आयात करने होते है तथापि इन यूनिटों के लिए तथा स्वदेशी यूनिट 7 और 8 के लिए आनुषंगिकों के फालतू पुर्जे स्वदेशी निर्माताओं से उपलब्ध है। विदेशी फालतू पुर्जों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां रही हैं और इसलिए सोवियत संघ से फालतू पुर्जों की सप्लाई शीघ्र किए जाने सम्बन्धी प्रश्न को सोवियत संघ प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है जोकि मामले की प्राथमिकता देने के लिए सहमत हो गये हैं।

आयातित यूनिटों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक रोटर, स्टेटर फाइल इत्यादि जैसे अतिरिक्त पुर्जो का केन्द्रीय भण्डार रखने की एक स्कीम की वित्त-व्यवस्था भी विद्युत विभाग द्वादा की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से रखे जाने वाले इन अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता यूनिटों के साधारण प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नहीं होती अपितु रोटर, स्टेटर आदि के क्षतिग्रस्त हो जाने पर बड़ी ब्रेकडाउन के मामले में इनकी आवश्यकता होती है। 50 मेगावाट के एक सेट के लिए एक जेनरेटर रोटर तथा 100 मेगावाट के एक सेट के लिए एक डी- सी० एक्साइटर सहित पतरातू ताप विद्युत केन्द्र ने इस स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त पुर्जे ले लिए हैं।

राजस्थान नहर के निर्माण कार्य पर कोयले की कमी का प्रभाव

*597. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर निर्माण कार्य कोयले की कमी के कारण बिल्कुल बन्द हो गया है और इससे लगभग 300 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने में बिलम्ब होगा;

(ख) पिछले दिनों कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न किए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) परियोजना-स्थल पर कोयला पहुंचाने में उच्चतर प्राथमिकता देने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम क्या रहा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान नहर परियोजना में कोयले की उपलब्धि में कमी होने के कारण काम में देर हुई। खान मुहानों पर तो राजस्थान नहर परियोजना सहित सभी उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टाक मौजूद है। परन्तु परियोजना को कोयले की कमी परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण हुई है।

(ग) राजस्थान नहर परियोजना को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के प्रश्न पर रेल मंत्रालय से बातचीत की गई है और उस मंत्रालय में यह कहा है कि इस परियोजना की उच्च अग्रता को ध्यान में रखते हुए परियोजना को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं और आशा है कि परियोजना के लिए अतिरिक्त रेलों से कोयला जाएगा।

सेवा निवृत अधिकारियों का मंत्रालय में आना जाना

*6606. श्री सनत कुमार मण्डल : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री सेवा-निवृति के बाद अधिकारियों द्वारा रोजगार प्राप्त करने के बारे में 3 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2002 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उपरोक्त उत्तर में सदर्भित इन दो अधिकारियों द्वारा बनाए हुए अपने घनिष्ठ संबंधों और अपने व्यापक स्रोतों के माध्यक से उत्पन्न प्रभाव को दृष्टि मे रखते हुए क्या उक्त मत्रालय की विभिन्न शाखाओं/अनुभागों में इनके निर्वाध रूप से आने-जाने तथा उनके मालिकों के मामलों पर कार्यवाही करने से सबधित कर्मचारियों तक पहुंच करने और उन कर्मचारियों के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच करने के सम्बन्ध में कोई रोक लगाई जा रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उन्होंने शास्त्री भवन में स्थित उनके मंत्रालय का औसतन प्रतिमाह कितनी वार दौरा किया,

ट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) प्राइवेट फर्मों और उनके संघों के सभी प्रतिनिधियों को अवर सचिव और उससे उच्च अधिकारियों को समय लेकर मिलने की अनुमति है। प्राइवेट फर्मों और उनके संघों के प्रतिनिधियों को अवर सचिव से कम रैंक के अधिकारियों और अन्य स्टाफ को मिलने की अनुमति नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि वे अनुभागों और स्टाफ के साथ स्वतन्त्र रूप से मिलते हैं।

(ग) मत्रालय द्वारा आगन्तुकों के मिलने का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

"पोलियस्टर मेटलाइज्ड फिल्म" का उत्पादन करने वाली फर्में

*6607. श्री चतुर्भुज : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी "फर्में पोलिएस्टर गेटेलाइज्ड फिल्म" का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) उपरोक्त फर्मों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तथा गत दो वर्षों के दौरान उनका कुल कितना उत्पादन था;

(ग) क्या यह उत्पादन अन्तर्देशीय उपयोग के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान "पोलिएस्टर गेटेलाइज्ड फिल्मों" का कुल कितना आयात किया गया; और

(ङ) भविष्य में "पोलिएस्टर गेटेलाइज्ड फिल्मों" की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पोलिएस्टर मेटेलाइज्ड (धात्वीकृत) फिल्मों का निर्माण निम्नलिखित कम्पनियां कर रही हैं :—

(1) मैसर्स कैमीकोट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

(2) मैसर्स कैमीकोट लिमिटेड, बडोदरा और

(3) मैसर्स गरवारे प्लास्टिक्स एण्ड पोलिएस्टर प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

(ख) उपरिलिखित कम्पनियों की कुल स्थापित क्षमता 1025 मी० टन है। वर्ष 1979 और 1980 में होने वाला उत्पादन क्रमशः 461 मी० टन और 696 मी० टन था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मेटेलाइज्ड पोलिएस्टर फिल्म की आयात की गई मात्रा के बारे में पृथक से आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) मैसर्स गरवारे प्लास्टिक्स एण्ड पोलिएस्टर प्राइवेट लिमिटेड को पोलिएस्टर फिल्म के निर्माण के लिए क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी गई है।

ट्रस्ट के लिए आचरण संहिता

*6608. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या विधि, और न्याय कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-2 में गणदेवी पुलिस स्टेशन के सामने स्थित दामोदर जीवराज, हेमराज ट्रस्ट पर कम्पनी अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं और यदि हां, तो इस न्यास पर कौन कौन से कानून नियम लागू होते हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने न्यासों के लिए कोई आचरण-संहिता बना रखी है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या न्यासों पर कम्पनी अधिनियम भी लागू होता है और यदि हाँ, तो बम्बई में ऐसे कितने न्यास हैं, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है; और

(ग) क्या इन न्यासों में, जिनका लाभ न्यासी उठा रहे हैं, अरबों रुपये की पूंजी लगी हुई है और यदि हां, तो न्यासियों द्वारा इन नियमों का उचित रूप से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1---दामोदर जीवराज, हेमराज ट्रस्ट ने लोक न्यासी के पास कोई घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि क्या यह न्यास कम्पनी अधिनियम के उपलब्धों को आकर्षित करता है, अथवा नहीं। प्रश्न में दिए गए पते पर की गई जांचों से पता चला कि उक्त पते पर ऐसा कोई न्यास विद्यमान नहीं है। न्यासों के लिए कोई आचरण-संहिता नहीं है।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 153 ख के अन्तर्गत जहाँ किसी व्यक्ति (न्यासी) द्वारा किसी कम्पनी के कोई हिस्से अथवा ऋण पत्र उसमें विहित सीमाओं से अधिक की मात्रा में न्यास में धृत किये जाते हैं, तथा जहां न्यास लिखित सलेख द्वारा सृजित हो, वहां न्यासियों को "लोक न्यास" को इस आशय की घोषणा करनी चाहिये कम्पनी अधिनियम की 187 ख में भी प्रावधान है कि इस प्रकार के मामलों में, कम्पनी की किसी बैठक में, कम्पनी के सदस्य के रूप में न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार एवं शक्तियां (जिनके अन्तर्गत परोक्षी द्वारा मत देने का अधिकार भी आता है) न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य न रहकर, लोकन्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य हो जायेंगे।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित उपबन्धों के अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम के कोई अन्य उपबन्ध न्यासों पर लागू नहीं है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बम्बई स्थित न्यासों की संख्या 57 है।

(ग) इस विभाग के पास, न्यासों में नियोजन की बाबत कोई सूचना नहीं है, क्योंकि यदि न्यास, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विहित सीमा से अधिक के हिस्सों/ऋण-पत्रों में नियोजन करते हैं, तो उनके लिए केवल घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

पश्चिम बंगाल को बिटुमन की सप्लाई

*6609. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) गत वर्ष पश्चिम बंगाल को कितना बिटुमन (डामर) सप्लाई किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि में पश्चिम बंगाल की मांग कितनी थी और उसे कितना कोटा नियत किया गया ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को लगभग 70,000 मी० टन बिटुमन की सप्लाई की गयी।

(ख) पश्चिम बंगाल को 1980-81 के लिए बिटुमन का संशोधित आबंटन 86,000

मी० टन था । जनवरी, 1980 में, राज्य को जनवरी से जून, 1980 की अवधि में 68,000 मी० टन बिटुमन आबंटित करने की प्रार्थना इस मंत्रालय में प्राप्त हुई थी ।

डीजल प्रतिबन्धों को हटाना

*6610. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में डीजल पर से तत्सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लेने के कोई निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने डीजल पर प्रतिबन्ध हटा लिये हैं तथा किस तारीख से हटाये हैं; और

(ग) क्या देश भर में डीजल के वितरण पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मार्च और अप्रैल के लिए डीजल के आबंटनों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है और अब राज्य सरकारों के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण तमाम प्रतिबन्ध उठा लें ।

कम्पनियों द्वारा जनता से एकत्रित जमा धनराशि

6611. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों ने जनता से, इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 197: को और 31 मार्च, 1980 का कितनी-कितनी जमा धनराशि प्राप्त कर रखी थी;

(ख) कितनी कम्पनियों ने ये जमा धनराशि प्राप्त की थी;

(ग) कुल कितनी और किन-किन कम्पनियों ने इन जमा धनराशियों का पुनर्भुगतान नहीं किया; और

(घ) जनता से एकत्रित जमा-धन-राशियों को उन्हें वापिस न लौटाने के कारण किन-किन कम्पनियों पर मुकदमा चलाया गया ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न श्रेणियों की कम्पनियों द्वारा धारित निक्षेपों की बाबत आंकड़ों को आवधिक

रूप से संकलित करता है व प्रकाशित करता है। इसके द्वारा प्राप्त निक्षेपों की विवरणियों के "शीघ्र सर्वेक्षण" के आधार पर, बैंक ने गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों की बावत निम्नलिखित आंकड़े भेजे हैं, जिनके निक्षेप प्रतिग्रहण इस विभाग द्वारा विनियमित किये गए हैं :—

तारीख	कम्पनियों की संख्या	धारित निक्षेप की राशि
3-1979	3102	688.5 करोड़ रुपये
3-1980	3050	986.9 करोड़ रुपये

(ग) उनके द्वारा प्राप्त, 31-३-1979 तक के निक्षेपों की विवरणियों पर आधारित, कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 242 गैर बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों ने दावे किए जाने पर भी, परिपक्व हुए निक्षेपों का भुगतान नहीं किया, उनके नाम अनुलग्नक-1 में वर्णित है [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-2३26/८1]

(घ) कम्पनी अधिनयम, 1956 में परिपक्व निक्षेपों के भुगतान में असफल रहने पर एक कम्पनी के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है, केवल, कम्पनी (सशोधन) अधिनियम 1974 के प्रारम्भ के पूर्व, किसी कम्पनी द्वारा प्रतिग्रहीत निक्षेपों की बावत एक अल्पकालिक उपबन्ध [धारा 58-क(3) (क)] को छोड़ कर, जिसका निक्षेप नियमों के अनुसरण में पुनर्नवीकरण हो जाने तक, इस प्रकार के निक्षेप के निबंधनों के अनुसार, वापिस किया जाना अपेक्षित था निक्षेपों के परिपक्व होने पर वापिस करने में असफल रहने से, एक नागरिक दावे का उद्भूत होता है, एवं जमाकर्ता समुचित कानूनी न्यायालय में इसका निवारण प्राप्त कर सकता है।

गुजरात तेल शोधन कारखाने में आन्दोलन

6612. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोशन कारखाने के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन आन्दोलन कर रहे है :

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या एक सौ से अधिक कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गुजरात शोधन कारखाने के कामदार संघ ने दिनांक 28-2-1981 से "नियमानुसार कार्य करने" का आन्दोलन आरम्भ किया था परन्तु दिनांक 2-4-19:1 से उसे उन्होंने समाप्त कर दिया है।

(ख) बोनस अधिनियम के अन्तर्गत 20% के अनुमेय बोनस के अतिरिक्त उनकी मुख्य मांग अनुग्रहपूर्वक अदायगी से संबंधित थी।

(ग) आन्दोलन अनुचित था।

(घ) और (ङ) कार्य करने से इन्कार करना, "नियमानुसार कार्य करने" के रूप में धीरे कार्य करना, प्रबन्धकों के कानूनी आदेशों की अवहेलना करना, उत्पाती व्यवहार करना, कार्य में अवरोध पैदा करने आदि के कारण, 130 कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किये गये थे।

बंगाल बेसिन में गैस के निक्षेप

6613. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 15 मार्च, 1981 में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें डा० राम सक्सेना ने, जो "डेल्टा" के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, यह मत व्यक्त किया था कि बंगाल के बेसिन में गैस के बहुत बड़े निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) डा० राम एस० सक्सैना मैसर्स ज्योकंसलटेंट्स इंटर नेशनल (जी० सी० आई०) नाम के अमेरिकन परामर्शी फर्म के अध्यक्ष हैं जिसके साथ बंगाल बेसिन के डेल्टा माडल अध्ययन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गंस आयोग ने 4 अगस्त 1980 को एक ठेका किया है। ठेके की अवधि उसके हस्ताक्षर की तिथि से 18 महीने की है जिसके बाद अध्ययन की रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। इस बीच बंगाल बेसिन में खोदे गए कुओं में पहले से किए गए भूकम्पीय सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर अमेरिका तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ मैसर्स जी० सी० आई० द्वारा पुनः प्रक्रिया और पुनः विश्लेषण किया जा रहा है। जब तक इस अध्ययन के परिणाम प्राप्त नहीं होते, तब तक डा० राम एस० सक्सेना द्वारा समाचार-पत्र में दिए गए कथित मत पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

स्वर्गीय श्री ज्योतिरो फुले और उनकी पत्नी के जीवन पर वृत्त चित्र बनाना

6614. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान् समाज सुधारक स्वर्गीय श्री ज्योतिरो फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर वृत चित्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जहां तक फिल्म प्रभाग का सम्बन्ध है, महान समाज सुधारक स्वर्गीय श्री ज्योतिरो फुले और उनकी पत्नी श्रीमती सावित्रीवाई फुले के जीवन पर डाकुमेंट्री फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में अभी तक विद्युतीकृत न किए गए गांव

*6615. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में कितने गांवों में अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : गुजरात राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 6,395 गांवों में बिजली नहीं लगी है।

वर्ष 1975-80 (31-12-1979 तक) के दौरान गुजरात में विद्युतीकृत किए गए 819 नए गांवों की तुलना में 1980-81 में 1,012 नए गांवों को विद्युतीकृत किया गया है।

विदेशों के सहयोग से आरम्भ की गई परियोजनाएं

*6616. श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों केनाम क्या हैं जिनके सहयोग से (एक) डी० एम० टी0 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट (दा) एक्रीलतास (तीन) 25 मेगावाट विद्युत संयंत्र और (चार) वी० सी० तथा पी० वी० सी० परियोजनाएं, जिनकी स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई थी, आरम्भ की जा रही है और उन देशों के साथ किये गये करारों की शर्तें क्या हैं; और

(ख) उपरोक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिलिटेड (आई० पी० सी० एल०) ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिन विदेशी सहयोगियों के साथ सहयोग समझौते किए हैं उनके नाम तथा समझौते की संक्षेप में शर्तें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित तिथियां नीचे दी गयी हैं :—

(1) डी० एम० टी० विस्तार	मार्च 1982
(2) एक्रीलेट्स	फरवरी, 1982
(3) 25 मेगावाट पावर संयंत्र	1981 का उत्तरार्ध
(4) पी० सी०/पी० वी० सी०	जुलाई, 1983

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सहयोगी का नाम	शर्तें	समझौते की अवधि
1.	डी० एम० टी० विस्तार	कोई विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है।	—	—
2.	एक्रीलेट्स	मैसर्स असाही कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज कंपनी लि० जापान	चार विभिन्न एक्रीलेटों के उत्पादन के लिए भारत में आई० पी० सी० एल० ने एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा किये गये अनुसंधान एवं विकास के द्वारा प्रौद्योगिकी विकसित की है तथा एक भारतीय इन्जीनियरी कम्पनी के साथ इन्जीनिरी विकसित की है। चार एक्रीलेटों में से एक एक्रीलेट अर्थात मिथाइल एक्रीलेट के मामले में जापान की एक कम्पनी मैसर्स असाही कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि० के साथ समझौता किया गया है जिसके द्वारा असाही मिथाइल एक्रीलेट संयंत्र के लिए आई० पी० सी० एल० द्वारा तैयार किए जाने वाले कुछ आधारभूत एवं विस्तृत इन्जीनियरी दस्तावेजों को प्रक्रिया अवलोकन की दृष्टि से जांच करेगा एवं	

1	2	3	4	5
			मौखिक टिप्पणी देगा। असाही आई० पी० सी० एल० के कर्मचारियों को असाही के जापान में मिथाइल एक्रीलेट संयंत्र के परिचालन एवं रख-रखाव का प्रशिक्षण भी देगा।	
3.	25 मेगावाट पावर संयंत्र	कोई विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है।	—	—
4.	बी० सी० और पी० वी० सी० परियोजना	(1) मैसर्स बी० एफ० गुडरिच कंपनी लि०, यू० एस० ए० (2) मैसर्स स्टाफर कैमिकल्स कम्पनी लि०, यू० एस० ए० (3) मैसर्स बाडगर बी० बी० लिमिटेड (4) मैसर्स टैक्नीप, फ्रांस	लाइसेंस शुल्क, प्रक्रिया जानकारी शुल्क, आई० पी० सी० एल० के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा प्रवासी सहायता के लिए एक मुश्क भुगतान आधारभूत इन्जीनियरी सलाह तथा प्रापण सेवाओं के लिए एक मुश्त भुगतान	जिस तिथि से समझौता लागू होगा उससे 7 वर्ष की अवधि तक।

सिनेमा गृहों द्वारा वृत-चित्र दिखाया जाना

*6617. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म प्रभाग भारत में 10,000 सिनेमा घरों को वृत्त चित्र सप्लाई कर रहा है और उनको एक "शो" में एक फिल्म अनिवार्य रूप से दिखानी होती है परन्तु अधिकांश सिनेमा-घर बम्बई से प्राप्त फिल्में रिलीज नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में सिनेमा-घरों पर निगरानी रखती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) फिल्म

प्रभाग प्रदर्शन के लिए देश के सभी सिनेमाघरों को फीचर फिल्में सहित डाकुमेंट्री फिल्में और न्यूजरीलें सप्लाई कर रहा है। सिनेमाघरों से यह अपेक्षित है कि वे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस की शर्त के अनुसार प्रत्येक शो में एक डाकुमेंट्री फिल्म या एक न्यूज-रील अनिवार्य रूप से दिखाये। जब भी चूक की घटनाएं ध्यान में आती हैं उनको उपयुक्त कार्यवाई के लिए सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के ध्यान में ला दिया जाता है।

(ख) फिल्म प्रभाग में इस सम्बन्ध में सिनेमाघरों पर निगरानी रखने की अपेक्षित व्यवस्था नहीं है। तथापि, यह देखने के लिए कि क्या फिल्म प्रभाग की डाकुमेंट्री फिल्म या न्यूज-रील दिखाई जा रही है सिनेमाघरों के अचानक दौरे किए जाते हैं।

सेलेक्शन ग्रेड के पदों के लिए चयन का मानदण्ड

*6618. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

दण्डकारण्य परियोजना में सिलेक्शन ग्रेड के पदों के लिए कर्मचारियों का चयन करने के मानदण्ड क्या हैं जिसके बारे में बताया गया है कि वे अब अतिरिक्त जिम्मेदारी वाले पद नहीं हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : अयोग्यता के कारण अस्वीकृति के अधीन रहते हुए वरिष्ठता ही आधार है।

शैक्षणिक प्रसारण के लिए आबंटित समय

6619. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) दिल्ली (2) शिमला (३) जालंधर रेडियो-स्टेशनों से प्रति सप्ताह 'शैक्षणिक' प्रसारणों के लिए कुल कितना समय आबंटित किया जाता है ;

(ख) यह कार्यक्रम किस भाषा-भाषाओं में पेश किया जाता है तथा कार्यक्रम के विषय क्या हैं; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सुने जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इनकी अवधि बढ़ाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) (क) (1) दिल्ली (2) शिमला और (3) जलन्धर रेडियो स्टेशनों से शैक्षिक प्रसारणों के लिए प्रति सप्ताह दिए गए कुल समय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

दिल्ली	8 घण्टे
शिमला	4 घण्टे 25 मिनट
जलन्धर	4 घण्टे 40 मिनट

(ख) जिन भाषाओं में शैक्षणिक प्रसारण प्रस्तुत किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं :—

दिल्ली	हिन्दी और अंग्रेजी
शिमला	हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी
जलन्धर	हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी

(ग) अवधि में वृद्धि के निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन है:—

दिल्ली : अध्यापकों के लिए प्रसारणों को ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान 15 मई 1981 से प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

शिमला : प्राथमिक पाठशालाओं के लिए प्रसारणों के बारे में तब विचार किया जायेगा जब प्राथमिक पाठशालाओं में रेडियो सैट लग जायेंगे।

जलन्धर : किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

शामिल किए जाने वाले कार्यक्रम के विषय इस प्रकार हैं :—

(1) दिल्ली :

(1)	माध्यमिक कक्षाओं के लिए	सामाजिक अध्ययन, हिन्दी और अंग्रेजी।
(2)	प्राइमरी कक्षाओं के लिए	समृद्धि कार्यक्रम।
(3)	विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं के लिए	अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य, गणित, अंग्रेजी उर्दू, हिन्दी, पंजाबी और संस्कृत

(2) शिमला :

(1)	माध्यमिक कक्षाओं के लिए	सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी तथा पाठशालाओं के लिए समृद्धि विषय में।
(2)	अध्यापकों के लिए	अध्यापकों के लिए रीति-विज्ञान में नवीनतम प्रविधियां और नवीन प्रक्रियाएं।
(3)	ग्रामीण दर्शकों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए	ग्रामीण दर्शकों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए कृषि बागवानी, पशुपालन, वानिकी,

		मछली पालन, वातावरण, परिवार कल्याण, सांस्कृतिक विरासत प्रतिदिन का विज्ञान, स्व रोजगार और विकासीय गतिविधियाँ।
	(4) स्कूलोत्तर शिक्षार्थियों के लिए	स्कूलोत्तर दर्शनों के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, जनसंख्या शिक्षा, खेलकूद, विज्ञान और सामाजिक विषय। ये कार्यक्रम युवा कार्यक्रमों के अंग हैं।
(3) जलन्धर :		
	(1) पाठशालाओं के लिए	पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कार्यक्रम।
	(2) विश्वविद्यालयों के लिए	पंजाबी और पंजाब विश्वविद्यालयों के पत्राचार डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए रेडियो समर्थन।

मिजोरम, मेघालय, मनीपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड के गांवों का विद्युतीकरण

6621. **डा० आर० रोथुआमा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, मेघालय, मनीपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड के कुल कितने गांवों तथा कस्बों का विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) इन राज्यों में अब तक राज्यवार कितनी पन बिजली/तापीय/डीजल चालित-बिजलीघर चालू किए जा चुके हैं;

(ग) इन राज्यों में हाल ही में केन्द्र ने कितनी पन बिजली परियोजनाएं हाल में ली हैं;

(घ) इन राज्यों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 के लिए इस समय कितना वित्तीय नियतन मंजूर किया गया है; और

(ङ) इन राज्यों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए चालू वर्ष में क्या लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड राज्यों में 31 दिसम्बर, 1980 तक विद्युतीकृत किए गए गांवों और कस्बों की कुल संख्या विवरण एक में दी गई है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक चालू किए गए जल विद्युत/ताप विद्युत/डीजल द्वारा चलाए जा रहे विद्युत घरों की संख्या विवरण-दो में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में मणिपुर राज्य में लोक तक जल विद्युत परियोजना (3 × 35 मेगावाट) का निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लाभ के लिए कोपिली जल विद्युत परियोजना (2 × 50 मेगावाट+2 × 25 मेगावाट) का निर्माण उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम द्वारा किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का प्रशासन 2.3 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता के तीन माइक्रो जल विद्युत केन्द्रों के निर्माण में लगा हुआ है।

(घ) और (ङ) : योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए वित्तीय आबंटनों का तथा 1981-82 में गांवों के विद्युतीकरण के लिए लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण तीन में दिया गया है।

विवरण-एक

दिसम्बर, 1980 के अन्त तक विद्युतीकृत किए गए गांव और कस्बे

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत कस्बों की संख्या
1	2	3	4
1.	मिजोरम	28	2
2.	मेघालय	624	6
3.	मणिपुर	322 (*)	8
4.	त्रिपुरा	841	6
5.	अरुणाचल प्रदेश	297	4
6.	नागालैण्ड	3[illegible]0	3

(*)—30-6-1980 तक की गई प्रगति।

विवरण-दो

अभी तक चालू किये गये जल विद्युत/ताप विद्युत, डीजल विद्युत यूनिटों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माइक्रो जल विद्युत सहित जल विद्युत		ताप विद्युत		डीजल विद्युत	
		सं०	क्षमता (मेगा०)	सं०	क्षमता (मेगा०)	सं०	क्षमता (मे०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मिजोरम	—	—	—	—	9	3.5
2.	मेघालय	4	126.71	1	2.50	उपलब्ध नहीं	1.95
3.	मणिपुर	1	0.60	—	—	,,	14.40
4.	त्रिपुरा	1	10.00	--	—	,,	5.98
5.	अरुणाचल प्रदेश	14	8.62	—	—	32	2.4
6.	नागालैण्ड	1	1.50	—	—	उपलब्ध नहीं	2.16

विवरण-तीन

1981-82 के लिए वित्तीय आबंटन और गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय आबंटन (लाख रु०)	गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य
1	2	3	4
1.	मिजोरम	85.00	22
2.	मेघालय	222.00	200
3.	मणिपुर	98.00	100
4.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	120
5.	त्रिपुरा	153.00	190
6.	नागालैण्ड	110.00	50

उर्वरक एककों में संगठनात्मक अन्तराल

6622. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कार्यवाही समिति ने उर्वरक एककों में संगठनात्मक अन्तराल के बारे में बताया है और उनको उत्पादन योग्य बनाने के लिए वस्तु-सूची नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक उपाय तत्काल लागू करने का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उर्वरक क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सामग्री प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर कुछ सिफारिशें की हैं। इसमें सामग्री प्रबन्ध कार्य, सामग्री प्रबन्ध के लिए संवर्ग का सृजन, ए० बी० सी० विश्लेषण आदि का उचित उपयोग शामिल है। सरकार अध्ययन करने के बाद उपयुक्त कारंवाई करने का विचार रखती है।

शासकीय गुप्त बातों को बाहरी लोगों तक पहुंचाया जाना

6623. श्री ए० यू० आजमी : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में शासकीय बातें चोरी से बाहरी लोगों तक पहुंचाने के आरोप में निदेशक के वैयक्तिक सहायक के रूप में काम कर रहे एक पदाधिकारी की हाल में की गई गिरफ्तारी से कोई सीख ली है,

(ख) यदि हां, तो क्या और उन्होंने उन अधिकारियों का स्तर निर्धारित करके, जो फाइलें घर ले जा सकते हैं, और औषधियों, रसायनों, हस्तनिर्मित रेशा आदि जैसी सरकारी फर्मों तथा अन्य नाजुक विषयों के बारे में कार्यवाही करने वाले निचले स्तर के कर्मचारियों के ब्रीफ केसों की तलाशी की व्यवस्था करके भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का आदेश दिया है,

(ग) उन्होंने विभिन्न घरानों के रेजीडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिव्ज/सम्पर्क अधिकारियों को मंत्रालय की शाखाओं/अनुभागों/उन अधिकारियों को जो किसी समय उनके मंत्रालय में काम कर रहे थे, के वैयक्तिक सहायकों के कमरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है, और

(घ) क्या ऐसी गैर-सरकारी फर्मों के कर्मचारियों तथा उनके मंत्रालय के अनुभाग

अधिकारी स्तर तक के कर्मचारियों के ब्रीफ केसों की अकस्मात तलाशी लेने की वांछनीयता पर विचार करेंगे और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इसके लिए गुप्त सूचना दिए जाने के बारे में पूरे ब्यौरे प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

(ख) सरकारी कागजातों की सुरक्षा के लिए पहले ही पर्याप्त अनुदेश दिए हुए हैं। इन अनुदेशों की ओर इस विभाग से अधिकारियों का ध्यान बार बार दिलाया गया है और दिलाया जा रहा है।

राजपत्रित अधिकारी को छोड़कर कोई भी कर्मचारी सरकारी रिकार्ड की बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकता है। गृह मंत्रालय का सुरक्षा स्टाफ, जो कि इस विभाग के गेट पर तैनात होते हैं, संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति की बाहर जाते समय तलाशी ले सकता है।

(ग) आवासी प्रतिनिधियों/सम्पर्क अधिकारियों को अनुभागों और निजि सहायकों के कमरों में जाने की अनुमति नहीं है। वे समय लेकर अवर सचिव और उससे उच्च अधिकारियों को मिल सकते हैं।

(घ) वर्तमान हिदायतों के अनुसार सुरक्षा कर्मचारी किसी व्यक्ति पर संदेह होने की स्थिति में बाहर जाते समय उसकी तलाशी ले सकते हैं।

दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में आदिमजाति लोगों का विकास

6624. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ने परियोजना क्षेत्रों में आदिमजाति लोगों के विकास के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पांचवी योजना में आदिम जातियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण, कोरापुट ने कितनी धनराशि खर्च की है और छटी योजना में कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : जी हां, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण तथा उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती रहती है।

(ख) इस प्रकार की बातचीत में उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि खोजने तथा उसे दण्डकारण्य

क्षेत्र में आदिवासियों के पुनर्वास के लिए देने, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा उसका सुधार करने तथा इस प्रकार सुधार की गई भूमि पर राज्य सरकार द्वारा आदिवासी परिवारों के वास्तविक पुनर्वास और निर्धारण के बारे में चर्चा की जाती है।

(ग) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासियों के पुनर्वास पर 20.57 लाख रुपये की राशि व्यय की गई और छठी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजन के लिए 403.21 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में परियोजना क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा छठी पंचवर्षीय योजना में उनके द्वारा की गई व्यवस्था के संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

तमिलनाडु को कोयले का आवंटन

6625. श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु को कोयले का आबटन उनकी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है,

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि कुल आबंटित कोयला वैगनों की अनुपलब्धता के कारण नहीं दिया जा सका है; और

(ग) यदि हां, तो आबंटन में पुनरीक्षण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) तमिलनाडु की कोयले की कुल मांग पूरी नहीं की जा सकी जिसका कारण सिंगरेनी कोलियरीज़ में उत्पादनों में कमी की है क्योंकि यह कम्पनी ही वहां की अधिकांश मांग पूरी करती है। एक अन्य आंशिक कारण यह भी था कि कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन नहीं मिले।

(ग) तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों की कोयले की मांग पूरी करने की दृष्टि से सिंगरेनी कोलियरीज़ में उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति ने !0920 वैगनों के प्रतिदिन लदान का कार्यक्रम भी अनुमोदिन किया है। प्रायोजित मात्रा को रेल से ले जाने में जो कमी रह जाती है उसे कोल इंडिया सड़क से ले जाने के लिए कोयला देकर भी पूरा कर देती है। कुछ निर्धारित खानों से कोयला बिना किसी प्रतिबंध के भी दिया जा रहा है।

बिना दूरदर्शन की सुविधाओं वाले क्षेत्रों के लोक गीतों तथा नृत्य का दिखाया जाना

6626. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ क्षेत्रों अथवा राज्यों में दूरदर्शन केन्द्र न होने कारण क्या कुछ क्षेत्रों के लोग नृत्य तथा गीतों और अन्य सामाजिक जीवन की झांकी को राष्ट्रीय दूरदर्शन क्रियाकलापों में स्थान नहीं मिलता;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े तथा पवर्तीय क्षेत्रों के सामाजिक तथा साँस्कृतिक जीवन के कार्यक्रमों को दूरदर्शन कार्यक्रमों में अधिकतम स्थान देने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां इस समय कोई दूरदर्शन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दूरदर्शन केन्द्रों की फिल्म कैमरा यूनिटें उपलब्ध सीमित संसाधनों के भीतर जब भी सम्भव होता है, ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को फिल्माने के लिए इन क्षेत्रों का दौरा करती हैं। लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र उत्तर प्रदेश की लोक कथा और लोक नृत्य के कार्यक्रमों को समय समय पर टेलीकास्ट करता है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के लोक संगीत और लोक नृत्यों को संगीत और नृत्य के अखिल भारतीय कार्यक्रम में टेलीकास्ट किया जा रहा है। अब तक, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लोक संगीत और नृत्यों को अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत और नृत्यों को दिल्ली/मसूरी और अमृतसर/जालंधर दूरदर्शन केन्द्रों से समय समय पर टेलीकास्ट किया जाता है।

ऊर्जा विकास को शिक्षा के साथ जोड़ना

6627. **श्री राजेश पायलट** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार, अर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विकास को शिक्षा के साथ जोड़ने की उपयोजना को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है जिसकी जरूरत एक लम्बी अवधि से महसूस की जा रही थी; और

(ख) यदि हां; तो क्या किसी विश्वविद्यालय, आई० आई० टी० अथवा इंजीनियरी कालेज को अपनी नियमित गतिविधियों के रूप में छोटे विद्युत उत्पादन एककों का निर्माण कार्य हाथ में लेने को प्रोत्साहित किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को शिक्षा के साथ जोड़ने के प्रयासों को सरकार बढ़ावा दे रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और बहुत से इंजीनियरी कालेज, तकनीकी संस्थाएं, विश्वविद्यालयों के इंजीनियरी विभाग

और स्वायत्तशासी संस्थायें ऊर्जा उत्पादन से सम्बद्ध इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम चला रही है। प्रायोजकों से आवश्यक वित्तीय सहायता लेकर इन संस्थाओं ने, ऊर्जा के क्षेत्र में कई प्रायोजित अनुसंधान परियोजना भी हाथ में लीं हैं। यह केन्द्र, ऊर्जा के नये साधनों का विकास करने और परम्परागत साधनों से ऊर्जा का उत्पादन करने और उसका उपयोग करने में दक्षता सम्बन्धी वृद्धि करने के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

6628. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितनी विद्युत उपलब्ध है;

(ख) समूचे देश में, बिहार में, उत्तर बिहार में और बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग में विद्युत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता क्या है और यह भारी असमानता किस प्रकार दूर की जा रही है; और

(ग) बिहार में विभिन्न प्रशासनिक जिलों में विद्युत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1978-79 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में तथा बिहार राज्य में (केवल युटिलिटीज में) 1978-79 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता क्रमशः 150.73 यूनिट तथा 87.15 यूनिट थी। उत्तरी बिहार और बिहार के शेष भाग में (यूटिलिटीज में तथा गैर-यूटिलिटीज में) वर्ष 1978-79 के लिए बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 23.60 यूनिट तथा 188.80 यूनिट थी। बिजली की प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता के कारण मुख्यतः निम्नलिखित हैं; संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा कृषि संबंधी गतिविधियों का स्तर पिछड़ा हुआ होना तथा राज्य में आबादी अधिक घनी होना। बिहार में कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और इससे विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ग) विद्युत की उपलब्धता के बारे में जिलेवार आंकड़े, मंत्रालय और राज्य बिजली बोर्ड के पास उपलब्ध न होने के कारण यह सूचना दे सकना सम्भव नहीं है।

विवरण

प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1978-79

राज्य/क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (यूनिट)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
1. हरियाणा	263.74
2. हिमाचल प्रदेश	157.78
3. जम्मू व कश्मीर	122.22
4. पंजाब	395.32
5. राजस्थान	116.28
6. उत्तर प्रदेश	96.82
7. चण्डीगढ़	467.57
8. दिल्ली	402.32
उप-जोड़	148.91
पश्चिमी क्षेत्र	
1. गुजरात	264.87
2. मध्य प्रदेश	107.32
3. महाराष्ट्र	279.33
4. गोवा, दमन और दीव	221.74
5. दादरा और नागर हवेली	77.74
उप-जोड़	216.90
पूर्वी क्षेत्र	
1. बिहार	87.15
2. उड़ीसा	131,28
3. पश्चिमी बंगाल	127.22
4. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	51.82
5. सिक्किम	42.79
उप-जोड़	104.83

1	2
दक्षिणी क्षेत्र	
1. आन्ध्र प्रदेश	118.43
2. कर्नाटक	204.98
3. केरल	207.32
4. तमिलनाडु	228.69
5. पाण्डिचेरी	250.84
6. लक्षद्वीप	24.86
उप-जोड़	165.90
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
1. असम	42.37
2. मणिपुर	13.94
3. मेघालय	172.39
4. नागालैण्ड	41.09
5. त्रिपुरा	16.76
6. अरुणाचल प्रदेश	21.05
7. मिजोरम	11.87
उप-जोड़	36.76
अखिल भारत	150.73

वाणिज्यिक विज्ञापन द्वारा सरकार को बदनाम करना

6629. श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1931 को दैनिक "हिन्दुस्तान" के मुख्य पृष्ठ पर "जरूर पढ़ें—अजीब परोपकार" शीर्षक की ओर दिलाया गया है जिसमें अधिसंख्य लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से भारत सरकार के विरूद्ध कुछ निराधार बातें कही गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :)क) उल्लिखित समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) निजी क्षेत्र के विज्ञापन सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। तथापि, सरकार का यह विचार है कि निजी विज्ञापकों/विलापन एजेंसियों को विज्ञापन देने के बारे मे स्वयं एक आचार संहिता विकासित करनी चाहिए।

आकशवाणी केन्द्र सांगली से प्रसारण में बाधा

6630. **श्री बापूसाहिब परूलेकर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इसके निर्धारित समय के दौरान सांगली पारेषण के कार्यकरण में अनेक बार बाधा पड़ी और यह बाधा इस सीमा तक बार-बार पड़ती है कि पारेष्ण सेवा पुन: आरम्भ होने पर एनाउंसरों को श्रोताओं से क्षमा मांगने में कुछ मिनट का समय देना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस संबंध में शिकायतों का सांगली केन्द्र की प्रशासनिक बिग द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है; और

(ग) आकाशवाणी सांगली केन्द्र में पारेष्ण बाधा के क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। हाल ही में आकाशवाणी, सांगली के प्रेषण में व्यवधानों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

आकाशवाणी, सांगली को व्यवधानों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) व्यवधान मुख्यतया बिजली के चले जाने में कारण होते हैं। बिजली सप्लाई प्राधिकारियों से आकाशवाणी केन्द्र के लिए बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए नियमित रूप से सम्पर्क किया जाता है।

प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक के मूल्यों में वृद्धि

6631. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह)**
श्री सुभाष यादव) : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकतम प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों की कीमत अब 50

पैसे हैं और अधिक से अधिक स्थान विज्ञापनों को दिया जा रहा है और कम से कम स्थान वास्तविक समाचार तथा संपादकीय मामलों के लिए दिया जा रहा हैं ; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और दैनिक समाचारपत्रों की कीमत कम करने तथा विज्ञापनों की तुलना में अधिक समाचार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय में समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 तथा दैनिक समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) आदेश, 1960 को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था। कानूनी तौर से सरकार समाचारपत्रों को अपनी कीमतें निश्चयत स्तर पर नियत करने के लिए विवश नहीं कर सकती।

स्वास्थ्य प्रेस के विकास के लिए समाचारों और विज्ञापनों को दिए जाने वाले स्थान के बीच उचित अनुपात का होना आवश्यक है। सरकार कानून के ढ़ाचे के अन्दर उद्देश्य को प्राप्त करने के तौर तरीकों पर विचार कर रही है ।

तमिलनाडु के जिला न्यायाधीश की केन्द्र में विधि अधिकारी के रूप में नियुक्ति

6632. **श्री एन० डेनिस** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु काडर के किसी जिला न्यायाधीश को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए विधि जानकारी के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(ख) तमिलनाडु न्यायायिक सेवा के ऐसे अन्य अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार में सेवारत हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार के अनुसार श्री के० एस० गुरुमूर्ति, जिला न्यायधीश तमिलनाडु के एकमात्र न्यायिक अधिकारी हैं जिनकी विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति की गई और तमिलनाडु न्यायिक सेवा का कोई अन्य,अधिकारी इस समय केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं है ।

राज्य विधान परिषदों में अध्यापकों को प्रतिनिधित्व

6733. **श्री एस० ए० बेसाई** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मार्च, 1981 के दूसरे सप्ताह में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के नई

दिल्ली में हुए सम्मेलन में उनके द्वारा की गई इस मांग की जानकारी है कि उन्हें राज्य विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में विधि मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन को देखते हुये कि सरकार इसके लिये संविधान (संशोधन) विधेयक को प्राथमिकता देगी। क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक तैयार कर रही है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) इस विशेष में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

एक्सप्लायटिंग आयल

6634. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित संपादकीय "एक्सप्लायटिंग आयल" की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या संपादकीय टिप्पणियां तथ्यों से परिपूर्ण हैं, यदि हां, तो किस प्रकार से और यदि नहीं, तो क्यों; और

(ग) क्या तेल की संभावना का पता लगाने के लिए विदेशी सहयोग के आगे चलकर भारत के लिए लाभप्रद होने के स्थान पर अलाभकर सिद्ध होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) दिनांक 10-2-81 को इंडियन एक्सप्रेस में छपा संपादीय सरकार के ध्यान में आया है। संपादकीय के मुख्य विषय एवं इन विषयों से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति नीचे दी गयी है :—

पेट्रोलियम मंत्रालय से विदेशी कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गयी शर्तें धोखा हैं एवं इसके हानि कारक परिणाम होंगे।

यह सत्य नहीं है। अभी तक किसी भी कम्पनी ने कोई शर्तें निर्देशित नहीं की हैं और अगर ऐसा है तो भी विदेशी कम्पनियों द्वारा दर्शायी गई शर्तों को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। इसके बजाए, किसी विदेशी तेल कम्पनी के अन्वेषण के ठेके के लिए प्रस्ताव पर सरकार द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों के आधार पर ही विचार किया जायेगा। जबकि यह सभी आंकड़े विदेशी कम्पनियों को नि.शुल्क दिये जाने हैं, उनके अपने सर्वेक्षणों के परिणाम केवल उनकी अपनी सम्पत्ति रहेंगे।

यह भी सत्य नहीं है। यह एक आधार भूत शर्त होगी कि तेल कम्पनियों द्वारा व्युत्पन्न आंकडों सहित सभी आंकड़े तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को उपलब्ध कराये जायेंगे।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्रबन्धों से अलग रखा गया है।

यह भी सत्य नहीं हैं। इस के विपरीत यह अपेक्षा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग प्रबन्ध तथा परिचालन समितियों में भाग लेगा तथा उसे ठेके में 50 प्रतिशत तक ले जाये जाने वाले ब्याज (कैरिड इन्ट्रस्ट) का अधिकार होगा।

(ग) जी नहीं।

मैसर्स गोल्डन टोबेको कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

663:. **श्री धर्म दास शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गोल्डन टोबेको कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, के कितने औद्योगिक एकक है और वे कहां स्थित हैं ?

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में इसने कुल कितना शुद्ध लाभ कमाया; और

(ग) इसके कुल कितने वेतन-भोगी कर्मचारी हैं और इससे सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी का क्या नाम है और वह कितना वेतन पाता है तथा सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का क्या नाम है और उसे कितना वेतन मिलता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) बम्बई में पंजीकृत मै० गोल्डन टोबेको कम्पनी लिमिटेड के, एक बम्बई तथा दूसरा बड़ोदा में स्थित दो एकक हैं।

(ख) कम्पनी द्वारा करारोपण का प्रावधान करने के पश्चात् कमाये गये लाभ की कुल राशि, 30 जून, 1979 के वर्ष समाप्ति की 63.52 लाख रु० तथा 30 जून, 1980 के वर्ष समाप्ति की 80.50 लाख रु० थी।

(ग) कम्पनियों द्वारा उनके वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतनों की बाबत सूचना, कम्पनी अधिनियम, 1956 के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत देना अपेक्षित नहीं है। तथापि, उन कर्मचारियों, जो यदि पूर्ण वर्ष के लिये नियुक्त किये गये हों, व उन्होंने 36000 रु० प्रतिवर्ष से कम नहीं प्राप्त किये हों, अथवा यदि वर्ष के किसी भाग के लिये नियुक्त किये गये हों, व 3000 रु० प्रतिमास से कम नहीं प्राप्त किये हों, के बारे में कम्पनियों के लिये, अधिनियम की धारा 217 (2क) के अन्तर्गत, सूचना देना अपेक्षित है। मै० गोल्डन टोबेको कम्पनी लिमिटेड की, 30 जून, 1980 के वर्ष समाप्ति की रिपोर्ट के अनुसार, इसका प्रबन्ध निदेशक श्री डी० के० पोद्दार, ने अधिकतम पारिश्रमक (वेतन, परिलब्धियां आदि) प्राप्त किया था, जो 92024 रु० की राशि का था। तथापि, उन कर्मचारियों जिन्होंने अधिकतम वेतन प्राप्त किया, के नाम तथा उसकी राशि, की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्र द्वारा लिग्नाइट खानों को अपने अधिकार में लिये जाने के सुझाव

6636. श्री रामजीभाई मावणि)
श्री नवीन रवानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के उद्योगों को बचाने हेतु केन्द्र द्वारा लिग्नाइट खानों को अपने अधिकार में लिये जाने के लिये गुजरात राज्य के मोरवी (जिला राज कोट) से "मोरवी रूफिग टाइल्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन से सदर्भ संख्या 755/81 के अधीन दिनांक 12 फरवरी, 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) मंत्रालय द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ;

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं और

(ङ.) केन्द्र द्वारा इन खानों को कब और कैसे अपने नियन्त्रण में लिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित पत्र-कोयला विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ.) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा सागरपुर में बिजली के खम्भों पर तार लगाया जाना

6637. श्री केशवराव पारधी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाहरी दिल्ली में पालम क्षेत्र में एक अनधिकृत कालोनी सागरपुर के मध्य में कुछ क्षेत्र में बिजली के खम्भों पर तार लगाने का कार्य दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा ट्रांसफार्मर लगाए जाने के लिए उपर्युक्त क्षेत्र के निवासियों द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अपेक्षित भूमि का एक भाग दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक तार लगाने का काम आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ; और वह कब तक आरम्भ तथा पूरा किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) से (ग) सागरपुर कालोनी में प्रतिष्ठापित किए जाने वाले 4 कियोस्क उपकेन्द्रों—दो कालोनी के पूर्व में और दो कालोनी के पश्चिम में —में से 3 उपकेन्द्रों को चालू किया जा चुका है और सम्बन्ध क्षेत्रों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। चौथे उपकेन्द्र के मामले में, इस केन्द्र के लिए भूमि की उपलब्धता के बारे में कुछ समस्या थी। इसका अब सामाधान हो गया है और कियोस्क उपकेन्द्र का निर्माण कार्य दो

महीनों की अवधि में पूरा हो जाने की आशा है तथा इस उपकेन्द्र के पूरा होने के पश्चात् तीन महीनों में, सम्बन्ध क्षेत्रों का विद्युतीकरण पूरा हो जायेगा।

नलकूपों के लिए बिजली के कनेक्शन

6638. श्री के० प्रधानी क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें कृषि प्रयोजनों के लिए नलकूप खोदने के लिए अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् नलकूपों के लिए शीघ्रता से कनेक्शन पाने के इच्छुक आवेदकों को कई बार कहा जाता है कि वे उपक्रम के विभिन्न भंडारों से अपनी लागत पर लगाए जाने के लिए बिजली के खम्बे लेकर आएं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : जी, नहीं। जहां कहीं परिवहन उपलब्ध होने के कारण, ट्यूब वैल कनेक्शन शीघ्र लगवाने के लिए कार्य थल पर खम्बे लाने के लिए उपभोक्ता अपनी सेवा अर्पित करते हैं, वहां ऐसा बताया जाता है कि आवेदकों से वसूल की जाने वाली लागत का हिसाब लगाते समय इस प्रकार की ढुलाई के प्रभाव शामिल नहीं किए जाते हैं।

तथापि, ग्राम विद्युत सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित कुछ ट्यूब-वैल कनेक्शनों में सदस्य भावी स्वेच्छा से श्रमदान करते रहे हैं और कभी-कभी अपनी इच्छा से वे कार्य स्थल पर खम्भे ले आते हैं।

सोडा ऐश का उत्पादन और वितरण

6639 श्री भीखू राम जैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में 31 जनवरी, 1981 तक गत तीन वर्षों के दौरान देश में सोड़ा- ऐश का कुल कितना कितना उत्पादन हुआ,

(ख) इन वर्षों के दौरान सोडा-ऐश की खपत कितनी थी,

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान सोडा-ऐश की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया और वर्ष 1 81-82 में कितनी मात्रा के आयात किए जाने की सम्भावना है,

(घ) क्या यह सच है कि देश में सोडा-ऐश का वितरण सभाव नहीं है और कुछ राज्यों में इसका उपयोग निदेशक द्वारा वितरण किया जाता है तथा कुछ अन्य राज्यों में यह खुले बाजार में मिलता है जिसके परिणामस्वरूप जहां इस पर नियंत्रण नहीं है वहां फालतू कोटाधारी अपने उत्पादों को काले बाजार में बेच देते है, और

(ङ.) यदि हां, तो सरकार का विचार जमाखोरों के विरुद्ध तथा देश में सोडा-ऐश के उचित वितरण के संबंध में क्या कार्यवाही करने का है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सोडा ऐश का उत्पादन और उसकी अनुमानित मांग नीचे दर्शायी गई है :—

वर्ष	उत्पादन	(लाख टनों में) अनुमानित मांग
1978-79	5.81	6.00
1979-80	5.55	6.20
1980-81	4.46	6.30

(जनवरी 1981 के अन्त तक)

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान सोडा ऐश का आयात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

वर्ष 1981-82 के दौरान किये जाने वाले आयात की मात्रा बताना सम्भव नहीं हैं क्योंकि सोडा ऐश खुले सामान्य लाइसेंसों के अन्तर्गत आता है ।

(घ) (और) (ङ) सोडा ऐश पर कानूनी मूल्य नियंत्रण और वितरण नियंत्रण नहीं है । तथापि इस विभाग ने जनवरी 1979 में मार्गदर्शन जारी किये थे जिसके अनुसार निर्माताओं द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं कम से कम उतनी मात्रा की सीधी सप्लाई करना आवश्यक है जितनी मात्रा उन्होंने केलेन्डर वर्ष 1977 अर्थात् इस सामान्य सप्लाई वर्ष में प्राप्त की थी । निर्माताओं द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं को की जाने वाली ऐसी सीधी सप्लाई उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत है । निर्माताओं ने प्रतिमाह लगभग 1,000 टन सोडा ऐश राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन को भी सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है ताकि वे उसे अपने फुटकर केन्द्रों के माध्यम से लघु उपभोक्ताओं अर्थात् धोबियों और गृहणियों की सप्लाई कर सकें । यह मात्रा वह है जो मार्ग दर्शनों के अनुसार औद्योगिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और ट्रेड के माध्यम से एन.सी.सी.एफ. को की गई सप्लाई के बाद शेष रहती है । सरकार द्वारा किये गए उपायों के परिणामस्वरूप सोडा ऐश का आम बाजार मूल्य जो वर्ष 1978 में 3600/-प्रति टन था और पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से 3000/-रुपये प्रति टन चल रहा था वह घटकर 2100/-रु० और 2400/- रुपये प्रति टन हो गया है । यह विभाग सभी निर्माताओं से नियमित रूप से ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं और व्यापारियों की पूरी सूची भी प्राप्त करता है जिनको सप्लाई की जाती है और उस सूची को संबंधित राज्य सरकार के पास जांच और कार्यवाही, यदि कोई हो, करने के लिये भेजता है ताकि इसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके । राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी आबंटन उस राज्य द्वारा की गई तदर्थ व्यवस्था पर आधारित होता है ।

विवरण

वर्ष 1970-79 और 1979-80 (जनवरी 1980 तक) के दौरान न्यूट्रल सोडियम कार्बोनेट का आयात दर्शाने वाला विवरण

मात्रा टनों में
मूल्य रुपये लाखों में

क्र. स.	मद का ब्योरा	आई. टी. सी. संशोधित-2	—1978-79 मात्रा	—1978-79 मूल्य	1979-80 (जनवरी, 1980 तक) मात्रा	1979-80 (जनवरी, 1980 तक) मूल्य
1.	न्यूट्रल सोडियम कार्बोनेट ठोस	523.2301	4918	71.56	33,299	510.37
2.	न्यूट्रल सोड़ियम कार्बोनेट हल्का	523.2302	14352	99.97	34.426	454.98
3.	न्यूट्रल सोडियम कार्बोनेट (सोड़ा ऐश)—अन्य	523.2309	4110	29.81	2.578	54.19

टिप्पणी : आंकड़े अस्थाई हैं और उनमें संशोधन किया जाना है।

स्त्रोत : (1) 1978-79 : महानिदेशालय वाणिज्य, आसूचना और सांख्की, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फोरेन ट्रेड आफ इंडिया खण्ड-11 (आयात)

(2) 1979-80 के लिए (जनवरी 1980 तक) महानिदेशालय वाणिज्य आसूचना और सांख्यकी, कलकत्ता से आर्थिक सहालकार, वाणिज्य विभाग के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अशोधित तेल की आवश्यकता

6640. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अशोधित तेल की आवश्यकता के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है तथा सरकार तेल की कमी का किस प्रकार सामना करने की स्थिति में होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अशोधित तेल की अनुमानित आवश्यकता तथा अनुमानित देशीय उत्पादन वर्षवार नीचे दिया गया है ।

(मिलियन मी० टनों में)

	1980-81	1981-82	19°2-83	1983-84	1984-85
अशोधित तेल की आवश्यकता	26.9	31.10	35.3	35.4	42.9
देशीय उत्पादन	10.2	16.09	20.5	21.0	21.3

अशोधिक तेल की आवश्यता मात्रा में कमी को आयातों के द्वारा पूरा करना होगा । तथापि, देश में अशोधित तेल के उत्पादन को बढ़ाने तथा साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को अनुकूलतम बनाने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

भारतीय प्रेस परिषद् की जांच समिति

6641. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् कीं जांच समिति की बैठक 29 तथा 30 नवम्बर, 1980 को हुई थी;

(ख) इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) उनमें से प्रत्येक को कितना दैनिक बैठक-भत्ता तथा यात्रा-भत्ता की अदा किया किया; और

(घ) प्रेस आयोग के सदस्यों के लिए दैनिक बैठक-भत्ते तथा यात्रा-भत्ते की दरें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एन० ग्रोवर के अलावा श्री शरद द्विवेदी, उमाशंकर जोशी, सुनित घोष, प्रेम चन्द वर्मा, एस० विश्वम और डा० रफीक जकारिया ।

(ग) नाम	सवारी व्यय की प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति	दैनिक भत्ता	कुल
1	2	3	4	5
1. श्री शरद् द्विवेदी (स्थानीय)	40 रु० (दो दिन का)	शून्य	शून्य	40 रु०
2. श्री उमाशंकर जोशी (बाहर के)	शून्य	468 रु० (एक तरफ का हवाई जहाज का किराया)	300 रु० (75 रु० प्रतिदिन की दर से 4 दिन का)	768 रु०
3. श्री सुनित घोष (स्थानीय)	20 रु० (एक दिन का)	शून्य	शून्य	20 रु०
4. श्री प्रेम चन्द वर्मा (स्थानीय)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5. श्री एस० विश्वम (स्थानीय)	40 रु० (दो दिन का)	शून्य	शून्य	40 रु०
6. डा० रफीक जकारिया (बाहर के)	शून्य	शून्य	300 रु० (चार दिन का)	300 रु०

अध्यक्ष प्रेस परिषद् के पूर्णकालिक अधिकारी हैं ।

(घ) प्रेस आयोग के सदस्यों के लिए दैनिक भत्ते की दरें इस प्रकार हैं :—

(1) बाहर के सदस्यों के लिए

श्रेणी "ए" के शहरों में	200 रु० प्रतिदिन
श्रेणी "बी" के शहरों में	150 रु० प्रतिदिन
अन्य शहरों में	100 रु० प्रतिदिन

जब किसी सदस्य को "ए" और "बी" श्रेणी के शहरों में सरकारी खर्चे पर आवास उपलब्ध कराया जाता है तो वह केवल 90 रु० प्रतिदिन की दर से ही दैनिक भत्ते का हकदार होता है।

(2) **स्थानीय सदस्यों के लिए**

उन शहरों, जिनमें बैठकें होती हैं, को श्रेणी का विचार किए बिना 50 रु० प्रतिदिन।

आयोग के सदस्यों को हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति है। रेल से यात्रा करने की दशा में वे प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित किराए सहित वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति किए जाने के हकदार हैं।

जेलों में बन्द विचारणाधीन व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता की व्यवस्था को सरल और कारगर बनाना

5642. **श्री अमृत पटेल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गरीब लोगों, विशेष कर ऐसे विचारणाधीन व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल और कारगर बनाने का तथा इस काम को जल्दी पूरा करने का विचार है जो दो वर्ष से अधिक समय से जेलों में पड़े हुए हैं और जिनका मामला न तो सुपुर्द किया गया है और न जिनका विचारण हुआ है;

(ख) इस संबंध में वर्तमान व्यवस्था क्या है; और

(ग) और क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार ने जरूरतमन्द लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 26 सितम्बर, 1980 को उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति से केवल यह अपेक्षा ही नहीं की गई है कि वह व्यापक विधिक सहायता स्कीमें ब्योरे तैयार करे बल्कि यह भी अपेक्षा की गई है कि विभिन्न राज्यों में विधिक सहायता स्कीमें के कार्यकरण पर विचार करने के पश्चात उन्हें कार्यान्वित करे तथा ऐसे अन्य कदम उठाए और उनकी सिफारिश करे जो उनके उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। भगवति समिति ने एक आदर्श स्कीम तैयार की है जो दाण्डिक मामलों में अपराधियों और सिविल कार्यवाहियों में मुकदमा लड़ने वालों, दोनों को लागू होगी।

(ग) इस समय कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आदिवासी लोगों के मेलों, पर्वों तथा समारोहों का दिखाया जाना

5643. **श्री भीखा भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा देश के आदिवासी जिलों के आदिवासी लोगों के मेलों, पर्व तथा समारोहों को पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-बार तथा राज्य-वार कितना प्रदर्शित (कवर) किया जाता है; और

(ख) आकाशवाणी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार कवि-गोष्ठी/लोक-गीत गोष्ठी/महिला संगोष्ठी तथा बाल कार्यक्रम जैसे कितने आयोजनों का आयोजन किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) आकाशवाणी अपने विभिन्न केन्द्रों से आदिवासी और गैर-आदिवासी 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करती है जिनमें से लगभग 110 आदिवासी बोलियां हैं । इन बोलियों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम उन केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं जो मिश्रित जनसंख्या वाले क्षेत्रों, मुख्यत: आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं । इन प्रसारणों में क्षेत्र आधारित कार्यक्रम शामिल हैं जिनमें आदिवासी लोगों के मेलों, पर्वों और समारोहों को कवर किया जाता है । इसके अलावा, आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्र महिलाओं तथा बच्चों के लिए कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं और कवि गोष्ठियों तथा लोक संगीत सभाओं को भी कवर करते हैं । वर्ष भर होते रहने वाले पिछले तीन वर्षों के इन कार्यक्रमों के वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्योर का संग्रह बहुत अधिक होगा । इस सूचना को एकत्रित तथा संकलित करना एक विशाल कार्य होगा जिसके लिए बहुत ज्यादा समय तथा मानव शक्ति की जरूरत होगी जो आकाशवाणी में नहीं है । इसके अलावा, इस सूचना का संग्रह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

अल्कोहल का उत्पादन

6644. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक उपयोग के लिए अपेक्षित मात्रा में पर्याप्य अल्कोहल का देश में उत्पादन नहीं हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अपेक्षित मात्रा में अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए गुड़ और खांडसारी उद्योग द्वारा उत्पादित अधिक मिठास वाले सीरे का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं,

(ग) इस प्रकार के उपयोग से संबंधित गत तीन वर्षों के आंकड़े क्या-क्या हैं,

(घ) क्या सरकार को सीरे और अल्कोहल की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी के बारे में कतिपय पत्रिकाओं (बिजनेस इंडिया-10 और 23 नवम्बर) में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है, और

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) केन्द्रीय शीरा बोर्ड ने यह अनुमान लगाया है कि वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर-नवम्बर) में 5716.79 लाख लिटर की अनुमानित मांग की तुलना में 4200 लाख लिटर अल्कोहल उपलब्ध होने की संभावना है।

(ख) गुड़ के उत्पादन में शीरा उप-उत्पाद नहीं है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अल्कोहल के उत्पादन के लिए खाण्डसारी शीरे का प्रयोग बढ़ाकर अल्कोहल की उपलब्धता बढ़ायें।

(ग) अल्कोहल उत्पादन के लिए खाण्डसारी शीरे का प्रयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ.) उक्त रिपोर्ट में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि शीरा और अल्कोहल की अधिक मात्रा में तस्करी होती है। उसमें केवल इतना ही कहा गया है कि भारत में शीरे और अल्कोहल के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से बहुत कम हैं और मूल्यों में इस असमानता से अल्कोहल और शीरा को बाहर भेजने में बहुत प्रलोभन मिला है। उसमें यह भी बताया गया है कि अल्कोहल का कच्ची रम के रूप में निर्यात किया जा रहा है। शीरे का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। शीरा वर्ष 1979-80 और 1980-81 में राज्य व्यापार निगम को निर्यात के लिए शीरा नहीं दिया गया था। कच्ची रम के रूप में अल्कोहल के निर्यात की रिपोर्ट मिलने के पश्चात 50 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल (पी/वाई) वाली पेय शराब और भारत निर्मित विदेशी शराब के निर्यात पर 2 सितम्बर, 1980 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को सीमेंट की सप्लाई

6645. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को पिछले दो वर्षों से अपेक्षित मात्रा में सीमेंट नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या राज्य की विकास संबंधी गतिविधियों से संबंधित बहुत सी योजनाओं पर सीमेंट की कमी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के लिए सीमेंट की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमेंट की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के साथ निकट और सतत सम्पर्क बनाए

हुए है। तथापि, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सीमेंट की सप्लाई, समस्त विद्युत क्षेत्र के लिए सीमेंट की कुल उपलब्धता पर निर्भर करती है, जिसका आबंटन भारत के सीमेंट नियन्त्रक, उद्योग मंत्रालय, द्वारा किया जाता है।

पश्चिमी बंगाल से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्रों के लिए अखबारी कागज

6646. श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों को 1980-81 के दौरान अखबारी कागज की अपेक्षित मात्रा न मिलने के कारण हानि उठानी पड़ी; और

(ख) पश्चिमी बंगाल से प्रकाशित होने वाले प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र को 1980-81 के दौरान अखबारी कागज की कुल कितनी मात्रा स्वीकृत की गई और उक्त अवधि के लिए इनमें से प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र ने कितनी प्रसार संख्या का दावा किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) विवरण के अनुसार।

विवरण

पश्चिमी बंगाल से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्रों के नामों, वर्ष 1980-81 में उनकी परिचालय संख्या और अखबारी कागज की हकदारी को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	समाचारपत्र का नाम	भाषा	परिचालन संख्या	हकदार (मी० टन में)
1	2	3	4	5
1.	अमृत बाजार पत्रिका	अंग्रेजी दैनिक	1,30,100	3503.52
2.	स्टेटस्मैन	,,	213964	8134.23
3.	बिजनिस स्टैंडर्ड	,,	19043	412.04
4.	कलकत्ता आबजर्वर	,,	13809	118.54
5.	हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड	,,	3051	13.70
6.	जुगान्तर	बंगला दैनिक	330199	5721.55

1	2	3	4	5
7.	आनन्द बाजार पत्रिका	,,	423199	8072.38
8.	बसुमति	,,	28287	493.50
9.	सत्ययुग	,,	28387	426.27
10.	कालान्तर	,,	23210	270.90
11.	जनशक्ति	,,	12206	126.67
12.	पैगाम	,,	16352	169.20
13.	दैनिक दामोदर	,,	6278	13.54
14.	जननी	,,	7408	62.78
15.	लोक सेवक	,,	6901.	66.67
16.	आज कल	,,	30000	210.37 (4 महीने)
17.	उत्तर बंग संवाद	,,	10000	78.12 (4 महीने)
18.	सन्मार्ग	हिन्दी दैनिक	54684	895.36
19.	विश्वामित्र	,,	63972	1201.97
20.	रूपलेखा	,,	28969	315.56
21.	छपते-छपते	,,	20366	200.96
22.	सूत्रकार	,,	13441	180.05
23.	प्रकाश	,,	15175	132.35
24.	परीक्षित	,,	9583	85.90
25.	अकबर-ए-मसरिग	उर्दू दैनिक	20290	145.32
26.	ग़ाजी	,,	12628	97.79
27.	रोज़ाना हिन्द	,,	5785	59,79
28.	आकाश	,,	11752	119.05
29.	असरे-जदीद	,,	8505	89.56
30.	इमरोज़	,,	4[illegible]92	37.38
31.	आंबशार	,,	4776	11.39

1	2	3	4	5
32.	शाने-मिल्लत	,,	5950	51.15
33.	आजाद हिन्द	,,	12548	99.87
34.	नवी प्रभात	पंजाबी दैनिक	2200	26.98
35.	देश दरपन	,,	3235	31.98
36.	चाइनीज जर्नल आफ इंडिया	चीनी दैनिक	808	7.99

नोट : उपर्युक्त समाचारपत्रों में से क्रम संख्या 17 के सम्मुख दिए गए समाचारपत्र जो सिलीगुड़ी से प्रकाशित किया जा रहा है, को छोड़ कर शेष समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हो रहे हैं।

पन-बिजली ऊर्जा के विकास में भावी आयोजन की कमी मुख्य बाधा

6647. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पन-बिजली के विकास में भावी आयोजन की कमी मुख्य बाधा है;

(ख) क्या बिजली के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं का पता लगाते हुए विस्तृत समयबद्ध, योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश की जल विद्युत शक्यता कों उमयोग में लाने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, जल विद्युत शक्यता का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। इसके साथ ही, योजना आयोग द्वारा गठित किए गए, विद्युत पर कार्यकारी दल ने 1990 तक के विस्तृत परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया है। 1980-85 की अवधि के दौरान 4768 मेगावाट जल विद्युत क्षमता तथा 1985-90 की अवधि में 15082 मेगावाट जल विद्युत क्षमता की अभिवृद्धि किए जाने की योजना है। निर्माण के लिए हाथ में लिए जा सकने वाली परियोजनाओं का एक शैल्फ तैयार रखने की दृष्टि से परियोजनाओं का अन्वेषण कार्य, अद्यतन प्रौद्योगिकी की सहायता से हाथ में लेने का भी निर्णय किया गया है।

कोंकणी में रेडियो प्रसारण

6648. **श्री एडुआर्डो फैलोरो :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आकाशवाणी के कौन-कौन से केन्द्र कोंकणी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कार्यक्रमों का विशेष रूप से स्वरूप क्या है; और

(ग) उनके लिए प्रत्येक केन्द्र पर विशेष रूप से कितना समय आवंटित किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी के पणजी, बम्बई, कालीकट, धारवाड़, त्रिचूर और मंगलौर केन्द्र ।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

केन्द्र का नाम	समय	अवधि	कार्यक्रम का ब्यौरा
1	2	3	4
पणजी (गोवा, दमन और दीव)	प्रातः 8.20 बजे	10 मिनट	कोंकणी गीत । मुइम चनफिम
	प्रातः 9.00 बजे	10 मिनट	बम्बई से कोंकणी में समाचार ।
	प्रातः 9.30 बजे	30 मिनट	कोंकणी में बच्चों के लिए कार्यक्रम (कल्लर अणी मल्लार) रविवार
	प्रातः 10.30 बजे (साप्ताहिक)	30 मिनट	सौंसार : कोंकणी में पत्रिका कार्यक्रम (रविवार)
	दोप० 12.50 बजे	10 मिनट (साप्ताहिक)	शब्दुली : कोंकणी गीत (बृहस्पतिवार)
	सांय 5.50 बजे	20 मिनट (साप्ताहिक)	शब्दुली : कोंकणी गीत (रविवार)
	सांय 5.30 बजे	15 मिनट (साप्ताहिक)	अबोलोंच भो झेलो : कोंकणी गीत
	सांय 6.05 बजे	10 मिनट	कोंकणी समाचार आर० वी० यू० बी०
	सांय 6.15 बजे	10 मिनट (साप्ताहिक)	शब्दुली कोंकणी गीत (मंगलवार)

1	2	3	4
	सांय 6.15 बजे	10 मिनट (साप्ताहिक)	अलमेंरेंचिया वेल्लर : भक्ति गीत-कोंकणी (रविवार)
	सांय 6.15 बजे	10 मिनट (साप्ताहिक)	कोंकणी में मानव रुचि समाचार बुलेटिन 5 मिनट और तलुका-कोंकणी में न्यूज लेटर 5 मिनट (बृहस्पतिवार)
	सांय 6.15 बजे	25 मिनट (साप्ताहिक)	एबोलीचोझेलो कोंकणी गीत (शनिवार)
	सांय 6.30 बजे	25 मिनट (प्रतिदिन)	चवदेर : कोंकणी में आर० आर० एफ० ग्रामीण महिलाओं के लिए बच्चों के लिए कार्यक्रम में ग्रामीण कार्यक्रम।
	सांय 7.00 बजे	10 मिनट	कोंकणी प्रादेशिक खोलरो में प्रादेशिक समाचार।
	सांय 7.10 बजे	50 मिनट (साप्ताहिक)	मनाजो गतिम गीतम कोंकणी गीतों के कार्यक्रम के लिए अनरोध (रविवार)
	सांय 7.10 बजे	50 मिनट (साप्ताहिक)	कोंकणी में युवावाणी (शुक्रवार)
	सांय 7.10 बजे	50 मिनट (महिने में एक बार)	कोंकणी में लोक नाटक (पहला शनिवार)
	सांय 7.30 बजे	30 मिनट (साप्ताहिक)	कोंकणी में होनी वाई वासरी (महिला कार्यक्रम) (हर मंगलवार)
	रात्रि 8.15 बजे	30 मिनट	एबोली डरो : कोंकणी गीत (हर सोमवार)
			कोंकणी में विधान सभा समीक्षा (शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन)

1	2	3	4
			वी॰ यू॰ डी॰ से रात्रि 8.30 बजे से टु डे इन पार्लियामेंट ।
	रात्रि 8.15 बजे	30 मिनट	शाब्दुली कोंकणी गीत (शनिवार) (टु डे इन पार्लियामेंट) संसद सत्र के दौरान)
	रात्रि 9.15 बजे	15 मिनट	फांडी फोव : हयूमा रस (रविवार) कोंकणी में कार्यक्रम ।
	रात्रि 9.15 बजे	15 मिनट (साप्ताहिक)	समाचार दर्शन (सोमवार) (कोंकणी)
	रात्रि 9.15 बजे	15 मिनट (सापप्ताहिक)	वार्ता/परिचर्चा-कोंकणी (बुधवार,
	रात्रि 9.15 बजे	15 मिनट (साप्ताहिक)	तुमचिओ चिन्तन: शनिवार अमेहिल ज़ाप : कोंकणी में श्रोताओं के पत्रों का उत्तर ।
	रात्रि 9.30 बजे	60 मिनट (पाक्षिक)	कोंकणी में संगीतमय नाटक पहला और तीसरा रविवार
	रात्रि 9.30 बजे	30 मिनट (साप्ताहिक)	कोंकणी वासिनी—फीचर का राष्ट्रीय कार्यक्रम (दूसरा बृहस्पतिवार) नाटक (तीसरा बृहस्पतिवार)
	रात्रि 10.00 बजे	30 मिनट (पाक्षिक)	साहित्य झेलो : कोंकणी में साहित्यक पत्रिका कार्यक्रम (दूसरा और चौथा मंगलवार)
	रात्रि 10.30 बजे	30 मिनट	कोंकणी नाटक (पहला मंगल-वार)
बम्बई (महाराष्ट्र)	प्रातः 8.40 बजे	20 मिनट (प्रतिदिन)	कोंकणी सुगम गीतों सहित कोंकणी कार्यक्रम
	रात्रि 8:15 बजे	20 मिनट (प्रतिदिन)	वार्ताओं/परिचर्चाओं, नाटकों, रूपकों, कथोपकथनों महिलाओं

1	2	3	4
			और बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रमों साहित्यक कार्यक्रमों और गीतों सहित कोंकणी कार्यक्रमों ।
	प्रातः 9.00 बजे	10 मिनट	प्रादेशिक समाचार
	सांय 6.05 बजे	10 मिनट	तथैव
कालिकट केरल	रात्रि 7.50 बजे	10 मिनट	कोंकणी जननगत्र (पहला और तीसरा रविवार)
धारवाड़ (कर्नाटक)		30 मिनट	कोंकणी का मिलाजुला कार्यक्रम सप्ताह में एक बार। जोइ जेई मिलाजुला कार्यक्रम ।
त्रिचूर (केरल)	—	15 मिनट (साप्ताहिक)	कोंकणी गीत ।
मंगलोर (कर्नाटक)	सांय 6.15 बजे	25 मिनट हर रविवार, बुद्धवार और शुकवार (सप्ताह में तीन बार)	रविवार-नाटक, रूपक और कहानी । बुद्धवार-परिचर्चा भेंटवार्ताएं, साहित्यक बच्चे । शुक्रवार—महिला, बच्चे, युवा ।
	रात्रि 9.15 बजे	15 मिनट (शनिबार)	कोंकणी कार्यक्रम, फारमेट वार्ताएं ।

बिजली उत्पादन में वृद्धि

6649. **श्रीरास बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1950 और 1960 के दशकों में बिजली के उत्पादन में 12.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई;

(ख) 1970 के दशक में यह दर तेजी से कम होकर 7.3 प्रतिशत प्रति वर्ष पर आ गई; और

(ग) 1980 के दशक में प्रति वर्ष बिजली के वर्तमान उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1950 से 1960-61 के दशक के दौरान तथा 1960-61 से 1970-71 के दशक के दौरान विद्युत उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि क्रमशः लगभग 12.71% तथा 12.67% थी ।

(ख) 1979-80 में समाप्त हुए दशक में वार्षिक औसत वृद्धि लगभग 7.25% थी ।

(ग) अप्रैल, 1980 से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान देश में युटिलिटीज में वास्तविक ऊर्जा (लगभग) 111,514 विलियन यूनिट हुआ था ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मालिकों के परिवारों को नौकरी

6650. **श्री बी० के० गधावी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या यह सच हैं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जिन परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उनमें से आयोग में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात में पिछले 10 वर्षों से ऐसे कितने लोक काम कर रहे हैं और कितनी एव कितने परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों द्वारा ऋण

6651. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन भारत पर पेट्रोलियम के निर्यात पर होने वाले भारी व्यय मे मदद करने के लिए उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और भारत के बीच भारत को उदार ऋण (साफ्ट लोन) देने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बस्तर जिले के विकसित, विकासशील और दूर दराज क्षेत्रों में फिल्में दिखाना

6652. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजकीय प्रशासन और लोगों के लाभ के लिए बस्तर जिले के विकसित, विकासशील और दूर-दराज क्षेत्रों में फिल्में दिखाने की ओर योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की आशा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (बस्तर जिले के जगदलपुर और कंकेर में स्थित अपनी दो यूनिटों सहित) द्वारा देश के विकसित, कम विकसित और दूरवर्ती क्षेत्रों में निर्धारित सैनिकों के अनुसार फिल्में पहले ही दिखाई जा रही है। तथापि, सरकार की घोषित नीति के अंग के रूप में समूचे देश के आदिवासी, दूरवर्ती और पिछड़े क्षेत्रों को कदर करने पर अधिक बल दिल जाएगा।

असम में कच्चे तेल का उत्पादन

9653. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कच्चे तेल का उत्पादन तेजी से वापस सामान्य स्थिति पर आ रहा है;

(ख) क्या मार्च, 1984 तक 80 लाख टन कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान है;

(ग) आसाम में वर्तमान तेल शोधन क्षमता क्या है और कितना कच्चा तेल उससे फालतू है; और

(घ) क्या सरकार राज्य विधान सभा द्वारा 18 फरवरी, 1975 को पारित सर्वसम्मत संकल्प के अनुसार आसाम में तीसरे तेल शोधन कारखाने की स्थापना पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में पूर्वी क्षेत्र से मार्च, 1984 तक प्रति वर्ष 5.6 मि० मी० टन अशोधित तेल के उत्पादन की परिकल्पना है।

(ग) प्रतिवर्ष 1.85 मि० मी० टन अशोधित तेल की शेष मात्रा की बिहार में बरौनी शोधनशाला के संमरण के लिए आवश्यकता है । अतः अशोधित तेल की मात्रा अधिशेष नहीं है।

(घ) इस समय असम में नई शोधनशाला की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रामगुंडम और तालचर में उर्वरक संयंत्र

6654. श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगुंडम और तालचर स्थित कोयला-आधारित उर्वरक संयंत्रों का स्थापना से लेकर तब तक कार्य निष्पादन कैसा रहा और उनका महीनेवार उत्पादन और क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच हैं कि इनके सुचारू रूप से उत्पादन करने में कोई प्रौद्योगिकीय अनिश्चितताएं नहीं हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार सिंदरी में कोयला आधारित कोई संयंत्र लगाने का है,

(घ) यदि हां, तो कब, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रामागुण्डम और तालचर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों ने दिनांक 1 नवम्बर 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया। नवम्बर 1980 से फरवरी 1981 तक महीने-वार उत्पादन और जनता उपयोग के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

महीना	रामागुण्डम		तालचर	
	यूरिया का उत्पादन (टन)	प्रतिशत क्षमता उपयोग	यूरिया का उत्पादन (टन)	प्रतिशत क्षमता उपयोग
नवम्बर, 1980	15016	36.4	2753	6.7
दिसम्बर 1980	2580	6.3	3319	8.0
जनवरी 1981	1096	2.7	529	1.3
फरवरी 1981	20039	48.6	2483	6.0

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के बाद प्रथम चार महीनों में संयंत्र द्वारा सामना की जा रही प्रारम्भिक समस्याओं के कारण उत्पादन निर्धारित क्षमता से काफी कम था इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए उपचारी कार्यवाही की गई है। तथापि अभी स्पष्ट रूप से

यह बताया नहीं जा सकता कि निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए इन संयंत्रों के विषय में कोई प्रौद्योगिकीय अनिश्चितताएं उत्पन्न नहीं हो सकती है।

(ग) से (ङ) देश में कोयले पर आधारित और अधिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जब काम कर रहे तालवर और रामागुण्डम संयंत्रों के अनुभव से ऐसे सयत्रों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाये।

मंजूरी के लिए पंजाब की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

6655. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा केन्द्र को भेजी गई निम्नलिखित नई तथा विस्तार परियोजनाएं मंजूरी हेतु काफी समय से लम्वित पड़ी हैं;

(एक) आनन्दपुर साहिब परियोजना;

(दो) मुकेरियन पन विद्युत परियोजना;

(तीन) गुरु नानक देव तापीय संयंत्र, भटिण्डा

(ख) यदि हां, तो ये किस अवस्था में हैं;

(ग) क्या यह राज्य, जो कमी वाले राज्यों को खाद्यानों को मुख्य रूप से सप्लाई करता है, न केवल नलकूपों के लिए विद्युत की कमी का काफी सामना करना पड़ रहा है अपितु इससे और आगे औद्योगीकरण पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाई करने का प्रस्ताव है तथा इससे तथा बिजली की मांग तथा सप्लाई के बीच अन्तर को दूर करने में कहां तक मदद मिलेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई आनन्दपुर साहिव और मुकेरिया जल विद्युत परियोजनाएं परीक्षा और जांच की, केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई शंकाओं पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की तथा विभिन्न अन्तर्राज्यीय पहलुओं के समाधान की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन परियोजनाओं के लाभों में हिस्से के लिए राजस्थान और हरियाणा द्वारा दावे किये हैं। यह प्रस्ताव था कि दावे मध्यस्थ को सौंप दिये जायें बशर्ते कि राज्य इस बात पर सहमत हों कि उसके निष्कर्ष सभी सम्बन्धितों पर बाध्यकारी होंगे। इस प्रकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई है और इसलिये अन्तर्राज्यीय पहलुओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।

210-210 मेगावाट के दो यूनिटों वाले गुरु नानक देव ताप विद्युत संयंत्र विस्तार चरण-तीन के संबंध में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की

जा रही है तथापि इस स्कीम के लिए प्रस्तावित कोयला लिंकेज रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र, चरण-एक को दे दिया गया है क्योंकि पंजाब राज्य ने इसे उच्च प्राथमिकता दी है। गुरु नानक देव ताप विद्युत केन्द्र के चरण-तीन के लिए कोयले के उपलब्धता के प्रश्न की जांच अब कोयला विभाग द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड कोई द्वारा भाखड़ा और व्यास काम्पलैक्स की बिजली पंजाब राज्य और अन्य भागीदार राज्यों को तय हुए अनुपात में दी जाती है। बोर्ड अपनी तकनीकी बैठकों में प्रतिमाह, विद्युत सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करता है और विद्युत आबंटन और विद्युत उत्पादन के स्वरूप के बारे में निर्णय करता है। इन बैठकों में सभी भागीदार राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अल्प अवधि में, मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को, बेहतर प्रचालन और अनुरक्षण के जरिये, संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करके, पूरा करने का प्रयास किया जाता है। दीर्घ अवधि में, प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बिजली की कमी का फसलों पर प्रभाव

6656. **श्री शिवकुमार सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में बिजली की कमी का मध्य प्रदेश की भावी फसल पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए कोई तत्काल कार्यवाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी नहीं। यद्यपि मध्य प्रदेश में विद्युत की कुछ कमी है, फिर भी साप्ताहित छुट्टी के दिनों को छोड़कर, जब सप्ताह में एक बार ग्रामीण फीडरों को प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक सप्लाई नहीं दी जाती है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण फीडरों को सामान्यतः लगभग 20 घण्टे सप्लाई बनाए रखी जाती है।

(ख) और (ग) राज्य में विद्युत की उपलब्ध में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और किये जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) भार मांग का बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था।

(2) मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत का उत्पादन अधिकतम करना।

(3) कुल लगभग 2400 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना। मध्य प्रदेश में इस समय निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

परियोजना का नाम	1980-85	1985-90
	के दौरान लाभ (मेगावाट)	
सतपुड़ा 8वीं और 9वीं (ताप विद्युत)	420	
कोरबा पूर्व (ताप विद्युत)	120	
कोरबा पश्चिम (ताप विद्युत)	420	
कोरबा पश्चिम विस्तार (ताप विद्युत)	420	
पेंच (राज्य का हिस्सा)	106.6	
धीरसिंह पुर (ताप विद्युत)	—	420
बोध घाट (जल विद्युत)	—	500
जोड़	1486.60	920

इसके अतिरिक्त, इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी मध्य प्रदेश को विद्युत की सप्लाई का कुछ लाभ मिलेगा।

असिस्टेन्ट प्रोड्यूसरों/प्रोड्यूसरों की पदोन्नति

6657. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1956 से 1965 तक की अवधि में आकाशवाणी में असिस्टेन्ट प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों में से अधिकांश अभी तक प्रोड्यूसर के पद पर हैं :

(ख) क्या यह भी सच है कि 1995 तक की अवधि में जिन लोगों को आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्ति किया गया था उनमें से अधिकांश व्यक्तियों को असिस्टेन्ट डायरेक्टर जनरल के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त दो वर्गों के पदों में पदोन्नति के मामले में इस विषमता के क्या कारण हैं और इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ; और

(घ) क्या सरकार इस विषमता को दूर करने की दृष्टि से प्रोड्यूसरों को अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप कर उन्हें शीघ्र ही पदोन्नत करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी, हां। 1959-65 की अवधि के दौरान आकाशवाणी के असिस्टेन्ट प्रोड्यूसर/प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत केवल कुछ ही व्यक्तियों को मुख्य प्रोड्यूसरों और उपमुख्य प्रोड्यूसरों के रूप में नियुक्त किया गया है। 1972 में स्टाफ असिस्टेन्टों के शुल्क मानों को युक्तियुक्त बनाने के फलस्वरूप असिस्टेन्ट प्रोड्यूसर की श्रेणी को 1 अप्रैल, 1971 से प्रोड्यूसर के साथ मिला दिया गया है।

(ख) 1958 और 1965 की अवधि के दौरान ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किए गए कुछ व्यक्तियों को सहायक केन्द्र निदेशक और केन्द्र निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। तथापि, उनमें से किसी को भी उप महानिदेशक के ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : प्रोड्यूसर और ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव विभिन्न पदोन्नति अवसरों वाले विभिन्न संवर्गों से संबंधित हैं। जबकि प्रोड्यूसरों को संविदा पर लगाया जाता है, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव नियमित सिविल पदों पर कार्य करते हैं। सरकार ने आकाशवाणी की कार्यक्रम सेवाओं के संवर्ग ढांचे का अध्ययन करने के लिए 1977 में एक संवर्ग पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी।, इस समिति ने अन्य बातों के साथ साथ, सीनियर प्रोड्यूसरों का एक नया संवर्ग बनाने सहित प्रोड्यूसरों के पदोन्नति अवसरों को बढ़ाने की सिफारिश की है इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता को दुगना करने का प्रस्ताव

6658. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं को विद्युत उत्पादन क्षमता को दुगना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्य पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा कितनी राशी खर्च की जाएगी।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) 31-3-1980 को स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 3340 मैगावाट थी। इस समय 3 10 मैं० वा० की कुल क्षमता की विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और ये निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। केन्द्रीय सेक्टर में कार्यान्वित किए जा रहे सिंगरौली सुपर

ताप विद्युत केन्द्र से 1980-85 की अवधि के दौरान उपलब्ध होने वाली 1000 मैगावाट की अतिरिक्त क्षमता में से भी उत्तर प्रदेश को अपना 350 मैगावाट का हिस्सा मिलेगा।

(ग) राज्य की छठी योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए परिव्यय, अनन्तिम तौर पर 125.90 करोड़ रुपये रखा गया है। केन्द्रीय सहायता के लिए प्रावधान, संबंधित राज्यों के समग्र योजना परिव्यय के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए फार्मूले के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सेक्टर में निर्मित किये जा रहे सिंगरौली सुपर याप विद्युत केन्द्र तथा सिंगरौली विस्तार के लिए छठी योजमें 474 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

पानीपत स्थित उर्वरक संयंत्र का बन्द होना

6659. श्री बी० डी० सिंह)
श्री रशीद मसूद) : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने
श्री जार्ज फर्नांडीज)

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानीपत उर्वरक संयंत्र को बन्द कर दिया गया है तथा इसे बन्द किए जाने के क्या कारण हैं,

(क) इस सयत्र को कितनी हानि हुई है,

(ग) क्या यह भी सच है कि यह उर्वरक संयंत्र निरन्तर प्रक्रिया पर आधारित है और इसके बन्द होने के कारण इसे और क्षति होने की सम्भावना है, और

(घ) यदि हां तो इस बारे में कठिनाइयां दूर करने के लिए, कोई हो, तथा इसके बिना किसी व्यवधान के कार्य कों सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) (क) हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लगभग पूर्ण पावर कटौती लागू कर दिए जाने के कारण नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पानीपत उर्वरक सयंत्र दिनांक 14 फरवरी 1981 को बन्द कर दिया गया था। मार्च, 1981 के अन्तिम सप्ताह में पावर की पूर्ण सप्लाई प्राप्त होते ही संयंत्र पुनः प्रारम्भ हो गया है।

(ख) संयंत्र के बन्द रहने के कारण इसे लगभग 48,000 टन यूरिया के उत्पादन की हानि उठानी पड़ी।

(ग) और (घ) निरन्तर चालू रहने वाले उर्वरक संयंत्रों के बार बार बन्द होने से उत्पादन में हानि के अलावा संयंत्रों के नाजुक उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वे पानीपत संयत्र को निरन्तर बिजली की सप्लाई जारी रही और उसे बिजली की कटौती से बिल्कुल छूट दे दें।

16 एम० एम० फिल्मों का निर्माण

6660 प्रो० के० के० तिवारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बड़े पैमाने पर 16 एम० एम० फिल्मों के निर्माण के लिए आधारभूत ढाचे को प्राप्त करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) । 16 मिलीमीटर की फिल्मों का निर्माण सुविधाजनक और कम खर्चीला है। 16 मिलीमीटर की फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 16 मिलीमीटर अवस्थापना स्थापित करने का निर्णय किया है। इसकी पूंजीगत लागत 87 लाख रुपये होगी। आयातित और देशी दोनों प्रकार के उपकरणों का ब्योरा और उनकी लागत संलग्न विवरण में दी गई है। निगम इन उपकरणों को फिल्म निर्माताओं को उचित किराये पर उपलब्ध करेगा। इन सुविधाओं के सितम्बर-अक्तूबर, 1981 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

विवरण

क्रम सं०	उपकरण का विवरण—	लागत (लाख रुपयों में)
1.	जूम लेंसों सहित तीन 16 एस० आर० ऐरी कैमरे सम्पादक	12-00
2.	सहायक वस्तुओं और पुर्जों सहित दो स्टीनबैक/मेजें	10-00
3.	दो नगरा टेप रिकार्ड और फालतू पुर्जे।	4-50
4.	फालतू पुर्जों और सहायक वस्तुओं के साथ आप्टिकल रिकार्डिक पद्धति सहित "मैगना-टैक" रिकार्डिंग और डबिंग चैन।	39-00
5.	पिक्चर की सुविधा के साथ 4 सिंक्रोनाइजर्स।	2-00
6.	मैगनेटिक रिकार्डिंग टेप(500)	2-50
7.	विभिन्न प्रकार के माइक्रोफोन अर्थात् एम० के० एच० 816 टी० यू० डी० 900 सी० डी० 224 सी० सी० 24, इत्यादि।	1-20

8.	रंगीन ट्रान सनगनों तथा स्टेण्ड़ों सहित लाइटिंग उपकरण ।	0-40
9.	सप्लाइसर्स और सिं क्रोनाइजर्स ।	0-30
10.	फालतू पुरजों और सहायक वस्तुओं सहित मलट्रोन 1/4" सिंक टेप रिकार्डर ।	1-80
11.	स्टूडियों मिक्सर टेबल जैसा तकनीकी फर्नीचर तथा 20 थियेटर कुर्सियां और उपकरण रैक ।	2-00
12.	207.5 टोन प्लाट और डब्टिंग पद्धति के साथ वातानुकूलन पद्धति ।	6-50
13.	बिजी फिटिंग।	0-80
14.	रिकार्डिंग स्टूडियों के लिए अकाऊस्टिक बोर्ड और कार्पेट ।	2-00
15.	लकड़ी का विभाजन और दिल्लेदार किवाड़ ।	0-80
16.	शहर के अन्दर कैमरों और रिकार्डरों परिवहन के लिए डिलीवरी वाहन ।	1-20

श्री गंगानगर और बीकानेर के लिए दूरदर्शन सुविधा

6661. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिये माइक्रोवेव पद्धति प्रयुक्त की जाती है ।

(ख) क्या सीमावती जिलों श्री गंगानगर और बीकानेर को माइक्रोवेव पद्धित के जरिये दूरदर्शन रेंज में लाये जाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ;

(घ) क्या जालंधर दूरदर्शन केन्द्र के पूरे कार्य-संचालन के बाद ही श्री गंगानगर जिले को टेलीविजन रेंज में लाया जायेगा ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) संसाधनों की ककी के कारण छठी "योजना" अवधि (19:0-85) के दौरान और श्रीगंगा नगर और बीकानेर को दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ड.) जलंधर बूरदर्शन केन्द्र से टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के श्री गंगानगर में दिखाई दिए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह जलंधर ट्रांसमीटर की सेवा परिधि से बाहर है।

छोटे बिजली संयत्रं स्थापित करने के लिए प्राइवेट पार्टियों द्वारा पेशकश

6662. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों और प्राइवेट पार्टियों ने छोटे-बिजली संयंत्र परियोजनाओं के लिए योजना में पेशकस की है

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों आदि द्वारा लगाए गए इस तरह के बिजली संयंत्र की संभावना और व्यावहार्यता की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और यदि नहीं तो किस स्थिति में मामला अटका हुआ है,

(घ) छोटे बिजली संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या होगी और और इसमें कितनी लागत अन्तर्विष्ट है ; और

(ङ) क्या स्वदेशी तौर पर इनका निर्माण किया जाएगा अथवा समूचे संयंत्र को आयात किया जाएगा अथवा केवल उसके एक भाग के आयात की अनुमति दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) मिनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्कीमों की प्रतिष्ठापित क्षमता तथा अनुमानित लागत के संबंध में ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। ये स्कीमें विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ऐसी विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति देते समय तकनीकी आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इनकी व्यवहार्यता तथा जीवन क्षमता पर विचार किया जाता है। लघु ताप विद्युत स्कीमों (25 मेगावाट से छोटे आकार की यूनिट) के लिए असम, सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन ताप विद्युत/डीजल स्कीमों की क्षमता, अनुमानित लागत, तथा चालू करने के संबंध में सूचना विवरण-2 में दी गई है। यूटिलीटी के रूप में मिनी विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) उत्पादन उपस्कर का आयात केवल उन्हीं मामलों में किया जाता है जहां स्वदेशी निर्माता उपस्कर सप्लाई करने की स्थिति में नहीं होते।

विवरण-1

मिनी जल विद्युत् स्कीमें

स्कीमें	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिष्ठापति क्षमता	अनुमारित लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
कारगिल	जम्मू और कश्मीर	3 × 500 किलोवाट	1.38
घुमवार	जम्मू और कश्मीर	4 × 500 किलोवाट	1.90
होली	हिमाचल प्रदेश	3 × 1,500 किलोवाट	3.425
माउन्टआबू	राजस्थान	2 × 1,250 किलोवाट	5.16
थिरोट	हिमाचल प्रदेश	3 × 1, 000 किलोवाट	4.16
पिकारा बांध विद्युत गृह	तमिलाडू	1 × 2,000 किलोवाट	1.45
बोर्डकराई	असम	3 × 250 किलोवाट	1.93
बूनइंग	मणिपुर	2 × 500 किलोवाट	0.897
महारानी	त्रिपुरा	2 × 500 किलोवाट	0.67
सिरसा नाला	अरुणाचल प्रदेश	3 × 500 किलोवाट	0.91
सिसलुई	मिजोरम	1 × 500 —	
		2 × 250 किलोवाट	0.5079

ऊपर बताई स्कीमों में से महारानी की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अन्य स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण-2

छोटे ताप-संयंत्र स्कीमें

क्रम सं०	स्कीम का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	चालू करने का कार्य-कर्म
1.	कोयले से चलने वाया ताप विद्युत	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2 × 5 मे० वा०	9.84	1985-86

2.	लकवा गैस टबाईन गृह सेट	आसाम	3 × 15 मे० वा०	15.64	1981.82
3.	नाम रूप में उच्छिष्ट (वेस्ट हीट) उपयोग करने वाला संयंत्र	आसाम	1 × 22 मे० वा०	9.02	1981-82
4.	मोबाइल गैस टर्बाइन सेट	आसाम	2 × 3 मे० वा०	4.28	1981-82
5.	अतिरिक्त मोबाइल गैस टर्बाइन सेट	आसाम	4 × 3 मे० वा०	7.64	1981-82
6.	डीजल जेनरेटिंग सेट	सिक्किम	4 × 562.5 के० वी० ए०	1.18	1981-82

उपरोक्त सभी स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृति मिल चुकी है। ये क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों मे हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बगाल में छिद्रण-कार्य

6663. **श्री रेणु दास :** (क्या पेट्रोलियम: रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस समय पश्चिम बंगाल में कितने कुएं खोदे जा रहे हैं; और

(ख) पश्चिम बंगाल में खुदाई कार्य शुरू होने के बाद भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा अन्य कम्पनियों को वहां गैस अथवा तेल न मिलने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री श्री प्रकाश चन्द सेठी : (क) इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के अभय—1 नामक केवल एक कुएं की खुदाई कर रहा है।

(ख) इण्डो-स्टेन्वेक पेट्रोलियम प्रायोजना और ओ. एन. जी. सी. द्वारा किये गये अन्वेषी व्यधन संचालनों से पश्चिम बंगाल में हाइड्रो-कार्बनस के वाणिज्य भंडारों के स्थान का पता नहीं चला है, क्योंकि अन्वेषण अभी तक सरल समुद्री परिस्थितियों में बेसिन के विकास के आधार पर किया जाता रहा है। जो एक नए क्षेत्र के अन्वेषण के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है तथापि प्राप्त किए गए आंकड़ों से पता चला है कि अन्वेषण लक्ष्यों को डेल्टा की परिस्थितियों में विकसित किए गए बेसिन में प्राप्त करने की संभावना जहां हाइड्रो-कार्बनस को फंसाने की परिस्थितियां बहुत अधिक सूक्ष्म और जटिल है। इस प्रकार के कठिन हाईड्रो-कार्बनस क्षेत्रों में खोज करने के लिए

डेल्टा की परिस्थितियों के अन्तर्गत बेसिन के विकास के अतिरिक्त भूभौतिकीय आंकड़े प्राप्त करने उनकी प्रक्रिया और व्याख्या करने में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल के बेसिन के अन्वेषण में इस प्रकार के महत्वपूर्ण साधनों का उपयोग ओ. एन. जी. सी. धीरे-धीरे आरम्भ कर रहा है और इस ने अन्वेषण लक्ष्यों की श्रेणी को कम करने में सहायता दी है।

आन्ध्र प्रदेश में गरीब लोगों को विधिक सहायता

6664. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गरीबों को दी जाने वाली विधिक सहायता में वृद्धि कर रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को इस शर्त पर 25 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया है कि वह भी गरीब लोगों को विधिक सहायया प्रदान करने के लिए उतनी ही राशि की व्यवस्था करे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1981 के बजट में विधिक सहायता के लिए 25 लाख रुपये का उपबन्ध किया था। वर्ष 1981-82 के बजट में विधिक सहायता की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ा कर 50 लाख रुपये कर दी गई है।

(ख) जी नहीं।

छठी पंचवर्षीय योजना में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना

6665, **श्री माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोरबा परियोजना जैसे और अधिक कोयले पर आधारित संयंत्रों या अन्य प्रकार के संयंत्रो की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना कहां की जाएगी?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र पर कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था है। तथापि, देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना के प्रश्न पर सरकार द्वारा कोई निर्णय तभी लिया जा सकता है जब तालचर और रामा गुण्डम में कुछ समय के लिये हाल ही में चालू किये गये संयन्त्रों के अनुभव से ऐसे संयन्त्रों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो आये।

मैसर्स प्योर ड्रिंकस (नई दिल्ली) लिमिटेड द्वारा जनता से सावधिक जमा राशियां एकत्रित किया जाना

6666. श्री पीयूस तिरकी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड ने 1979 के अन्त में अथवा 1980 के आरम्भ में जनता से सावधिक जमा राशियां मांगी है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के लाभ के आंकड़े बतना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो सावधिक जमा राशियों के लिए आवेदन पत्रों पर उनको किन तीन वर्षों के लाभ के आंकड़े देने होते हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उन्होंने 1977-78 के लिए आंकड़ें नहीं दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कारंवाई करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमन्त्री (पी० शिवशंकर) : (क) हां श्रीमान् जी। कम्पनी ने जनता से निक्षेपों को मांगने के लिए 8.2.1980 को विज्ञापन प्रकाशित कराया था।

(ख) हां, श्रीमान् जी।

(ग) कम्पनी निक्षेपों के अधिग्रहण) नियम, 1975 की शर्तों के अनुसार, जनता से गैर बैंकिग गैर वित्तीय कम्पनियों को निक्षेपों को मांगने के लिए, विज्ञापन की तारीख से तुरन्त अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए; कर की व्यवस्थाओं को करने के पूर्व और पश्चात् कम्पनी के लाभों का विज्ञापन में उल्लेख करना आवश्यक है। उस तारीख तक, जिसको कम्पनी द्वारा निक्षेपों की मांग के लिए विज्ञापन जारी होता है, इस प्रकार के विवरण के सम्बन्ध में सभी परिवर्तनों सहित, ये ब्योरे भी कथित फार्म के विवरण के साथ सम्मिलित किए जाने जरूरी हैं।

(घ) नहीं, श्रीमान् जी।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हत्या के अनिर्णीत मुकदमे

6 67. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हत्या के मुकदमों की संख्या कितनी है और साथ ही गत दो वर्षों से इस तरह को विचराधीग पड़ी अपीलों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनके अनिर्णीत रहने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों से उस न्यायालय में हत्या के 12 ऐसे मामले लम्बित हैं जिनमें दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की गई है और ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की गई हो। दो वर्षों से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम समय से लम्बित अपीलों की संख्या 12 है। इनमें से 10 अपीलें हैं और दो दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपीलें हैं और दो दोषसिद्धि के विरुद्ध।

(ख) उच्च न्यायालय कुल कार्यभार को देखते हुए वह क्रम निर्धारित करता है जिसके अनुसार अलग-अलग मामले विचार हेतु लिए जाते हैं और उनका निपटारा किया है।

प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के रूप में चलन किए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातितों के व्यक्ति :

6668. श्री ए० नीलालोहिथसदन नाडार : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्सीक्यूटिव के पद पर अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि आकाशवाणी में विज्ञापन के अनुसार प्रोग्राम एक्सीक्यूटिव के सभी पद नहीं भरे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) पिछले दस वर्षों के दौरान कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के पद के लिए अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित 60 उम्मीदवारों का संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया गया है।

(ख) यह सही है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित और विज्ञापित सभी पद कभी-कभी नहीं भरे जाते, क्योंकि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। तथापि, इस प्रकार के मामलों में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाया जाता।

(ग) यह इसलिए होता है क्योंकि इन जातियों से सम्बन्धित पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार संघ लोग सेवा आयोग द्वारा चयन और अनुशासित नहीं किए जाते।

बुलगारिया के साथ व्यापार समझौता

6669. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलगारिता के साथ हाल ही में हुए एक व्यापार समझौते के अन्तर्गत उस देश से भारत में 2 लाख टन डीजल तेल का आयात किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो स्वयं सोवियत उससे पेट्रीलियम उत्पादों का आयात करने वाले देश बुलगारिया से इन उत्पाक्कों को प्राप्त करने के कारण क्या हैं ?

(ग) सोवियत रूस से उत्पाद की उक्त मात्रा बुलगारिया को देने को तत्पर है तो सोवियत रूस से पेट्रोलियम उत्पादों का सीधा आयता न किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए बुलगारिया को अदा की जाने वाली कीमतें पूर्व यूरोपीय समाजवादी देशों प्रवृत कीमतों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) 2 लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल का आयात करने के लिए इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने बल्गारिया के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(ख) (ग) और (घ) इस सम्बन्ध में और अधिक ब्योरे देना जनहित में नहीं होगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के भी विपरीत होगा ।

गाजियाबाद में खाना पकाने की गैस के सिलिन्डरों की सप्लाई

6670. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद में खाना पकाने की गैस सिलेंडरों प्राप्त करने में दो महीने का समय लगता है

(ख) क्या जांच में यह पता लगा है कि गैस सिलेन्डरों को ऊंची कीमत पर अनधिकृत उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है ;

(ग) क्या एजेंसियों के लाइसेंसों में से एक लाइसेंस को लगभग एक वर्ष पूर्व रद्द कर दिया गया था और यदि हां तो किसी अन्य फर्म की एजेंसी न दिये जाने के क्या करण हैं; और

(घ) क्या गाजियाबाद में गैस कनेक्शन की संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि नई नई फर्मों को लाइसेंस दिए जाएं और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है !

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) 15.3.1981 को गाजियाबाद शहर में खाना पकाने की गैस की सप्लाई में लगभग 18 से 20 दिन तक की सप्लाई बकाया होने की सूचना दी गई है ।

(ख) जी, हां।

(ग) इस क्षेत्र में इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा एक लीडरशिप निलम्बित की गई है। क्योंकि अभी तक डीलरशिप समाप्त नहीं की गई है अतः किसी अन्य फर्म को एजेंसी के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह समझा गया है कि गाजियाबाद क्षेत्र में अतिरिक्त इण्डेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के औचित्य के लिए खाना पकाने की गैस की पर्याप्त मांग है। तदनुसार इंडियन आयल कार्पोरेशन की 1981-82 के दौरान और तीन वितरकों की नियुक्ति करने की योजना है।

पश्चिमी राजस्थान में 200 मेगावाट के तापीय बिजलीघर की स्थापना करना

6672. **श्री अशोक गहलोत :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी राजस्थान में 200 मेगावाट के तापीय बिजली घर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है।

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पश्चिमी राजस्थान में 200 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए राजस्थान बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है। तथापि, 6738 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पालना में 2×60 मेगावाट की क्षमता का, लिगनाइट पर आधारित एक विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुआ है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसे तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है और निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है।

कोयले की सप्लाई न किए जाने के कारण मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों का बन्द होना

6673. **श्री शिवकुमार सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को कोयले का इसका नवीनतम कोटा अभी तय नहीं किया गया है जिनके परिणामस्वरूप राज्य में कपड़ा मिलें बन्द होने की स्थिति में है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री(श्री विक्रम महाजन) : (क)और(ख) कोयले के परिवहन के लिए रेल वैगन पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के कारण मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों को कोयले की सप्लाई में कुछ कमी रही है। कोल इंडिया लि० कोयला भेजने के लिए वैगनों की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क रखे हुए है वैगनों की उपलब्धि में दिसम्बर 1980 से सुधार हुआ है। कोयला कम्पनियां रेल द्वारा कोयले के परिवहन में होने वाली कमी को सड़क से

ले जाने के लिए कोयला देकर भी पूरा कर देती हैं। इसके अलावा कुछ निर्धारित खानों से कोयला बिना किसी प्रतिबन्ध के भी दिया जा रहा है। कोयले की कुल मांग पूरी करने के लिए खान मुहानों पर पर्याप्त कोयला उपलब्ध है।

बिहार में सोडा ऐश संयंत्र की स्थापना

6674. **श्री एन० ई० होरो : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विहार राज्य में सोडा-ऐश संयंत्र की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना करने से संबंधित स्थान का ब्योरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश में सर्वेक्षण

6675. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा लबुहेंग, अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) उक्त सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश में कोई अन्य सर्वेक्षण भी कराया गया है; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) और (घ) आयल इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में निगरुपेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेन्स क्षेत्र में सर्वेक्षण किये हैं। उपर्युक्त सर्वेक्षणों से अनेक आशाजनक संरचनाओं में संरेखण कार्य करने में सहायता मिली है जहां कि खारसांग, शोंगकिंग, नानाबूम और कुमयाई क्षेत्रों में अब तक दस अन्वेषी कुओं की खुदाई की गई है। इन कुओं में से खरसांग क्षेत्र में 6 कुओं में तेल पाया गया है।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत लंबित निरीक्षण/जांच-पड़ताल

6676. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गत पांच वर्षों से अधिक समय से आदेश दिये गये कितने निरीक्षण जांच-पड़ताल अभी तक यंबित है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और ये निरीक्षण जांच-पड़ताल के आदेश किस तारीख को दिये गये थे; और

(ग) ये निरीक्षण जांच-पड़ताल कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 5 वर्ष से अधिक पहले 39 कम्पनियों के मामले में निरीक्षण और 4 कम्पनियों के मामले में जांच के लिए दिये गये आदेश लबित है।

(ख) इन कम्पनियों के नामों और उन तारीखों जिनको आदेश दिये गये थे, को दर्शाता हुआ विवरण संलग्न है।

(ग) निरीक्षण के लिये उपलब्ध सीमित स्टाफ और अधिकारियों और अन्य शासकीय अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, अनिर्णीत 39 निरीक्षणों को पूरा करने के लिये लगभग 6 से 12 महीने लग सकते हैं।

उपरोक्त (क) में अनिर्णीत जांचों का जहां तक सम्बन्ध है; इन मामलों को न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत रोक दिया गया है और अभी तक य न्यायिक हैं।

विवरण

क—निरीक्षण के मामले

क्रम सख्या	कम्पनी का नाम	निम्न तारीख के निरीक्षण का आदेश दिया
1.	मोहानवी कारपोरेशन लिमिटेड	21-9-66
2.	शालीमार वर्कस लिमिटेड	26-5-72
3.	यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया	27-5-72
4.	कोठारी ट्रेडिंग एण्ड इन्वैस्टमैन्ट कम्पनी प्रा० लि०	8-8-73

5.	अर्थ उद्योग लि०	20-9-74
6.	पाइनीयर बिल्डर्स लि०	20-9-74
7.	कोल शिपमैन्ट्स लि०	20-[illegible]-74
8.	डांगुआ झार टी कम्पनी लि०	19-2-75
9.	लेबोग टी कम्पनी लि०	19-2-75
10.	लीश रीवर टी कम्पनी लि०	19-2-75
11.	मेरीबाग एण्ड कयेल टी कम्पनी लि०	19-2-75
12.	मोनग्लास टी कम्पनी लि०	,,
13.	ईशाभील टी कम्पनीं लि०	9-5-75
14.	डोलाई टी कम्पनी लि०	9-5-75
15.	श्री राम शुगर्स एण्ड ईन्डस्ट्रीज लि०	20-4-74
16.	गुवानीला बिन्नी लि०	20-4-74
17.	प्रीमियंर इंस्ट्रमैन्ट एण्ड कन्ट्रेक्ठर्स लि०	8-8-74
18.	श्री विशालम चिट फन्ड्स लि०	18-2-75
19.	कन्सोलिडेटेड काफी लि०	14-5-75
20.	देवेन टी एण्ड प्रोड्यूस कम्पनी लि०	19-7-75
21.	बालानूर टी एण्ड रबड़ कम्पनी लि०	19-7-75
22.	बावरली एस्टेट्स लि०	19-7-75
23.	वारदा लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड	9-10-75
24	श्री रानी लक्ष्मी गिनिग स्पिनिग एण्ड वींविगमि मिल्स लिमिटेड	9-10-75
25.	आर्कोट मिल्स लि०	9-10-75
26.	अध्यपन टैक्सटाइल्स लि०	9-10-75
27.	कोयम्बटूर महालक्ष्मी ऐजेन्सीज प्रा० लि०	9-10-75
28.	बुन्दी ट्यूबिग ऑफ इण्डिया लिमिटेड	30-10-75
29.	वैयित्री प्लान्टेशन लि०	30-10-75
30.	मिनरल्स एण्ड माइनिंग कम्पनी प्रा० लि०	30-10-75
31.	अमलगामेशन लिमिटेड	6-2-76

32.	बीमेटल कम्पनी लि०	6-2-76
33.	एल० एम० वान मोप्स डाइमन्ड टूल्स (आई) लिमिटेड	6-2-76
34.	सिम्पेसन एण्ड कम्पनी लि०	6-2-76
35.	टी स्टेन्स एण्ड कम्पनी लि०	6 2-76
36.	एन्डीवीयर इन्वेस्टमैन्ट्स प्रा० लि०	21-2-76
37.	साउन्ड जीवार्ड यूनियन (इंडिया) प्रा० लि०	7-7-74
38.	एन० एस० एच० बिजनिस मशीन्स लि०	8-4-75
39.	इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्पूटर्स (आई) लि०	8-4-75

ख—जांच के मामले

1.	हिदुस्तान डिवलपमैन्ट कारपोरेशन लि०	4-9-75
2.	अशोक सीमेंन्ट लिमिटेड	11-12-75
3.	सुदर्शन ट्रैडिंग कम्पनी लिमिटेड	31-12-73
4.	जे० सी० मिल्स लिमिटेड	7-12-67

तेल की खोज के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम

6677. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सोवियत रूस की सहायता से तेल की खोज के लिये दीर्घावधि कार्यक्रम का ब्योरा और मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच 10 दिसम्बर, 1980 को आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर हुए दीर्घावधि कार्यक्रम की मुख्य बातें यह हैं :—

(1) तकनीकी आर्थिक सापेक्ष महत्व की योजना जो वर्ष 1981-1990 के लिए भारत के तट पर तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डारों के अन्वेषण के लिए सोवियत और रूसी विशेषज्ञों द्वारा इस समय में तैयार की जा रही हैं जो वर्ष 1981 की तीसरी तिमाही में पूर्ण हो जायेगी। उपर्युक्त योजना के परिणामों के आधार पर, तेल उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन दोनों पक्षों के संगठन करेंगे।

(2) भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में से एक आशाजनक क्षेत्र के कार्यान्वयन में, भू-भौतिकीय अन्वेषण और व्यधन कार्य सहित तेल और गैस के समेकित कार्य में, निक्षेपों के विकास और उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की मूल तकनीकी विचारधाराओं के विस्तरण में रूसी पक्ष भारतीय पक्ष को सहयोग प्रदान करेगा.

(3) वंद किये गये और कम उत्पादकता वाले कुओं से तेल का अधिक उत्पादन करने से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने में रूसी पक्ष भारतीय पक्ष को सहयोग प्रदान करेगा ।

टुडे इन पालियामेंट

6678. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टु-डे इन पालियामेंट" कार्यक्रम किन-किन भाषाओं में तथा आकाशवाणी के किन-किन केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को अधिक क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में प्रसारित करने का विचार है ताकि इसे अधिकाधिक ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा किस संभावित तारीख तक किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए कौन कौन सी भाषाओं/बोलियों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) संसदीय कार्यवाहियों की एक दैनिक समीक्षा अर्थात् "टुडे इन पालियामेंट" और "संसद समीक्षा" ("टुडे इन पालियामेंट" का हिन्दी समकक्ष) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से अंग्रेजी और हिन्दी में प्रसारित की जा रही है । मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी के 81 केन्द्र जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है, इस कार्यक्रम को रिले कर रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं । "टु-डे इनपालियामेंट" की तरह, संसदीय कार्यवाहियों की प्रादेशिक भाषाओं में एक दैनिक समीक्षा का प्रसारण करना संसाधनों की कमी के कारण सम्भव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

आकाशवाणी केन्द्र

1. अगरतला	28. ग्वालियर	55. पुणे
2. अहमदाबाद	29. हैदराबाद	56. पोर्ट ब्लेयर
3. ऐजबल	30. इम्फाल	57. रायपुर
4. इलाहाबाद	31. इन्दौर	58. राजकोट
5. अम्बिकापुर	32. जबलपुर	59. रामपुर
6. औरंगाबाद	33. जगदलपुर	60. रांची

7. बड़ोदा
8. बंगलौर
9. भद्रावती
10. भागलपुर
11. भोपाल
12, भुज
13. बीकानेर
14. बम्बई
15. कलकत्ता
16. कालीकट
17. छत्तरपुर
18. कोयम्बतूर
19. कुडप्पा
20. कटक
21. दरभंगा
22. दिल्ली
21. धारवाड़
24. डिब्रूगढ़
25. गौहाटी
26. गोरखपुर
27. गुलबर्गा
34. जंयपुर
35. जलगांव
36. जम्मू
37. जेपोर
38, जोधपुर
39. जलंधर
40. कोहिमा
41. कुर्सियांग
42. लेह
43. लखनऊ
44. मद्रास
45. मंगलोर
46. मथुरा
47. मैसूर
48. नागपुर
49. नजीबाबाद
50. पणजी
51. परभनी
52. पासीघाट
53. पटना
54. पाण्डिचेरी
61. रींवा
62. रत्नागिरी
63. रोहतक
64. सम्बलपुर
65. सांगली
66. सिल्चर
67. सिलीगुड़ी
68. शिमला
69. शिलांग
70. श्रीनगर
71. तवांग
72. तेजू
73. सिरूचिरापल्लो
74. तिरुनेलवेली
75. त्रिचुर
76. त्रिवेन्द्रम्
77. उदयपुर
78. वाराणसी
79. विजयवाड़ा
80. विशाखापत्तनम्
81. सूरतगढ़

संगीत तण नाटक प्रभाग के एकक

6679. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या सुचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां संगीत तथा नाटक प्रभाग के एकक स्थिति है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों लोगों के प्रतिनिधियों, अर्थात् संसद सदस्यों विधान सभा सदस्यों से उनके क्षेत्र में इस प्रभाग के और अधिक एकक खोलने के बारे में कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है और ये एकक किन संभावित तारीखों तक खोले जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) विवरण के अनुसार।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, वित्तीय और अन्य संसाधनों की कमी के कारण इन मांगों को अभी तक स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

विवरण

जिन स्थानों पर गीता और नाटक प्रभाग के कार्यालय यूनिटें स्थिति हैं उनके राज्य-वार नामों को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	जिस स्थान पर कार्यालय/यूनिट स्थिति है उसका नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	गोहाटी और इम्फाल
3.	बिहार	पटना और दरभंगा
4.	दिल्ली	दिल्ली (दिल्ली क्षेत्र और मुख्यालय का कार्यालय)
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
6.	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर
7.	मध्यप्रदेश	भोपाल
8.	कर्नाटक	बंगलोर
9.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
10.	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़	चंडीगढ़
11.	राजस्थान	जोधपुर
12.	तमिलनाडु	मद्रास
13.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ और नैनीताल
14.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
15.	महाराष्ट्र	पुणे

उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के चेयर मैन की रिपोर्ट

6680. **श्री आर० एन० राकेश** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के चेयरमैन की कोई रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बिजली बोर्ड के सिर पर मंडराते हुए दिवालियेपन के खतरे का ब्यौरा दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में घटप्रभा और कावीनी पन-बिजली परियोजनाएं

6681. **श्री के० मालना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने घटप्रभा और काविनी पनबिजली परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रलाय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) घाटप्रभा जल विद्युत स्कीम (2 × 16 मेगावाट) के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दी गई है और निवेश संबंधी निर्णय के लिए योजना आयोग को इसकी सिफारिश कर दी गई हैं ।

सितम्बर, 1979 में प्राप्त हुई काबोनी जल विद्युत स्कीम की परियोजना रिपोर्ट को जांच के० वि० प्रा० केन्द्रीय ज० आ० में करली गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई है । इन टिप्पणियों पर परियोजना प्राधिकारियों के उत्तरों की प्रतिक्षा है । इस स्कीम की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाएगा ।

टेलीविजन एडवेंचर सारियल

6682. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सूचना और प्रसारध मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "न्यू इण्डियन ट्रंक" नामक टेलीविजन सीरियल बनाने के लिए फ्रांस की एक कम्पनी से एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) "न्यू इंडियन ट्रंक" नाम एक फीचर फिल्म के सह-निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फ्रांस की एक कम्पनी मैसर्स टेक्नीसोनोर, पैरिस के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(ख) करार का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस फिल्म का भारत में शूटिंग के सम्बन्ध में होने वाले व्यय के एक भाग की पूर्ति करने के लिए 8 लाख रुपये की राशि निवेशा करेगा । इस राशि का निम्नलिखित मदों के लिए उपयोग किया जाएगा :—

(क) ऐअर इंडिया के टिकट और भाड़ा वाऊचर ;

(ख) देश में निर्माण के खर्चे ;

(ग) इस सीरियल के भारतीय भाग के निर्माण के लिए भाड़े पर लिये गए भारतीय तकनीशियनों को रुपयों में भुगतान ।

(2) 8 लाख रुपये के इस निवेशा पर, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम दो वर्ष की अवधि के लिए, एक ट्रांसमिशन चैनल पर फिल्म के प्रदर्शन से अर्जित निवल राजस्व के 15% हिस्से का हकदार होगा ।

औषध निर्माता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी ईक्विटी रखे जाना

6683. **श्री बी० वी० देसाई :** पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह अन्तिम निर्णय ले लिया है कि दो कम्पनियों के अतिरिक्त, अन्य किसी भी औषध निर्माता बहुराष्ट्रीय कम्पनी को 74 प्रतिशत विदेशी ईक्विटी रखने की अनुमति न दी जाए और यदि हां, तो वे दो कम्पनियां कौन सी हैं,

(ख) क्या केन्द्र सरकार को ईक्विटी कम करने का तरीका, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम समिति द्वारा तैयार किया गया था, प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं,

(ग) क्या ग्लैक्सो के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो कितने मामलों में कार्यवाही की जानी है, और

(घ) क्या इसके अन्तर्गत अधिकांश औषध निर्माता कम्पनियों को अपनी विदेशी ईक्विटी को 50 से 60 प्रतिशत के बीच के स्तर तक कम करना होगा और यदि हां, तो कितनी कम्पनियों ने ऐसा किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) संलग्न विवरण के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 20 विदेशी औषध कम्पनियों

के साम्यपूंजी की सीमा नियत करने पर अभी निर्णय लिया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31.3.77 को समाप्त 3 वर्ष की अवधि में इन कम्पनियों द्वारा निर्मित बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के विस्तृत आंकड़े एकत्र किए हैं। उपरोक्त की दृष्टि से प्रत्येक मामले में स्वीकृत किए जाने वाली विदेशी साम्यपूंजी के स्तर के बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं है।

विवरण

1. मैसर्स बरों वेलकम एण्ड कम्पनी।
2. मैसर्स में एण्ड बेकर (इ) लिमिटेड।
3. मैसर्स रोचे प्रोडक्ट्स।
4. मैसर्स पार्क डैविस।
5. मैसर्स ग्लैक्सों लेबोरटरीज।
6. मैसर्स जानसन एण्ड जानसन लि०
7. मैसर्स फाइजर लि०
8. मैसर्स सीबा गायगी आफ इंडिया लि०
9. मैसर्स ई० मर्क (इ) प्रा० लि०
10. मैसर्स मर्क शार्फ एण्ड ढोम।
11. मैसर्स सेंन्डोज (इंडिया) लिमिटेड।
12. मैसर्स बूट्स क० (इंडिया) लि०।
13. मैसर्स हैक्स्ट फार्मायूटिकल्स लि०।
14. मैंसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि०।
15. मैंसर्स अर्गेनम्ब इंडिया लि०।
16. मैंसर्स यूनी सेन्कीयो।
17. मैसर्स वायथ लेबोरेटरीज।
18. मैंसर्स वायर (इंडिया) लिमिटेड।
19. मैंसर्स सिनामाइड इंडिया लिमिटेड।
20. मैंसर्स अल्कली कैमिकल्स।

संगठित क्षेत्र से जूतों की खरीद

6685. डा० ए० य० आजमी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा वाटा जैसे संगठित

क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र से कितने मूल्य के चमड़े के जूतों और अन्य 'फुट विचार' की खरीद की गई है ;

(ख) यह खरीद किस प्रकार की गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि वाटा केबल उन जूतों पर अपनी मोहर लगाता है, जो वह आगरा तथा अन्य स्थानों से खरीदता है, और

(घ) यदि हां, तो इस खरीद और उसकी सप्लाई में वाटा (इंडिया) लिमिटेड को लाभ का कितना अंश मिलता है ।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1980-81 की अवधि में, वाटा (इंडिया) लिमिटेड, अन्य बृहत क्षेत्र के एककों, तथा लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गये आदेशों का मूल्य निम्नलिखित है :—

वाटा से खरीद	लघु उद्योग एककों से खरीद	अन्य वृहद उद्योग क्षेत्र से खरीद
2,09, 172774 रु०	6,69,72,456 रु०	35,00,000 रु०

(ख) बृहद उद्योग क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र दोनों से ही पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा अपनाई जाने वाली नियमित टेंडर प्रणाली के माध्यम से खरीदें की जाती हैं ।

(ग) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा वाटा (इंडिया) लिमिटेड से किए गए ठेकों के सम्बन्ध में, यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि वाटा, लघु-उद्योग क्षेत्र से जूते खरीद कर उन पर अपनी मोहर लगाता है ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिजली परियोजना के नाम

6686. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बिजली परियोजनाओं के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है ,

(ख) प्रत्येक बिजली घर की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत एक वर्ष के दौरान वास्तव में कितनी बिजली का उत्पादन किया गया ; और

(ग) यदि अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में बिजली का वास्तविक उत्पादन कम हुआ है दो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और

हिमाचल प्रदेश के विद्युत केन्द्रों के नाम, इनकी प्रतिष्ठापि क्षमता, प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता तथा 1980-81 के दौरान सकल ऊर्जा उत्पादन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है

(ग) जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य निष्पादन, परियोजना की अभिकल्प शक्यता तथा उत्पादन के लिए उपलब्ध जल पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980-81 के दौरान उत्पादन यूनिटों में जबरबंदियां अधिक होने तथा चालू की गई नई उत्पादन यूनिटों की स्थिरीकरण अवधि के दौरान कम उत्पादन होने के कारण लेकिन अब इसमें सुधार हो रहा है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (हासिल) (मेगावाट)	1980-81 के दौरान सकल ऊर्जा उत्पादन (मिलियनयूनिट)
1	2	3	4	5
1-हिमाचल प्रदेश				
	क-ताप विद्युत			
	लघु डीजल केन्द्र	2.51	2.51	0.03 (79-80 के उत्पादन के आंकड़े)
	ख-जल विद्युत			
	1- गिरि बाता	60	61	73
	2- बस्सी	90	60	149
	3- बैरा स्यूल (केन्द्रीय सैक्टर)	120	120	31
	4- लघु जल विद्युत :	6.02	6.02	18 (79-80 के लिए उत्पादन के आंकड़े)
		246.02	246.02	271
2- उत्तर प्रदेश				
	क- ताप विद्युत			

1	2	3	4
1- ओबरा	1350	1350	4001 (200 मेगावाट के एक यूनिट को 28-3-81 को चालू किया गया)
2- हरदुआगंज	480	480	1142
3- पनकी	284	281	1104
4- आर.पी.एच. (कानपुर)	75	65	134
5- रेणुसागर	125	125	1011
6- लघु ताप विद्यूत × ×	146.6	131	230
	2460.6	2432	7722
ख- जल विद्युत			
1. रिहांद	300	300	835
2. यमुना :	354.8	354.8	1259
3. ओबरा (ज० वि०)	99	99	316
4. गंगा नहर	45.2	45.2	196
5. माताटीला :	30	30	129
6. राम गगा :	198	198	327
7. खातिमा :	41.4	42.41	168
8. चिल्ला :	108	108	244
9. लघु जल विद्युत :	7.59	7.59	9.50 (79-80 के के उत्पादन के आंकड़े
जोड़ जल विद्युत :	1183.99	1183.99	3483.50
जोड़ ताप विद्युत + जल विद्युत (उत्तर प्रदेश)	3644.59	3615.99	11205.50

× अनन्तिम

× × लघु डीजल उत्पादन यूनिटें इसमें शामिल नहीं हैं।

संस्कृत में रेडियो कार्यक्रम

6687. श्री भोगेंद्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से संस्कृत में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के नाम क्या हैं और प्रत्येक की अवधि क्या है;

(ख) संस्कृत में कौन-कौन सेकार्यक्रम प्रसारित होते थे और उन्हें कर देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या संस्कृत कार्यक्रमों को बढ़ाये जाने तथा उनके समय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

राज्य विद्युत बोर्डों की संख्या

श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य विद्युत बोर्डों की संख्या क्या है और उनमें से ऐसे बोर्डों की संख्या क्या है जिनके अध्यक्ष गैर तकनीकी अथवा गैर-इंजीनियर लोग हैं और

(ख) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापित क्षमता और वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है तथा इस क्षमता का कम उपयोग किये जाने के लिए मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा 18 राज्य बिजली बोर्डों का गठन किया गया है। इनमें से, 7 राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्ष गैर-इंजीनियर हैं।

(ख) जनवरी, 1981 की अवधि की प्रतिष्ठापित क्षमता तथा महीनेवार सकल उत्पादन (ताप विद्युत तथा न्यूक्लीय) तथा जल विद्युत उत्पादन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबन्ध) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2327-81] ताप विद्युत केन्द्रों का घटिया कार्य-निष्पादन मुख्यतः निम्न कारणों से रहा है :—

(1) स्वदेशी तौर पर निर्मित मुख्य संयंत्र और आनुषंगिकों से युक्त प्रतिष्ठापित क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि विशेष रूप से 200-200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की 13 यूनिटें, जो सुस्थिर होने में पर्याप्त समय ले रही हैं और अधिकांश मामलों में वे कार्य-निष्पादन के अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची हैं

(2) बार-बार और लम्बी अवधि की जबरन बन्दी की घटनाएं होना तथा कुछ यूनिटों द्वारा लम्बी अवधि तक निर्धारित उत्पादन न कर पाना । स्टेशन ले आउट और डिजाइन संबंधी दोष तथा निर्माण, प्रतिष्ठापित और चालू करने में गुणवत्ता संबंधी आश्वासन की कमी के कारण होने वाली बन्दिया इनमें शामिल हैं ।

(3) बड़े यूनिटों के लिए अनुरक्षण का प्रबन्ध स्तर घटिया होने तथा इनके लिए देश में सुविज्ञा की कमी । यह मुख्य रूप से, आधुनिक प्रणाली पर आधारित, पर्याप्त और उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण हैं ।

(4) समय पर और अपेक्षित गुणवत्ता के फुटकर पुर्जे सप्लाई करने में स्वदेशी निर्माताओं द्वारा देरी की जाना ।

(5) अभिकल्प विशिष्टियों के चरणों में विभिन्न निवेशों के सम्बन्ध में अपनाए गए कोयले के पैरामीटरों में तथा वास्तव में सप्लाई किए गए कोयले के वास्तविक पैरामीटरों के बीच विभिन्नता ।

(6) ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले का स्टाक न होने पर/अत्यन्त कम स्टाक होने के कारण उत्पादन कम किये जानी से उत्पादन में कमी ।

(7) आनुषंगिक उपकार की आंशिक अनुलब्धता अधिक होना तथा ग्रिल की परिस्थितियों और भार स्वरूप आदि जैसी प्रचालन संबंधी अन्य आंतरिक और बाह्य बाधायें जिनके परिणामस्वरूप संयंत्र भार अनुपात कम रहा ।

(8) क्षमता में वृद्धि से प्रणाली में व्यवस्तम भार उठाने के लिए उपलब्धता में वृद्धि हुई परन्तु इसी के साथ अव्यस्ततमकाल के दौरान समपयोजन न किये जाने में भी वृद्धि होना और इस प्रकार बेकार क्षमता में भी वृद्धि होना ।

(9) उपभोक्ताओं द्वारा घटियां समुपयोजन उपस्कर प्रतिष्ठापित करना । इसका एक ऐसा उदाहरण हैं कृषि पम्प सेटों की घटिया गुणवत्ता । उपभोक्ताओं द्वारा या राज्य बिजली बोर्डों द्वारा पावर फैटर करेक्शन उपस्कर न लगाये जाने से वह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है । यह भी उल्लेखनीय है कि 1977-80 की तीन वर्षों की अवधि में ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में कमी हुई थी लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर गहन प्रयास किए जाने के परिणाम स्वरूप क्षमता समुपयोजन में हाल ही के महीनों के दौरान विशेषकर अक्तूबर, 1980 में पर्याप्त वृद्धि की गई है ।

बिहार में गिरीडीह में बन्द पड़ी खानों में इस्पात ग्रेड का बढ़िया कोयला

66 9. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गिरिडीह में बन्द कर दी गई खानों लगभग एक करोड़ टन इस्पात ग्रेड का बढ़िया कोयला है;

(ख) क्या यह कोयला आयातित इस्पात ग्रेड कोयले से बढ़िया तथा सस्ता है;

(ग) क्या इस्पात मिलों के लिए कोयला निकालने के लिए बन्द पड़ी गिरिडीह खानों में कार्य शुरू करने का विचार है, चाहे इसके लिए राजसहायता देनी पड़े;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इन खानों का भण्डार समाप्त हो जाने पर परित्याग कर दिया गया था। इनमें छोड़ दिए गए कोयले का कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है। किन्तु किसी भी हालत में, परित्यक्त खान में छोड़ा गया सारा कोयला नहीं है :

(ख) आयात किए गए कोयले में राख का अंश बहुत कम है। जिस समय खानों का परित्याग किया गया था उस समय उत्पादन की लागत बिक्री मूल्य से कहीं अधिक थी।

(ग) और (घ) कोयला कम्पनी, खानों का परित्याग करने के पहले, खानों में इधर-उधर टुकड़ों में छूटे छोटे छोटे कोयला भंडारों को भी निकालने की साध्यता पर विचार करने की दृष्टि से सभी परित्यक्त खनन-सम्पत्तियों में प्लानों का अध्ययन कर रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एफ० एम० प्रणाली

6690. **श्री राजेश पायलट** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रयोग के तौर पर एफ० एम० प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमरी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) देश में एफ० एम० सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी है। यह सेवा मद्रास में जुलाई, 1977 मे चालू की गई थी और बम्बई और कलकत्ता में पिछले वर्ष। दिल्ली में एफ० एम० सेवा के अगले वर्ष चालू होने की सम्भावना है।

परिवार कल्याण के बारे में टी० वी० पर अधिक कार्यक्रम देना

6691. **श्री राजेश पायलट : सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुचिकर दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन का अभियान तेज करने के लिए कार्यकदम उटा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कुछ प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों और गैर पेशवर लेखकों के इस आशय के विस्तृत लेख तथा रूपक आमन्त्रित करने के लिए क्या पहल की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्क्रिप्ट आमन्त्रित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम पर किया गया व्यय

6692. **श्री राजेश पायलट : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम पर गत तीन वर्षो के दौरान कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) तैयार की गई कार्यवाई और निष्पादित नई परियोजनाओं के संदर्भ में इसका क्या योगदान रहा है; और

(ग) द्रुत कार्यक्रमों के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान पन बिजली उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) निर्माणाधीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षो के दौरान हुए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)	
	प्रत्याशित	वास्तविक
1978-79	4543.88	4990.68
1979-80	5085.12	5663.62
1980-81	7558.66	8251.57

(ख) स्थिति नीचे दी जाती है :—

निर्माणाधीन परियोजनाएं

1. लोक तक (3 × 35 मेगावाट) मणिपुर

इस परियोजना के दिसम्बर, 1982 में पूरा होने की संभावना है । इस क्षेत्र में विक्षुब्ध

परिस्थितियों के कारण परिवहन और संचार सुविधाओं में बाधा आई जिसके कारण परियोजना को सीमेंट, इस्पात, ईंधन आदि जैसी सामग्री की सप्लाई रुक गई थी।

2. बैरा-स्यूल (3 × 60 मेगावाट)—हिमाचल प्रदेश

चरण-दो को निर्धारित सूची से 6 महीने पहले अर्थात् दिसम्बर 1981 तक पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. सलाल (3 × 115 मेगावाट जम्मू) और कश्मीर

काफी समय बीत जाने के बाद, इस परियोजना के निर्माण में गति आई है और परियोजना अब अबाध निर्माण गतिविधि की अवस्था में पहुंच गई है। दिसम्बर, 1980 और मार्च, 1981 के बीच नदी के व्यपवर्तन सम्बन्धी कार्य हाथ में लिए गये थे और एक रिकार्ड समय में पूरे कर लिये गए हैं। इससे परियोजना की समग्र निर्धारित समय अवधि में लगभग छः मास की कमी होगी। परियोजना के निर्माण की गति बढ़ाने तथा इसको एक वर्ष पहले ही पूरा करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

4. देवीघाट (3 × 4.7 मेगावाट) नेपाल

इस परियोजना का निर्माण, भारत-नेपाल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत, नेपाल की महा-महिम सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसके दिसम्बर, 196? तक पूरा होने की संभावना है।

नई परियोजनाएं

1. कोयल-कारो (710 मेगावाट)—बिहार

2. दुल हस्ती (390 मेगावाट)—जम्मू और कश्मीर

इन दोनों परियोजनाओं के लिए मन्त्रि मण्डल के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है। इसी बीच सभी प्रारम्भिक कार्यवाई कर ली गई हैं।

3. चमेरा अन्वेषण (640 मेगावाट)—हिमाचल

इस परियोजना का अन्वेषण सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर दिया गया है और 8-10 महीनों में यह पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) देश की जल विद्युत शक्यता को उपयोग मे लाने पर बल देने की सरकारी नीति के अनुसरण में, यह निर्णय किया गया है कि जिन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में बहुत अधिक निवेश होता हो और जहां पर बहुत अधिक सख्या में प्रशिक्षित कार्मिकों को काम पर लगाने की आवश्यकता हो वे परियोजनाएं निर्माण के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंप दी जायें। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके इस हेतु इसे समुचित

रूप से सशक्त और कारगर बनाया जा रहा है। जो परियोजनाएं अन्तर्राज्यीय मुद्दों के कायण रुकी पड़ी है उन परियोजनाओं के बारे में इन मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से मंत्रालय राज्यों के साथ विचार-विमर्श भी करता है। जल विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण कार्य आधुनिक पद्धतियों के अनुसार हाथ में लेने का दायित्व भी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपा गया है ताकि इन्हें कम से कम समय में पूरा किया जा सके तथा दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से परियोजनाओं का एक शेल्फ तैयार रहे।

विश्वविद्यालय की सहायता से पेट्रोरसायन तथा उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना

6693. श्री राजेश पायलट : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन विश्वविद्यालय और कालेज विभागों की सहायता से जहां से विद्यार्थी पोस्टग्रेज्युयेट (स्नातकोत्तर) और पी० एच० डी० होकर निकलते हैं, पेट्रोरसायन और उर्वरकों के लघु उद्योगों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) क्या इस उत्पादन प्रक्रिया को पाठ्यक्रम से जोड़ा जायेगा और इसको व्यवसायिक तथा स्वनियोजन का अंग बनाकर प्रोत्साहित किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। तथापि, पेट्रो-रसायनों पर आधारित उद्योगों जैसे प्लास्टिक प्रक्रियाकृत माल, प्लास्टीसाइजर्स इत्यादि, को लघु स्तर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है इन उद्योगों को आरम्भ करने के लिए उद्योगपति, जिनमें विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र सम्मिलित हैं, सरकारी एजेंसियों से सहायता पा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार पत्रों द्वारा देश की स्थिति दर्शाया जाना

6694. श्री के० मालन्ना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के समाचार पत्र देश की सही स्थिति नहीं दर्शा रहे; और

(ख) यदि हां, सरकार ने समाचार पत्रों द्वारा हमारे देश की सही स्थिति दर्शाए जाने के सम्बन्ध में समाचार पत्र कम्पनियों को सुझाव देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस पूर्णतया स्वतन्त्र है और सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए वचनबद्ध है।

समाचार पत्रों को समाचारों, आदि का संग्रह करने, उनको प्रस्तुत करने और उन पर टिप्पणियां करने के मामले में पूरी स्वतन्त्रता है। ऐसा करने में, प्रेस से यह उम्पीद की जाती है कि वह समाचारों को प्रस्तुत करने में अपनी व्यावसायिक आचार संहिता के अंग के रूप में वस्तुनिष्ठता, यर्थातता और निष्पक्षता सुनिश्चित करे। तथापि भारतीय प्रेस में कभी कभी ऐसे समाचारों जिन की अच्छी तरह छानबीन न की गई हो, अथवा सनसनीदार समाचारों को देने की ओर रुझान देखा गया है। इस प्रकार के रुझानों को देश के नियमों के अन्दर, पत्र सूचना कार्यालय की दैनिक सामान्य गतिविधियों के रूप में, खंडनों स्पष्टीकरणों, प्रेस ब्रीफिंगों, आदि को जारी करके सही करने की कोशिश की जाती है। सरकारी हैण्ड-आउटों और सचित्र लेखों के अतिरिक्त, पत्रकारों कोचालू विभिन्न परियोजनाओं को स्वयं देखनें के अवसर दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण अवसरों पर, प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और पत्रकारों को महत्वपूर्ण समारोहों में आमन्त्रित किया जाता है ताकि वे स्रोत से सीधें सूचना प्राप्त कर सकें।

हाल ही में सूचना और प्रसारण मन्त्री ने समूची भारत सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर पत्रकारों को समूहों में ब्यौरा देने की पहल की। यह व्यवस्था काफी सफलतापूर्वक काम कर रही है।

शीरे का उत्पादन

6695. **श्रीनवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शीरे का कुल उत्पादन कितना है,

(ख) सरकार किस कीमत पर शीरे की बिक्री करती है,

(ग) क्या यह भी सच है कि शीरे के खरीदार भारी मुनाफा कमा रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार शीरे के मूल्य क्यों नहीं बढ़ा रही है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में, जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, शीरा का कुल उत्पादन (शीरा वर्ष 1980-81) नवम्बर से अक्टूबर में) 20.79 लाख टन होने की आशा है।

(ख) शीरा की बिक्री सरकार द्वारा नहीं की जाती, बल्कि चीनी कारखानों द्वारा बेचा जाता है। शीरा कानून मूल्य नियंत्रण में है। वह अधिकतम मूल्य, जिस पर शीरा बेचा जा सकता है, समय-समय पर संशोधित शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अधीन निर्धारित किया जाता है।

इस समय लागू अधिकतम मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

शीरा की श्रेणी	मूल्य
श्रेणी के—1	
55 से 60 प्रतिशत तक चीनी के कुल वजन को घटाते हुये	9 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०

श्रेणी के —2	
55 से 50 प्रतिशत तक चीनी के कुल वजन को घटाते हुए	7.50 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
श्रेणी के —3	
मानदण्ड के अनुसार श्रेणी 1 गन्ना शीरा	6 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
श्रेणी के—4	
श्रेणी 2 के मानदण्ड के अनुसार गन्ना शीरा	4.80 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
श्रेणी के—5	
श्रेणी 3 के मानदण्ड के अनुसार गन्ना शीरा	3.60 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०।
श्रेणी के—5 से निम्न	3.60 रु० प्रति 40 कि० ग्रा० के लिए उसमें से चीनी अंश घटाते हुये।
श्रेणी—1	6 रु० प्रति 100 कि०ग्रा०
श्रेणी—2	4.80 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
श्रेणी—3	3.60 रु० प्रति 100 कि० ग्रा० के लिए
श्रेणी—4	3.60 रु० प्रति 40 कि० ग्रा० के लिए उसमें से चीनी अंश घटाते हुये।

उपरोक्त मूल्य किसी प्रकार के उत्पाद शुल्क अथवा चुंगी को छोड़कर हैं, जो किसी कानून के अन्तर्गत वसूल किये जा सकते है किन्तु टैंक वैगनों आदि में शीरा लदान की लागत सम्मिलित है।

(ग) सरकार को शीरा के खरीदारों द्वारा कमाये जा रहे अत्याधिक लाभ से जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कम्पनियों द्वारा ली गई सार्वजनिक जमा राशियों का संरक्षण

6696. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों द्वारा (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 1975 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1980 तक कुल कितनी सार्वजनिक जमा राशियां ली गई हैं और ऐसी कितनी कम्पनियों द्वारा;

(ख) उपरोक्त में से कितनी कम्पनियां (एक) स्वैच्छिक समापन; (दो) न्यायालय द्वारा समापन; (तीन) कानूनी कार्यवाहियों; (चार) वित्तीय दृष्टि से रूग्ण तथा दिवालिया; और (पांच) जमा राशियों तथा ब्याज के भुगतान में अनियमित हैं, उपरोक्त प्रत्येण श्रेणी के मामले में जनता राशि अन्तर्गत है,

(ग) उपरोक्त में से कितनी कम्पनियों की ऋश चुकाने में कानूनी मोहलत दी गई है,

(घ) अब तक तथा आगे भारतीय कम्पनियों में सार्वजनिक जमा राशियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और

(ङ) क्या सरकार का ध्यान 1980 में नई दिल्ली के स्माल इन्वेस्टर्स एसोसियेशन द्वारा दिए गए ज्ञापन की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) चूंकि कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 के नियम 10 के अन्तर्गत गैर-बैंकिग गैर वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित निक्षेपों की निक्षेपों सहित विवरण, केवन वर्ष के 31 मार्च तक वर्णन करने योग्य होती है, अतः 31 दिसम्बर 1980 तक इस प्रकार को कम्पनियों द्वारा जनता से लिए गए निक्षेपों को कुल राशि के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। वास्तव में, 31 मार्च 1981 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए इस प्रकार की सूचना केवल जून, 1981 के पश्चात् ही उपलब्ध होगी।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए विभाग ने पहिले ही निम्नलिखित पग उठाये हैं :—

(क) 30 मार्च, 1978 को यथा संशोधित कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम 1975 के अनुसरण में, गैर बेंकिग गैर वित्तीय कम्पनियों को 1 अप्रैल, 1978 के बाद, निक्षेपों के लिए कम्पनी को वित्तीय स्थिति का सारांश निकालने के अतिरिक्त विज्ञापन में निम्नलिखित विषयों पर सूचना का उल्लेख करना है :—

(1) वह राशि, जिसको कम्पनी, निक्षेपों के रूप में बंदा सके,

(2) आधारित कुल निक्षेप

(3) निक्षेपों की वह राशि जो पुनः अदायगी के लिए समय पश्चात् देय है।

(4) निक्षेप जो अप्रतिधृत हैं और अन्य अप्रतिधृत देवताओं सहित समान स्तर के हैं

इन विवरणों से, इच्छुक जमाकर्ता यह निर्णय करने में समर्थ होगा कि क्या उसे कम्पनी में निक्षेप देने चाहिए।

(ख) उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों को 30 अप्रैल से पूर्व, प्रत्येक वर्ष, 31 मार्च की समाप्त वर्ष की अवधि में उसके परिपक्व निक्षेपों का 10 प्रतिशत के निर्धारित व्यवहार में निक्षेप का निवेश करना, आवश्यक है जिसकी कथित वर्ष की अवधि में परिपक्व निक्षेपों को केवल पुन: अदायगी के लिए प्रयुक्त किया जा सके।

(ङ.) वर्ष 1980 में लघु जमकर्ता संगठन, नई दिल्ली से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं किया गया था। तथापि, कथित संगठन से वर्ष 1979 में अन्य के साथ निक्षेपकर्ताओं के हित के संरक्षण के लिए उपाय सुझाते हुए, कुछ ज्ञापन प्राप्त किये गये थे, और उनके सुझावों को इस प्रकार की कार्यवाई के लिए, जो कम्पनी अधिनियम के आगामी संशोधन के समय उचित समझी जाये के लिए ध्यान में रख लिया गया है।

कृषि में प्लास्टिक के उपयोग विषयक समिति

6697. श्री बी० वी देसाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि में प्लास्टिक के उपयोग के लिए 15 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार कृषि उत्पादन एवं एकता सुधारने में एक मुख्य कदम के रूप में कृषि एवं सिंचाई में प्लास्टिक के उपयोगों के संवर्धन एवं विकास पर कुछ समय से विचार कर रही है;

(ग) इस समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं :—

(1) कृषि में निम्नलिखित विशेष संदर्भों सहित प्लास्टिक के उपयोग की संभावना की समीक्षा करना :—

(क) पौधों एवं फसल का संरक्षण;

(ख) सिंचाई एवं पानी का सर्वोत्तम उपयोग;

(ग) वनस्पति पोषकों एवं कीटनाशकों का उपयोग;

(घ) कृषि उत्पादों को सम्भालना एवं भण्डार करना;

(ङ) कोई अन्य सम्बन्धित क्षेत्र।

(2) भारतीय परिस्थितियों में विभिन्न देशों में प्लास्टिक के उपयोग के अर्थतन्त्र की समीक्षा करना तथा भारतीय संदर्भ में उचित स्थापित पद्धति के अनुकूल प्लास्टिक के अधिक उपयोग के लिए उपाय सुझाना;

(3) नये उत्पादन में गहन अध्ययन, नये उपयोगों एवं कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए आवश्यक प्रणाली के बारे में सुझाव देना;

(4) कृषि में प्लास्टिक के उपयोग के वातावरण पर प्रभाव की समीक्षा;

(5) सम्परिवर्तन उद्योग में सहायक प्रौद्योगिकी एवं सांचों एवं औजारों की उपलब्धता सहित कृषि में उपयोग के लिए विद्यमान सुविधाओं की समीक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्र में इन उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यमान प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनुशंसा करना।

(घ) समिति की अवधि प्रारम्भ में केवल दो वर्ष होगी तथा समिति अपनी अवधि के समाप्त होने पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, परन्तु समिति जब भी आवश्यक हो अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

1981-82 के लिए दामोदर घाटी निगम का बजट

6698. श्री चित्त बसु : या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने वर्ष 1981-82 के लिए अपने बजट को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या उक्त बजट बिहार और बंगाल सरकारों को भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उस बजद को स्वीकार नहीं किया अथवा इस वर्ष पश्चिम बंगाल विधान सभा के समक्ष नहीं रखा, जैसा कि सामान्यतः किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 27 फरवरी, 1981 को होने वाली दामोदर घाटी निगम की बैठक की कार्यसूची की मदों में एक मद 1981-82 के बजट अनुमानों के अनुमोदन की थी किन्तु यह बैठक एक सदस्य के अनुरोध पर 7 मार्च, 1901 के लिए आस्थगित कर दी गई थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल की विधान सभा में 7 मार्च, 1981 को प्रस्तुत करने के लिए बजट की कमी हुई प्रति के लिए अनुरोध किया था इसलिए बजट अनुमानों को परिपत्रित करके स्वीकृत करा लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अध्यक्ष की तथा एक सदस्य की स्वीकृत प्राप्त हो जाने पर पश्चिम बंगाल की सरकार को सूचित किया गया था कि दामोदर घाटी निगम (कार्य संचालन) विनियम, 1951 के नियमों 6 और 9 के साथ पठित नियम 3 की व्याख्या के अनुसार दामोदर घाटी निगम का 1981-82 के बजट अनुमान निगम द्वारा स्वीकृत माने जा सकते हैं। तथापि पश्चिम बंगाल की सरकार का विचार यह था कि परिपत्रण द्वारा स्वीकृत कराया गया बजट उचित ढ़ंग से स्वीकृत हुआ बजट नहीं है। परिपत्रण द्वारा बजट के अनुमोदन का अनुसमर्थन बाद में 7 मार्च, 1981 को हुई निगम की बैठक में कर दिया गया था :

मध्य प्रदेश में शीरे की उपलब्धता

6699. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मध्य प्रदेश में शीरा आधारित उद्योगों को दिये जाने के लिए मिलों एवं अन्य स्रोतों से शीरे की कितनी मात्रा मिलने की संभावना है,

(ख) इन उद्योगों के लिए कुल कितने शीरे की आवश्यकता है और क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस मात्रा की सप्लाई के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इसकी सप्लाई के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं, और

(ग) केन्द्र सरकार का इस मात्रा की सप्लाई किन राज्यों से की जाती है और क्या शीरा महाराष्ट्र में उपलब्ध किया जा सकता है,

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : केन्द्रीय शीरा बोर्ड की दिनांक 11-11-1980 की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट दी थी कि शीरा वर्ष 1980-81 (नवम्बर-अक्तूबर) में शीरा का उत्पादन 14,000 टन तक होने की आशा है और उसकी मांग 33,000 टन तक होने की आशा है और इस प्रकार राज्य में लगभग 19,000 टन शीरे की कमी होगी। विभिन्न राज्यों में शीरे की मांग और उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को गुजरात से 10,000 टन शीरे का आबंटन किया गया। केन्द्रीय शीरा बोर्ड की उक्त बैठक में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया अधिवेशन शीरे के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को 32,500 टन शीरे का आबंटन किया गया।

दुबाई में प्रतिबन्ध लगी भारतीय फिल्में

6700. श्री एन० ई० होरो)
श्री के० मालन्ना) : सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुबाई में कई भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) और (ख) कन्सुलेट जेनरल आफ इण्डिया, दुबई से प्राप्त सूचना के अनुसार, दुबई में निम्नलिखित भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है :—

1. अब्दुल्ला
2. अनेक दिन आगे
3. अपना देश
4. अलीबाबा और 40 चोर
5. अरब का सितारा
6. अवर जीविक्कुनन्नु
7. चेहरे पै चेहरा
8. देवता
9. गंगा सागर
10. गीता मेरा नाम
11. गुप्त ज्ञान
12. गुले वकावाली
13. गुरु मानियो ग्रन्थ
14. हूर-ए-अरब
15. हम शक्ल
16. हीर रांझा
17. हर हर गंगा
18. हरे रामा हरे कृष्णा
19. जहां प्यार मिले

20. झुक गया आसमान
21. कामशास्त्र
22. कीमत
23. कुरुक्षेत्र
24. किस्मत
25. कल्लियानकट्ट नीली
26. लीजा
27. पुरुस्कार
28. महारानी पद्मिनी
29. प्रेम पुजारी
30. साकी हातिम
31. सुहाग रात
32. चेहराजादे
33. शबनम
34. शहनशाह
35. सिद्धार्थ
36. सोने का हाथ
37. तीरंदाज
38. तुम्हारे लिए
39. तिलोत्तमा
40. उपकार
41. यार मेरा

मध्य प्रदेश में पैराफन मोम पर आधारित लघु एकक

6701. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पैराफन मोम पर आधारित लघु एककों की सं० कितनी है उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और वर्ष 1980-81 में केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको पैराफन मोम की कितनी मात्रा आवंटित की गई है ;

(ख) क्या उनको अपेक्षित मात्रा में पैराफिल मोम सप्लाई किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1980-81 मे देश में पैराफिल मोम की मांग और सप्लाई की क्या स्थिति रही है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) वर्ष 980 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को किया गया कुल आबंटन 5 ·,638 मी० टन था तथा उनके द्वारा किया गया उठान 44,010 मी० टन था। इसके अतिरिक्त 1980 के आबंटन की तुलना में 1443 मी० टन का विशेष आटवंन किया गया।

देश में इसकी मांग कहीं ज्यादा है।

चीनी मिलों के शेयर धारियों से प्राप्त शिकायतें

6702. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कम्पनी कार्य मन्त्री को विभिन्न चीनी मिलों के शेयरधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कुप्रबन्ध और धनराशी के दुरुपयोग के कारण कितनी चीनीलें मि रुग्ण हो गई हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कम्पनी कार्य विभाग में शिकायतों के उद्योगवार आकड़े एकत्रित करने की कोई पद्धति नहीं है। इस प्रकार की सूचना को मिलाकर एकत्रित करना भी व्यवहार्य बात न होगी विशेष कर इसलिए कि कुछ कम्पनियां विविध औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित अनेक उत्पादन कार्यो में लगी हुई हो सकती हैं। फिर कम्पनी कार्य विमाग/मूलतः कम्पनी अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित है।

(ग) कृषि मन्त्रालय का खाद्य विभाग जों चीनी मिलों से मुख्यतः सम्बन्धित है ने कहा कहा है कि उसने रुग्ण चीनी मिलों की कोई सूची तैयार नहीं की है और न ही उनके पास इस प्रकार की रुग्णता को तय करने के लिए कोई माप दण्ड है। चीनी मिलों के प्रबन्धकों उद्योगों (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिग्रहण के प्रस्ताव जब राज्य सरकार

से आते हैं तो उन पर विचार होता है। वर्तमान समय में निम्नलिखित चीनी मिलों का प्रबन्ध कुप्रबन्ध/धन को गैर मदों में लगाने के आधार पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 19 1 के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर लिया गया है।

1. श्री जानकी शुगर मिल्स कम्पनी दोइवाला—जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश)
2. श्री राम शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड दोब्बिली, जिला श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)
4. जौरा शुगर मिल्स लिमिटेड जौरा रतलाम (मध्य प्रदेश)
3. श्री राम शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड सीतानगरम् जिला श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)
5. सेठ गोविन्दराम शुगर मिल्स, मेहोनपुर रोड, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश)
6. मोतीपुर शुगर मिल्स फैक्ट्री लिमिटेड, मोतीपुर, जिला मुज्जफरपुर, बिहार

निम्नलिखित आठ चीनी मिलों का प्रबन्ध भी चीनी उपक्रम (प्रबन्ध का अधिग्रहण) अधिनियम 197 के अन्तर्गत निर्धारित तिथि पर चीनी का उत्पादन करन में उनकी असफलता या निर्धारित सीमा के अधिक गन्ने के दाम का बकाया रखने के कारण सरकार के पास है :—

1. अजुधिया शुगर मिल्स लिमिटेड, राजका साहसपुर जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
2. देवरिया शुगर मिल्स लिमिटेड देवरिया (उत्तर प्रदेश)
3. श्री सीताराम शुगर मिल्स लिमिटेड, बैतालपुर, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश)
4. कावेरी शुगर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, पेट्टाइवटलाई, जिला त्रिवि (तामिलनाडु)
5. राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, भास्कर जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
6. जीजामाता सहकारी शुगर कारखाना लिमिटेड, शंकर नगर दुसरविद, जिला बुलधाना (महाराष्ट्र)
7. श्री केशोरायपतन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, केशोरायपतन, जिला बून्दी (राजस्थान)
8. सेकसरिया शुगर मिल्स लिमिटेड, बभनान, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश

बंगाली कवियित्री के कार्यक्रम को कथित रद्द किया जाना

9703. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री बंगाली कवियित्री के कार्यक्रम के कथित रद्द किये जाने के बारे में 10 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले उक्त कार्यक्रम की विषय-वस्तु क्या थी ; और

(ख) दूरदर्शन प्राधिकारियों को तथा सरकार को क्या विशेष आपत्तियां थीं ?

सूचना प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दूरदर्शन केन्द्र के सामान्य साहित्यिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कविता पाठ।

(ख) लोक सभा चुनावों के ठीक पहले की अवधि के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बन्धित राजनीतिक हस्तियों को प्रतिबिम्बित न करने की नीति के कारण टेलीकास्ट को स्थगित कर दिया गया था।

बम्बई हाई से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक फ्रांसीसी फर्म की सेवायें लेना

6704. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री बम्बई हाई से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक फ्रांसीसी फर्म की सेवायें लिए जाने के बारे में 10 मार्च 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 2974 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांसीसी फर्म तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को परामर्श देने का काम जिस करार के आधार पर कर रही है, उसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी क्षेत्र करार के विस्तार की इस फर्म द्वारा की गई नई पेशकश का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अप्रैल, 1977 में तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा फ्रांस की सी० एफ० पी० के साथ बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र के सर्वोत्तम विकास के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को व्यापक परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किए गए चार समझोते के अन्तर्गत, सी० एफ० पी० ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आंकड़ों को प्राप्त करने, रिजर्वायर इंजीनियरिंग, प्रयोगशाला अध्ययनों, वैकल्पिक विकास योजनाओं तथा वृद्धिशील वसूली पद्धति में सहायता करनी थी। समझौते में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्रौद्योगिकी के हस्तांन्तरण की भी व्यवस्था थी। कार्य के श्रमिक वर्षों, कम्प्यूटर सेवाओं के प्रावधान, कार्यक्रम माडलों सहित साफ्टवेयर के स्थानान्तरण इत्यादि मामलों के आधार पर सी० एफ० पी० को देय परिश्रमिक का अनुमान 17.4 मि० अमेरिकी पौंड शुद्ध भारतीय करों सहित था।

(ख) और (ग) सी० एफ० पी० ने परिवर्धित कार्य क्षेत्र सहित इस समझौते को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कुछ स्तर से ऊपर उत्पादन होने पर तेल के रूप में परिश्रमिक तत्व सहित परिश्रमित के लिए कहा है। इस प्रस्ताव पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं सी० एफ० पी० में विचार विमर्श हो रहा है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

6705. श्री ज्योतिर्मय बसु)
श्री राम बिलास पासवान) : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जिनके ऊपर 19°0 के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के आरोप लगाये गये थे;

(ख) प्रत्येक सम्बद्ध कम्पनी के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप थे; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी—2328/81]

लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

6706. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान सभाओं और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का अगले साधारण निर्वाचन से पूर्व पुनरीक्षण किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उनका पुनरीक्षण कब तक किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के समय निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अधीन आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं । इस समय आयोग ऐसे निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र में विद्युत संयंत्र के लिए हरियाणा का प्रस्ताव

6707. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र की स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) हरियाणा द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई विद्युत उत्पादन परियोजनओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी जाती हैं :—

	परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट	अद्यतन् अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
	1	2	3	4
1.	यमुना नगर ताप विद्युत	4 × 210	रु० 285.56 करोड़	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई थी और उनकी टिप्पणियां हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को भेज दी गई थीं। कुछ पहलुओं पर बोर्ड के स्पष्टीकरणों और ब्यौरों की प्रतीक्षा हैं। इस परियोजना के लिए 1989-90 से कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है परन्तु इस कोयले की ढुलाई के बारे में सम्पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
2.	दांउदंपुर मिनी जल विद्युत परियोजना	4 × 1.5	रु० 7.47 करोड़	संशोधित परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1981 में प्राप्त हुई है और इसका तकनोकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जाना है।

संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीनम

6708. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिए अगले निर्वाचन कराने से पूर्व संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए उपबंध को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कब तक कर दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने लोक सभा और विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 1979-80 विषयक अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 (3) में ऐसा संशोधन किया जाय जिससे लोक सभा में तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं में विभिन्न राज्यों को आवंटित कुल स्थानों की संख्या को अपरिवर्तित रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सुकर बनाया जा सके। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को सुकर बनाने के लिए संविधान का संशोधन करना आवश्यक है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में विद्युतीकरण

6709. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में अभी तक पूरी तरह बिजली नहीं लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में पूरी तरह बिजली लगाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार छठी योजनाविधि के दौरान राजस्थान में पूरी तरह बिजली लगा देने का है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तैयार करने और और उन्हें कार्यान्वित करने का दायित्व राजस्थान राज्य सरकार/बिजली बोर्ड का है। राजस्थान समेत, देश शतप्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं, नए विद्युत केन्द्र स्थापित करना, मौजूदा विद्युत केन्द्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना और अधिक पारेषण और वितरण लाइनें बिछाना, निर्माण सामग्री आदि की कमी को यथासंभव दूर करना तथा वर्ष प्रति वर्ष ग्राम विद्युतीकरण के लिए परिव्यय में अभिवृद्धि करना। राजस्थान जैसे पिछले राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत उदार शर्तों पर राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यदि

अपेक्षित साधन उपलब्ध हुए तो आशा की जाती है कि राजस्थान में 1988-89 तक सभी गांव विद्युतीकरण हो जाएंगे ।

(ग) से (ङ) जी नहीं । ग्राम विद्युतीकरण की योजना समय-समय पर, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है, जैसे प्रत्येक राज्य में वित्तीय साधन, निर्माण सामग्री की उपलब्धता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड की संगठात्मक क्षमता, सम्बद्ध अवसंरचना सुविधाओं का विकास आदि ।

संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश

6710. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के महानगरीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित संसदीय और विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार निर्वाचन-क्षेत्रों के ऐसे परिसीमन को सुकर बनाने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्वाचन आयोग ने लोक सभा और विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 1979-80 विषयक अपनी रिपोर्ट में में यह सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 (3) में ऐसा संशोधन किया जाये जिससे लोक सभा में तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं में विभिन्न राज्यों को आबटित कुल स्थानों की संख्या को अपरिवर्तनीय रखते हुए प्रत्येक दस वार्षिक जनगणना के पश्चात् प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन किये जाने की पहली स्थिति को फिर से लागू किया जा सके ।

(ख) प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को सुकर बनाने के लिए संविधान का संशोधन करना आवश्यक है ।

भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध जांच

6711. श्री राम विलास पासवान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न विदेशी कम्पनियों (शाखाओं तथा सहायक) के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में भारतीय कम्पनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जांच की गई है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में पता लगाई गई, कम्पनी-वार तथा धारा-वार अनियमितताओं के ब्यौरे क्या हैं, और क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) विभिन्न विदेशी कम्पनियों (शाखाओं और सहायकों) के नामों का, जिनका कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण और धारा 237 के अन्तर्गत जो पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1.4.76 से प्रारम्भ होकर 31.3.81 तक की गई है और कम्पनी और धारानुसार अनियमितताओं के ब्यौरों तथा उन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में, विवरण, संलग्न विवरण-पत्र क्रमशः 1 और 2 में प्रस्तुत किया जाता है। [ग्रंथालय मे रखे गए । देखिए संख्या एल टी-2329/81]

सहायक केन्द्र निदेशक की पदोन्नति

6712. श्री रामायण राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री सहायक स्टेशन निदेशक की पदोन्नति तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की सहायक स्टेशन निदेशक के पदों पर नियुक्तियों के बारे में 16 दिसम्बर, 1980 के अताराकित प्रश्न संख्या क्रमशः 4125 तथा 4128 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों को सहायक स्टेशन निदेशक के रूप में पदोन्नत करने के क्या कारण हैं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तथा सहायक स्टेशन निदेशक के पदों के लिये की गई सीधी भर्ती में अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) इस सांस्कृतिक संगठन में भर्ती संबंधी नियमों को न बदलने के क्या कारण हैं जिससे कि विशेषज्ञों तथा स्पेशियलिस्टों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सके ?

(ग) क्या सरकार का विचार सहायक निदेशकों के स्थान पर वरिष्ठ प्रोड्यूसर नियुक्त करने का है और क्या सरकार सहायक स्टेशन निदेशकों की संख्या को कम करना चाहेगा

(घ) यदि हां, तो उक्त मन्शा कब फलीभूत होगी ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) :(क) और (ख) सहायक केन्द्र निदेशक के संवर्ग में पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों में 25%पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 75%पदों को उन कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है, में से पदोन्नति द्वारा करने की व्यवस्था है। उपरोक्त के कारण किसी कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के सीधे कोटे में आवेदन करो और आयोग द्वारा चुने न जाने किन्तु बाद में सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में पदोन्नत होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

यह पदोन्नति भी भर्ती नियमों के अनुसार और निर्धारित मानदंडों पर है। यह संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से किया जाता है। अपेक्षित अनुभव और योग्यताएं रखने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न संवर्गों के भर्ती नियमों को मार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाया जाता है और उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाता है। स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं नियमित कार्य सरकारी कर्मचारी नहीं। उनकी सेवा शर्तें और पदोन्नति के अवसर नियमति कर्मचारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति अवसरों से काफी भिन्न है।

(ग), से (ड.) सरकार को कतिपय श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति अवसरों के अभाव की जानकारी है और इस प्रयोजन के लिए, स्टाफ आर्टिस्टों के सवर्ग ढांचे की जांच करने तथा आवश्यक सिफारिशें करने के लिए एक संवर्ग पुनरीक्षण समिति गठित की गई है। जब भी सरकार को इसकी सिफारिशें प्राप्त होंगी उन पर समुचित रूप से विचार किया जायगा। सरकार द्वारा नियमित सरकारी कर्मचारियों के बारे में पहले नियुक्त की गई संवर्ग पुनरीक्षण समिति ने भी कतिपय श्रेणियों क स्टाफ आर्टिस्टों अर्थात् प्रोड्यूसरों और प्रोडक्शन असिस्टेंटों के बारे में कतिपय सिफारिशें की थी। सरकार को इस समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अभि लेना है।

मत्री महोदय की विदेश यात्रा के परिणाम

6713. **श्री जी० वाई कृष्णन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में अनेक देशों की अपनी यात्रा के दौरान अन्य बातों के साथ साथ तटदूर छिद्रण के लिए रिमों की सप्लाई गैस क्रैकर संयंत्र और सुरभित द्रव्य कम्पलेक्स की स्थापना तथा आयल इंडिया, जिस में बर्मा आयल कम्पनी के 50 प्रतिशत इंक्विटी शेयर हैं, के अधिग्रहण संबंधी लम्बे समय से विचाराधीन प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम का ब्योरा क्या है और उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) मैंने 25 जनवरी—7 फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान फ्रांस, इंगलैंड रोमानिया और इटली का दौरा किया था।

2. मैंने संबंधित सरकार से तेल अन्वेषण के क्षेत्र में उपकरणों की सप्लाई आदि के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया था। फ्रांस में मेरे ठहरने के दौरान उपग्रह संरचनाओं सहित बम्बई हाई का और विकास करने के संबंध में सी. एफ. पी.

(जो बम्बई हाई में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ पहले से ही सहयोग कर रहा है) के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अब सी. एफ. पी. के साथ विचार विमर्श कर रहा है।

3. भारत में पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना हेतु किसी देश से सहयोग प्राप्त करने के लिए इस यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। अतः इस संबंध में इन देशों को किसी प्रकार के प्रस्ताव नहीं दिए गए थे। तथापि जब इस विषय पर विचार विमर्श किया गया तो हमने विदेशी सहयोग में अपनी रुचि सूचित की थी। पेट्रो-रसायन समूहों की स्थापना में हमें सहयोग देने के लिए फ्रांस और इटली दोनों ने अपनी रुचि जाहिर की है सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए इटली के ई. एन. आइ. के अध्यक्ष को एक आमत्रण—पत्र भेजा गया है। सहयोग के क्षेत्रों पर बातचीत करने के लिए फ्रांस के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा भारत की यात्रा की आशा है।

4. अपनी बात चीत के दौरान मैंने ब्रिटिश सरकार को सूचित किया था कि आयल इंडिया को अधिग्रहण करने का मामला सक्रिय रूप से हमारे विचार में है।

प्रैस परिषद्ध द्वारा दोषी पाये गये समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के खिलाफ कार्यवाही

श्री अर्जुन सेठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन तथा अखबारी कागज का कोटा रद्द करने का है, जिन्हें प्रैस परिषद द्वारा दोषी पाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार इन दोषियों को दंड देने के लिये अन्य तरीको पर भी विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद से इस आशय का प्रस्ताव में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करना अन्तर्निहित है। यह बात विचाराधीन है कि क्या इस प्रकार का संशोधन किया भी जा सकता है।

किसानों के लिये फिल्मों का प्रदर्शन

6715. **श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन के साथ-साथ सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को कृषि की विकसित प्रणाली और कोटों द्वारा किये जाने वाले नुकसान से बचवाने के ढंग से संबधित फिल्मों को दिखाने की व्यवस्था करने का भी है।

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस संबध में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) विभिन्न विकासीय विषयों पर ग्रामीण; पिछड़े, आदिवासी और दूरवर्ती क्षेत्रों में फिल्में दिखाना क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की नियमित गतिविधियों में से एक है। इन फिल्मों में कृषि के उन्नत तरीकों, और फसलों को कीड़ों आदि मारा किए जाने वाले नुकसान से बचाने के ढंग से संबंधित फिल्में भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस विशिष्ट मद के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है, किन्तु इसको क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की सामान्य कार्यक्रम गतिविधियों में कवर किया जाता है।

नये रेडियो स्टेशन, स्टूडियो और विदेश प्रसारण के लिये शार्ट वव ट्रांसमीटर

6716. **निहाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में आल इंडिया रेडियो द्वारा कितने और किस-किस स्थान पर नये रेडियो स्टेशन, स्टूडियो और विदेश प्रसारण के लिये शार्टवव ट्रांसमीटर स्थापित किये जायेंगे ; और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85 के दौरान स्थापित किए जाने वाले और प्रस्तावित आकाशवाणी के नए रेडियो स्टेशनों, स्टूडियों और विदेश प्रसारश के लिए शार्ट वेव ट्रांसमीटरों की संख्या और उनके स्थान तथा प्रत्येक स्कीम की अनुमानित लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

उम्मीद है कि निर्माण कार्य चालू योजना अवधि के दौरान मुकम्मल हो जायेगा।

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान हाथ में ली जाने वाला ध्वनि प्रसारण योजनाएँ।

क्रम संख्या		योजना का नाम	स्थापित करने की लागत (लाख रुपये में)
1.		नये रडियो स्टेशन	
	1.	इटा नगर (अरुणाचल प्रदेश)	100.00
	2.	तूरा (मेघालय)	171.72
	3.	गंगाटोन (सिक्किम)	178.08
	4.	मदुरे (तमिलनाडू)	172.78

	5.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	148.76
	6.	जमोदपुर (बिहार)	109.36 .
	7.	6 स्थानों पर एक एक स्थानीय रेडियो स्टेशन (कोटा) (राजस्थान) दिफु (असम), किओनझर) (उड़ीसा) शोलापुर (महाराष्ट्र) आदिला बाद (आन्ध्र प्रदेश) और नागर कोइल (तमिलनाडु)	240.00
2.		स्थाई स्टुडियो :	
	1,	भापलपुर (बिहार)	65.72
	2.	कुडप्पा (आन्ध्र प्रदेश)	59.36
	3.	गुलबर्गा (कर्नाटक)	64.66
	4.	सांगली (महाराष्ट्र)	63.60
	5.	तिरुनेलवेली (तमिलनाडू)	60.42
	6.	जबलपुर(मध्य प्रदेश)	65.72
	7.	भद्रावली/शिमोगा (कर्नाटक)	65.72
3.		विदेश सेवाओं को समेकित और सुदृढ़ करना ।	
	1.	बंगलोर (कर्नाटक) - 500 कि० वा० शार्ट वेव के दो ट्रांसमीटर	1504.00
	2.	अलीगढ़ (उ० प्र०) 250 कि० वाट० शार्ट वेव के दो ट्रांसमीटर फेज-3	750.00

इंडो वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा निर्माण

6617. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डो वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड की इन्जीनियरिंग विकास द्वारा गत दो वर्षों में किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या इस विभाग द्वारा बनाई गई वस्तुओं का इस्तेमाल स्वयं कम्पनी का माल रखने के लिए किया गया अथवा फर्मों को बेचा गया ; और

(ग) गत दो वर्षों में इस फर्म द्वारा कितने मूल्य का निर्मित सामान बेचा गया।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान इन्डो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के इन्जीनियरिंग प्रभाग ने निम्नलिखित मदों का निर्माण किया था :—

1. इलेकट्रोनिक तापमान नियंत्रक
2. बाटलिंग संयंत्रों जैसी विशेष मशीनें
3. कायल मोल्डिंग प्रेस एक्सोप्लोसिव मशीनरी
4. क्रायोकन्टेनर्स

(ख) कम्पनी द्वारा निर्मित वस्तुओं को अन्य फर्मों को बेचा जाता है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा बेचे गए तैयार माल का मूल्य क्रमशः 97 लाख रुपये और 129 लाख रुपये है।

सौराष्ट्र में महुआ में प्राकृतिक गैस पर आधारित बिजली घर का स्थापित किया जाना

6718. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सौराष्ट्र में महुआ में प्राकृतिक गैस पर आधारित एक बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली घर की अधिष्ठापित तथा उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने भारत सरकार से उपरोक्त बिजली घर की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन : (क) से (घ) सौराष्ट्र में, महुआ में गैस पर आधारित 210-210 मेगावाट की दो यूनिटों वाले, ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए गुजरात बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी थी। जब तक कि गैस उपयोग उर्वरक जैसे उच्च मूल्य के उत्पादों के लिए किया जा सकता हो तब तक प्रायः गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किए जाने का समर्थन नहीं किया जाता। साथ ही, ताप्ती क्षेत्र का, जहां से विद्युत उत्पादन के लिए गैस के उपयोग की परिकल्पना की गई है, अभी पूर्ण रूप से मूल्यांकन होना है तथा उसे वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग लायक घोषित किया जाना है। इसलिए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना रिपोर्ट जुलाई, 1980 में गुजरात बिजली बोर्ड को लौटा दी गई थी।

इटली सरकार की एक फर्म का भारत में ताप संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

6719. श्री आर० पी० गायकवाड़)
श्री जनार्दन पुजारी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली सरकार की एक फर्म "अन्सालडो" ने भारत में 600 मेगावाट क्षमता का ताप संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है, और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हाँ ।

(ख) मैसर्ज अनासालडो से प्रस्ताव में कोयला खनन और विद्युत उत्पादन की एक समेकित परियोजना की स्थापना की परिकल्पना की गई है । इस सम्बन्ध में दो विकल्प सुझाए गये हैं । प्रथम विकल्प में 600 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के विद्युत केन्द्र की स्थापना की जाएगी तथा इस विद्युत केन्द्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला खनन का बिकास किया जाएगा । दूसरे विकल्प में, विद्युत केन्द्र की आवश्यकता से अधिक कोयले का उत्पादन करने का प्रस्ताव है तथा अधिशेष कोयले का परिष्कार करके उसे निर्यात करने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस मामलों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

आकाशवाणी के जरिये परिवार नियोजन के संदेश का जोरदार ढंग से प्रचार

6720. श्री भीखाभाई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, आकाशवाणी के माध्यम से परिवार कल्याण संदेश के प्रसारण अधिक करने के लिये स्टुडियों के और स्टुडियों के बाहर के कार्यक्रमों के रूप में अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई है,

(ख) वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में कितने परिवार कल्याण सेल खोले गये, और

(ग) आकाशवाणी में परिवार कल्याण सेलों के विस्तार के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) आकाशवाणी परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्व से पूरी तरह संजग है । आकाशवाणी केन्द्र परिवार कल्याण के सदेश को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम की वार्ताओं, गोष्ठियों, संवादों, नेट वार्ताओं आदि के रूप मे नियमित रूप से प्रसारित करते हैं । ये कार्यक्रम स्टूडियो आधारित और क्षेत्र आधारित दोनों प्रकार के होते हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान परिवार कल्याण के बारे में प्रसारित किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	
	क्षेत्र आधारित	स्टूडियो आधारिक
1976	3.286	45.551
1977	1.958	21.500
1978	3.416	33.367
1979	3.829	51.574
1980	3.610	58 879

(ख) 1970 के बाद आकाशवाणी केन्द्रों में परिवार कल्याण सेलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) भुज, धारवाड़ इन्दौर, जम्मू, कुर्सियांग, पटना, पांडचेरी, पुणे, राजकोर्ट, रोहतक, शिलांग, तिरूचिरापल्ला और विजयवाड़ा में स्थिति 14 परिवार कल्याण सेलों (जिनमें इस समय केवल एक एक फीलड रिपोर्टर ही है) को पूर्णरूपेण परिवार कल्याण सेलों (प्रत्येक में एक विस्तार अधिकारी, एक फील्ड रिपोर्टर और एक सह सम्पादक स्क्रिप्ट के साथ) में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर तथा परिवार कल्याण अभियान को और तेज करने के लिये आकाशवाणी के कुछ और केन्द्रों में एक एक फील्ड रिपोर्टर रखने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है। आकाशवाणी परिवार के 22 केन्द्रों पर पहले ही पूर्णरूपेण कल्याण यूनिटें हैं।

आदिवासी कलाकारों को नैमित्तिक आधार पर लगाया जाना

6721. श्री भीखाभाई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैमित्तिक आधार पर बुक किये गये आदिवासी कलाकारों वार्ताकारों कार्यक्रमों के भाग लेने वालों नाटक ध्वनियों तथा उद्घोषकों (अनाउंसरों) की संख्या तथा प्रतिशतता क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि आदिवासी लोग नितान्त आदिवासी जिलों में भी आदिवासी नृत्य तण वार्ता में संदेश उद्घोषणाओं तक के लिये तैयार नहीं हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो आदिवासी कलाकारों का नियुक्ति में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बम एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी नैमित्तिक कलाकारों के बारे में इस प्रकार की सूचना नहीं रखता जिसमें वह दर्शाया गया हो कि व्यक्ति आदिवासी जन संख्या से सम्बन्धित है या नहीं। इसलिए नैमित्तिक आधार पर बुक किए गए आदिवासी कलाकारों वार्ताकारों कार्यक्रमों में भाग लेने वालों नाटक ध्वनियों तथा उद्घोषकों की संख्या तथा प्रतिशतता के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जिन केन्द्रों के सेवा क्षेत्र में मिश्रित जनसंख्या होती है वे हमेशा आदिवासी लोक कथाओं, वार्ताओं और सन्देशों आदि को प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या से सम्बन्धित अधिकाधिक लोगों को लाने की खोज में रहते हैं। यह उनकी उपलब्धता, ज्ञान और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए उनकी उपयुक्तता पर निर्भर करता है। अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, कोहिमा, जगदलपुर, अम्बिकापुर, आदि जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न आदिवासी समूहों के लिए कार्यक्रम अधिकांशतया आदिवासियों के द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र में बागडी के लिए विशेष "सैल"

6722. **श्री भीखा भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग बागड़ी बोलते हैं;

(ख) क्या सरकार को आकाशवाणी जयपुर में 'बागड़ी' के लिए 'सैल" आरम्भ करने के लिये किसी संगठन/व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की पूरे ब्यौरेवार जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। इन क्षेत्रों मे कुछ लोग बागड़ी बोलते है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार ने मामले की जांच की है। क्योंकि उन क्षेत्रों, जिनमें बागड़ी बोलने वाले लोग रहते हैं, को आकाशवाणी, जयपुर द्वारा कवर नही किया जाता, अतः आकाशवाणी, जयपुर में "बागड़ी" के लिए सैल शुरू करने का औचित्य नहीं है।

कम्पयूटराइस्ड फरमेंटर का खरीदा जाना

6723. **श्री आर० के० महालगी :** पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीवायटिक्स लिमिटेड (पिम्परी- पुणे, महाराष्ट्र) ने विदेश से काफी कीमत पर पूरी तरह कम्पयूटराइस्ट फरमेंटर खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में उसे कब चालू किया गया था और प्रत्येक माह इस "फरमेंटर" में कितने बेच तैयार किये जाते है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स में बल्क औषधियों के निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करने में यह उपयोगी सिद्ध हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो किस बल्क औषधि में;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने अनुसंधान और विकास प्लांट के एक भाग के रूप में 300 लिटर क्षमता का पूर्ण स्वचालित फर्मेन्टर 16.5 लाख रुपये की लागत से निम्नलिखित की देख रेख करने के लिए खरीदा है।

1. तापमान नियंत्रण और अभिलेखा,
2. पी० एच० नियंत्रण और अभिलेखा,
3. आक्सीजन नियंत्रण,
4. स्वतः स्टेरलाइजेशन।

स्थल पर फर्मेन्टर 27 सितम्बर, 1980 को प्राप्त हुआ और 25 अक्टूबर 1980 को इसे स्थापित किया गया था। 25-10-80 से 1-1-81 तक स्वीटन के मैसर्स इलेक्ट्रोलक्स के इजीनियरों और उसके भारतीय एजेन्ट मैसर्स सोको, बम्बई की उपस्थिति में परिक्षण चालान किए गए थे।

परीक्षण चालन के दौरान, पेनिसिलन की एक खेक निकाली गई। पूरे चालन के दौरान स्टेरिलिटी संतोषप्रद रही किन्तु प्रक्रिया के सुधार के लिए पालट के प्लांट के और परीक्षण की आवश्यकता है।

उड़ीसा द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

6724. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मध्य प्रदेश को 5 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का वचन दिया है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने मध्य प्रदेअ को 24 सितम्बर, 1979 से बिजली की सप्लाई बन्द कर दी थी;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेथ को अब तक बिजली की सप्लाई पुनः आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उड़ीसा सरकार मध्य प्रदेश को दिये गये वचन का पालन करे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यह सच है कि उड़ीसा सरकार मध्य प्रदेश को 5 मेगावाट विद्युत की सप्लाई करने को सहमत हुई है।

(ख) और (ग) यह सच है कि विद्युत की सप्लाई 24-9-79 से बन्द कर दी गई थी। जून, 1980 के अन्त में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने के बाद उड़ीसा सरकार ने विद्युत की सप्लाई चालू नहीं की क्योंकि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने लगभग 32 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

(घ) चूंकि उड़ीसा से मध्य प्रदेश को विद्युत की सप्लाई राज्य सरकारों के बीच हुए द्वीपक्षीय समझौते के अनुसार की गई थी, इस मामले का हल सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

मध्य प्रदेश द्वारा पेंच तापीय विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली के प्रमुख अंश के आबंटन की मांग

6725. श्री दिलीप सिंह भूरिया)
श्री सुन्दर शर्मा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से मांग की है कि वह पेंच तापीय विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का प्रमुख अंश उसी राज्य को आबंटित करे;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह मांग की है कि इस परियोजना में केवल उसी राज्य के निवासियों को नियुक्त किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य की दृष्टि से कि इस परियोजना को राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अक्तूबर, 1980 में राज्य सरकार और केन्द्र के प्रतिनिधियों के बीच जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था उन मुद्दों में, पेंच में प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र से संबंधित मुद्दों में ये सुझाव भी थे। उस समय इस बात पर सहमति हुई थी कि केन्द्रीय सेक्टर के क्षेत्रीय ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत का आबंटन इन परियोजनाओं के संबंध में सरकार की समग्र नीति के अनुसार ही होगा और यह आबंटन नीति एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भिन्न नहीं हो सकती। इसी प्रकार इस बाबत भी सहमति हुई थी कि रोजगार संबंधी मामलों पर विचार केन्द्रीय स्वामित्व के क्षेत्रीय सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के संदर्भ में करना आवश्यक होगा। तथा इस मामले में सरकार की नीति सभी राज्यों पर समान रूप से लागू करनी होगी।

मध्य प्रदेश में बांगो तथा टोंस पन बिजली परियोजनायें

6726. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ब्रांगों पन बिजली परियोजना के लिए 3 × 105 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता का प्रस्ताव करते हुए परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजना प्रतिवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी, हां । हसदेव ब्रांगों बहुउद्देश्यीय परियोजना (13 × 40 मेगावाट) के विद्युत से संबंधित भाग की 40.80 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना रिपोर्ट गई, 1980 में प्राप्त हुई थी । इसकी जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की गई है और परियोजना के आयोजना और डिजाइन के पहलुओं के बारे में कुछ स्पष्टीकरण/अतिरिक्त अध्ययन भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए अध्ययनों पर, हाल ही में, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी के पहलुओं को शामिल करते हुए संशोधित समेकित परियोजना रिपोर्ट की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतिक्षा है ।

टोंस जल विद्युत परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1980 में प्राप्त हुई थी । इसमें 390 मेगावाट (3 × 105 + 2 + 15 + 3 × 15 मेगावाट) की प्रतिष्ठापन की परिकल्पना की गई है और इसकी लागत 195.82 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । बाद में, परियोजना प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग के साथ विचार-विमर्श किया था । परियोजना के डिजाइन के पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर कुछ स्पष्टीकरण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने हैं ।

इन स्कीमों की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद ये स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाएंगी ।

बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये लम्बी तथा छोटी अवधि की योजनायें

6727. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि और ऊर्जा सप्लाई में अनिश्चितता को देखते हुए, सरकार का विचार तापीय विद्युत पर अधिक निर्भर रहने का है;

(ख) देश के विभिन्न भागों में तापीय बिजली ऊर्जा संबंधी क्षमता कितनी है और इस समय इसका कितना उपयोग हो रहा है;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों तथा उसके संचार एवं नितरण सुविधाओं हेतु आवश्यक प्रमुख आदानों, यथा इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट तथा विस्फोटक पदार्थों के लिए कोई कम अवधि की/लम्बी अवधि की योजनायें तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी योजना तैयार करने के संबंध मे योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत पर कार्यकारी दल ने छठी पंचवर्षीय योजया के लिए विद्युत विकास के एक कार्यक्रम की सिफारिश की थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संदर्शी कार्यक्रम तैयार किया था । कार्यकारी दल ने जल विद्युत का विकास तीव्र गति से किए जाने के महत्व पर जोर दिया था और जल विद्युत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दिये जाने की सिफारिश की थी । यद्यपि निर्माणाधीन और स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं से छठी योजना अवधि के दौरान जो लाभ प्राप्त होंगे, वे 19666 मेगावाट की कुल अतिरिक्त क्षमता में से 4768 मेगावाट के लगभग ही होंगे तथापि विद्युत पर कार्यकारी दल ने सातवी योजना के दौरान अधिकतम व्यवहार्य जल विद्युत विकास की सिफारिश की है और सातवी योजना अवधि के दौरान परिकल्पित लगभग 28,000 मेगावाट की कुल अतिरिक्त क्षमता में से जल विद्युत सयत्रों से लगभग 15,000 मेगावाट के संभाव्य योगदान की परिकल्पना की है ।

(ख) देश की जल विद्युत शक्यता पहले 60% भार अनुपात पर 42 मिलियन किलोवाट (25.2 मिलियन किलोवाट सतत्) आँकी गई थी । तथापि इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में किए जा रहे संशोधित अध्ययनों पर आधारित प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार, देश की जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर 75 मिलियन किलोवाट (45 मिलियन किलोवाट सतत) आंकी गई है । उपरोक्त शक्यता का क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा इसका वर्तमान समुपयोजन निम्नानुसार है :—

क्षेत्र	जल विद्युत शक्यता	विकसित शक्यता
		(मिलियन किलोवाट सतय)
उत्तरी क्षेत्र	16.8	1.62
पश्चिमी क्षेत्र	4.2	0.62
दक्षिणी क्षेत्र	7.8	2.33
पूर्वी क्षेत्र	4.3	0.35
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	12.1	0.04
जोड़	45.2	5.07

(ग) और (घ) विद्युत पर कार्यकारी दल द्वारा इस्पात और अल्यूमिनियम की आवश्यकता के संबंध में किए गए मूल्यांकन के आधार पर और सीमेन्ट के संबंध में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर छठी योजना के दौरान इन निवेशों की आवश्यकता का अनुमान निम्नानुसार लगाया गया है :—

वर्ष	इस्पात	अल्यूमिनियम	सीमेंट
		(लाख टनों में)	
1980-81	12.00	2.00	36.5
1981-82	14,00	2.28	37.1
1982-82	20.00	2.41	38.1
1983-84	22.50	2.47	38.6
1984-85	27.00	2.50	27.4

गैस के नये कनेक्शन दिया जाना

6728. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मार्च, 1981 से गैस के नये कनेक्शन रिलीज करेगी; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में प्रत्येक गैस एजेंन्सी के कितने आवेदकों को कनेक्शन मिल जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल कम्पनियों की नामांकन योजना के अनुसार, 1982 के अन्त तक केन्द्रीय शासित दिल्ली में कुल लगभग 99,000 घरेलू गैस के कनेक्शन जारी किए जाने की सम्भावना है । एजेंसी-वार ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

रोहडू, शिमला में पेट्रोल पम्प की मंजूरी

6729. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में रोहडू स्थान पर पेट्रोल पम्प खोलने हेतु कुछ भूतपूर्व सैनिकों और हरिजनों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) रोहड़ू के लिए अब तक पेट्रोल पम्प मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं और अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) रिटेल आउटलेट डीलर शिपें (पेट्रोल/डीजल पम्प) संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा प्रदान की जाती हैं सरकार द्वारा नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में रोहड़ू स्थान पर फुटकर विक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पम्प) खोलने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के उत्तर में भूतपूर्व सैनिकों से 4 आवेदन पत्र और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से 3 आवेदन पत्र प्राप्त होने की सूचना मिली थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1980 में अनुसूचित जाति श्रेणी के एक व्यक्ति को एक आशय पत्र जारी किया गया है। तथापि चुने गये डीलर को बिक्री केन्द्र के लिए अभी एक उपयुक्त स्थल का प्रबन्ध करना है।

6730. श्री मधु दण्डवते : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (एक) परिवहन (दो) उद्योगों (तीन) कृषि (चार) विद्युत उत्पादन (पांच) घरेलू उपयोग और (छः) विविध प्रयोजनों से संबधित तेल की औसत वार्षिक खपत कितनी-कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : वर्ष 1978 में किये गये कुछ अध्ययनों के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार खपत मोटे तौर पर प्रकार है :-

यातायात	33%
उद्योग	28%
कृषि	10%
विद्युत उत्पादन	7%
घरेलू उत्पादन	14%
अन्य विविध प्रयोग	8%

वर्ष 1980-81 में समस्त पेट्रोलियम उत्पादों की देश में कुल खपत 30.7 मि० मी० टन थी।

दिल्ली दूरदर्शन में कार्य कर रहे कर्मचारी

6731. श्री राम बिहारी बहेरा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) कितने रिक्त पदों को भरा जाना है; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब भरा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 511 (218 स्टाफ आर्टिस्टों सहित)।

(ख) 58 (28 स्टाफ आर्टिस्टों सहित)।

(ग) पदों को भर्ती नियमों के अनुसार भरने की कार्रवाई चल रही है। रिक्त पदों को अति शीघ्र भर लिये जाने की सम्भावना है।

दिल्ली दूरदर्शन पर उड़ीया नृत्य, उड़ीया फिल्मों का दिखाया जाना

6732. **श्री रासबिहारी बहेरा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली दूरदर्शन पर उड़ीया नाटक, उड़ीया नृत्य तथा उड़ीया फिल्मों का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं होता; और

(ख) दूरदर्शन पर भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक छवि प्रस्तुत करने वाली फिल्मों का एक तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं वर्ष 1980 के दौरान दिल्ली से टेलीकास्ट की गई 50 नृत्य मदों में से 12 ओड़ीसी नृत्य की थी। इसी प्रकार उस वर्ष के दौरान टेलीकास्ट की गई 28 फीचर फिल्मों में से 2 उड़िया फिल्में थी।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेंज पर रख दिया जायेगा।

कपड़ा उद्योग पर कोयले के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

6733. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता हैं कि कोयले के मूल्यों में 20 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बृद्धि के सरकार के नवीनतम निर्णय से कपड़ा उद्योग की लागत और बढ़ जाएगी जो पहले से ही कपास, ईंधन, तेल, बिजली प्रभार, रंगाई, रसायन तथा मिल में भंडारण के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न हुई लागत में वृद्धि के कारण भारी दबाव से त्रस्त है ; और

(ख) यदि हां, तो कपड़ा उद्योग द्वारा कोयले की कुल कितनी वार्षिक खपत की जाती है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयले की कीमतों में हाल ही में किए गए संशोधन से वस्त उद्योग की उत्पादन लागत में किसी सीमा तक वृद्धि हो सकती है।

(ख) वस्त्र उद्योग का कोयले का वार्षिक उपभोश लगभग 2.25 मिलियन टन है।

"बायलर्स टरबो-जनरेटर्स फोर नेवेली कान्ट्रेक्ट इत्युड्स बी० एच० इ० एल०"
शीर्षक से समाचार

6735. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क, क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1981 के "इकानामिक टाइम्स" में "बायलर्स टरबो-जनरेटर्स फोर नेवेली कान्ट्रेक्ट इत्युड्स बी० एच० ई० एल० शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन ने स्टीम जेनरेटरों और टर्बो जेनरेटरों की खरीद के लिये निर्धारित क्रियाविधि का पालन करने और सभी प्राप्त प्रस्तावों अर्थात "बिडों" का समुचित तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन कर लेने के बाद ही सबसे कम कीमत पर उनका आयात करने के लिये क्रय आदेश दिये हैं । क्रय आदेश भारत हैवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड को नहीं दिये जा सके क्योंकि उनका प्रस्ताव तकनीकी-अर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक लाभदायक नहीं था और टर्बो जेनरेटरों के संबंध में जो अंतर निकाला गया था वह 40 करोड़ रुपये से भी अधिक था ।

कच्चे तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

6736. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या पेट्रोलियम, रसायण और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोलियम तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा उस के लिए कितनी राशि अदा की गई और किन देशों से एवं किस कीमत पर आयात किए गए;

(ख) उपोक्त अवधि के दौरान देश में कच्चे तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ , और

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान देश में खपत के लिए प्रत्येक उक्त उत्पाद की आवश्यक्ता के अनुमान-क्या हैं और इस अवधि में देश में कितनी मात्रा का उत्पादन होगा तथा कितनी मात्रा में अन्य देशों से आयात किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री : (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) चालू वर्ष सहित पांच वर्षों के दौरान संशोधित तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों को आयात की गयी मात्रा एवं उसके मूल्य निम्नप्रकार से है :—

वर्ष	अशोधित तेल		पेट्रोलियम उत्पाद	
	मात्रा (मि० मी० टनों में)	मूल्य (करोड़ रु० में)	मात्रा (मि० मी० टनों में	मूल्य (करोड़ रु० में
1976	13.9	1145.6	2.29	219.7
1977	14.5	1258.9	2.66	273.0
1978	14.9	1243.9	3.92	414.1
1979*	15.4	1786.8	3.93	705.7
1980*	16.0	3826.7	6.42	1708.3

*अस्थायी

इस बारे में और ब्यौरा देना जनहित में न होगा।

(ख) वर्ष 1976 से 1980 के दौरान देश में अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	अशोधित तेल (मि० मी० टनों में)	पेट्रोलियम उत्पाद (मि० मी० टनों में)
1976	8.7	21.2
1977	10.2	22.8
1978	11.3	23.9
1979	12.8	26.4
1980	9.4	2[illegible].6

(ग) 1980-81 से 1984-85 के दौरान अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित उपभोग, अनुमानित घरेलू उत्पादन तथा आयात द्वारा पूरी की जाने वाली कमी नीचे दर्शायी गई है :

अशोधित तेल	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
शोधनशाला थपुट	25.91	31.10	35.30	3[illegible].40	42.90
देशी उत्पादन	10.2	16.9	20.5	21.00	21.30
आयात (समुद्र मार्ग में होने वाली हानि सहित)	16.97	14.50	15.20	14.50	21.70

पेट्रोलियम उत्पाद					
उपभोग	30.97	34.80	38.10	40.90	43.60
घरेलू उत्पादन	24.26	28.90	32.40	32.40	39.90
आयात	7.08	5.90	5.70	8.50	3.70

इस अवस्था में उत्पाद वार ब्यौरे देना संभव नहीं है ।

बस्तर जिले में स्थानीय बोली के वृत्तचित्रों का दिखाया जाना

6737. **श्री बी० श्रार० नहाटा :** क्या सूचना श्रौर प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा कि : मध्यप्रदेश में बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थानीय बोली के वृत्तचित्रों को दिखाए जाने सम्बन्धी योजना के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है जिससे कि उस क्षेत्र में खर्च की जा रही सरकारी धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग हो सकें ?

सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : जबकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों विशेष कर मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में, स्थानीय बोली की डाकुमेंट्री फिल्में प्रदर्शित करने की कोई विशिस्ट योजना नहीं है, फिल्म प्रभाग की छठी "योजना" अवधि के दौरान ग्रामोन्मूखी 16 मिलीमीटर की फिल्में बनाने के लिए दो प्रोदेशिक केन्द्र स्थापित करने की एक योजनागत स्कीम है । ये केन्द्र, अन्य फिल्मों के साथ-साथ, संबंन्धित क्षेत्रों की ग्रामीण और आदिवासी बोलियों में भी फिल्में बनाएंगे ।

उड़ीसा द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

6738. **श्री बी० श्रार० नहाटा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मध्य प्रदेश को 5 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त बिजली सप्लाई की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यह सही है कि उड़ीसा सरकार मध्यप्रदेश को 5 मेगावाट विद्युत की सप्लाई करने को सहमत हो गयी है ।

(ख) जी, नहीं । विद्युत की सप्लाई 24-9-79 से बन्द कर दी गई थी । जून, 1980 के अन्त में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने के बाद, उड़ीसा सरकार ने विद्युत की सप्लाई चालू नहीं की थी क्योंकि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने लगभग 32 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ।

(ग) चूंकि उड़ीसा से मध्य प्रदेश को विद्युत की सप्लाई राज्य सरकारों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार की गई थी, अतः इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं हल कर लिया जाएगा।

हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स के बारे में कम्पनी विधि बोर्ड के विरुद्ध आरोप

6739. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1981 के कलकत्ता के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "थापरस कुइट पिलकिंगटन" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस लेख में यह आरोप लगाया गया है कि कम्पनी विधि बोर्ड ने पुनर्निर्माण योजना सम्बन्धी थापर के आवेदन को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) क्या उक्त समाचार पत्र के इस सुझाव में कोई सच्चाई है कि सरकार हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स में पुनः काम शुरू किये जाने की इच्छुक नहीं है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) ये आरोप कि कम्पनी कार्य विभाग ने थापर के आवेदन-पत्र को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया है, पूर्णरूप से अयथार्थ हैं। मै० बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज का मै० हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स के हिस्सों की खरीद के लिये, किये गये प्रस्ताव पर, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, दोनों के दृष्टिकोणों से विचार अपेक्षित था। इसे प्राकृतिक रूप से कुछ समय की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें अतः विभागीय परामर्श किये जाने थे। यह प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन थी, जबकि मै० बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज ने ही दिनांक 17-2-1981 को अपना आवेदन-पत्र वापिस ले लिया।

(ग) नहीं, श्रीमन् जी।

धनबाद के कोयला क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की खपत में वृद्धि

6740. **श्री ए० के० राय :** क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के कोयला क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की खपत में भारी वृद्धि हुई है यदि हां तो गत पांच वर्षों में तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं,

(ख) क्या डीजल और पेट्रोल की अधिकांश खपत सडक परिवहन में है जहां कोयला और रेल लाइने दोनों हैं ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार कोयला क्षेत्र में यात्री और माल यातायात में वृद्धि करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करने का है ताकि पेट्रोल की बचत हो सके ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बिहार के धनबाद जिले में कई वर्षों से हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तथा पेट्रोल की खपत में वृद्धि होती रही है। वर्ष 77, 73, 78,79 और 1979-80 के दौरान एच० एस० डी० और पेट्रोल की लगभग खपत निम्नप्रकार रही :—

(आकड़े हजार मी० टनों में)

वर्ष	पेट्रोल	हाई स्पीड डीजल
1977-78	10.5	52.4
1978-76	11.3	50.7
1979-80	11.7	59.4

पूर्व वर्षों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) धनबाद क्षेत्र से विशेष रूप से ट्रकों द्वारा कोयला ढोने वाला सड़क परिवहन पर्याप्त मात्रा में अधिक है। सड़क परिवहन के अतिरिक्त डीजल का उपयोग कोयला वाले क्षेत्रों में पानी के पंम्प इंजिनों तथा बिजली के उत्पादन में किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। अभी हाल के महीनों में रेल द्वारा माल के यातायात में हुए कुल सुधारों के साथ ऐसी आशा की जाती है कि सड़क द्वारा कोयले के परिवहन की आवश्यकता कम हो जाएगी।

कोलामाइन्स लेबर बेलफेयर वर्क्स एसोसिएशन से ज्ञापन

6741. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कोलमाइन्स लेबर वेलफेयर वर्कर्स एसोसिएशन की काफी समय से न्यायोचित शिकायतों के बारे में दिनांक 11 जुलाई, 1980 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्योरा क्या है और उनका समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिनांक 11 जुलाई, 1980 का एक ज्ञापन माइन्स वेल्फेयर वर्कर्स ऐशोसिएशन, धनबाद से प्राप्त हुआ है।

(ख) ऐशोसिएशन से कोयला खान कल्याण संगठन का कोल इंडिया लि० में विलय किए जाने की दशा में कुछ मांगे रखी हैं। ऐशोसिएशन को सूचित किया गया है कि इन मांगो पर उनके

साथ यथा समय चर्चा की जाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि कोयला खान कल्याण संगठन का कोल इंडिया लि० में विलय करने के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

उर्वरक एककों के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति

6742. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय कार्यवाही समिति में उर्वरक एककों में "संगठनात्मक अन्तराल" के बारे में बताया है और उनको उत्पादन बढ़ाने योग्य बनाने के लिये वस्तु-सूची नियंत्रण हेतु तत्काल वैज्ञानिक उपाय लागू करने का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में मामले में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) क्या इस समिति ने पानीपत और भटिंडा एककों के लिये रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने का भी सुझाव दिया है, यदि हां, तो ये संयंत्र लगाने और इन एककों में इस्टतम उत्पादन सुनिश्चित करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में उर्वरक क्षेत्र के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र के उर्वरक प्लांटों के कार्यकरण के विभिन्न पहलू शामिल हैं। इनमें संचालन, वित्तीय, विपणन, कार्मिक, वस्तु सूची नियंत्रण और अन्य संबंधित मामले शामिल हैं। सरकार उक्त रिपोर्ट की पूरी जांच करने के बाद उपयुक्त कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखती है।

(ग) समिति ने पानीपत उर्वरक संयंत्र के लिये एक कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने का सुझाव दिया है। इस सिफारिश पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रोडक्शन असिस्टेंट की पदोन्नति नीति

6743. **श्री कृष्ण चन्द पांडे :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत 15 वर्षों में आकाशवाणी में कितने प्रोडक्शन असिस्टेंन्टों की पदोन्नति असिस्टेंट या प्रोडयूसर के पदो पर की गई है; और

(ख) आकाशवाणी में सरकार को पदोन्नति-नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) वांछित सूचना तुरत उपलब्ध नहीं है। आकाशवाणी के अब 85 केन्द्र हैं जो देश भर में फैले हुए हैं।

इन सभी केन्द्रों मे प्रोडक्शन असिस्टेंटो की पदोन्नति के बारे में सूचना एकत्रित करना और वह भी गत 15 वर्षों के बारे में, एक विशाल और समय लेने वाला कार्य होगा जो अन्तर्निहित प्रयास के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) जहां तक आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति नीति का सम्बन्ध है, यह विभिण्न पदों के भर्ती नियमों में सुनिश्चित है। सभी पदोन्नतियां सर्वथा इन नियमों के अनुसार की जाती हैं।

उत्तर राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों की बैठक

6744. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या उत्तर राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों की एक बैठक 12 मार्च को ऊर्जा की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए हुई थी; ,

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन राज्यों ने भाग लिया था ;

(ग) क्या उसमें ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो बैठक में इस बारे में लिए गये निर्णय का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों ने भाग लिया था।

(ग) उपरोक्त बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था :—

(1) प्रत्येक राज्य तथा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति तथा उत्पादन को अधिकतम करने के उपाय।

(2) क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने के बारे में प्रगति।

(3) विद्युत कटौतियां, तथा उनके प्रभावों को कम करने के लिए प्रयास।

(4) ग्राम विद्युतीकरण।

(घ) सम्मेलन में विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था तथा क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की योजना को अन्तिम रूप दिया गया था। जिन पद्धतियों से परियोजनाओं को समय पर चालू किया जा सकता है, उन पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया था। अतिरिक्त पूर्जों और कोयले की सप्लाई में समन्वय की समस्याओं पर तथा रेलवे वैगनों की उपलब्धता पर भी विचार-विमर्श किया गया था तथा परस्पर सहमत उपायों पर निर्णय लिया

गया था। राज्यों में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों में सुधार तथा नवीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षाभी की गई थी तथा इन संबंध में प्रगति सामान्यतः संतोषजनक थी।

100 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए दिल्ली में एक नये बिजली घर की स्थापना

6745. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 100 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए दिल्ली में एक नया बिजली घर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विकल्प देते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पन-बिजली योजनाओं में विदेशी सहयोग

6746. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पन-बिजली के उत्पादन में विदेशियों के साथ भागीदारी करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार इस बारे में किन-किन देशों के साथ बातचीत कर रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) इस देश के जल विद्युत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई विदेशी कम्पनियों ने आम रुचि दिखाई है. तथापि, केवल एक विशिष्ट प्रस्ताव कनाडा की एक प्रमुख इंजीनियरी परामर्शदात्री फर्म, मैसर्स सर्वेयर, नेनीगर एण्ड शेनेवर्ट इनकारपोरेटेड (एस० एन० सी०) से, जिसे केरल में इडुक्की बांध के कार्यान्वयन में लगे होने के कारण भारत में कार्य करने का लम्बा अनुभव है, प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव विशेषज्ञों को भेजने के लिए केनेडियन इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी (सी० आई० डी० ए०) के माध्यम से 2,50,000 केनेडियन डालर के अनुदान का है। मेसर्स एस० एन० सी० ने हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना के अन्वेषणों में सहायता देने का प्रस्ताव किया है। उन्हें उम्मीद है कि यहां वे 8 से 10 महीने की अवधि में कार्य पूरा कर लेंगे। इस अवधि के अन्त में मैसर्स एस० एन० सी० तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम संयुक्त रूप से (क) एक क्षेत्र अन्वेषण रिपोर्ट (ख) व्यवहार्यता रिपोर्ट (ग) परियोजना के अनन्तिम अनुमान तथा (घ) परियोजना की निर्माण

योजना प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि सामान्यतः इन अन्वेषणों में लगभग 24 से 36 महीने का समय लगाना चाहिए था, उम्मीद है कि विदेशी विशेषज्ञों के शामिल होने से यह कार्य 8 से 10 महीने में पूरा हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप बहुमूल्य समय और मुद्रा की बचत होगी। हमारे देश को होने वाले सुनिश्चित लाभ को, मैसर्स एस० एन० सी० के सुनिश्चित अनुभव को तथा विदेशी विशेषज्ञों हेतु विदेशी मुद्रा संबंधी कोई दायित्व वस्तुतः न होने की बात को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परियोजना के अन्वेषण कार्य में उनके सहयोग के लिए वित्त मंत्रालय से परामर्श करके अनुमोदन दे दिया गया है।

असम में मिट्टी के तेल की उपलब्धता

6747. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में विशेषकर वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी बनी हुई है और परीक्षाओं का समय होने के कारण लोगों को बाध्य होकर चार रु० से आठ रु० प्रति लीटर तक मूल्य पर तेल खरीदना पड़ता है, और

(ख) असम में मिट्टी के तेल की उपलब्धता स्थिति में सुधार लाने के लिए भारतीय तेल निगम (विपणन डिबिजन) का बिचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) असम शोधनशालाओं के बीच में बन्द हो जाने के कारण तथा असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों और संचीय क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के परिवहन में कठिनाइयां आने के कारण वर्ष 1980-81 के दौरान मिट्टी के तेल की कमी अनुभव की गई। आशा है बोगाईगांव शोधनशाला से मिट्टी का तेल शीघ्र मिलना शुरू हो जायेगा। तेल कम्पनियों को भी यह कहा गया है कि वे असम क्षेत्रों को भी बाहर के क्षेत्रों से मिट्टी के तेल के लदान अधिकतम करें। तेल समन्वय समिति इस स्थिति पर निगरानी रखे हुए है।

धाली गांव, असम में पालिएस्टर फाईवर एकक की स्थापना किया जाना

6748. क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि बोगांईगांव रिफाइनरी तथा पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड का विचार धाली गॉव (बोंगाईगांव) में पोलियस्टर फाईबर संयत्र की स्थापना करने का है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या तकनीकी जानकारी के लिये तथा इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये तकनीक परामर्शदात्री सेवाएं हेतु विदेशी सहयोग को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के औद्योगिक विकास के लिए हथकरघों तथा विद्युत चालित करघों द्वारा यार्न की खपत स्वयं असम में करने तथा उसे असम से बाहर न भेजने के लिए संदर्शी आयोजना की गई है ; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, संयंत्र की क्षमता प्रति वर्ष 30,000 मी० टन हैं ।

(ख) इस प्रायोजना के लिए तकनीकी जनकारी और इंजीनियरी सेवाएँ प्रदान करने के लिए विदेशी सहयोग रर्त्ता का चयन कर लिया गया है और शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) असम में वर्तमान और प्रस्तावित कताई मिलों द्वारा पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर और हैंडलूमों तथा पावर लूमों द्वारा ब्लेंडेड यार्न के प्रयोग की मात्रा को निकाला जा रहा है ।

इटली में तेल की खोज के लिए विचार-विमर्श

6749. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली में अपनी हाल की यात्रा के दौरान उन्हों ने तेल की खोज उत्पादन और तेल कपशोधन करने सहित तेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए विचार विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) मन्त्री ने सामान्य रूप से अन्य विषयों के साथ तेल अन्वेषण और उत्पादन यथा उपकरणों की सप्लाई के क्षेत्र में सहयोग करने पर चर्चा के लिए इस अवसर का लाभ उठाया । हमने इटली की ई० एन० आई० के अध्यक्ष को सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया है ।

"स्टाप मार्कीट" से डीजल और मिट्टी का तेल खरीदा जाना

6750. **श्री जनार्दन पुजारी**
श्री एस० रामगोपाल रेड्डी) : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह
श्री एस० एम० कृष्णा

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "स्टाप मार्कीट" के हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल खरीदने

के लिए विश्वव्याप टेंडर आमंत्रित किए हैं उन देशों के नाम क्या है जिनके टेंडर स्वीकार कर लिये गये हैं,

(ख) प्रत्येक की कितनी मात्रा खरीदी जायेगी और वह कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है,

(ग) वर्ष 1980-81 में हाई स्पीड डीजल की कितनी मात्रा की आवश्यकता है,

(ग) देशी उत्पादन से कितनी आवश्यकता पूरी हो सकेगी, और

(ङ) तेल शोधन कारखानों में अधिकतम उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायण और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन ने स्पाट मार्केट से हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल खरीदने के लिए विश्वव्यापी टेंडर अभी हाल में आमंत्रित किये हैं। इस सम्बन्ध में और ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) वर्ष 1980.81 के लिये हाई स्पीड डीजल तेल की 10.3 मि० मि० टन की देश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 7.3 मिलियन मी० टन का देशीय उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) डीजल और मिट्टी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बरौनी, कोचीन, बम्बई, विशाख, और मद्रास शोधनशालाओं में गौण प्रक्रिया सुविधाओं और विस्तार पर कार्यान्वियन किया जा रहा है।

अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

6751. **प्रो० नारयण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1981, 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1979 को प्रति व्यक्ति बिजली की राष्ट्रीय खपत क्या थी और प्रत्येक भारतीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आंकड़े क्या थे ;

(ख) यह (ए) यूरोपीय देशों (दो) एशियाई देशों अमरीका और कनाडा की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय खपत की तुलना किलनी बैठर्ता है ; और

(ग) उपभोक्ताओं को और अधिक सुलभ कराने के लिए जब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन (क) 31 मार्च, 1979 और 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत को दिखाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) यूरोपीय देशों तथा एशिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कम है। यूरोपीय देशों; एशियाई देशों तथा अमरीका और कनाडा में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत को दिखाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) बिजली उत्पादन करने का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों का है। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कई विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं इसके अतिरिक्त, उपोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सेन्टर में कई सुपर ताप विद्युत केन्द्र क्रियान्वित किए जा रहे हैं। समस्त देश में अधिक उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा ग्राम विद्युतीकरण को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। छठी योजना में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख नए गांवों तथा 25 लाख अतिरिक्त पम्पसेटों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

विवरण-1

1978-79 और 1979-80 के दौरान बिजली का प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत (यूटिलिटीज और गैर-यूटिलिटीज)

(यूनिट में)

क्षेत्र/राज्य का नाम		1978-79	1979-80
उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	211.41	201.71
2.	हिमाचल प्रदेश	51.31	56.61
3.	जम्मू और कश्मीर	71.05	72.95
4.	पंजाब	303.15	314.06
5.	राजस्थान	92.98	101.46
6.	उत्तर प्रदेश	87.99	86.57
7.	चण्डीगढ़	350.89	321.84
8.	दिल्ली	321.89	380.68
उप जोड़		124.07	125.95
पश्चिम क्षेत्र			
1.	गुजरात	231.19	242.50
2.	मध्य प्रदेश	96.47	95.99
3.	महाराष्ट्र	229.61	226.37

क्षेत्र/राज्य का नाम		1978-79	(यूनिट में 1979-80*
4.	गोवा, दमन और	203.98	258.15
5.	दादरा और नगर हवेली	55.12	53.84
उप जोड़		182.18	183.54
पूर्वी क्षेत्र			
1.	बिहार	87.46	80.60
2.	उड़ीसा	114.70	109.71
3.	पश्चिम बंगाल	118.45	115.28
4.	अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह	39.00	36.01
5.	सिक्किम	34.46	15.81
उप जोड़		103.57	98.02
दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आन्ध्र प्रदेश	9 .02	97.54
2.	कर्नाटक	148.74	146.35
3.	केरल	97.43	99.11
4.	तमिलनाडू	184.05	1781.03
5.	पण्डिचेरी	224.44	219.95
6.	लक्ष द्वीप	1 .43	26.29
उप जोड़		133.39	133.70
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
असम		36.94	35.65
मणिपुर		4.58	6.02
मेघालय		37.50	31.56

* अनन्तिम

नागालैंण्ड	29.80	30.52
त्रिपुरा	10.76	12.98
अरुणाचल प्रदेश	10.85	11.81
मिजोरम	6.84	5.82
उप जोड़	31.82	30.89
पचिश्म भारत	130.94	130.48

विवरण 2

यूरोपीय देशों तथा एस्केप देशों के संबंध में वर्ष 1976 में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत को दिखाने वाला विवरण ।

	देश का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट)
क.	यूरोपीय देश	
1.	फ्रांस	3711
2.	जर्मनी (जी० डी० आर०)	4381
3.	जर्मनी (एफ० आर० जी०)	4446
4.	हंगरी	2100
5.	इटली	2511
6.	पोलण्ड	2523
7.	स्पेन	2063
8.	स्वीडन	9525
9.	स्वीटजरलेंड	4672
10.	यू० एस० आर०	3931
11.	यू० के०	4245
12.	युगोस्लाविया	1718
13.	कनाडा	11148
14.	यू० एस० ए०	8974

देश का नाम		प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट)
ख. एस्केप देश		
1.	आस्ट्रेलिया	4337
2.	इन्डोनेशिया	22
3.	ईरान	348
4.	जापान	4014
5.	मंगोलिया	522
6.	न्यूजीलैण्ड	5996
7.	होंगकांग	1635
8.	पिलीपिन्ज	307
9	सिंगापुर	1772
10.	नेपाल	8.2
11.	थाईलैंड	214
12.	भारत	119.4

*येआंकड़ें 1975 के हैं।

स्त्रोत 'क' के अन्तर्गत आये देशों के लिए :—संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित इलेक्ट्रि एनर्जी-स्टेटेस्टिकस पर यूरोप' 1975'-1977 का संस्करण।

स्त्रोत: 'ख' के अन्तर्गत आने वाले देशों के लिए :—संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित इलेक्ट्रिक पावार इन एशिया एण्ड दि पेसिपिक, 1975 और 1976, 1978 का संस्करण।

डाकुमेन्टरी/फीचर फिल्मों का प्रादेशिक भाषाओं में निर्माण

6752. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार उन प्रादेशिक भाषाओं की, जो लोगों की बहुत बड़ी संख्या द्वारा बोली जाती है परन्तु जिन्हें भारत के संविधान के आठवें अनुच्छेद में शामिल नहीं किया गया है, डाकुमेंटरी/फीचर फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देती है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार की प्रत्येक भाषा के लिये सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष रूप में अंशतया: अथवा पूर्ण रूप से जिन फिल्मों को वित्त घोषित किया है, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) गैर सरकारी प्रोड्यूसरों को इस कार्य के लिए सरकार द्वारा जिस सहायता की पेशकश की गई है उसका स्वरूप क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार का निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) : फिल्म प्रभाग मूल रूप से डाकुमेंटरी फिल्में हिन्दी या अंग्रेजी में बनाता है। इन फिल्मों को संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित सभी प्रादेशिक भाषाओं में डब किया जाता है। तथापि कुछ फिल्मों को कोकणी, खासी, लद्दाखी, मणिपुरी और नगामीज जैसी भाषाओं में भी डब किया जाता है। गत पांच वर्षों के दौरान फिल्म प्रभाग ने परिवार नियोजन पर एक फिल्म "परात्ये नी" राजस्थानी बोली में भी बनाई थी और दो फिल्में "फार ए रेनी डे" तथा "बूक आफ वेल्थ" मणीपुरी भाषा में डब की गई थी। परिवार नियोजन पर एक फिल्म हिमाचल प्रदेश की बोली में तथा एक अन्य फिल्मनगामीज में भी निर्माणाधीन हैं।

2. प्रादेशिक भाषाओं में फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए, 19 मिलीमीटर की ग्रामोन्मुखी फिल्में बनाने के लिए कलकत्ता और बंगलौर में दो फिल्म निर्माण यूनिटें, जो पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों को कवर करेंगी स्थापित करने की योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। उम्मीद है कि ये निर्माण यूनिटें 1981-85 के दौरान काम करना शुरु कर देंगी। इन यूनिटों से न केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल प्रादेशिक भाषाओं में ही अपितु सम्बन्धित क्षेत्रों को ग्रामीण और आदिवासी वोलियों में भी फिल्में बनाने की अपेक्षा की जाती है।

3. फिल्म प्रभाग निजि निर्माताओं को डाकुमेंटरी फिल्मों के निर्मात के काम में लगातार उनको प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी श्री फिल्म निर्माण को ऋण प्रदान करके प्रोत्साहित करता है। ऋण फिल्म की भाषा का विचार किये बिना गुणवत्ता के विचार से दिये जाते हैं। मिजो भाषा में एक फिल्म के निर्माण के लिए आवेदन पत्र राष्ट्रीय फिल्म बिकास निगम के विचाराधीन।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बिजली की कुल खपत

6753. श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा राज्य में बिजली की कुल खपत के संबन्ध में क्या ब्यौरा है :

(ख) केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में प्रयुक्त की जा रही बिजली की प्रतिशतता के संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य को बिजली की अपनी मांग पूरा करने के लिए और अधिक बिजली उत्पादन के लिए कोई विशेष निधि आवंटित करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए उड़ीसा राज्य में पारेषण तथा वितरण हानियों सहित कुल विद्युत खपत लगभग 3105 मिलियन यूनिट थी ।

(ख) उड़ीसा में उपलब्ध विद्युत के लगभग 28.69% का उपयोग केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों द्वारा किया गया था ।

(ग) राज्य की विद्युत स्कीमों के लिए परिव्यय का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना के लिए राज्यों के प्रस्तावों पर हुए विचार-विमर्श के आधार पर किया जाता है ।

पश्चिम बंगाल में तेल छिद्रण कार्य

6754. **श्री रेणुपद दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राधा दागोग्राम में तेल छिद्रण कार्य के अन्तिम परिणाम क्या है ;

(ख) क्या राधा में एक दूसरे कुएं का छिद्रण किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल में गहरी व्यधन रिग द्वारा राधा कुएं के परीक्षण से किसी प्रकार के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं । आगे परीक्षण वर्क ओवर रिग द्वारा किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है ।

वर्ष 1958 में इण्डो-स्टेन्वेक पेट्रोलियम प्रायोजना द्वारा खोदा गया देवग्राम कुआ सूखा मिला है ।

(ख) जी, नहीं । इस समय राधा और देवग्राम के बीच स्थित "अभय-1" नामक कुएं का खुदाई कार्य हो रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयाली रिफाइनरी के कर्मचारियों द्वारा "नियमानुसार" काम किया जाना।

6755. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयाली रिफाइनरी के कर्मचारियों द्वारा गत मार्च में "नियमानुसार" काम करने

की प्रवृति अपनाये जाने के कारण टैंक वैगनों तथा पेट्रोलियम उत्पादनों का लदान कार्य बुरी तरह ठप्प हो गया था ;

(ख) यदि हां तो उन कर्मचारियों की मांगे क्या हैं ; और

(ग) उत्तर पश्चिम क्षेत्रों तथा कोयाली रिफाइनरी द्वारा पोषित अन्य क्षेत्रों को निर्बाध सप्लाई की व्यवस्था करने तथा कोयाली में भारतीय तेल निगम के उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जो वहां के उत्पादों को बाहर जाने में बाधा पहुंचाते हैं, सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायण और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) दिनांक 28.2. 1981 से गुजरात रिफाइनरी कामदार संघ द्वारा "नियमानुसार" काम की प्रवृति अपनाई जाने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था। होम गार्डस की सेवाएं प्राप्त करने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है जिन्होंने दिनांक 14.3.1981 से टैंक वैगनों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की लदान और भेजने का कार्य आरंभ किया था। दिनांक 2.4.81 को आन्दोलन समाप्त कर दिया गया है ।

वोनस अधिनियम के अन्तर्गत अनुमय 20% वोनस के अतिरिक्त मुख्य भाग अनुग्रहपूर्वक अदायगी से संबधित थी ।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड द्वारा धनराशियों का कथित दुर्विनियोग

6756. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री मैसर्स प्योर ड्रिंक्स को सार्वजनिक जमाराशियां आमंत्रित करने की अनुमति के बारे में 13 मार्च 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 10 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड के 2 कर्मचारियों से कम्पनी की धनराशियों के बड़े पैमाने पर दुर्विनियोग के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ख) उस पर क्या कार्रवाई की जानी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) तथा (ख) मै० प्योर० ड्रिंक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की लेखावहियों तथा अभिलेखों के निरीक्षण के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अन्तर्गत आदेश प्रेषित किये गयें थे। तथापि निरीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । निरीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन

6757. कृष्ण दत्त सुलतान पुरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पिछले तीन वर्ष के दौरान आवंटित किए गए पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन पेट्रोल पम्पों के आवंटियों से इस आशय का अधिवास प्रमाण पत्र कि क्या वे हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं अथवा किसी अन्य राज्य के, मांगा है और क्या इस बारे में ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा—पटल पर रखेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, एक ।

(ख) जी, नहीं ।

हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में तेल छिद्रण कार्य

6758. श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां आगामी वर्षों में तेल हेतु छिद्रण-कार्य किए जाने का प्रस्ताव है,

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और क्या इस बारे में पूरा ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा, और

(ग) इस पर सरकार द्वारा कितना खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यह समझा गया है कि माननीय सदस्य ने हिमाचल प्रदेश और अन्य निकटवर्ती पर्वतीय देशों के बारे में सूचना मांगी है । उत्तर इस प्रकार है :—

(क) हिमाचल प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में विशेष भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य सितम्बर, 1981 से जून, 1983 के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है । जिन स्थानों में खुदाई कार्य अपनाया जा सकेगा उनका निर्णय इसके बाद ही होगा ।

(ख) भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में किए गए हैं । जून, 1981 तक वहां कुल मिलाकर 26 पार्टी वर्ष भूकम्पीय सर्वेक्षण, 16 पार्टी वर्ष गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण और 78 पार्टी वर्ष भूगर्भीय सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं ।

(ग) 1980- 5 के लिए पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में खुदाई कार्य और सर्वेक्षणों पर मोटे तौर पर 14.92 करोड़ रु० व्यय करने का प्रस्ताव है ।

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

6759. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना कब तक की जायगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उस पर कितने व्यय का अनुमान है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में टेलीविजन केन्द्र की मांग के सम्बन्ध में उस राज्य के संसद सदस्यों द्वारा गत तीन वर्षों में भेजे गये पत्रों को मुख्य बातें सभा पटल पर रखी जायेंगी, और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाई की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) छठी "योजना" प्रस्तावों (1980-85) में हिमाचल प्रदेश के कसोली में 10 किलोवाट के एक रिले ट्रांसमीटर की स्थापना शामिल है जो जलन्धर दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करेगा । इस रिले केन्द्र के छठी "योजना" अवधि के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है कसोली रिले केन्द्र की सेवा परिधि 150 किलोमीटर होगी जिसके अन्तर्गत 13,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आयेंगा ।

(ख) से (घ) 127.75 लाख रु० । संसद सदस्यों द्वारा शिमला, कसौला, धर्मशाला और कांगड़ा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध किए गए हैं ।

संसाधनों की कमी और उपयुक्त स्थान का अधिग्रहण करने में पेश आई अठिनाइयों के कारण छठी "योजना" अवधि के दौरान केवल कसौली में ही दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर की स्थापना की योजना को हाथ में लेना संभव हुआ ।

जिन समाचार पत्रों/संगठनों पर आक्रमण किया गया पारपीट की गई उनके नाम

6760. **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचार पत्रों संगठनों, जिन पर गत एक वर्ष के दौरान हमला किया गया और समाचार पत्र कर्मचारियों को मारा पीटा गया उनके नाम, राज्यवार, क्या हैं ;

अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 क) में प्रावधान है कि एक कम्पनी के तुलन-पत्र से संलग्न निदेशक मंडल की रिपोर्ट में, कम्पनी के ऐसे प्रत्येक कर्मचारी, का नाम प्रदर्शित करते हुये, एक विवरण-पत्र सम्मिलित किया जायेगा, जिन्होंने उस वर्ष में कुल 3000 रु० प्रतिमास से कम नहीं का पारिश्रमिक (आवास, कम्पनी की कार का प्रयोग, आदि के समान परिलब्धियों समेत) प्राप्त किया था।

(ग) वर्तमान में, इस प्रकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित, माननीय सदस्य द्वारा निर्देशक श्रेणी के व्यय पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियों जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निदेशकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक (आवास, कम्पनी की कार का प्रयोग आदि की परिलब्धियों समेत) को निश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है। कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन सिवाय उन मामलों के अपेक्षित नहीं है, जहां इस प्रकार के कार्यकारी कम्पनी अधिनियम की धारा 314 (1 ख) के सीमान्तर्गत आते हों।

सदरन बोटलर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पटियाला द्वारा दर्शाये गये घाटे

6767. **श्री पीयूष तिरकी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदरन बोटलर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पटियाला की बैलेंस सीट में इकट्ठा 51.9 लाख रु० का घाटा दर्शाया गया है;

(ख) क्या इसने वापसी के अनुबन्ध के बिना श्री चरणजीत सिंह और दलजीत सिंह को 39.4 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया है;

(ग) क्या इन परिस्थितियों में ऋण देने वाले का धन सुरक्षित है; और

(घ) किन कारणों से कम्पनियों के रजिस्ट्रार धारा 439 (1) (ग) के अन्तर्गत एक समापन याचिका दायर नहीं करते ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी। मैसर्स सदरन बोटलर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, के 31 अगस्त, 1979 की वर्ष समाप्ति के तुलन-पत्र में 51.90 लाख रु० की सचित हानि दिखाई गई हैं।

(ख) उक्त तुलन-पत्र के अनुसार, 39.44 लाख रु० की धन राशि श्री चरणजीत सिंह एवं दलजीत सिंह से देय ऋणों के रूप में प्रदर्शित की गई है। तथापि; उक्त तुलन-पत्रों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये ऋण ब्यास मुक्त तथा वापिस करने के अनुबन्ध रहित हैं।

(ग) उक्त तुलन-पत्र के अनुसार, कम्पनी की मूर्त परिसम्पत्तियां 83.63 लाख रु० जिस तुलना में देयतायें 130.58 लाख रु० थीं। (अर्थात् प्रतिभूत ऋण 9.71 लाख रु० थीं, जिसमें

समूह कम्पनियों द्वारा दिये गये अग्रिम धन की राशि 101.09 लाख रु० सम्मिलित है, जो मुख्य जमाकर्ता हैं) इस प्रकार कम्पनी की शुद्ध परिसम्पतियाँ नकारात्मक थीं।

(घ) कम्पनी रजिस्ट्रार, पंजाब, जालन्धर, जिसके पास कम्पनी पंजीकृत है, ने कम्पनी को यह कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 439 (5) के साथ पठित धारा 433 (ङ) के अन्तर्गत, कम्पनी की परिसमापित करने के लिए कार्यवाई क्यों नहीं की जानी चाहिये।

मैसर्स साऊथ इण्डिया कार्बोनिक गैस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कम्पनी कानूनों का कथित उल्लंघन

6768. **श्री सतीश प्रसाद अग्रवाल)**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा) : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स साउथ इण्डिया कार्वोनिक गैस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मद्रास ने कम्पनी अधिनियम की धारा 417 के अधीन बने कम्पनी कानूनों का उल्लंघन किया है;

(क) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से 31-10-77 तथा 31-1078 के वर्षों की समाप्ति की सुरक्षा निक्षेपों के रूप में प्राप्त की गई राशि को कानून के अन्तर्गत विहित रीति से जमा न करके, कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 417 के उपबन्धों का उल्लंघन किया था। ऊपर कथित वर्षों की ग्रस्त यह राशि क्रमश 14,575 रु० तथा 15,666 रु० थी। तथापि, ये शेष राशियां दिसम्बर 1979 में बैंक आफ इण्डिया, मद्रास में कम्पनी द्वारा जमा करा दी गई थीं।

(ख) तथा (ग) मामला प्रादेशिक निदेशक के विचाराधीन है।

थाल-बैशट उर्वरक परियोजना के लिए इटली के बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

6769. **श्री भीकू राम जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली के कई बैंकों ने गैस पर आधारित बालवैशेट उर्वरक परियोजना का जिसके लिए विश्व-बैंक ने ऋण देने से इन्कार कर दिया था वित्त पोषण करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) ईटली के मैसर्स स्नैमप्रोगेटी ने थाल-वैशठ उर्वरक परियोजना की विदेशी मुद्रा आवश्यकता की सहायता के लिए ईटली के बैंकर्स ट्रस्ट कम्पनी के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) सरकार प्रस्ताव की जांच कर रही है।

सदर्न बोटलर्स प्राइवेट लिमिटेड को हुई हानि

6770. श्री शिव सोरन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदर्न बोटलर्स प्राइवेट पटियाला की प्रदत्त पूंजी कितनी है,

(ख) कम्पनी को कुल सचित घाटा कितना हुआ,

(ग) श्री चरण जीत सिंह औ दलजीत सिंह ने कम्पनी से कितना-कितना ऋण लिया, और

(घ) यदि कम्पनी का घाटा उसकी प्रदत्त पूंजी से कहीं अधिक है तो इस कम्पनी को बन्द करने के लिए कार्यवाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य (श्री पी० शिव शकर) : मै० सदर्न बोटलर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पटियाला के 31 अगस्त, 1979 की वर्ष समाप्ति के तुलन-पत्र के अनुसार इसकी प्रदत्त पूंजी 4.65 लाख रु० थी, तारीख कुल सचित हानि 51.90 लाख रु० थी। उक्त तारीख पर, कम्पनी को श्री चरणजीत सिंह से प्राप्त किये जाने वाले ऋण 25.02 लाख रु० तथा श्री दलजीत सिंह से 64.43 लाख रु० थे।

(घ) कम्पनी रजिस्ट्रार, पंजाब, जालन्धर, जिसके पास कम्पनी पंजीकृत है, ने कम्पनी को यह कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 439 (5) के साथ पठित, धारा 43 (ङ) के अन्तर्गत, कम्पनी को परिसमापित करने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 7369 दिनांक 17-4-1979 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं 17 अप्रैल, 1979 को इस सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7369 के उत्तर की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान आई० डी० पी० एल०, फाईजर तथा होयस्ट को हाल ही में दिए गए

सारणीबद्ध कच्चे माल का ब्यौरा एक विवरण-पत्र में दिया गया था। उस विवरण पत्र में आई० डी० पी० एल०" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 से 6 के सामने, शब्द "स्ट्रेप्टोमाइसीन" की बजाय शब्द "इरिथ्रोमाइसीन" पढ़िये। टाइप सम्बन्धी गलती, जो उत्तर के सम्बन्ध में आश्वासन पूरा करते समय ध्यान में आई थी, के लिए खेद है।

उपर्युक्त त्रुटि के लिए मैं सदन केअनुग्रह की याचना करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

तम्बाकू का अधिक मूल्य दिलाने के लिए आन्दोलन कर रहे निप्पानी, कर्नाटक के किसानों पर गोली चलाया जाना

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं...व्यवधान

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है...

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : तम्बाकू उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने तथा उनके आन्दोलन...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। यदि मैं अध्यक्षपीठ की आज्ञा पर निर्भर रहूं तो मुझे कभी अवसर नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, आप सभा में नहीं थे जबकि मैंने सभा को सूचित किया कि हम इस पर और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं। कल मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला रहा हूं तथा हम उसमें चर्चा के लिए तिथि निर्धारित करेंगे। इसे कल अथवा परसों अथवा सभा की अनुमति से किसी भी दिन रखा जा सकता है। तम्बाकू के बारे में प्रश्न केवल लाभप्रद मूल्य का है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह वाणिज्य मंत्रालय का कार्य है, लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि मन्त्री महोदय वहां नहीं थे । मैंने सुबह ही इसे स्पष्ट किया कि मंडल जी, मन्त्री महोदय उपस्थित नहीं हैं, अतएव मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है ।

श्री धनिक लाल मंडल : हम लोगों की पहले सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिए ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल बुला लिया है डिस्कशन के लिए ।

श्री मनी राम बाड़ी (हिसार) : हिन्दुस्तान के किसान मारे जाएं, कत्ल किए जाएं

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया...

श्री जार्ज फर्नांडीस : यह मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया आपको, मैंने लिख भी दिया था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : बन्दूक के जरिए अगर किसानों की समस्या हल करना चाहते हैं तो हम सदन में आकर क्या करें ?

एक माननीय सदस्य : ऐडजर्नमेंट मोशन मंजूर कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता ।

श्री मनी राम बागड़ी : काम रोको प्रस्ताव मंजूर होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं । अध्यक्षपीठ महोदय की आज्ञा पालन से कुछ कार्य नहीं बनेगा । मैं शुरू से ही आपकी अनुमति मांग रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप वही बात फिर करेंगे कि यहां तो ले ली वहां नहीं ली । (व्यवधान) आप मुझे बिना कारण विषम परिस्थिति में क्यों डालना चाहते है । मैं दो तरह के नियम नहीं अपना सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बिल्कुल भिन्न बात कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : सुनूंगा, सबकी सुनूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सब को सुनूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैं सब को सुनूंगा ।

श्री घनिक लाल मंडल (झंझार पुर) : मेरा एक व्यस्था का प्रश्न यह है कि आपने बार-बार कहा है और हम लोग उससे सहमत हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से मुद्दे में उठाना चाहते हैं ?

श्री घनिक लाल मंडल : यह 56 से लेकर 60 तक आप देख लीजिए । यह जो ऐडजर्नमेंट मोशन है...

अध्यक्ष महोदय : उसका डिस्कशन नहीं हो सकता ।

श्री घनिक लाल मंडल : मैं आपको री-कंसीडर करने के लिए कह रहा हूं । आप कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस पर चर्चा की अनुमति नही दी जा सकती ।

श्री घनिक लाल मंडल : एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए ।

.. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोलते हैं, आप बैठिए ।

श्री घनिक लाल मंडल : आपने जो निर्णन लिया है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले इनको एलाऊ किया है । आपकी बात भी सुनूंगा । मैंने कब इन्कार किया है ? बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री घनिक लाल मंडल : ऐडजर्नमेंट मोशन...

अध्यक्ष महोदय : ऐडजर्नमेंट मोशन पर मैं कोई बात सुनने वाला नहीं हूं ।

श्री घनिक लाल मंडल : मैंने जो ऐडजर्नमेंट मोशन दिया और आपने जो उस पर निर्णय किया है वह मुझको मालूम है । मैं उसी संदर्भ में...

अध्यक्ष महोदय : नहीं और कोई बात नहीं ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं पश्चिम बंगाल के बारे में अपने प्रस्ताव की स्थिति जानना चाहता हूं । नहीं, श्री मान, देखिए मैं पुनः सदस्यों की पुस्तिका के पृष्ठ 30 से उद्धृत करता हूं :

"जब एक बार एक सदस्य को अध्यक्ष का निर्णय बता दिया जाता है कि वह यह चर्चा की अनुमति नहीं देते, तो सूचना विषय वस्तु पर अथवा उसके अस्वीकृत किए जाने के कारणों पर सभा में कोई चर्चा नहीं की जा सकेगी अथवा कोई बात नहीं उड़ाने दी जा सकेगी ।"

श्री घनिक लाल मंडल : हम आपको नियम बता देते हैं । सुन लीजिए । आप दूसरे की बात भी कभी-कभी सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनता हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप यह बताइए कि आपका अधिकार कैसे है ?

श्री धनिक लाल मंडल : मैं आपको सुना दे रहा हूं कि मेरा अधिकार कैसे होता है ? आप नियम 60 का परन्तुक (2) पढ़ लीजिए :

"परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखत मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अवगत हू।

श्री धनिक लाल मंडल : एक मिनट सुन लीजिए।

तो वह अपनी सम्मति देने या इन्कार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ कर सुना सकेगा और सम्बन्धित मन्त्री और/या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुन सकेगा और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय देगा।"

तो मेरा अधिकार बन जाता है कि आपसे निवेदन करूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरी बात सुनिए, अनुमति नहीं दी जाती

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप स्वीकर रहे हैं और फिर यह जिद करते हैं।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, आपने कहा इस सम्बन्ध में आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ले रहे हैं और उसके बाद आवश्यकता हुई तो कल बिजनेस एवाजरी कमेटी में डिस्कशन रखने पर विचार किया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं जो ध्यानाकर्ष का प्रस्ताव था या डिबेट का जो मामला था वह आज तक था और अब जो वहां पर परिस्थिति पैदा हो गई है उसमें 11 आदमी मारे गए हैं और 600 घायल हुए हैं। इसके पहले भी सरकार द्वारा वहां गोली चलायी गई है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता।

श्री राम बिलास पासवान : अब जो स्थिति है उस पर बहस जरूरी है। हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, आप तत्काल इस पर बहस करवायें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। यह तो सरकार जाने।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी बारी से सभी को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बारी बारी से अनुमति दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा औचित्य का प्रश्न है कि यह तमाखू की कीमतों का मामला है वह केन्द्र से जुड़ा हुआ है। आपने शायद यह कहा कि मन्त्री महोदय यहां नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : थे नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिए इस मामले पर सरकार से जल्दी बयान नहीं लिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि...

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय वहां थे नहीं। मेरे पास पहले से था। मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूं। लेकिन अब कल के लिए मैंने इसको कर दिया है, जहां तक कि भाव का प्रश्न है। ला ऐंड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक पहलू और भी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि रिकार्ड पर क्या जा रहा है और क्या नहीं जा रहा है ?...

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कहूंगा वह जायेगा। आपने जो पहले कहा था वह गया था, अब जो बोल रहे हैं वह नहीं गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मगर अब तक जो बोला हूं वह रिकार्ड पर गया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने इजाजत दी थी, आपसे बात हो रही थी तब रिकार्ड पर गया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह जो इशारों में बातें हो रही हैं रिपोर्टर्स से...

अध्यक्ष महोदय : मैं बिलकुल बोलकर करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या बोलकर कर रहे हैं आप ?

अध्यक्ष महोदय : बोलकर करता हूं । जब मेरी पर्मीशन होती है तब रिकार्ड होता है, जब मेरी पर्मीशन नहीं होती है तब रिकार्ड नहीं होता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमको भी तो पता लगे कब आपने पर्मीशन दी और कब पर्मीशन नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उनको इशारा करते हैं, हमको तो करते ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां से नजर नहीं आता है, मैं तो बोल कर करता हूं । पूछिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं दो बार सभा की ओर से तम्बाकू बोर्ड का सदस्य रहा हूं । कई दशकों से तम्बाकू इत्पादकों का निष्पानी क्षेत्र बड़ी कठिनाई में रहा है । उनका शोषण किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन है कि इस मामले पर वाणिज्य मंत्रालय में विलम्ब हो रहा है । तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से अभ्यावेदन दिये गये हैं । पूरा दायित्व वाणिज्य मंत्रालय पर आता है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसीलिए मैंने उनसे पूछा है ..

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कानून और व्यवस्था के मामले को नहीं उठा रहा हूं । वाणिज्य मंत्रालय की मूर्खता के कारण 11 व्यक्तियों को बलि देनी पड़ी इसलिए केवल स्थगन प्रस्ताव ही उपयुक्त है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्थगत प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करेंगे तो हम उस पर ध्यान देंगे । आप ऐसा किस प्रकार करेंगे ।

श्री ज्योनिमंत बसु : नियम 36 के अन्तर्गत...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फर पुर) : यह मामला पिछले तीन सप्ताह से चल रहा है । इन तीन सप्ताहों में भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय तथा तम्बाकू के मूल्य निर्धारण से सम्बद्ध सभी अधिकारियों को इस पर पुनर्विचार करने का अवसर मिला । किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक दिया था । इस मामले पर न केवल चिन्ता थी...

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या कहना चाहते हैं । मुझसे आप क्या चाहते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं कहना चाहता हूं कि संसद को इस मामले पर अवश्य विचार करना चाहिए। आपको स्थगन प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया आप मेरी यह बात अवश्य सुनिये कि स्थगन प्रस्ताव क्यों आवश्यक है। यह मामला अब केवल मूल्यों से सम्बन्धित नहीं है। इसमें अन्तर-राज्यीय सम्बन्ध अन्तर्निहित है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला भी संबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इसमें दो पहलू हैं। एक तो मूल्य के बारे में दूसरा कानून और व्यवस्था के मामले से।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। यह अब तक हुए प्रदर्शनों में से अत्यन्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन था।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसकी अनुमति नहीं देता। इसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते (बंबई उत्तर मध्य) : श्रीमान, जब मैं और श्री जार्ज फर्नान्डीस कुछ दिन पूर्व आपसे आपके कक्ष में मिले थे तब आप इस बात से सहमत हो गए थे कि आप इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। इसे स्वीकार न किए जाने का एक ही कारण था जिसे आपने सभा में बताया भी था कि कृषि मंत्री भारत में नहीं थे। श्रीमान, इस सभा की परम्परा रही है कि बेशक मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री भारत से अथवा नगर से बाहर हों, तो भी सामूहिक दायित्व चलता है, मैं आपको पूर्वदृष्टान्त देता हूं। एक बार...

अध्यक्ष महोदय : प्रो०, आप पूर्वदृष्टान्त न दें।

प्रो० मधु दण्डवते : जब मैं रेल मन्त्री था तब मैंने विधि मंत्रालय से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप यही चाहते हैं कि इसे उचित ढंग से लिया जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : इस प्रकार यह सामूहिक दायित्व है। मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। अब, श्रीमान, यदि आपने किसी अन्य मंत्री के द्वारा उत्तर के लिए स्वीकार कर लिया होता तो कर्नाटक सरकार पर प्रतिबन्ध लग जाता और गोली बारी की स्थिति पैदा ही नहीं होती। इसीलिए स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है!

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको हमारा स्थगन प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमान, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं समझता हूं कि तम्बाकू के मूल्य का वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्ध है। इसलिए जब आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाणिज्य मंत्री इधर नहीं थे। इसी कारण मैंने इसे रोके रखा।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा कहना है कि उसी समय इस पर चर्चा की जा सकती थी क्योंकि वाणिज्य मन्त्री यहां पर थे परन्तु आपने इसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए यह सब हुआ है तथा कई व्यक्ति मारे गये।

अध्यक्ष महोदय : अब तक हम यही समझते रहे कि यह मामला कृषि मन्त्री से सम्बद्ध है।

श्री हरिकेश बहादुर : आज बहुत से व्यक्ति मारे गये हैं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब श्री परुलेकर।

(व्यवधान)

यह ठीक है (व्यवधान) किसी बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)*

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक पूर्वदृष्टान्त की ओर दिलाना चाहता हूं। आपने हरियाणा में शराब पीने के कारण हुई मौतों पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी थी बेशक यह मामला राज्य विषयक था। यदि उसे स्थगन प्रस्ताव का विषय बनाया जा सकता है तब क्या आप यह अनुभव नहीं करते की शराब के कारण हुई मौतों से यह मामला अधिक गम्भीर है...

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि पिछले 4-5 दिन से सभा में ऐसी स्थिति है और यदि आप मुझे दोहरा स्तर अपनाने को कहते हैं तो मेरी स्थिति क्या होगी ?

(व्यवधान)

नहीं।

(व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

जार्ज साहब, इसे इतना छोटा मत कीजिए।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

आपने मेरे हाथ बांध दिये हैं। अब मुझे पीछे मत धकेलें।

(व्यवधान)

कृपया मुझे किसी ओर भी मत धकेलें।

(व्यवधान)

मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ चलने के लिए मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप प्रस्ताव को पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)*

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दिया था। हम उस पर चर्चा चाहते हैं...

अध्यक्ष महोदय : हमारी बी० ए० सी० की मीटिंग हो रही है। बी० ए० सी० की मीटिंग कल हो रही है। बी० ए० सी० डिसाइड करती है यह काम।

प्रो० के० के० तिवारी : ठीक है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप थे नहीं, सारा समझा दिया था।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल बी० ए० सी० की मिटिंग हो रही है। उसमें डिस्कस करेंगे। डेट एमाइन्ट करेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम 1981 तथा तेल क्षेत्र विनियम एवं विकास अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पेटोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 221 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) तेल क्षेत्र (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6 क की उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी की गई, खनिज तेलों के सम्बन्ध में दी जाने वाली रायल्टियों की दर में वृद्धि करने तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन करने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सां॰ आ॰ 219 (ङ.) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2292/81)

कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) संशोधन नियम 1981

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी॰ शिवशंकर) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता है जो दिनांक 20 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 187 (ङ.) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2293/81)

ग्रामीण पुनिर्माण मन्त्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगें

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सिंचाई मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं वर्ष 1981-85 के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2294/81)

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा एवं विलम्ब बताने वाला विवरण

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापारीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक-एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण)। (ग्रन्थालय में रख गये। देखिए संख्या एल० टी० 2295/81)

कृषि मंत्रालय को वर्ष 1981-82 के लिए ब्योरेबार अनुदानों की मांगे

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० आर० बी० स्वामीनाथन) : वर्ष 1981-82 के लिए मंत्रालय के अनुदानों ब्योरेबार मांगे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2296/81)

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निगम 1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 242 (ङ.) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा दिनांक 25 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 69/81 सीई में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) भारतीय मानक विशिष्टियों आई० एस० 7285-1974 अथवा आई० एस० 7312-1974 के गैस सिलेन्डरों पर लागू शुल्क की रियायती दर को 31 मार्च, 1981 के बाद जारी रखने सम्बन्धी सा० सां० नि० 263 (ङ.) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। (सभा पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2297/81)

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 76/78 के अन्तर्गत दी गई छूट को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने संबंधी सा० सां० नि० 223 (ड.) जो दिनांक 28 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) कांच के खोलों को बिजली के बल्बों का निर्माण करने के लिए भारत में आयात करते समय, मूल सीमा-शुल्क से 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक छूट को 31 दिसम्बर, 1981 तक बढ़ाने सम्बन्धी दिनांक 19 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 84-सीमा-शुल्क की वैशता को बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 224 (ड.) जो दिनांक 2< मार्च, 19:1 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) दिनांक 28 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 200-सीमा-शुल्क और दिनांक 1 मार्च, 1981 की 2-सीमा-शुल्क की वैधता को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 225 (ड.) और 226 (ड.) जो दिनांक 28 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 260 (ड.) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जो अधिसूचना में उल्लिखित 17 विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उन 17 विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने सम्बन्धी विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आई० एस० 7285-1974 अथवा आई० एस० 7312-1974 के अनुरूप गैस सिलेन्डरों के निर्माण के प्रयोग में आने वाली इस्पात ट्यूबों पर आयात शुल्क पर संपूर्ण छूट को 31 मार्च, 1981 के बाद जारी रखने सम्बन्धी सा० सां० नि० 267 (ड.) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(छ:) आई० एस० 7285-1974 अथवा आई० एस० 7312-1974 के अनुरूप गैस सिलेंडरों के निर्माण के प्रयोग में आने वाली इस्पात ट्यूबों पर उप-

संगी शुल्क पर पूर्ण छूट को जारी रखने सम्बन्धी सा० सां० नि० 268 (ड.) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2298/81)

(व्यवधान)*

तब श्री जार्ज फर्नांडीस तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गये

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश (सातवां प्रतिवेदन)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : (सीतापुर) : मैं सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखती हूं।

मैं सभापटल पर रखे गए पत्रों संबधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण भी प्रस्तुत करती हूं।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं दामोदर घाटी निगम पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति को तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की चर्चा करेंगे। श्री रशीद मसूद, श्री रसीद मसूद।

श्री रशीद मसूदा : वह सदन में उपस्थित नहीं है।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह, कुमारी पुष्पा देवी सिंह।

(कुमारी पुष्पा देवी सिंह खड़ी हुई।)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, मेरा नाम इसमें सबसे पहला है।

---

*कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तीन दफा आप का नाम पुकारा था।

श्री रशीद मसूद : मैंने सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम लिया था।

श्री रशीद मसूद : मैंने तो इसलिए वाक-आउट भी किया नहीं था क्योंकि मुझे यह पढ़ना था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने वाक-आउट नहीं किया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ईरान-इराक युद्ध आरम्भ होने से लेकर 400 भारतीय नाविकों के बसरा बन्दरगाह में अब तक फंसे होने का समाचार

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"ईरान-ईराक युद्ध आरम्भ होने से लेकर भारत की 22 मशीनी नावों पर सवार लगभग 400 भारतीय नाविकों के बसरा बन्दरगाह में अब तक फंसे होने के समाचार और उन्हें वापस लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चेम्बर में आकर बात कीजिए, कालिंग अटेंशन यहां डिस्कस नहीं होता है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : श्रीमान, ईराक, ईरान के बीच 22 सितम्बर 1980 से युद्ध छिड़ने के बाद 3 भारतीय जल पोत तथा 12 यात्री कृत नौकाएं इस समय युद्ध-क्षेत्र में रुकी पड़ी हैं। पहले जिन लोगों को वहां से निकाला गया था उनके अलावा इस समय 402 चालक-वृन्द वहां फंसे पड़े हैं। इसके अलावा बहुत से विदेशी जलपोत भी रुके पड़े हैं।

भारत सरकार पोतों तथा कर्मचारियों के युद्ध क्षेत्र में रुके रहने की समस्या से अवगत है। नौवहन महा निदेशक जलपोतों के वेसल्स स्वामियों तथा ऑल इण्डिया सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन से सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि कर्मचारियों को वापस लाया जा सके। 7 अक्तूबर 1980 का जलपोतों के स्वामियों को महा निदेशक नौवहन द्वारा परामर्श दिया गया था कि अपने चालक वृन्दों को स्वदेश वापस भेजें। लगभग 100 व्यक्तियों को स्वदेश लाया जा चुका है।

श्री मान, मैं लिखित वक्तव्य में पहले दी गई जानकारी में कुछ वृद्धि करना चाहता हूं। यह आज सुबह प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

हमें नौवहन महानिदेशक से अवरुद्ध कर्मचारियों ,के तथा स्वदेश लौट आये कर्मचारियों के बारे में सही आंकड़े प्राप्त हुए हैं। मैंने वापस आये कर्मचारियों की संख्या 100 बतायी थी। वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं" 'फाओ' के अधिक अज्ञात क्षेत्र से कर्मीदल के 88 सदस्यों को जिनका संबंध रुके पड़े 6 जलपोतों से था, को स्वदेश लाया जा चुका है। बसरा तथा 'फाओं' पतनों से कर्मीदल के 118 सदस्यों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार स्वदेश लाए गये अथवा लाये जा रहे कर्मीदल के सदस्यों की सख्या 198 हैं।

अन्य पोतों के स्वासियों ने इस उम्मीद में प्रतीक्षा करना उपयुक्त समझा कि स्थिति में पर्याप्त सुधार होने पर कर्मीदल अपने जलपोतों के साथ वापस आ सकेंगे।

कुछ चालू जल-यानों के कर्मीदल अभी भी उस क्षेत्र में हैं क्योंकि जल-यानों के स्वासी हमारे परामर्श के बावजूद स्वदेश लौटने को तैयार नहीं हैं पिछले कई महीनों के युद्ध के बावजूद किसी भी भारतीय कर्मीदल के सदस्य के रनाहत होने का कोई समाचार नहीं मिला है।

वसरा में हमारा वाणिज्य इनावास ईराकी अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि हमारे कर्मी-दल की सुरक्षा तथा कल्याण का ध्यान रखा जा सके। हमें कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं कि भारतीय कर्मी-दल को कुछ वित्तीय कठिनाइयां हो सकती हैं।

इसकी तात्कालिक जांच के उत्तर में वसरा में हमारे महा-वाणिज्यदूत ने बताया कि भारतीय कर्मी दल की भली प्रकार देखभाल की जा रही है। हमने अपने महा वाणिज्यदूत से कह दिया है कि यदि धन की आवश्यकता हो तो सरकार जलपोतों के स्वामियों को आवश्यक धन भेजने की सुविधा देगी। नौवहन महा निदेशक ने वसरा में महा-वाणिज्यदूत को निदेश दिया है कि यदि कोई भी भारतीय कर्मीदल का सदस्य स्वदेश आना चाहता है अथवा वह स्वय अनुभव करते हैं कि उसका स्वदेश भेजा जाना आश्यक है तो उन्हें स्वदेश दिया जाये। हमने हाल ही में इसकी अधिकारियों की सहमति से ली है कि भारत आने की इच्छा रखने वाले कर्मीदल के सदस्यों पर 100 दिनार के दण्ड की शर्त वापिस ले ली जाए, जोकि पहले स्वदेश लौटने वाले कर्मीदल के सदस्यों पर लागू होती थी।

जलयानों के स्वामियों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने जलयान अपने ही जोखिम पर भारी ज्वार वाले क्षेत्रों से ले जाने की अनुमति दी जाये। यद्यपि हमारे जजयान कम गहरे पानी में चल सकते हैं फिर भी हमारे वाणिज्य इनमें उन्हें परामर्श दिया है कि जब तक सागर में विछाई गई खानों को साफ नहीं कर दिया जाता तब तक जलयानों के उस मार्ग से आने में भारी खतरा है। ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि मार्ग में जलयानों को विस्फोट क्षति न पहुंचे। इस समय शट-मल अरब जल मार्ग में पुर्जे तथा अन्य बाधाओं के कारण भी इस मार्ग से आने में भारी

खतरा है। जलयानों के स्वामियों को पुनः परामर्श दिया गया हैं कि वे दोष कर्मीदल के सदस्यों को स्वदेश वापस बुलाने की दिशा में पहल करें।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के विशेष दूत श्री ओज्फ पाम शट-मल अरब जल मार्श को, जोकि संघर्ष के फलस्वरूप जहाजों के फंस जाने से बन्द हो गया था खुलवाने का प्रयास कर है। उन्होंने इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास की भी सहायता मांगी है। भारत सरकार भी अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास के साथ सम्पर्क बनाये हुए है।

श्रीमान, जैसा कि सभा को पता है, भारत सरकार अन्य देशों के साथ मिल कर ईराक-ईरान समस्या का प्रयास कर रही है शट-मल-अरब में रुके हुए जलयानों का भविष्य इस पूरी समस्या से जुड़ा हुआ है। मैं सभा को केवल माहवास नहीं दे सकता हूं कि सरकार रुके पड़े उन कर्मीदलों के सुरक्षित स्वदेश लौटाने के सभी प्रयत्न करेंगी जो स्वदेश लौटना चाहते हैं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब का ब्यान देखकर अफसोस भी होता है और ताज्जुब भी ताज्जुब इस बात का है कि शायद हमारी हुकूमत नें यह उसूल बना लिया है कि जिस तरीके की इन्फर्मेशन सप्लाई कर दी जाएगी, उसको उसी तरीके से पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाएगा, इसके अलावा कोई कोशिश नहीं की जाएगी कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।

इस बयान को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें बहुत सी बातें सैल्फ-कंट्राडिक्ट्री हैं। एक हिस्सा पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि बहुत मदद दी जा रही है, जो लोग 7-8 महीने से बसरा में फसे हुए है और दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जहां स चालू हुए थे, वही के वहीं है, कोई सुधार नहीं हुआ है। इसको पढ़ने से यह अंदाज़ होता है कि हमारी हुकूमत उन लोगों की जान के मुताल्लिक इतनी फिक्रमंद नहीं है, जितनी ओनर्स जो जहाज के मालिक हैं, उनके लिए फिक्रमंद है, ताकि उनके जहाज तबाह न हों।

एक बात काबिले तारीफ है, इसके मिनिस्टर साहब की तारीफ करनी होगी कि जो जहाज कपनियां अपनी ओन-रिस्क पर जहाज निकालना चाहती थीं, जिसमे हमारे आदमियों का भी रिस्क था, इसके लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उन जहाज मालिकों की मदद की जाए और उनको यहां से लाया जाए इसके बारे में मिनिस्टर साहब ने क्या किया ? हमारी सरकार बेंकों का नेशनलाइजेशन तो कर सकती है, कुछ लोगों को फायदा पहुचाने के लिए "मारुती" का नेशनलाइजेशन तो कर सकती है, लेकिन इतने आदमियों की जान बचाने के लिए बैसल ओनर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती, कोई दबाव नहीं डाल सकती। अभी तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने कहा कि उन लोगों की बराबर खबर रख रहे हैं, रहा है। वेलफेयर क्या हो रहा है, इसका प्रोटक्शन वेलफेयर आफ ह्यूमन किया जाए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खत जो वहां के लीडर आफ ने पियन अपने मालिक को लिखा है वह मैं पढ़कर सुना रहा है। यह हिन्दुस्तान टाइम्स है 27 मार्च का इसमें लिखा है कि—

"हम जहां भूखे मर रहे हैं तथा हम पर बमवारी का खतरा मंडरा रहा है।" यहां आप यह कह रहे हैं कि वे बिल्कुल महफूज़ हैं, उनको सभी चीजें दी जा रही हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वे लिख रहे हैं कि हम फाके की हालत में आ गए हैं। मैं नहीं समझता कि दोनों में कौन सी चीज सही है। आप सही कहते हैं या ये सही कहते हैं, लेकिन मुझे तजुरबा है, जब मैं 2-3 बार बाहर भेजा गया हूं, वहां पर मैंने देखा हैं कि हमारी जो एंबेसीज़ हैं, उनकी तरफ से हमारे नेशनल्स को सही तरीके से नहीं देखा जाता, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। इसलिए मुझे यकीन है कि यह खत ज्यादा सही है बनस्पत उस इन्फार्मेशन के जो कि अपको सप्लाई की गई है। लिहाज़ा आप इसको देखिए, मामला यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं।

आपने कहा है कि ज्यादातर लोग आ गए हैं, रिपेट्रिएट कर दिए गए हैं और थोड़े से रह गए हैं।

"कुछ जलयानों के कर्मीदल कभी भी युद्ध क्षेत्र में है इसमें आपने "सम" शब्द का प्रयोग करके यह ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि कुछ आ गए हैं। आपने ऊपर के पैराग्राफ में बताया कि 81 आदमी आ गए हैं 483 में से और अब आप कह रहे हैं कि 86 आ गए हैं, शायद 5 और आ गए हों, आपकी जानकारी सही हो, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 81 आदमी आए हैं। अगर 483 में से 86 आ भी गए हों तब भी बाकी तो फंसे हुए हैं। वे लोग तो जिस हालत में होंगे, लेकिन उनके घरवालों की यहां क्या हालत है इसको आप देखिए। यहां यह चल रहा है कि 7 महीने से हम यह बात चला रहे हैं, 7 अक्तूबर से यह बात चल रही है।

कितने दिन में यह मामला हल हो जाएगा ? चार साल में पांच साल में या छः साल में? जब तक यह गवर्नमेंट रहती है तब तक क्या यह हल जाएगा ? उन लोगों का क्या होगा जो बेचारे सफर कर रहे हैं, साइकोलोजिकल तौर पर जो बेचारे खत्म हो गए हैं, जिन के दिमाग में हर वक्त फिक्र लगा रहती है और जिन के घरवाले भी परेशान रहते हैं ?

यह भी कहा गया है कि हमारे लोग ही फंसे हुए नहीं हैं।

भारी संख्या में विदेशी जलपोत भी वहां रुके पड़े हैं हमारा मतलब किसी दूसरे मुल्क वालों से नहीं हैं। उनके कितने शिप है इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है दिलचस्पी हमारी सब से ज्यादा अपने यहां के लोगों में होनी चाहिये। वैसल्ज़ का क्या होता है वह उनके मालिक जाने। इसमें हमें पड़े रहना नहीं चाहिये कि हालात नार्मल हो जाए और वैसल्ज के साथ वे भी आ जाएं वैसल्ज़ का कुछ भी यह उनके मालिक जाने। लेकिन इन लोगों को लाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं।

आपने यह भी कहा है कि आपने काउन्सल जनरल को इंस्ट्रक्सज़ दी है कि जो लोग आना चाहते हैं उनको लाएं। लेकिन मेरी इत्तिला के मुताबिक अभी तक उनको कोई मदद नहीं हो रही है। यह चीज 27 मार्च के इस अखबार में भी छपी है और दूसरे अखबारों में भी छपी है।

इस में भी आपने यह रखा है कि कांउसल जनरल जिनका समझते हैं कि वे जाने के लायक है वे ही आए जो खुद आना चाहते हो उनको लाओ। यह जिद की बात नहीं होनी चाहिये कि जिन को कांउसल जनरल चाहे लाना वही सिर्फ आ सकते हैं। इस शर्त को आप न रखे। जो भी हैं उन सब को लाएं। यह जाहिर बात है कि वहां कोई भी रहना नहीं चाहेगा। आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी मौत के मुँह में रहना नहीं चाहेगा। वहां बमवारी हो रही है। वे होम सिक भी फील कर रहे हैं। फंसे हुए हैं। इसकी सीरियसनस को आप समझे हर कीमत पर आप उनको निकाले। वैसल वालों के साथ सख्ती करनी पड़े तो वह भी करें। खुद अपने पास से पैसा देना पड़े तो वह भी करें। वैसल्ज़ को छोड़ना पड़े तब भी आप उनको निकाले। जहाज़ वापिस लाने वाली बात आप छोड़ें। जो लोग फंसे हुए है उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं यह आप बताएं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मेरे बयान पर ताज्जुब करने की कोई वजह नजर नहीं आती है। आनरेबल मैम्बर वैसे ही ताज्जुब करने के आदी है। तो इसके लिए मैं जिम्मेबार नहीं हूं। साफ तौर से मैंने तादाद दी है —

श्री रशीद मसूद : अफसोस की बात है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : अफसोस के लिए तो बिल्कुल मुकाम नहीं है।

198 लोगों के बारे में मैंने बताया है कि कुछ लाए गए हैं और कुछ लाए जा रहे हैं। उनका ममला हल हो गया। मैंने यह भी साफ कहा है कि जो आना चाहेंगे उनको लाने के लिए हम हमने यहां से यह काम जारी कर दिए हैं। सवाल यह है कि वे आना चाहते हैं या नहीं? यह इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान सवाल नहीं है। वे वहां तनख्वाह पा रहे हैं। अपनी मुलाज़मत छोड़ कर आना चाहेंगे? मुलाज़मत उनको छोड़नी पड़ेगी? वहां वे रहना चाहेंगे? यह तभी मालूम हो सकता है कब हम कुछ उसकी जांच करें। ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी ख्वाहिश से आना नहीं चाहते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में जितना सरकार से हो सकता है उस में वह कोई दूसरा उठा नहीं रखेगी और न उठा रखी गई है। हमने यह भी साफ कहा है कि जिस के पास पैसा आने के लिए न हो उसको अपने खर्चे से हम यहां ले जाएंगे और इसके बाद पैसों को जहां से वसूल करना है कर लेंगे। यह सब कहा जा चुका है। मैं यह भी कहता हूँ कि कल यानी आठ तारीख को मैं खुद बगदाद जा रहा हूं मुझे इस मामले की पूरी जांच करने का मौका मिलेगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि जितने फैक्ट्रस हैं, वाकात हैं उनकी पूरी पूरी में तहकीक करूँगा और जो भी आगे करना बाकी है—अगर कुछ हो—तो वह भी करवाने की कोशिश करूँगा।

श्री रशीद मसूद : श्रीमान् मैं कर्नाटक के किसानों पर गोली चलाये जाने के विरोध में सभा त्यागता हूं।

(श्री रशीद मसूद तब सभा से उठकर चले गये।)

कुमारी पुष्पा देवी सिंह (रायगढ़) : श्री मानू, मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा है तब भी कुछ सन्देह मेरे मन में बने हुए हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय स्पष्टीकरण चाहती हूं :

(1) ईरान में एक रुके पड़े 402 कर्मीदल के सदस्यों के परिवारों के लिए सरकार ने क्या किया है। रुके पडे कर्मीदल के परिवारों को कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई है ?

(2) ईराक में रह जाने वाले जल-यानों की सुरक्षा की क्या ग्रान्टी हैं ?

(3) छः जल-यान युद्ध में नष्ट हो गये थे जिनके मालिक साधारण व्यक्ति है इन व्यक्तियों के पूरे परिवार की आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। उन्हें अपना व्यवसाय पुनः शुरू करने के लिए सरकार कितनी क्षतिपूर्ति तथा सुविधाएं दे रही है।

(४) क्या सरकार को पता है कि अप्रैल के महीने में जलयानों का खाड़ी क्षेत्र से वापस आना संभव नहीं हैं? यदि हां, तो उनके खाढ़ी क्षेत्र से कब तक वापस आने की सरकार को उम्मीद है। युद्ध में नष्ट हुए छः जलयानों का बीमा नहीं किया हुआ था। क्या सरकार इन नष्ट हुए जलयानों के स्वामियों को ईराक-ईरान सरकारों से पर्याप्त क्षति पूर्ति दिलाने में सहायता करेगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वास्तव में इसी विषय पर एक प्रश्न का उत्तर परसों मेरे मित्र नौवरन मंत्री द्वारा दिया जा रहा है। हो सकता है दोनों मंत्रालयों से न्यान करने के लिए इस बार मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने को कहा गया है।

श्रीमान, जहाँ तक विदेह। मत्रालय का संबंध है हमने वहां पर बसरा में विद्यमान अपने महा वाणिज्य शत को उचित अनुदेश दे दिये हैं।

मै पहले ही बता चुका हूं कि इन जलयानों के बारे में क्या कार्यवाही की जानी है जो कि शत-जल अरब से वापस नही जा जके। जब तक जल यानों तथा कर्मी दल की सुरक्षा। सुनिश्चित न हो जाये तब तक इन यानों का वहां से हटाना संभव नहीं है।

किये गये उपायों की एक लंम्बी सूची है। उदाहरणार्थ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तत्कालीन परिवहन और संचार मन्त्रालय की दिनांक 17.12.60 की अधिसूचना संख्या 3144 द्वारा एम० एस० (संकट ग्रस्त नौवहन कर्मचारियों) सम्बन्धी नियम 1960 को इन जहाजों पर लागू किया गया जिसके अनुसार बापस आने वाले कर्मी दलों का पूरा व्यय जलयानों के स्वामियों तथा उनके ऐजेंटों से वसूल किये जायेंगे पूर्वोक्त स्थिति के कारण और चूंकि नौवहन के मुख्य निदेशालय के पास कोई पृथक निधि नहीं है जिससे कि वसरा तथा फाओ में रुके पड़े कर्मीदलो के भारत लाने का व्यय किया जा सके नौवहन के महानिदेशक ने आल इंडिया सेलिंग वेसलस इंडस्टी

एसोसिएशन तथा जलपोतों के स्वामियों प्रतिनिधियों से बहुत सी बैठकें कीं ताकि उन कर्मीदलों की समस्या पर ध्यान दिया जा सके तथा अंतत: उन्हें स्वदेश लौटाया जाये । इस प्रकार जैसा कि मैंने वक्तक में बताया है उन्होंने अनुदेश जारी कर दिये हैं महा वाणिज्य दूत कर्मी दलों को अपने व्यय पर भेज सकते हैं इस व्यय की बाद में जैसे भी संभव हो प्रतिपूर्ति की जा सकती है स्थिति यह है ।

जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों का जीवन सुरक्षित है । हमें इस बारे में रिपोर्ट आयी हैं । वे छ: अथवा सात महीनों तक वहां रहे और हमारी जानकारी के अनुरूप उनकी देखभाल अच्छी तरह से की गयी । इस बारे में चिंतित होने का कोई कारण नहीं है । उनके परिवारों का चिंतित होना स्वभाविक है । यह बात समझ में आने योग्य है । लेकिन इन लोगों की कुशलता सम्बन्धी स्थिति वही हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं ।

श्री० एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : इन्होंने पूछा है कि क्या जहाजों का बीमा हुआ था या नहीं ।

श्री० पी० वी० नरसिंह राव : मैं उस बात को नहीं जानता । यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर परिवहन और नौवहन मंत्रालय को देना चाहिये । मेरे पास ब्यौरा नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं ब्यौरा मंगा कर उन्हें दे सकता हूं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि वे लोग स्वेच्छा से वहां हैं, और इसी बात के बारे में हम लोगों को सब से ज्यादा शंका है । पिछले कुछ दिनों के अखबारों में साफ तौर से इंगित है कि सैलिंग वैसल्ज एसोसियेशन ने भारत सरकार को पत्र लिख कर यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार उन्हें वापस लाने में अक्षम रही है, दूसरे, वे लोग भुखमरी की स्थिति में हैं तीसरे, डी जी शिपिंग और विदेश मंत्रालय को कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है ।

दिनांक 20 नवम्बर, 1980 के अनस्टार्ड क्वेस्चन सं० न० 464 के जबाव में मंत्री महोदय ने क्या कहा था, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । प्रश्न यह था : –

(क) क्या हाल ही के युद्ध के दौरान ईरान और ईराक सीमा पर फंसे बहुत से जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं ,

(ख) यदि हां, तो कुल कितने भारतीय जहाज फंस गये थे,

(ग) उनके कितने कर्मचारी मारे गये,

(घ) उनमें से कितने छोड़ दिये गये हैं और कितने अब भी उनके अधिकार में है ;

(ङ) क्या किसी क्षतिपूर्ति की मांग की गई है ; और

(च) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह क्वैस्चन कम का है ?

श्री राम विलास पासवान : 20 नवम्बर 1980 का 26 फरवरी, 1981 को पूछे गए एक अनस्टार्ड क्वेस्चन का जो जबाव दिया गया, वह भी मैं अभी पढ़ कर सुनाऊंगा।

जबाव में (सी) और (डी) को क्लब कर दिया गया है और कहा गया है : "(ग) तथा (छ) उनके कोई भी कर्मचारी नहीं मारे गये। फिर भी जहाज में बैठा एक भारतीय कॅडेट गायब है और उसके बारे में अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हैं।"

गवर्नमेंट के रीएक्सन के बारे में यह जबाव दिया गया है :—

(ङ) और (च) कठिन परिस्थितियों में युद्धक्षेत्र में छोडे गये जहाजों की क्षति अथवा हानि युद्ध जोम्बिम बीमा के अन्तर्गत आती है।

26 फरवरी, 1981 का अनस्टार्ड क्वेस्चन नं० 1570 इस प्रकार है :—

"(क) नवीनतम सूचना के अनुसार ईरान-ईराक संघर्ष में नष्ट हुए भारतीय जहाजों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) मरे गये अथवा गायब व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

इस क्वेस्चन के जबाव में बताया गया है :—

(क) निम्नलिखित 6 भारतीय समुद्री जहाजों के नष्ट होने का समाचार है

(ख) किसी भी भारतीय के मारे जाने का समाचार नहीं है, केवल एक भारतीय केडेर श्री जे० आर० टी अबू लापता है।

मंत्री महोदय ने कबूल किया है छः भारतीय सैलिंग वैसल्ज डैस्ट्राय हो गए।

विदेश मंत्रालय की 1980-81 की रिपोर्ट में कहा गया है :—

"बहुत से भारतीय समुद्री जहा और जलपान शत-जल अरब में फंस गए उनमें से 9 जलपान और जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए अधिकांश जहाजों और जलयानों के कर्मीदल के सदस्यों को भारत प्रत्यावर्तित कर दिया अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। सिर्फ थोड़े से काम चलाऊ आयलों को जहाजों पर रखा गया।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री महोदय ने अपने जबाव में जो यह कहा है कि वहां पर वे लोग स्वेच्छा से हैं, मैं उसको गलत तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वह तथ्यों से परे हो सकता है। हमारें हर्ष नान-एलानमेंट, गुट-निरपेक्षता, की बात चल रही है, लेकिन हमने हमेशा यह देखा है कि भारत की गुट-निरपेक्षता की जो थ्यूरी रही है, उसके मुताबिक हम कुछ खोते ही रहे हैं। भले ही हमारा नाम गुट-निरपेक्षता देशों में हो, लेकिन नैशनल इन्ट्रेस्ट्स के मामले में हमको कहीं न कहीं कमजोरी नजर आती है। हमें डाउट है कि कहीं यह मामला तो नहीं है कि इराक और ईरान के साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं, उनमें तेल का

जो स्थान है -हालांकि तेल का आयात घट कर कितना हो गया है यह हम सब को मालूम है; उसके कारण हम झुक रहे हैं, अपने अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं और वहां पर फंसे हुए अपने आदमियों के बारे में जितने जोर से हमें बात कहनी चाहिए, वह नहीं कह रहे हैं।

मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय जहां जा रहे हैं, नाम-एलाइन्ड देशों की टीम वहां जा रही है, और वहाँ पर इस मामले को रखा जाएगा। मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि जो नाम-एलान्ड टीम वहां जा रही है, वह इस मामले को प्राथमिकता देगी। मंत्री महोदय को सदन को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह टीम इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और इसको प्राथमिकता देगी।

यू एन ओ के सैक्रेटरी जनरल ने कहा है कि उन्होने अपील की, लेकिन उनकी अपील को ईराक ने नहीं माना।

जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनके बारे में उन्होंने अपील किया था और उन्होंने तो यहां तक यह दिया कि जो यू एन ओ झंडा है उस झंडे को गाड़ कर के दोनों देश यह समझें कि यह यू एन ओ का झंडा है और इस को निकाला जा सकता है लेकिन वह भी ईराक के द्वारा नहीं माना गया। तो ये सारी परिस्थितियां हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने कम्पेन्सेशन का मामला उठाया, उस के अलावा और सारी चीजें हैं, एम्बैसी के रोल का जिक्र किया गया और ये जो छः पोत ध्वस्त हुए क्या उन में आदमी नहीं थे? आदमी थे तो कितने थे? उसका कहीं हमारे सामने जिक्र नहीं आया। जो आदमी मिसिंग हो रहे हैं, उसके बारे में जो मंत्री जी का जबाव 80 से लेकर आज तक चलता चला आ रहा है कि मिसिंग हैं तो मिसिंग हैं तो कहां है, गिरफ्तार है या मारे गए हैं, कहीं न कहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी रहनी चाहिए, कब तक आप उन को खोज कर निकलेंगे? कब तक बताएंगे कि जो आदमी मिसिंग है वह कहां हैं, किस अवस्था में हैं?

इसलिए यह बहुत ही गम्भीर मामला है और अभी तो ब्रिटेन के साथ भी आप का मामला फंस सकता है जो ब्रिटिश नेशनलिटी का ऐक्ट वहां आ रहा है उस को लेकर। तो निश्चित रूप से मंत्री महोदय को इन सारे मामलों में जो विदेश से सम्बन्धित मामला है, अपने स्टैंड को साफ करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो मुद्दे मैं ने उठाए हैं, चाहे नान-एलाइन्ड टीम का मामला हो या मिसिंग आदमियों का मामला हो या 6 पोत जो ध्वस्त हुए हैं उनमें जो मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजे का मामला हो, इन सारी बातों को सरकार गम्भीरता पूर्वक ले और सदन को इस के बारे में आश्वस्त करे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पहले में यह साफ कर दूं कि जो हमारी टीम जा रही है वह इस के लिए नहीं जा रही है, किसी और काम के लिए जा रही है।

श्री राम विलास पासवान : आप की नहीं, नान-एलाइन्ड टीम के लिए जा रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : तो मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं। आप जानते हैं कि नान-एलाइन्ड कान्फरेंस की तरफ से जो चार विदेश मंत्रियों को वहां जाने के लिए कहा गया

है उन में से एक हूं। मैं उस काम के लिए जा रहा हूं। लेकिन मैंने यह कहा कि संयोग से चूंकि मैं कल जा रहा हूं तो इस के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर के बताऊंगा। यह मैंने कहा।

दूसरी बात यह है कि मेरे जितने वक्तव्य यहां दिए जा चुके हैं उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। जो आदमी मिसिंग है उस को मिसिंग ही कहा जाएगा, उस को मरा हुआ कभी नहीं कहते। एविडेंस ऐक्ट में तो यह है तो यह है कि सात साल तक हम यह नहीं कह सकते, उसके बारे में कयास नहीं कर सकते कि वह मर गया। इसलिए मिसिंग जो है उस को मिसिंग ही कहना पड़ेगा जब तक कि हमारे पास यह सूचना न हो कि उसका देहान्त हो गया है क्योंकि कानूनी परिणाम उसके कुछ और होते हैं। इसलिए हम को सही सही तौर पर बात कहनी पड़ती है।

फिर इस के बाद

श्री राम विलास पासवान : उन को अंडर प्रोटेक्शन लाया जा सकता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उन को लाया जा सकता है। उस के बारे में हम यहां से हुक्म दे चुके हैं। यहां से अपने कांसल जनरल को कह चुके हैं कि अपने खर्चे से उन को यहां भेजवा दीजिए। चुनांचे वर्ष 198 लोगों का इंतजाम हो चुका है। और लोग जो आना चाहते हैं उन को भी भेज दिया जाएगा। उसके बारे में कोई शंका की आवश्यकता नहीं है :—

श्री राम विलास पासवान : 6 पोत जो ध्वस्त किए गए उस में कितने आदमी मारे गए?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं नहीं, उस में नहीं है। उसके बारे में मैं वक्तव्य दे चुका हूं।

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह तो ठीक ही है, मगर मैं उस में कुछ और सुझाव दे रहा हूं।

402 फंसे लोग जो खजूर लेने के लिए गए थे उस के बारे में सुना है कि खजूर आज तक सेलिंग वैसेल्स के अलावा और किसी तरह से भारत में आयात नहीं हो सकता। वह बड़े जहाज में नहीं आना चाहिए क्योंकि छोटे जहाज को महत्व देना चाहिए। इस के लिए शासन को ध्यान देना चाहिए।

दूसरे, 100 दीनार एक आदमी को फाइन होता है। ईराक गवर्नमेंट ने वह फाइल माफ कर दिया है लेकिन सैलिंग वेल्स का फाइन माफ नहीं किया है। उस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?

तीसरा यह है कि ये वैसेल्स पूरे जगत में फिरते रहते हैं। कब क्या हो जाय पता नहीं रहता। इस वास्ते इन वैसेल्स का और सीमेन का बीमा करने के बाद ही उन को समुद्र में उतारने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक उन का बीमा न हो जाय उन को समुद्र में उतरने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि 402 फंसे हुए लोगों के या परिवारों को आप क्या सहायता दे रहे हैं तथा उनको वहां से निकालने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं कह चुका हूं कि उनको वहां से लाने की तत्परता से कार्यवाही की जा रही है और की जाएगी।

माननीय सदस्य ने जो दूसरे सुझाव दिए हैं वह शिपिंग मिनिस्ट्री से संबंधित है और मैं आशा करता हूं कि उस मिनिस्ट्री में इन पर विचार होगा।

———

गंगा नदी के पानी के सम्बन्ध में भारत-बंगला देश समझौते की समीक्षा करने के अन्तर्सरकारी बैठक के निष्कर्षों के बारे में वक्तव्य

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिंचाई और नागरिक पूर्ति मत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे और गंगा के प्रवाह को बढ़ानें के बारे में 1977 के भारत-बंगलादेश करार में इस बात की व्यवस्था है कि इस करार के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर दोनों सरकारों द्वारा इसकी समीक्षा की जाए। तदनुसार, वंगलादेश और भारत ने यह समीक्षा करने के लिए नवम्बर, 1980 में ढाका में, जनवरी, 1981 में नई दिल्ली और 2 से 4 अप्रैल, 1981 तक ढाका में मंत्रियों के स्तर पर बैठकें कीं। यह कार्य ढाका में पिछले सप्ताह हुई बैठक में पूरा कर लिया गया। यद्यपि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में काफी मतभेद बने रहे, फिर भी समीक्षा के बारे में एक परस्पर समस्त वक्तव्य तैयार करना संभव हो गया।

2. 1977 के करार के भाग 'क' में पांच वर्षों की अवधि के लिए फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे के लिए अन्तरिम प्रबंध करने की व्यवस्था है। करार के भाग 'ख' के अनुसार यह जरूरी हैं कि भारत-वंगलादेश संयुक्त नदी आयोगशुष्क मौसम में गंगा के प्रवह में वृद्धि करने के लिए दोनों सरकारों में से किसी एक सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों का अन्वेषण और अध्ययन करें ताकि कोई किफायतें और व्यावहारिक हल ढूंढा जा सके। भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग को अपनी सिफारिशें तीन वर्षों की अवधि में दोनों सरकारों को प्रस्तुत करनी थीं।

3, जहां तक करार के भाग 'क' का संबंध है, बंगलादेश और भारत ने समीक्षा में नोट किया कि "फरक्का में जल बंटवारे के प्रबन्धों को करार के उपबन्धों के अनुसार पूरी तरह क्रियान्वित किया गया था"। इस प्रकार, समीक्षा से यह बात सिद्ध होती है कि भारत ने अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया है।

दोनों प्रतिनिधि मंडलों के बीच जल के बंटवारे के प्रबन्धों के प्रभाव के बारे में मतभेद थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह सिद्ध करने के लिए निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत किए कि कलकत्ता बन्दरगाह के लिए इस-प्रवाह में से अपेक्षाकृत अधिक हिस्से की अविलम्ब आवश्यकता है। यह बात भी सिद्ध की गई कि बंगलादेश को न्यूनतम जल देने की गारन्टी देने वाले खण्ड के कारण 1979 के कम वर्षा वाले मानसून के मौसम के बाद के शुष्क मौसम के बाद के शुष्क मौसम में कलकत्ता बन्दरगाह पर किस तरह बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि फरक्का में जल के व्यपवर्तन से बंगलादेश पर कृषि; मत्स्य पालन, लवणता आदि के बारे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बंगलादेश द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर यह प्रदर्शित किया कि बंगलदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

4. जहां तक करार के भाग "ख" का संबंध है, दोनों पक्षों ने "इस तथ्य को नोट किया कि संयुक्त नदी आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर सका" जो कि करार के अनुच्छेद ix के अनुसार की जानी जरूरी थीं। हालांकि इसके कारणों के बारे में दोनों पक्षों की राय अलग-अलग थी, लेकिन भारतीय पक्ष ने समीक्षा के दौरान यह दर्शाया कि बंगलादेश ने संयुक्त नदी आयोग में जो रवैया अपनाया था, उससे अध्ययनों को शुरू करने में भी रुकावट आई। इसके अलावा, इस बात के वावजूद कि करार में विशिष्ट रूप से यह उपलबन्ध है कि संयुक्त नदी आयोग तीन वर्षों की अवधि के अन्दर जल में वृद्धि करने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करें, यह स्पष्ट हो गया कि बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग के कार्य में सहयोग देने का इच्छुक नहीं था। इन बातों से करार के भान "ख" के क्रियान्वित न होने के कारणों का पता चलता है।

संयुक्त नदी आयोग को दिए गए आदेश की अवधि करार के भाग "ख" के क्रियान्वयन में बना कोई प्रगति हुए नवम्बर, 1980 में समाप्त हो गई। अब यह देखा जाना है कि क्या 1977 के करार के बाहर कोई हल ढूंढा जा सकता हैं : समीक्षा में नोट किया गया कि जल-प्रवाह में वृद्धि करने के प्रश्न के बारे में "दोनों सरकारों को उच्च राजनीतिक स्तर पर फैसला करना होगा"।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) लखनऊ और इलाहबाद के बीच एक अति तीव्र रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को और रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लखनऊ और इलाहबाद के मध्य कोई अति द्रुतगामी रेलगाड़ी नहीं चलती जिससे यात्रियों को बड़ी ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों महानगरो के मध्य केवल एक रेल

गाड़ी एक्सप्रेस चलती है। यह रेलगाड़ी इलाहाबाद से प्रातः 4.45 बजे छूटती है और लखनऊ 9.45 बजे पूर्वान्हिन पहुंचती है। इस प्रकार 200 किलोमीटर से भी कम की दूरी पांच घंटे में तय करती है। गत पहली नवम्बर से इसके विराम स्टेशनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है जिससे इसके द्वारा यात्रा करने पर अधिक समय लग जाता है। इलाहाबाद से कानपुर की दूरी लगभग उतनी ही है जितनी इलाहाबाद से लखरऊ की। परन्तु इलाहाबाद से कानपुर केवल ढाई घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि इलाहाबाद लखनऊ से पहुंचने में पांच घंटे लग जाते हैं।

लखनऊ प्रदेश राजधानी है परन्तु प्रान्तीय सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय इलाहाबाद में स्थित है। हाईकोर्ट, लोक सेवा आयोग, शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, गवर्नमेंट प्रेस आदि अनेक महत्वपूर्ण राजकीय संस्थायें इलाहाबाद में स्थित हैं। प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी इलाहाबाद से लखनऊ जाते हैं और वापिस आते हैं। इलाहाबाद की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता पर यहां कुछ कहना अनावश्यक है। हज़ारों यात्री प्रतिदिन यहां आते हैं। अति द्रुतगामी रेलगाड़ी के अभाव में इन तमाम यात्रियों को बड़ी ही कठनाई का अनुभव हो रहा है। ऐसा अनुभव किया जाता हैं कि इलाहाबाद एवं लखनऊ के मध्य यदि एक अति द्रुतगामी रेलगाड़ी चला दी जाए जो इलाहाबाद से प्रातः लगभग 6.30 बजे छूटे और लखनऊ लगभग 9.30 बजे पूर्वाहिन पहुंच जाये और मार्ग में केवल एक स्थान रायबरेली ज़िला मुख्यालय पर रुके और इसी प्रकार वह लखनऊ से सांय 5.30 बजे चलकर केवल रायबरेली रुकती हुई 8.30 बजे, इलाहबाद पहुंच जाये।

मैं सानुरोध आग्रह करूंगा कि माननीय रेल मंत्री जी इस संबंध में व्यक्तिगत रुचि लें और इलाहाबाद तथा लखनऊ के मध्य अति द्रुतगामी रेल गाड़ी चलाने की व्यवस्था करें जिससे दोनों महानगरों के यात्रियों को होने वाली अनेक असुविधाओं एवं कष्टों का निराकरण हो सके।

राजस्थान में राष्ट्रीय पेड़ विकास संस्थान के कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें

प्रो० पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर). कुछ संसद संदस्य अविक्यनगर, राजस्थान स्थित भेड़ विकास राष्ट्रीय संस्थान की गतिविधियों को देखते गये।

हमें वर्षा पर आधारित इन रेतीले क्षेत्रों में बारह् मखी घास पैदा करने सम्बन्धी किये गये प्रयोगों के परिणामों को देखकर बहुत खुशी हुई है संस्थान ने घास, पैदा करने के लिये कि स्तरीय प्रणाली लागू करने का प्रयास किए अर्थात चारे के लिए घास पैदा करना, चारे की आड़ियां तथा चारे के वृक्ष लगाना ये प्रयोग देश के ऐसे ही क्षेत्रों में लागू किये जा सकते हैं?

यह संस्थान भेड़ तथा बकरी के नस्ल का विकास करने में सफल हुआ है, लेकिन अनुसंधान और प्रचार के बीच बहुत अन्तर है। इस अन्तर को पूरा किया जाये।

बिजली सम्बन्धी अनिश्चितता के कारण संस्थान को प्रयोग करने में कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि इसे जेनरेटर दिया गया है, लेकिन इसे मजबूत किया जाये, क्योंकि सप्लायी संतोषजनक नहीं है।

वरिष्ठ वैज्ञानिकों के 50 स्थान रिक्त हैं। ज्ञात हुआ है कि सुविधाओं के अभाव में वैज्ञानिक वहां नही जाते। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

एक बात निश्चित है। संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की कोई भी सुविधायें नहीं हैं और एवं संस्थान से सीधे-जयपुर के लिये कोई बस नहीं जाती, जिसका होना बहुत जरूरी है।

मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करें ताकि वे पूरे मन से अनुसंधान कार्य कर सके।

(तीन) उड़ीसा में एक अलग पुरातत्व मंडल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही भुवनेश्वर) : उड़ीसा सरकार पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से उड़ीसा के लिये एक प्रथम पुरातत्व मंडल खेलने का अनुरोध करती आयी है। इस समय उड़ीसा मे केन्द्र 66 स्मारकों की रक्षा कर रहा है, जिनमें लिंगराज तथा जगन्नाथ के लगभग 100 मंदिर, ढांचे और कीमती मूर्तियां भी शामिल हैं। उपमंडल कार्यालय होने के कारण प्रलेखन, सर्वेक्षण, खोज, खुदायी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इसके अतिरिक्त कोणार्क स्थित विश्व विख्यात सूर्य मंदिर तथा लालीगीरी, उदयगिरि तथा अन्य स्थानों की ऐतिहासिक बौद्ध मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि राज्य की एक पृथक पुरातत्व मंडल की मांग उचित है जिसकी ओर भारत सरकार द्वारा शीघ्र ध्यान दिया जाना जरूरी है यदि पूर्वीमंडल का विभाजन किया जा रहा है तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा राज्य के लिये एक पृथक मंडल स्थापित किया जाये।

(चार) दमोल पत्तन को महापत्तन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : बम्बई नगर की रहन-सहन की असंतोषजनक परिस्थितियां विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई हैं तथा स्थिति में इस सुधार करने के लिए सरकार ने दूसरी बम्बई योजना आरम्भ की है और यदि उद्योगों एवं जनसंख्या के जमाव के स्थायी रोक-थाम के साधन नहीं ढूड निकाले जाते हैं तो यह निश्चित है कि कुछ ही वर्षों में इसके भयानक परिणाम फिर से व्यापक रूप में प्रकट हो जाएंगे। अतः इसका स्थायी हल ढूंढने के लिए एक ऐसा स्थान ढूढ निकालना होगा जहां वर्तमान बम्बई या दूसरे बम्बई से कहीं अधिक अच्छी एवं भरपूर मात्रा में और कर खर्च पर सुविधाएं मिल सके।

आधुनिक औद्योगिक नगर की तमाम आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, रत्नगिरी जिले में महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र-तट पर बनी दमोल बन्दरगाह के विकास से इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तथा सुन्दर एवं सस्ती जगह मिल जायेगी और एक बार जब कोई केन्द्र बन जाता है तो उद्योगपति और व्यापारी उस ओर दौड़ पड़ेंगे।

महोदय, दमोल बन्दरगाह को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर इसे बड़े बन्दरगाह के रूप में विकसित करने की जो प्रथम दृष्टया जो आवश्यकता है उसके अनेक प्रबल कारण हैं यह बन्दरगाह बम्बई से केवल 10 कि० मी० दूर दक्षिण में स्थिति है और विगत समय में समुद्र के रास्ते होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का यह प्रमुख बन्दरगाह था। डाक रजिस्टर के उद्धरण से पता चलता है कि बच्चों ने इसकी 18 पाथोम की अर्थात् 108 फुट की गहराई का पता किया था। नवीनतम समुद्री सर्वेक्षण के अनुसार इसकी गहराई 55 फुट है जों कि भारत की अन्य किसी भी बन्दरगाह से अधिक है। इस गहराई वाले भाग की लम्बाई लगभग तीन मील है और चौड़ाई लगभग आधा मील है। यह बन्दरगाह विश्व में बनने वाले विशालतम समुद्री जहाजों के निर्माण और लंगर डालने के लिए उपयुक्त है। वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) सोमन ने इस बन्दरगाह का सर्वेक्षण करने के बाद कहा है; दमोल समुद्री पट्टी स्वयं बन्दरगाह के रूप में विकसित किए जाने के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है और प्रारम्भ में इसमें से मिट्टी भी आसानी से निकाली जा सकती हैं और उसके बाद मिट्टी निकालने के काम में कम से कम खर्च आयेगा। इस समूद्री पट्टी को गहरे पानी वाले बन्दरगाह के रूप में विकसित किया जा सकता है जिसमें अन्तत: 100 जहाजों को खड़ा करने की क्षमता होगी।

कोयाना संयन्त्र इस स्थान से 35 मील की दूरी पर है बन्दरगाह के दोनों ओर की पहाड़ियां सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी लाभप्रद हैं। पश्चिमी तट रेलवे लाइन इस स्थान से 25 मील से 30 मील की दूरी से गुजराती है। राज्य सरकार ने लाखों रुपये व्यय करके इस बन्दरगाह पर जहाजों के लिए घाट बनवाया है। इस समुद्री पटी के दोनों ओर और बहुत ही स्वास्थ्य कर कोंकणा पठार पर बहुत सारी भूमि है यहां सस्ते मजदूर भी उपलब्ध हैं।

इसलिए नौवहन और परिवहन मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे दमोल बन्दरगाह को प्रमुख बन्दरगाह में बदलने की सम्भावना पर विचार करें तथा इस परियोजना के अध्ययन हेतु एक समिति नियुक्त करें। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि सुधारे गए उपाय शीघ्र कर दिए गये तो कोंकण के उन लोगों के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े जिनकी पिछले तमाम वर्षों में पूरी तरह से अब है लेना की गई है :

(पांच) हाल ही की जनगणना धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में गलत जानकारी दर्ज करने का समाचार

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में 1981 में हुई जनगणना भारत में जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने की दशक श्रृंखला में 12 वीं जनगणना थीं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस व्यापक प्रक्रिया में जो कि सभी प्रकार की योजनाओं को बनाने के लिए एक आधार बनेगी जो सूचना अभिलिखित की गई है उसमें पूरी जानकारी और सही जानकारी की दृष्टि से ऐसी बहुत सी शिकायतें भी की हैं कि जो सूचना दी गई है उसके रिकार्ड करने में खामियां एवं गलतियां हैं और विशेष रूप से ये गलतियां धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के

बारे में है । ऐसी भी गम्भीर शिकायतें मिली हैं कि जनगणना करने वाले कई गांवों और बस्तियों में नहीं गये बहुत जनगणना करने वालों ने कोरे कागज का ही उपयोग किया है कालमों के गलत खाली छोड़ने और पैंसिल से भरने की भीं शिकायतें मिली हैं ।

उर्दू इसका सबसे शिकार हुई है । उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गणना करने वालों ने हिन्दी के सरकारी भाषा होने के आधार पर हिन्दी से अलग अन्य भाषा न लिखाने पर जोर दिया है । देश भर से इस आशय की बहुत सी शिकायतों को देखकर उर्दू को मातृ भाषा के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू के महा-सचिव ने नई जनगणना कराने और देश भर में भाषाई कालम का संशोधन करने की मांग की है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आमतौर से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध की सूचना की जांच करने, संशोधन करने और परिशुद्धता तथा उपयुक्तता निश्चित करने के लिए कदम उठाए और विशेषकर उर्दू के मामले में यह कदम उठाए मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में सदन में एक वक्तव्य है ।

(छः) वनस्पित के मूल्यों में वृद्धि के समाचार

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, नियम 377 के अधीन में निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं ।

ऐसा समाचार मिला है कि वनस्पति घी के निर्माताओं ने 16.5 कि० ग्रा० के टीन पर 3.15 रुपये से लेकर 210.40 रुपये तक की एकतरफा मूल्य वृद्धि की है । दामों में यह वृद्धि केवल एक मास बाद ही हुई हैं । ऐसा ये लोग तभी करते हैं जब निर्माताओं और सरकार के बीच बातचीत चल रही होती हैं अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पर्याप्त मात्रा में आयातित तेल का आयात कर और देश में उपलब्ध भण्डार का उचित विवरण कर, यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो ।

(सात) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ओजवृद्धि से हुई फसल की क्षति के लिए किसानों को राहत

राजेश पाईलट (भरतपुर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं ।

देश के विभिन्न स्थानों से विशेपकर उत्तर प्रदेश और रास्थान के कुछ जिलों से ऐसे समाचार मिले हैं कि वहां गेहूं की तैयार फसल को ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा है । मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ समय तक राजस्व की वसूली को स्थगित करके इस स्थिति में गरीब किसानों की सहायता करने के लिए हस्तक्षेप करे और उनकी हानि के अनुरूप प्रभावित किसानों को तदर्थ वित्तीय सहायता भी दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित होती है ।

1.07 बजे म० प०

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.11 बजे म० प०

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 11 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुदानों की मांगें 1981-82 (जारी)

श्रम मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्रम मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान की मांगों पर और आगे चर्चा तथा मतदान आरम्भ करते हैं श्री मूलचन्द डागा बोल रहे थे ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हमारा संविधान जो हमारे अरमान है उनको मूर्तरूप देने का एक अस्त्र है । यदि श्रम मन्त्री जी इस अस्त्र का मजबूती और दृढ़ता के साथ उपयोग नहीं करेंगे तो हिंसक क्रान्ति होने की पूरी सभावना है । इस वास्ते मेहरबानी करके दीवाल पर लिखे हुए इस वाक्य को आप पढ़ ले ।

मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है । लगता वह श्रम मन्त्री जी की लिखी हुई नहीं है । इसमें केवल गोष्ठियों, परिचर्चाओं और चर्चाओं का ही विवरण दिया गया है । हिन्दुस्तान की जनता क्या चाहती है ?

राज बदल जाए यही वह नहीं चाहती है । वह चाहता है कि समाज बदले और एक शोषण-विहीन समाज की स्थापना हो । जब तक ऐसा नहीं होता है लोगों का शोषण होता रहेगा । संविधान की धारा 23 में यह कहा गया है :

मानव का पण्य और बेर बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा ।

इसके बाद सरकार ने कानून बनाया ।

बन्धूआ श्रमिक प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम । जो कि 1976 में लागू हुआ । इस कानून के लागू हो जाने के बाद भी आज हिन्दुस्तान में 23 लाख बांडिड लेबर है । यह मेरा नहीं आप ही का आंकड़ा है । आन्ध्र में इस बांडिड लेबर की कुल संख्या आपने 3 लाख 25 हजार बताई है, बिहार में 1 लाख 11 हजार, गुजरात में 1 लाख 71 हजार, कर्नाटक में 1 लाख 93 हजार, मध्य प्रदेश में 4 लाख 67 हजार और हमारे यहां राजस्थान में 67 हजार । कई प्रांतों का इसमें जिक्र नहीं है । कुल आंकड़ा आपने 22 लाख 40 हजार बताया है ।

बन्धुआ मजदूर क्या है ?

"अन्य खेतिहर मजदूरों की तरह वे भी स्वतन्त्रता से अपना श्रम बेचकर, श्रम बाजार में भाग नहीं ले सकते हैं । एक बन्धुआ मजदूर एक मानव-पशु होता है और जमींदार के लिए एक भैंस से बढ़कर उसका अर्थ नहीं है । अपने अपने अधिकारों को खोने का एक मुख्य कारण यह है कि उसने साहूकार एवं जमींदार से ऋण लिया होता है और एक करार किया है कि जब तक ऋण की अदायगी नहीं होती है वह जमींदार के लिए काम करता रहेगा ।"

जब मैंने प्रश्न पूछा तो आपने उत्तर दिया कि 68% बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के हैं और 43% बंधुआ मजदूर अनुसूचित जनजाति के हैं ।

और मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि बांडिड लेबर पर अभी हिन्दुस्तान में एक आर्टिकल निकला था' गुलामी के अवशेष बन्धुआ मजदूर ।' हिन्दुस्तान में तिवारी जैसे श्रम मन्त्री और श्रीमती राम दुलारी सिन्हा जैसी श्रम राज्य मन्त्री हों और देश के आजाद होने के बाद भी अगर बन्धुआ मजदूर देश में हों तो उनकी क्या हालत हो सकती है, इसका आप स्वतः अनुमान लगा लीजिये । उस आर्टिकल में लिखा है । मैं सारा नहीं पढ़ूंगा ।

एक बड़ा मालिक किसान वर्ग ऐसा भी है जहां बंधुआ मजदूर गाहे-बगाहे शारीरिक शोषण भी सहता है-मालिक के थप्पड, जूतों, लातों, घूसों की मार । गांव के जाने माने लोग या बहुमत उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वह मालिक का बंधुआ हैं और सदियों से चले आ रहे घिनौने समंती वातावरण में उसे पीटने का मालिक को नैतिक अधिकार मिल गया है । विद्रोह की स्थितियां सामान्यत· पैदा नहीं होती हैं, पैदा हों, तो कुचल दी जाती हैं ।

इस प्रकार का बोंडेड लेबर अगर देश में हो तो कितने दुख की बात है आपने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है ? बड़ी मेहनत कर रहें हैं क्योंकि श्रम विभाग है और उसकी तारीफ भी करनी चाहिये । लेकिन मुझे दुख है कि श्रम विभाग किस प्रकार से काम करता है । श्रम विभाग का नाम रख दो परिचर्चाओं और गोष्ठी का विभाग । बौढ़ेड लेबर के लिये आपने क्या किया ? बोंडेड लेबर के लिये लिखा है, इस चैप्टर को देखिये । पहले हुई सेक्रेटरीज़ की मीटिंग ।

उसके बाद मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उसके बाद सबजेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई ।

1966 में बोंडेड लेबर कानून हमने पास किया था, हमने सोचा था कि यह कुप्रथा समाप्त हो जायगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को आपने इस कानून का उल्लंघन करने के अपराध में चालान किया? जनता पार्टी का राज्य आया, राजस्थान में मुझे पता है कि बोंडेड लेबर्स के लिये जिनके खिलाफ मुकदमों को वापस ले लिया। लेकिन 1980-81 में कितने बंधुआ मजदूरों को आपने शिक्षित कर दिया? कितनों को आपने मुक्ति दिला दी? कितनों का आपने ऐक्ट के अधीन चालान कर दिया केवल किताबों में लिखने से ही काम नहीं होता। मिनिस्टर्स ने लिख दिया कि हमारी हैसियत नहीं है पैसा देने की। स्टेट्स ने यह लिख दिया। गवर्नमेंट इज़ अगेन कंसीडरिंग। आप इंट्रोडक्टरी और जनरल चैप्टर पढ़ लें। हर बात विचाराधीन है। धीरे-धीरे चलने की गति ने आपने किस स्थान पर पहुंचा दिया है। अगर आपके चलने की यही गति रही तो हम शोषण-विहीन समाज की स्थापना नहीं कर सकते, जिसकी जिम्मेदारी को आपको निभाना होगा।

अब मैं आपको दूसरा ऐक्सप्लायटेशन बताता हूं।

आज हमारे देश में बच्चों की क्या हालत हैं उनका किस प्रकार से शोषण होता है? हमारे श्रम मंत्री बहुत अच्छा भाषण देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है:—

"श्रम मन्त्री महोदय ने हमें सूचित किया था कि 1971 की मतगणना के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यकारी दल के आधार पर रोजगार में लगे बच्चों की संख्या अनुमानतः 107 लाख और 1978 में यह संख्या बढ़कर 163 लाख हो गई थी।"

जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध हैं, अनुच्छेद 24 में कहा गया है,

'चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी संकट मय नौकरी में लगाया जायेगा।"

अनुच्छेद 39 (च) में कहा गया है:

"कि बच्चों को स्वास्थ्य ढंग से और स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठा की परिस्थितियों में विकास करने के अवसर और दियें जाये सुविधाएं और शैशव तथा किशोर अवस्था के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

हमारे भूतपूर्व श्रम मन्त्री ने मेरे एक प्रश्न का बड़ा अच्छा उत्तर दिया उसके उत्तर को मैं पढ़ रहा हूं

"सरकार ने बाल श्रमिकों की समस्याओं की जांच करने के लिए श्री एम० एस० गुरूपद-स्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने असंगठित क्षेत्र में बाल-श्रमिकों और घरेलू नौकरों के रूप में काम करने वाले बालकों की समस्याओं का ध्यान रखा। समिति का

यह विचार है कि हालांकि बाल-श्रमिकों की संख्या अधिक है लेकिन उन्हें वे अधिकार और हैसियत नहीं दी गई है, जो कि घरेलू नौकरों को मिलनी चाहिए। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, जो अब हाल ही में नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचाराधीन है गुरूपदस्वामी समिति की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच करने के पश्चात हों बाल-श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए कानून बनाने की बांचनीयता और आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

हमेशा यही कहा जाता है कि विचार किया जायेगा। यह कितने दुःख की बात है कि तीस साल के बाद भी गवर्नमेंट यही बात कहे हम विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इन दो शब्दों को डिक्शनरी में से विकास देने की सलाह देते हैं?

श्री मूल चन्द डागा : उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि यह विचाराधीन है। हर बात विचाराधीन है।

मैं राष्ट्रीय श्रम संस्थान के प्रतिवेदन से उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :

"बच्चों का शोषण और दुरुपयोग आसानी से हो सकता है इससे समाज में शोषण की इस बुराई को बल मिलना हे। जैसे कि मित्रों ने सही कहा है कि 'छोटी आयु में अत्यन्त कम मजूरी बड़े होने पर अधिक मजूरी दिलाने में सहायक नहीं होती और अतः मजूरी में धीरे धीरे वृद्धि होती है जिससे उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है सुगमता से और अधिक मात्रा में सस्ते श्रम की उपलब्धता से असंगणित क्षेत्र में व्यस्कों की अधिक मंजूरी की मांगों को हमेशा कटौती करने के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है और यह संगठित क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन के लिये खतरा भी बन सकती है।"

उन्होंने बताया है कि बच्चों का शोषण किस प्रकार किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना समय नहीं है कि मैं सारी बातें रखूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है। मैं इस विषय में भूतपूर्व मंत्री, श्री जे वी पटनायक, का उत्तर पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। चार महीने या दो साल पहले जो जवाब दिया जाता है, वही जवाब फिर दोहरा दिया जाता है।

इस उत्तर के भाग (एक) में यह कहा गया है :

बच्चों को रोजगार में लगाने से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिये सरकार ने पिछले वर्ष एक समिति का गठन किया था और उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। काम करने वाले अधिकांश बच्चे उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जहां उनकी कार्य की शर्तें तथा उनकी मजूरी को निमित नहीं किया गया है तथा वर्तमान कानून के अंतर्गत कृषि तथा अन्य

सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी बच्चे पूरी तरह नहीं आते उपरोक्त समिति ने इस सम्ब ध में भी कुछ सिफारिशें की हैं। इस समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है।"

तो यह लेवरर के बारे में मैंने बताया कि लेवरर्स की क्या हालत हो रही है।

एक प्रश्न का जवाब देते हुए हमारे श्रम मंत्री जी ने वड़ा दुख जाहिर किया है और बड़ी सिम्पैथी दिखाई है।

7 अगस्त, 1980 को वारांकित प्रश्न संस्था 893 के उत्तर में यह बताया गया :

"इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अनेक बच्चों को ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है जो इनके स्वास्थ्य और विकास के लिये हानिकारक होती हैं। वास्तव में कितने साल-श्रमिका हैं इसका कोई ठीक अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर मार्च, 1978 मे बाल श्रमिकों की संख्या 163 लाख बताई गई है। इसमें से अधिकांश बाल-श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में है, इनमें से अधिकांश परिवार के कार्यकर्त्ता हैं जिन्हें उनके कार्य की मजूरी नहीं दी जाती, यह बाल-श्रमिक कृषि, घरेलू उद्योगों तथा अन्य परम्परागत व्यवसायों में हैं "

आजकल बच्चों की हालत होटलों में, दूकानों में और घरों में क्या हो रही है? उन का वहां जो शोषण होता है उस से उनकी रक्षा करने वाला कोई है या हम किसी प्रकार से उनको उस शोषण से बचा सकते है ?

अब मैं आपके सामने एक बात मिनिमम वैजेज के सिलसिले में बताना चाहता हूं। यह मेरा तीसरा प्लाइंट है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है आप अपना भाषण समाप्त करने वाले है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि यह सब बातें सुनना अच्छा नहीं लगता मुझे पूरी तरह से पता है।

लेकिन मेरा कर्त्तव्य है कि मैं ये बातें आपके ध्यान में लाऊं। आगे तो आप की इच्छा पर है।

आप यह सोचिए कि क्या इन के मिनियम वैजेज़ का स्टेंडर्ड है और यह मिनिमम वैजेज़ कहां लागू होता है ? इसके बारे में मैंने बहुत अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि यह मिनिमम वैजेज़ तो केवल नाम के लिए है।

यह तो बस नाम के लिये ही है। 'इक्कोमिक एण्ड पोलिटअन वीकली में कहा गया है :

राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 में यह रिपोर्ट दी थीं कि तब तक न्यूनतम मंजूरी अधिनियम प्रत्येक राज्य में बिलकुल लागू नहीं हो रहा है।" उसके बाद के वर्षों के लिये 1974-75 के ग्रामीण श्रम जांच करे यह निष्कर्ष कि केवल 2 प्रतिशत कृषि श्रमिक ही न्यूनतम मजूरी अधिनियम के बारे में जानते हैं।"

अब इस मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करने का सवाल ही क्या पैदा होगा ? इसके लिए तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है आपने उसके लिए बहुत कुछ जाहिर किया है, बहुत सी बातें मंत्री महोदय ने जगह-जगह कही हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा। आप मेहरबानी करके बताइए कि इस ऐक्ट के तहत 1980-81 के अंदर कितने आदमियों का चालान हुआ था और सजा हुई है ? एक भी इंस्टैंस वह बताए। तो वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट केवल स्टूचट पर आपकी गवर्नमेंट क्या कह रही है—

यह कहा गया है; "यह विचाराधीन है।" प्रत्येक बात विचाराधीन है। भगवान हमारी सहायता करें। प्रश्न न्यूनतम मंजूरी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वियन का है। इसका कार्यान्वियन कैसे हो रहा है ? महोदय कृपया मुझे दो या तीन मिनट और दीजिए ताकि मैं अपना भाषण समाप्त कर सकूँ। पहले वह सचिवों की बैठक बुलाते हैं यह बैठक अप्रैल, 1980 में बुलाई गई। यह विचारधीन है। उसके पश्चात जुलाई में श्रम मन्त्रियों की बैठक होती वह मन्त्रियों की एक छोटी सी निकाय बनाते हैं। परिणाम क्या होना है वह अभी विचाराधीन है प्रत्येक बात विचाराधीन रहती है।

यह आपका अलग ही विभाग है यहां पर जो चर्चायें होती हैं और जो निर्णय होते हैं वह सभी विचाराधीन रहते हैं और 13 सचिवों, उप सचिवों, सयुक्त सचिवों, मत्रियों तथा सभी राज्यों के श्रम मन्त्रियों की बैठक होती रहती है।

जहां तक पार्टिशन आफ लेबर की बात है, हमारा सविधान क्या कहता है ? सविधान के अनुच्छेद 43क में यह व्यवस्था है ;

राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रेस प्रबन्ध में कर्मकारी का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगा।"

वर्कर्स पार्टिशन पर हमारे मिनिस्टर साहब क्या जवाब दे रहे हैं ? इट्ज अण्डर कंसिडरेशन। मैंने यह सोचा कि यह अण्डर कंसिडरेशन का चेप्टर है, इसको रखा ही न जाए तो बहुत अच्छा होगा।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने उत्तर दिया है :

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गंगा, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप अपना भाषण समाप्त करें, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा यह अनुरोध भी विचाराधीन है।

श्री मूल चन्द्र डागा : श्रीमती दुलारी सिन्हा ने कहा है :

"श्रम मन्त्रियों ने अपनी स्थाई समिति की उप-समिति की 12 जनवरी, 1981 की अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ प्रबन्ध में श्रमिक योगदान सम्बन्धी योजनाओं के लिए विधायी समर्थन की सिफारिश की थी। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही के सम्बन्ध

में सरकार विचार कर रही है।"

श्री प्रणब मुखर्जी ने 4 फरवरी 1981 को यह बात कही थी :

"यह अधिक उत्पादन और उत्पादकता औद्योगिक शान्ति और सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति के हित में है इसीलिए श्रमिक के योगदान को सरकार द्वारा आर्थिक समाजिक विकास के लिए आरम्भ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान दिय गया है।"

क्या मैं पूरा अनुच्छेद पढ़ दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

हम लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, जो तथाकथित नेता बन जाते हैं, हम जो जनता से कहते हैं कि आप देश को बनाने वाले हो, यह बातें हम क्यों करते हैं? आप देखिए पार्टिसिपेशन की जो बात है वह भी अण्डर कंसिडरेशन है, क्या पब्लिक सेक्टर में हम इसको नहीं कर सकते हैं? तमाम आर्टिकल्स की कटिंग्ज मेरे पास मौजूद हैं, आपकी इजाजत से मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा।

'मेकिंग पार्टीसिपेशन वर्क' में निम्नलिखित बातें कही गई हैं :

"उद्योग में श्रमिकों की योगदान सम्बन्धो योजना जो 20 सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है, उस दिशा में एक अगला कदम है ताकि मानव शक्ति और अकांक्षांओं को सामूहिक क्रिया द्वारा रचनात्मक उद्देश्यो के लिये प्रयुक्त किया जा सके।"

वह गांव में आकर रहने वाला मजदूर जो गांवों में रहता है और अपना खून पसीना बहाता है; उसको भी तो हिस्सेदार बनाइए, वह भी मालिक बने, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने संतुलन अपने व्यवहार में अपना रखा है और संतुलन जब तक व्यवहार में रहेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि कठिनता के साथ संविधान में जो आर्टिकलस हैं, उनका अनुपालन करना पड़ेगा। इन्डीस्ट्रिलिस्ट की ओर भी देखा जाए, यहां पर एक्सप्लायटर्स का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां तक वर्कस के पार्टिसिपेशन का सवाल है, यदि यही स्थिति रही तो किस प्रकार से रह सकता है।

आप हमेशा राष्ट्रीय वेतन नीति का वक्त कहते —हैं कि समान कार्य के लिए समान ही वेतन हो। संविधान में नेशनल वेज पालिसी में लिखा हुआ है।

यह भी विचाराधीन है। अतः आप कहां पहुंचते हैं? आज तक आपकी नेशनल वेज पालिसी नहीं बनी है और इसके ऊपर आर्टिकल्स के आर्टिकल्स निकल गए हैं। हर जगह अखबार वाला कहता है कि नेशनल वेज पालिसी बननी चाहिए। तो मुझे यह कहना पड़ता है कि अभी नेशनल वेज पालिसी नहीं बनी है। इसके लिए आपको तत्परता के साथ कदम उठाने होंगे और अगर कदम नहीं उठाए गए तो हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत बुरी हालत होगी; तथा देश की हालत

और खराब होगी क्योंकि जो झगड़े होते हैं उनका सबका एक ही कारण है। जो गांव में मशीनों पर काम करता है यदि उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया तो लोग कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और वह हमारे भरोसे नहीं रहेंगे। संविधान टूट जाएगा और संविधान पर दूसरे हस्तक्षेप करेंगे। यदि संविधान के आर्टिकलस को निभाना है, तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को निभाना है, अपने शरीर को मोटा नहीं करना है, जिन लोगों के शरीर पर चर्बी नहीं है, उनको चर्बी देनी चाहिए और जिन पर चर्बी बढ़ी हुई है, उनको कम करना चाहिए। यदि नहीं किया गया तो यह ढाचा बिगड़ जाएगा।

हिन्दुस्तान में मजदूर और गरीब लोग रहते हैं। यह गरीबों का देश है जैसाकि आपने अपने भाषण में कहा है कि 50 करोड़ लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं। इसी प्रकार की खबर योजना भवन से आती है, लकिन उन लोगों को ऊपर उठाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जाता मैं चाहता हूं कि आप अपने कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, लेकिन मन्त्री जी का उत्तर होगा कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, हम लोग तो केवल गाइड करते हैं। जाने दीजिए, आप स्टेट की बात मैं आपसे दिल्ली के बारे में पूछता हूं, यहां पर आपका राज है आप यहां पर जो करते हैं, मैंने सबको देखा है। हिन्दुस्तान में कोई राज्य ऐसा नहीं है केवल पंजाब के सिवाय जहां न्यूनतम मजदूरी के कारण सभी खेतिहर मजदूर गरीबों की रेखा से नीचे रहते हैं। आपकी लिस्ट के मुताबिक चार हजार रु० से उपर मिलने वाला गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहता। त्रिपुरा में 2,628 रु० मिलते हैं, बिहार में 2,575 रु० मिलते हैं, उडीसा में 2,535 रु० मिलते है, उत्तर प्रदेश में 1,742 रु० मिलते हैं, केरल में 1,721 रु० मिलते हैं और महाराष्ट में 1,632 रु० मिलते हैं—यदि मैं इस सारे आकड़ों के बारे में कहूं तो इतना समय नहीं है और फिर घंटी बज जाएगी।

अब आप ट्रेड-यूनियन ऐक्ट और इन्डस्ट्रिज रिलेशन्स एक्ट के बारे में व कह से कह रहे हैं कि यह विचाराधीन है। आपने अभी तक ट्रेड-यूनियन एक्ट नहीं पलटा और न ही इन्डीस्ट्रिज रिलेशन्स एक्ट को पलटा—आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले सैक्रेटेरीज की मीटिंग होगी, फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मंत्री तथा सैक्रेटरी बैठ करके बात करते हैं फिर हमारे भाषण छपते हैं और अखबारों में रेडियो में आ जाता है कि आज यह मिटिंग हुई, जुलाई के अन्दर मंत्रियों की मीटिंग हुई और अप्रैल के अन्दर सेक्रेटरीज मीटिंग हुई। उसके बाद सब कमेटी बन जाती हैं और फिर वह सब-कमेटी मामले पर विचार करती है। अगर यही हमारे काम करने का ढंग रहा तो कैसे हम प्रगति कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश तो यह है कि एक मिनट के अन्दर निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए और जो भी निर्णय लिया जाए, उसको सख्ती से लागू करना चाहिए। अगर उसको लागू नहीं कर सकते हैं, तो संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान को अलग फेंक देना चाहिए। संविधान बनने के 32 वर्ष बाद भी ऐसी स्थिति है।

अब सेफ्टी के बारे में परसों ही अखबार में निकला है।

गिरा अपित अनुशासनहीनता भी बढ़ी । परिणामतः माननीय श्री मती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः देश की जनता ने उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया और उन्हें जनता पार्टी शासन द्वारा श्रमिक अशांति और महंगाई, अनुशासनहीनता एवं अराजक्ता का वातावरण है । इस पर काबू पाने के लिए हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रयास कर रही है उसकी प्रशंसा किए बोर में नहीं रह सकती हूं । यह उनकी दूरदर्शिता और श्रमिकों के प्रति उनके विशेष लगाव का प्रतीक हैं ।

इस थोडे से समय में न केवल श्रमिक शान्ति का वातावरण पूरे देश में बना है, अपितु हर क्षेत्र में अधिकाधिक श्रमिक विकासों का उपभोग कर उजड़ी हुई उत्पादन व्यवस्था में स्थिरता आई है । इस सब के लिए मैं श्री नारायण दत्त तिवारी और श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की भी सराहना करना चाहूंगी जिन्होंने अपने कुशल मार्ग दर्शन से देश श्रमिक शान्ति के लिए उल्लेखनीय वातावरण और ठोस धरातल बनाया है । श्रम विभाग ने बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिला कर उनके पुनर्वास के लिए छठी योजना में 25 करोड़ रुपये रखे हैं । 1981-82 के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान कर उन्हें शासकीय सेवाओं में चालीस वर्ष की आयु तक भर्ती करने की जो व्यवस्था की है, वह इस बात की परिचय परिचायक है कि वर्तमान सरकार बन्धुआ मजदूरों को वास्तव में अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है ।

श्रम विभाग ने देश के सबसे बड़े ग्रामीण कृषक वर्ग को संगठित करने की जो योजना है और जिसको 981-82 में केन्द्रीय विधान के रूप में लागू करने की योजना है वह भी इस बात का प्रमाण है कि सरकार और उनके लिए रोजगार उपलब्ध करानें तथा समान कार्य के लिए समान वेतन अर्थात मजदूरी वितरण में महिलाओं के उत्पीड़न की ओर जग हैं और प्रयास भी कर रहे हैं । किन्तु विभिन्न राज्यों से इसके प्रभावी परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं । अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह महिला श्रमिकों के लिए पग उठाए । सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के फाल्तु घोषित किए गए कर्मचारियों को दूसरे रोजगार प्रदान करने के सरकारी प्रयास सराहनीय हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह इस में और तेजी लाने का प्रयास करे । सरकार ने अपंग व्यक्तियों और युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को रोजगार के जो अवसर प्रदान किए हैं वह भी सराहनीय तो है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विक्लांग वर्ष में उन्हें शत प्रतिशत रोजगार के अवसर प्रदान कर सरकार अपने दायित्व का निर्वाह कर एक कीर्तिमान स्थापित करे । अन्तर्राष्ट्रीय विक्लांग श्रमिकों के लिए जो योजनाएं घोषित की गई हैं उनको मूर्त रूप देना परम आवश्यक है श्रम विभाग ने अनुसूचित जाति और जन जाति के उम्मीदवारों के लिए अध्ययन सुविधायें प्रदान करने और मार्गदर्शन करने तथा रोजगार के जो अवसर प्रदान किए हैं वह भी एक सराहनीय कार्य है ।

केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी और केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने 23 दिसम्बर 1980 को क्रमशः इस सदन और राज्य सभा में पत्रकारों और गैर पत्रकारों के कल्याण के लिए वर्णित पालेकर आयोग की सिफारिशों को लागू करके और

बड़े पत्र समूहों द्वारा अंशकालिक संवाददाताओं की छटनी को अवैध मानने की घोषणा करके यह सिद्ध कर दिया था कि केन्द्रीय सरकार देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की सबसे बड़ी हामी है इस अवसर पर मे केन्द्रीय श्रम मंत्री माननीय श्री तिवारी जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से खींचना चाहूंगी कि उनके द्वारा सदन में और सदन के बाहर अंशकालिक संवाददाताओं की छंटनी को रोकने के लिए जो घोषणाएं है उसको कार्यरूप देने के लिए वह कोई कानून बना रहे हैं ?

अगर बना रहे हैं तो कब तक ? साथ ही रेल स्टेशनों पर काम करने वाले लगभग साढ़े 5 लाख पोर्टर्स, वेंडर्स, वीयरर्स के लिये कानून बना कर संरक्षण दिया जाए जिससे वह अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य): डिप्टी स्पीकर साहब, आज अपनी इस सरकार में श्रम मंत्रालय की जैसे दाई के पास बच्चा बड़ा होता है, वैसी ही इसकी हालत है । और अभी डागा जी ने भाषण किया सारी चीजें अन्डर 'सीडरेशन हैं । उस पर कुछ आश्चर्य की बात नहीं हैं क्योंकि दाई बेचारी क्या कर सकती है बच्चे की सदा मांग ही रहती है, अन्डर कंसीडरेशन ही रहती है । यह मंत्रालय एक वेटिंग रूम हो गया है मिनिस्टर्स के लिये । एक साल में 3 मंत्री बदल गये, और हर एक की आशा है कि कौन से प्रान्त में मुख्य मंत्री बने । पहले पटनायक साहब थे वह उड़ीसा में मुख्य मंत्री बन कर चले गये, उसके बाद अन्जैया जी आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री बन कर चले गये, और हमारे वर्तमान श्रम मंत्री जी अभी असम हो कर आये हैं, खुशी है कि वह इस समय सदन में मौजूद हैं । इसलिये जो प्रस्ताव होते हैं कम से कम एक साल में अन्डर कंसीडरेशन का प्रोग्राम न रह कर काम हो आया करे । अगर दाई बच्चे को अपने गले लगा ले तो अच्छा हो सकता है ।

पालेकर अवार्ड एक अच्छी बात हो गई । हमारे जर्नलिस्ट इस अवार्ड के लिये कितने सालों से राह देख रहे थे । लेकिन अभी तक उसका इमप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है । पार्ट टाइम जर्नलिस्ट को सिस्टेपेटिक्ली काम से निकाले जाने की व्यवस्था हो रही है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि एक तो सरकार को गाइडलाइन्स तुरन्त देनी चाहिये कि इसको किस प्रकार से इमप्लीमेंटेशन किया जाए । बिना देर लगे इस अवार्ड का इमप्लीमेंटेशन होना चाहिये । दूसरे एक अथोरिटी क्रीएट करनी चाहिये जिसके जरिये इस अवार्ड का इमप्लीमेंटेशन देखा जा सके । पार्ट टाइम जर्नलिस्ट का प्रोटेक्शन भी होना चाहिये । और इतना ही नहीं एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिये कि कहां तक यह हो सकता है । अगर ऐसा यहीं करेंगे तो पालेकर अवार्ड किताब की शक्ल में पड़ा रहेगा और फिर जर्नलिस्टस को अपने संगठन के जरियें जो मांगे मन्जूर हो गई हैं उनके इमप्लीमेंटेशन के लिये कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी । मुझे लगता है जर्नलिस्टस, जैसे डागा जी ने भी कहा, हमारे लोकतंत्र के लिये बहुत ही महत्व का काम करते हैं, और उनको अगर सरकार की ओर से असंतुष्ट रखा जाता है तो अपनी इच्छा से वह बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जिससे सरकार को भी चोट लग सकती है । इसलिये उनको असंतुष्ट नहीं रखना चाहिये ।

रिपोर्ट में कहा गया है मैन डज़ लौस्ट पिछले 5 साल में कितने हो गये ? मैन डज़ लौस्ट के बारे में मैं डिसप्यूट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि आज खाने की चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गये हैं, प्राइस इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है। यूनियन राइवैलरीज़ की वजह से खतरा हो रहा है। किसी को एन० एस० ए० में बन्द किया जा रहा है। ऐसी हालत में जो शांति दिखाई दे रही है वह एक ज्वालामुखी है, अगर रिप्रैसिव मेजर्स से आप शांति बनाये रखना चाहते हैं तो वह आपको शांति से बैठने नहीं देगा और कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिये इंडस्ट्रियल पीस देश के लिये, प्रोडक्शन के लिये बहुत जरूरी है और वर्कर्स का सहयोग लेना अति आवश्यक हैं। अगर ऐम्प्लायर, वर्कर और सरकार तीनों एक साथ मिल कर कुछ सुझाव अगर तैयार करते हैं तो देश का प्रोडक्शन बढ़ाने में किसी का विरोध नहीं होगा। अगर यह करना है तो रिप्रेसिव मेंजर्स से नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. दंडवते, आपके पांच मिनट समाप्त हो गये हैं।

प्रो. मधुदंडवते : आप उन्हें कम से कम पांच मिनट और दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पांच मिनट दे रहा हूं

मैंने आपका अनुरोध मान लिया है ?

अगर सरकार नेशनल ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस के अलावा हर एक मेजर इंडस्ट्री में ट्रिपार्टाइट बाडी की स्थापना करे और उसके जरिये अलग अलग प्रकार के मज़दूरों के सवालों को हल करे, तो उससे बड़ी मदद मिल सकती है। यही नहीं, लास आफ़ प्रोडक्शन के बिना डिसपूट्स को हल करने के लिए एक क्रेडिबल मशीनरी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों में सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी और उनमें यह भावना पैदा होगी कि यह सरकार मैनेजमेंट के साथ सहयोग कर के काम कर रही है या किसी एक यूनियन की सहायता से दूसरों को पीटने का काम करती है, तो फिर इंडस्ट्रियल जनरेस्ट अवश्य पढ़ने वाला है।

वर्कर्ज़ के लिए एक एफिशेंट पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का बहुत महत्व है। अगर सरकार द्वारा खोली गई दुकानों से उनकी ज़रूरत की चीजे नहीं दी जाती है, तो उनका असंतोष बढ़ जाता है।

जब कोई सरकार बनती है, तो वह किसी एक पार्टी की होती है, किसी एक यूनियन की नहीं होती है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यूनियन राइवेलरी न बढ़े। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूं। मोदीनगर में टैक्सटाइल वर्कर्ज में हिन्द मज़दूर सभा की यूनियन के 14,000 सदस्य हैं, जबकि इनटक के 55 सदस्य है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की श्रम मंत्री, श्री दीक्षित, पहले इनटक के अधिकारी, आफिस-वियरर, थे, इस लिए वह इस बात पर अड़े रहे कि इनटक के साथ ही बात होनी चाहिए 114 दिन तक यह स्ट्राइक चलती रही

इससे भी दुख की बात यह हैं कि मोदीनगर के टैक्स्टाइल वर्कर्ज की बीबियों पर हमला हुआ है। पुलिस ने 75 महिलाओं पर हमला किया। यूनियन राइवेलरी की वजह से ऐसा हुआ है। इस में दो महिलाओं का एबार्शन हो गया। यूनियन के दफ्तर में जा कर उन पर लाठी चलाई गई। उनके पेटीकोट ऊपर करके उनको गलत प्रकार से मारा गया। उन महिलाओं को लेकर हम प्रधान मंत्री के पास गए, लेकिन आज तक कुछ भी कार्यवाही नही हुई है मोदी के द्वारा जो पत्र निकलता है, उसमें वहां गया है कि पुलिस ने महिलाओं को नहीं मारा। पुलिस कहती है कि 55 पुलिस वालो को महिलाओं ने मारा। यह तो होम मिनिस्ट्री का काम है कि वह ऐसी पुलिस को निकाल दे, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है, वह लोगों की सुरक्षा क्या करेगी।

छतीसगढ़ से श्री रियोगी को एन एस ए में गिरफतार किया गया गया था। वहां पर 9,000 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें छोड़ा जा चुका है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : लेकिन 9,000 वर्कर्ज को अभी तक काम पर नहीं लिया गया है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इसकी तरफ ध्यान दें।

आज देश में 79 परसेंट पापुलेशन देहात में है और 83 परसेंट वर्क फोर्स भी वहां पर है। जनवरी, 1978 में रूरल अनआर्गनाइज्ड लेबर की समस्या पर विचार करने के लिए एक कांफ्रेंस हुई थी। उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी और पर्मानेंट बाडी वगैरह बनीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने लेबरर्ज के बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है मैं जानना चाहती हूं कि सरकार उन लोगों को आर्गनाइज करने के लिए क्या कदम उठा रही है। उनको आर्गनाइज करना चाहिए। उनमें से ज्यादातर महिलाएं है। 94 परसेंट महिलाएं अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में है। उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जहां तक उनका सम्बन्ध है, ईक्वल रीम्युनरेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उन पर अत्याचार पढ़ते जा रहे है। उनके लिए शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग और एप्रेन्टिसशिप की कोई व्यवस्था नहीं है।

81.4 परसेंट महिलाएं एग्रिकल्चर के क्षेत्र में काम करती है। मैकेनाइजेशन के कारण उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। मैं एक मिसाल देना चाहती हूं। केरल में कायर इंडस्ट्री में मशीनरी लगाई। चूंकि स्त्रियों को उसकी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए उन्हें काम से हटाया जा रहा है। हमने आर्गराइज्ड सैक्टर में यह नीति बनाई है कि रेक्षनलाइजेशन विदाउट टियज़ी मैं सकझती हूं कि जहां तक महिलाओं की एम्पलायमेंट का सम्बन्ध है, उसमें भी इस नीति को लागू करना चाहिए। जनता पार्टी के समय में प्लानिंग कमीशन ने पहली बार यह मन्जूर किया कि विमेन्ज एम्पलायमेंट शुड बिगिवन स्पेशल एटेन्शन। महिलाओं की एम्पालायमेंट के सवाल को सारे देश की एम्पलायमेंट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

क्योंकि उनकी प्राबलम्स अलग हैं, उनमें एजूकेशन नहीं, पिछली ट्रेनिंग नहीं और उनका

एक ट्रेडीशनल रोका जो समझा जाता है उसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब है।

आज में यह कहना चाहती हूं कि एम्पालायमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र में जैसे चलती है, वहां पर तनख्वाह चूंकि कम मिलती है। इसलिए 62 प्रतिशत महिलाएं महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही है।

वहां पर पहले केन्द्र सरकार ने जो फूड फार वर्क की स्कीम शुरु की थी उसकी वजह से प्रतिदिन एक किलो अनाज लोगों को मिल रहा था वहां की महिलाओं ने कहा कि आप यह अनाज हमें दें तो हम उससे अपने बच्चों का पेट भर सकती हैं, वरना पैसा मिलता है तो पैसे से घर के लोग शराब पीते हैं। यह उनकी मांग वहां पर रही है। लेकिन सरकार ने वह अनाज देना बन्द कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह प्रोक्टो करे। प्रोक्योर करने के लिए वहां सरकार के पास ताकत नहीं है क्योंकि बाहर के जो व्यापारी हैं, होलसेल डीलर्स हैं वे जितनी सपोर्ट प्राइस है उससे ज्यादा पैसे देकर ज्वार बाजरा खरीद रहे हैं। आज 6 तारीख है, आज महाराष्ट्र में एम्पालायमेंट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों का एजीटेशन चल रहा है। जैसे निपाणी में एक एजीटेशन चल रहा है और महाराष्ट्र के अन्दर और जगहों में चल रहा है। जब वहां पर अनाज दिया जा रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक एड के अन्तर्गत दिया था उस में हर किलों के पीछे 30 पैसा काटा जा रहा था। ऐसे काट काट कर 2 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्टा हुआ है। वहां की महिलाओं की मांग है कि हमारे लिए उसमे हास्पिटल बनाइए, मेडीकल एड दीजिए और बाकी सारी वैलफेयर स्कीम जो है उसके लिए वे मांग कर रही हैं। अभी तक उस के लिए गवर्नमैंट ने यही कहा है कि इट इज अंडर कंसिडरेशन। मेरा यह कहना है कि यह कंसिडरेशन की बात बन्द कर के उस के ऊपर कार्यवाही की जाये। लेवर मिनिस्टर से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बात को देखे कि यह जो फूड फार वर्क स्कीम है उसके अन्दर महिलाओं को अनाज की जरूरत है। वे कहती हैं कि हमें अनाज दीजिए। आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है क्यों कि ऐसा समझा जाता है कि : —

वह परिवार के लिये आर्थिक सहारा नहीं बल्कि वह एक बोझ बन कर रह गई हैं।

मेरी यह मांग है कि स्त्रियों पर होने वाला अत्याचार बन्द हो, और स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की हेल्थ उन की एम्पलायमेंट इन राव की व्यवस्था के लिए

महिलाओं के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय आयोग सांविधिक अधिकार सम्पन्न आवश्यक है।

इसके लिए मैंने पहले कितनी ही बात यहां पर माग की थी। मुझे खुशी है कि कल कांग्रेस (आइ) की महिलाओं ने भी जो मेरी मांग रही है उस का पूरा पूरा समर्थन किया है। तो मुझे आशा है कि उनकी मांग की वजह से ही क्यों न हो, उनकी की वजह से ही यह हो जाता है तो मुझे उस में खुशी है। इस सदन में मैंने बार बार यह मांग की है। पूरे देश में अलग अलग महिलाओं ने यह मांग की है। नेशनल स्टेटस ग्राफ वीकेन कमेटी ने 1975 में नेशनल

कमीशन आन वीमेन विद स्टेच्यूटरी पावर ऐट सेंट्रल रेड स्टेट लेवेल की मांग की थी। मुझे लगता है कि यह करना बहुत जरूरी है।

आखिरी बात कहना चाहती हूं कि नेशनल वेज पालिसी एक होनी चाहिए। लेकिन ये सारी बाते इन कंसल्टेशन विद आल दि ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशंस होनी चाहिएं। दूसरे, ट्रेंड यूनियन आर्गेनाइजेशंस में राइवलरी को खत्म करना है तो यूनियन की रेकग्नीशन सिर्फ वेरिफाइड मेम्बरशिप से नहीं होनी चाहिए बल्कि उस के लिए बैलट वोटिंग लिया जाय और और जिन को वर्कर चाहते हैं उस यूनियन के साथ आप बात करें। यह होगा तो मोदीनगर में जो बात हुई है वह बार बार दोहरायी नहीं जायगी। मत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह बॉडेंड लेवर, महिला श्रमिक और चाइल्ड लेबर इन के बारे में सारी यूनियनों से बातचीत कर के देश में कुछ ऐसी पालिसी बनाएं और उनको न्याय दिलाने की व्यवस्था करें तो देश का प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा।

श्री बी० के नायर (क्विलोन) : महोदय, में श्रम मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आरम्भ से ही विपक्षी दल हमें चुनौती देते हैं और हमसे यह पूछते आ रहे हैं कि क्या हमारी वह सरकार है जो काम चला सकती है, मानों उसकी क्षमता में किसी का सन्देह हो। वह यह कहते हैं कि भारत सरकार निकम्मी सरकार है, आदि-आदि। वह इस प्रकार के आरोप थोपते रहते हैं। महोदय, परिणामों को देख कर हमें यह पता चलता है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद श्रमिक वर्ग, किसान तथा कृषि मजदूर सरकार की इस आलोचना से सहमत नहीं है। यदि आप पिछले कुछ वर्षों में खोये श्रमिक दिवसों को देखें तो आपको क्या पता चलता है? जनता सरकार के शासन काल में काफी श्रमिक दिवसों की हानि हुई है। जनता सरकार के शासन के पहले वर्ष में अर्थात 1977-78 में 297.30 लाम श्रमिक दिवस बेकार गये थे।

1 78-79 में यह 393.6 लाख तथा 1979-80 ने 438.7 लाख था और हर वर्ष यह अचानक घटकर !29.1 लाख हो गया है। हमें इसके बारे में जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं पूर्णतया सहमत हूं कि हमें एक भी जन दिवस नहीं खोना चाहिए। अत्र नए हुए जन दिवसों की संख्या में भारी गिरावट से निश्चित रूप से यह पता चलता है कि श्रमिक वर्ग, ग्रामीण किसानों और औद्योगिक श्रमिकों ने वर्तमान सरकार की नीतियों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और वर्तमान सरकार ने जो काम किए हैं उन्होंने उसे भी स्वीकार कर लिया है। जनता सरकार ने श्रमिकों को अनेक वचन दिये थे। उनके घोषणा-पत्र में बताया गया था कि बस श्रमिकों के लिये स्वर्ग का निर्माण करेंगे। उस सरकार से कहा था कि श्रमिकों को 8 1/3 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए। जिसे श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपात काल के दौरान नहीं दिया था या कम कर दिया था जनता सरकार ने यह भी कहा था कि आपात काल के दौरान सेवा से निकाले गए लोगों को सेग में वास लिया जायगा और उन्हें रोजगार दिया जाएगा। उसने रेल कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों और एक तार कर्मचारियो को बोनस देने की

पेशकश की थी और उन्हें हड़ताल करने का अधिकार भी दिया था। अब जनता सरकार का कार्य कैसा था? प्रो० मनु दण्डवते और श्री जार्ज फर्नान्डीस ने क्या किया? उनका निरन्तर चलने वाली योजना में विश्वास था। उन्होंने पंच वर्षीय योजना को एक निरन्तर चलने वाली योजना में बदल दिया था। उनके मन्त्रियों का निरन्तर योजना में विश्वास था। और वे निरन्तर घूमते ही रहे। तत्कालीन उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीस बार-बार यह पेशकश करते रहे कि यदि रेल कर्मचारियों को बोनस न दिया गया तो वह त्यागपत्र दे देंगे। श्रमिकों को उहुत अधिक आश्वासन दिये गये। किन्तु, हुआ क्या?

एक माननीय सदस्य : आपने श्रमिकों के लिए क्या किया?

श्री बी० के० नायर : अधिक अच्छा तो यह है कि आप श्रमिकों से ही पूछिये। वे आप को बताएंगे कि हमने उनके लिए क्या किया है जब 1974 में रेल कर्मचारियों तथा डाक तथा तार कर्मचारियों ने रुडाल की थी तब श्री जार्ज फर्नान्डीस तथा अन्य विरोधी पक्ष के नेता यह कहते रहे कि हम बोनस देने के लिए वचनवद्ध हैं। किन्तु जब वे सत्तारूढ़ हुए तो उनका कार्य कैसा रहा? इस मामले में उनका कार्य निष्पादन शून्य ही रहा। उन्होंने कर्मचारियों और श्रमिकों को अनेक, वचन दिए थे। किन्तु उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। किन्तु वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐसे मीठे वचन नहीं दिये थे। उन्होंने अपने यसस्वी पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू की तरह ही राष्ट्र को कठिन परिश्रम करने के लिए कहा और वर्तमान पीढ़ी को भावी पीढ़ी के लिए कठिन परिश्रम करने की सलाह दी हम अपने राष्ट्र के भविष्य का निर्माण कुर्बानी अनुशासन के बिना नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें बस सब कुछ नहीं मिलेगा। जिसके वे पात्र हैं श्री डागा ने कहा है कि समूचे विश्व की स्थिति निराशा जनक होती जा रही है।

एक माननीय सदस्य : उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री० बी के० नायर : अब हम स्थिति को सुधारने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि एक या दो वर्षों में सरकार और देश प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे हरण में पहुच जाएंगे जिससे स्थिति ठीक हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा यह जानते थे कि "विचाराधीन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्युत कुछ ग्रन्य शब्दों को प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री बी० के० नायर : कांग्रेस (आई) के शासन के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन चरम-सीमा तक पहुंच गया है। इस्पात, कोयला, बिजली के उत्हादन की स्थिति भी काफी अच्छी है। इनका उत्पादन बढ़ता जा रहा है। हम इन मदों में बहुत अच्छी स्थिनि में पहुंच जायेंगे। केवल कठिनाई पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के बारे में हैं। परन्तु हम उसका समाधान भी पा लेंगे। इस क्षेत्र में खोज संबंधी गतिविधियां उत्साहवर्धक हैं। और फलदायक सिद्ध हो रही हैं।

अब महोदय अनेक अधिनियम और विधान है देश में हमारे यहां बहुत से श्रम अधिनियम है। किन्तु उन्हें लागू या कार्यान्वित नहीं किया गया। वे केवल कागज पर ही लिखे हुए हैं। जब इस अधिनियमों के कार्यान्वयन का प्रश्न हमारे सामने आता है हम इस सबंध में पीछे हैं। महोदय 1951 में बागान श्रमिकों के लिए कानून पारित किया गया था। तब से 30 वर्ष बीत चुके हैं। यह आश्वासन किया गया था कि 12 वर्ष के भीतर सभी श्रमिकों को आवास, चिकित्सा तथा उनके बच्चों कों स्कूल की सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी स्थिति तीस वर्ष पूर्व की अपेक्षा बेहतर नहीं है। यह स्थिति अब भी वैसी ही है। राज्य सरकारें कहती हैं कि उनके पास कार्यान्वयन तंत्र नहीं है। उनके पास जीपें नहीं हैं, जिनके निरीक्षण इधर उधर जा सकें। कार्यान्वयन की स्थिति शून्य सी है।

अब हम ग्रामीण मजदूरों के लिए एक विधान पुरःस्थापित करने जा रहे हैं, परन्तु केरल का अनुभव क्या रहा है। वहां कृषि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है, परन्तु क्या लागू किया जा जा रहा है। यह लगभग कागजी पर हो रहा है। भविष्य निधि कोली उपबन्ध है, किन्तु इसे लागू नहीं किया गया है। श्रमिकों को पंजीकरण भी नहीं किया जा रहा है हम कह सकते हैं कि हमारें यहां विधान है। यदि बड़ा बोल बोला जाए तो, सब कुछ ठीक है परन्तु मुझे अवश्य ही सभा को यह बता देना चाहिए कि यह श्रम कानून केवल कागजों पर ही रहे हैं। ग्रामीण श्रम कानूनों को तीस करोड़ लोगों पर लागू किया जायगा, किन्तु उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तंत्र कहा है। हमें स्वप्नों के संसार में नहीं रहना चाहिए। हम व्यवहारिक रूप से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, काफी लोग मत्स्यपालक का कार्य करते हैं। उन्हें पंजीकृत करने के लिए लिए भी कोई कानून नहीं बनाया गया है और यह बताने का भी कानून नहीं है कि कौन मालिक हैं और कौन श्रमिक हैं। ये श्रमिकों को हर समय अपनी पूरी नौकरी के दौरान अपने जीवन का खतरा उठाना पड़ता है। हर समय महिलाओं को चिन्ता लगी रहती है। हम तथ्य के बावजूद इस देश में हम उनके सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है कि वे सामुद्रिक उत्पादों का निर्यात करके 250 करोड़ रुपए की बिदेशी मुद्रा का अंशदान कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को इन लोगों को पंजीकृत करने के लिए कोई कानून बनाने के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए ताकि उन्हें आश्वासन एवं सुरक्षा प्रदान किया जा सके मेरा सुझाव है कि उनके लिए एक कल्याण निधि स्थापित की जानी चाहिए जो सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात से एकत्र किए गए। उपकर पर आधारित है। जैसा कि मैंने कहा है कि हम मछली सामूहिक उत्पादों को काफी अधिक मात्रा में निर्यात कर रहे हैं और यदि हम इन निर्यातों पर नाममात्र का कर वसूल करें तो हम काफी धन एकत्र कर सकते हैं जिसका उपयोग हम लोगों के कल्लाण एवं उनके हितों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, महोदय सर्कस कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी कुछ कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वे लोगों का काफी मनोरंजन करते हैं और केरल में सर्कस का प्रचलन

काफी अधिक है । मैं इन लोगों के बारे में बिशेषकर चिंतित हूं क्योंकि मुझे उनके संघ के संरक्षक के रूप में संबंधित होने का अवसर मिला हुआ है । ऐसे तीस हजार लोग हैं और उनमें से काफी संख्या उन बच्चों की है जिनकी आयु 8 से 14 वर्ष के तीन की है । विशेषकर इन बच्चों के कार्य से ही दर्शक अधिक आनन्द प्राप्त करते हैं । हमने उनके लिए कौन से विधायी उपाय किए हैं ? ये लोग अन्य पशुओं की तरह ही रहते हैं । अन्तर केवल यह है कि जहां पशु पिंजरों के भीतर रहते हैं । वहां ये बच्चे इसके बाहर रहते हैं । इस प्रकार मालिक उससे बर्ताव करते हैं उनके साथ कुछ भी घटिया हो सकती है और उनकी मौत भी हो सकती है किन्तु उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं । इसलिये यह वहुत ही महत्वपूर्ण बात है की उनके हितों की ओर ध्यान देने के लिये कुछ गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिये और ऐसे विधान को लागू करना बहुत कठिन नहीं है क्योंकि उनकी सँख्या बहुत ही सीमित है और इनके लागू करने का क्षेत्र भी बहुत ही सीमित है । वे केवल नगरों और शहरों में होते हैं किन्तु राज्य विधान सहायक नही हो सकता । केवल केन्द्रीय विधान ही बनाया जाता । इसके कार्यान्वयन का ध्यान रखन के लिये कोई तत्र होना चाहिये माननीय महिला सदस्य ने मजदूर सघों की अधिकता के बारे में कहा है इतन अधिक मजदूर सघ है । यह एक रोग है जो हमारे देश फेल गया है हमारे श्रमिक बल करोडों लोग हैं किन्तु संगठित श्रमिकों की प्रतिशतता कितनी है ? मजबूर संघ के ्ता यह प्रदर्शित करते हैं जैसे कि समस्त संसार उनके पीछे है रजिस्ट्रार को भेजी गई विवरणियों के अनुसार 65 लाख से अधिक श्रमिक संगठित है ये लोग उनतीस करोड़ लोगों की रखातीर आन्दोलन नहीं करते हैं जो श्रमिक बल को बनाते हैं बलिक जीवन बीमा निगम इंडियन एयर लाइन्स रिजर्व बेंक आदि में काम करने वाले लोगों के लिए करते हैं । ऐसे संगठित लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग हैं । जीवन बीमा के तक क्लर्क को 3000 रुपये के लगभग प्रतिमास मिलता है। वे यह माग लेकर हड़ताल करते हैं कि इन लोगों को अधिक दिया जाना चाहिये ।

क्या उन्हें राष्ट्रीय दृष्टि कोण नहीं अपनाना चाहिये । तीस करोड़ लोगों को पेयजल भी प्राप्त नहीं है। हमें इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिये आन्दोलन तथा उनका समर्थन क्यों करना चाहिए ये लोग अपने विशेषाधिकारों को और अधिक बढाना चाहते हैं क्या ऐसे कर्मचारियों, अर्था विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के ग्रुप, को हड़ताल करने और अधिक के लिए शोर करने का कोई औचित्य है ? वे कहते हैं कि बी०एच०ई० एन० के कर्मचारियों को अधिक वेतन मिल रहा है। बी० एच० ई० एल० के लोग करेंगे कि 'जीवन बीमा निगन के लोगों को अधिक वेतन मिल रहा है इसलिए हमें भी उतना मिलना चाहिए। अन्त कहां हैं ? प्रत्येक व्यक्ति ऊँचाई की ओर देख रहा है । रेलवे के लोग कहते हैं, सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की ओर देखिए। वे इससे अधिक ले रहे हैं। अतः हमें भी अवश्य ही उतना मिलना चाहिए । इसलिए प्रति व्यक्ति ऊँचाई की ओर देख रहा है और और हर आदमी अपनी बात को उचित सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है । अतः क्या हमें राष्ट्रीयकोण नहीं अपनाना चाहिए हम देश के श्रमिक वर्ग के बारे में करते हैं । क्या हम उस दरिद्र नारायण को देख रहे हैं जो ग्रामोद्योगों में चरखे के साथ काम करता है ? नही महोदय हम तो उन लोगों का ध्यान करते हैं जो हमारा अधिक से अधिक प्रचार करे ये लोग समाचार पत्रों रिजर्व बेंक तथा जीवन बीमा निगम से संबधित लोग हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय. श्री नायर क्या दरिद्रनारायण के लिए कोई मंदिर बना हुआ है?

श्री बी० के० नायर : नहीं महोदय, यह मंदिर तो हमारे दिलों मे है।

मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि किस प्रकार श्रमिक मोर्चे के सम्बन्ध में विभाजन को समाप्त किया जाये पहले ही उनके पांच केन्द्रीय श्रमिक संघ हैं और भाग्यवक श्री डांगे के अधीन एक और भी बन जायेगा। उनका शीघ्र ही एक छोटा ग्रुप बन जायेगा। और परिभाषा यह है कि यदि किसी संगठन मे पांच लाख सदस्य हों जो पांच उद्योग तथा चार या पांच राज्यों में फैले हुए हों तो यह एक राष्ट्रीय संघ होता है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह मुख्यतः ससद सदस्य विधायक और समितियों में बर्थी को प्राप्त करने के लिए है। महोदय, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हमारे कुल 60 लाख श्रमिक हैं जो संगठित हैं और हमेशा यह सख्या स्थिर नहीं है। कोई सुधार नहीं हुआ। परन्तु नेता संतुष्ट हैं। श्रीमान मैं दोष नहीं दे रहा हूं। मैं इस बारे में एक सुझाव देता हूं जिसे मैं समझता हूं मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे। सुझाव यह है कि किसी भी उद्योग के प्रत्येक कमंचारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी संगठन का सदस्य बने। तथा दूसरे किसी भी उद्योग में तीन से अधिक संगठनों को पंजीकृत न करें। कोई कमचारी जो किसी भी संगठन का सदस्य बन जाता है उसें छः महीने तक सगठन को बदलने न दिया जाये और एक बार बदल लेने पर उन्हें उसी में रहना चाहिए।

अभी तक हम बहुत से व्यक्तियों की विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रति सरकार के प्रति तथा उद्योग के विभिन्न एककों इत्यादि के प्रति दायित्वों पर चर्चा कर रहे थे। परन्तु कार्मिक को श्रमिक संगठन के प्रति क्या दायित्व है? उनका वैसा ही दायित्व है जैसा कि किसी भी नागरिक का मत डालकर मतदाता बनने का दायित्व है। कार्मिक को मतदाता बनने के लिए किसी भी संगठन का सदस्य बनना चाहिए और उसे उस संगठन को बदलना नहीं चाहिए उसे कम से कम छ: महीने तक उसी संगठन का सदस्य रहना चाहिए। और एक बार सदस्यता मिलने पर कम से कम छः म्हीा उाी संगठा में रहना चाहिए। इसे किस प्रकार लागू किया जाये, यह एक भिन्न बात है हो सकता है यह नियोक्ता पर निर्भर करे। परन्तु उससे हम उस उद्योग में इस नौकरी शर्त पर बना देते हैं।

साथ ही श्रमिक संगठन का प्रतिवर्ष निर्वाचन कराया जाये जिसमें श्रमिक किसी भी संगठन को चुन सकता है। यदि कोई सदस्य दीर्घ काल तक किसी संगठन का सदस्य रहता है तो जनमत कराने का कोई अवसर अथवा आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि आप मुझसे पूछें तो मैं गुप्त मतदान के पक्ष में हूं। परन्तु गुप्त मतदान संगठन के सदस्यों तक ही सिमित रहना चाहिए जहां तक नियोजकताओं के दायित्व का सम्बन्ध है मैं प्रतिबन्ध अच्छा नहीं समझता हूं क्योंकि इससे श्रमिक संगठनों की भावना के विरुद्ध है। परन्तु नियोजकता का दायित्व है कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि प्रत्येक कर्मचारी किसी न किसी संगठन का सदस्य रहे। जो व्यक्ति किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है उसे इसका लाभ नहीं मिलना [illegible] लिए उन्हें दायित्वों [illegible] पाने के बाद ही अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रकार की योजना को [illegible] या जा सकता है।

मेरा श्रम मन्त्री को यह सुझाव है कि इन पहलुओं पर विचार करें तथा इस उद्देश्य से कुछ सिद्धान्त मार्ग दर्शन तैयार करें जिससे श्रमिक संगठनों में अनुशासक किया जा सके।

धन्यवाद

(श्री चिन्तामणि पाणिग्राही पीठासीन हुए)

श्री दया राम शाक्य (फरूखाबाद) : श्री मन् इस से तो कोई इंकार नहीं कर सकता है कि प्रत्येक देश की सुसद्ध में उस देश के कर्मचारी और श्रमिक देश की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। परन्तु आज हम हर जगह पर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देख रहे हैं। अगर कर्मचारी और श्रमिक वर्ग का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसकी वास्तविक मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वे शान्ति के साथ कार्य नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से देश के उत्पादन को और देश की समृद्धि को हानि पहुंचाती है, उसमें रुकावट पैदा होती है।

अभी हमारे बन्धु ने कहा कि आई० टी० आई०, बी० ई० एल०, एच० एम० टी०, एच० ए० एल० के कर्मचारियों ने यह मांग की कि दूसरे स्थानों पर तनख्वाहें ज्यादा हैं इसलिए उनको भी ज्याद तनख्वाहें और सुविधाएं दी जानी चाहिए। किन्तु उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह समस्या 1978 में उठी थी और इस समय सरकार और आई० टी० आई०, बी० ई० एल०, एच० एम० टी० और एच० ए० एल० में और कर्मचारियों में एक समझौता हुआ था कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में सुविधाए दी जाती है, तनख्वाहे बढ़ायी जाती हैं तो दूसरे सस्थानों में भी वही सुविधाएं और तनख्वाहें दी जाएंगी। परन्तु एक संस्थान बी० एच० ई० एल० में अधिक सुविधाएं देने के पश्चात् भी उस समझौते को बाकी संस्थानों में लागू नहीं किया गया और वे सुविधाएं अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को नहीं दी गयीं। उस समझौते का लाभ अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को देने के बजाय वह समझौता तोड़ा गया। अगर ऐसी बात होगी तो कर्मचारियों और सरकार के बीच या मालिकान के बीच जो समझौता होगा तो कर्मचारी कैसे भविष्य में उस पर विश्वास कर काम करेंगे। उनके मन में जब आत्म विश्वास की भावना रहेगी तो वे शान्ति से काम नहीं कर सकते हैं। वे हमेशा यही मांग करते रहेंगे कि अमुक ज्यादा पाते हैं, हम को उतना नहीं मिलता है।

जब तक आप कोई नेशनल वेज पालिसी लागू नहीं करते हैं तब तक जो समझौता हुआ है उसको तो आपको लागू करना चाहिए और जो मालिकान समझौते को लागू नहीं करते है उनका प्रोसिक्युशन होना चाहिए। लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही हुई है। यह वास्तव में एक लज्जा की और निन्दा की बात है। यह ठीक है कि आप देश के लिए एक नेशनल वेज पालिसी लागू करें लेकिन जब तक आप इसको लागू नहीं करते हैं तब तक आपको कर्मचारियों को लिविंग वेज देने चाहिएं। इसीलिए अशांति पैदा होती है कि अमुक स्थान पर कर्मचारी ज्यादा पाते हैं और हम कम पाते है।

जब तक आप नेशनल वेज पालिसी लागू नहीं करते तब तक आपको उनको बोनस देना चाहिए। सारे देश में अनेक वर्षों से कर्मचारी बोनस के लिए मांग करते आये हैं और सरकार ने इसको टाला है। बोनस एक एफार्ड वेज है। इसको सरकार को बिलम्बित वेतन के रूप में मानना चाहिए और अपने कर्मचारियों को बोनस देना चाहिए। जिन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा है उन कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाना चाहिए। बहुत-सी जगहों पर सरकार इसको नहीं दे रही है। बहुत से स्थानों पर सरकार ने इसको प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर दिया है। यह नहीं होना चाहिए।

प्राय: देखा जाता है कि अधिकारी जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फण्ड मिल जाता है मगर जब एक साधारण कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको सालों पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फन्ड नहीं दिया जाता है। यह स्टेंडिंग आर्डर होने चाहिएं कि उनको तुरन्त इनका भुगतान हो और इनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए जैसे ही कर्मचारी रिटायर होता है उनको प्राविडेंड फन्ड मिलना चाहिए उसे पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए।

आज अनेक यूनियन और फेडरेशन ऐसे हैं जिनके साथ कर्मचारियों का बहुमत है, लेकिन फिर भी सरकार उनको मान्यता प्रदान नहीं कर रही हैं, जिससे लेबर अनरैस्ट पैदा होता है, श्रमिक असंतोष पैदा होता है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध हैं कि इसके लिए प्रक्टिकल वैरीफिकेशन कराया जाए और देखा जाए कि किन यूनियन्स के साथ कर्मचारियों का बहुमत है और उनको मान्यता दी जाए। इस मामले को सरकार काफी अरसे से टाल रही है। मेरा अनुरोध है कि प्रैक्टिकल वैरिफिकेशन के बाद जिन यूनियन्स ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं, उन्हें मान्यता प्रदान की जाए, ताकि लेबर अनरेस्ट दूर हो।

एल० आई० सी० के बारे में कहा गया, वहां पर हड़ताल चल रही है। न्यायालय के आदेश को सरकार ने नहीं माना है। सरकार की कोशिश है कि न्यायालय का आदेश लागू न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है परन्तु उसका इंप्लीमेंटेशन भी सरकार कर रही है, जिससे हड़ताल चल रही है और करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा अनुरोध है कि न्यायालय के आदेश को माना जाना चाहिए।

श्रमिकों के बारे में मेरा निवेदन है कि जो कांट्रेक्ट बेसिस पर या डेली वेजेज़ पर लेबर काम करते हैं, अनेक वर्षों तक काम करने के पश्चात् उनको नौकरी से अलग कर दिया जाता है और इस अवस्था में निकाला जाता है जब वे कहीं और काम करने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनके लिए एक कानून बनाना चाहिए ताकि कांट्रेक्ट बेसिस पर और डेली वेजेज़ पर काम करने वाले कर्मचारियों को निकाला न जा सके, तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ सकता है।

आज हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। आवास सुविधा त होने की वजह से मीलों दूप से कर्मचारी काम पर आते हैं, हम चाहते हैं कि वे समय पर काम पर पहुंच सकें, परन्तु मीलों दूर से आने के कारण यह सम्भव नहीं हो पाता, जिससे काम समय पर नहीं होता। मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों के लिए आवस की व्यवस्था की जाए और उनके लिए लोन आदि की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना मकान बना सकें।

अन्त में मैं एक-दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज हर जगह समाजवाद की होड़ लगी है। हर जगह राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, लेकिन समाजवाद के नाम पर जितने भी प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उनमें से कितनों से सरकार को लाभ प्राप्त हुआ है? इसलिए मेरा अनुरोध है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न कर के राष्ट्र का औद्योगीकरण उद्योगों का समिकीकरण एवं श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इससे श्रमिकों में यह भावना पैदा होगी कि हम स्वयं उद्योग में भाग ले रहे हैं। श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी होनी चाहिए और सरकार को उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे वे अच्छी तरह से काम कर सकें और उनको प्रोत्साहन मिल सके। इससे राष्ट्र की समृद्धि होगी और देश आगे बढ़ेगा, बगैर इसके यह काम नहीं हो सकता।

इतने सुझाव मैंने माननीय श्रम मन्त्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और मुझे विश्वास है कि वे इनकी ओर ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने उनकी कार्यक्षमता प्रदेश में मन्त्री के तौर पर, मुख्य मन्त्री के तौर पर देखी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वे इन सुझावों पर ध्यान देंगे और इन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति जी, श्रम विभाग के अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, श्रम विभाग देश का एक ऐसा विभाग है, जहां से रोजगार की नीति तय होती है, नीति निर्धारण होता है। इसलिए यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता बहुत है।

लेकिन मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो लेबर पालिसी हमारी रही है वह काफी इफैक्टिव नहीं रही है यही कारण है कि आज बेरोजगारी की समस्या देश में पैदा हो गई है हमारे देश में 14 करोड़ परिवार हैं। उन में से तीन से पांच करोड़ परिवार ऐसे हैं जिसमें एक एक शिक्षित बेरोजगार अवश्य मौजूद होगा। जिस देश के 14 करोड़ परिवार में से पांच करोड़ परिवारों में एक एक नौजवान चाहे वह बी० ए० हो या मैट्रिक हो या उसने हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की हो, बेकार हो तो कितनी भयानक स्थिति देश के सामने है यह आप स्वयं सोच सकते हैं यह बहुत गम्भीर विषय है। इसने नजरंदाज करके नहीं चला जा सकता है। आगे चल कर बेरोजगारी की ओर भी जटिल समस्या का सामना करना पड़ेगा।

श्रीमती प्रमिला दंडवते बोल रही थीं कि श्रम विभाग ने कुछ नहीं किया। मैं उनके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, ये उनकी हकूमत के समय के आंकड़े हैं। जिन बेंचों पर वह बैठी है और प्रो मधु दंडवते बैठे हैं उनके मंत्रित्वकाल के हैं। उस समय जितने लेबर डिसप्यूट हुए, देश का उत्पादन गिरा चाहे खेती का हो या फैक्ट्री का, किसी भी व्यवसाय का हो उतना पहले कभी नहीं गिरा। इसका कारण यह था कि लेबर डिसट्रमेस बहुत ज्यादा हुए थे, और हर जगह हुए थे अभी भी पश्चिम बंगाल लेबिल में लेबर डिसटरबेंसिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जहां जहां हमारी हकूमत है, श्रीमती इन्दिरा गांधी की बनाई हुई सरकारें हैं चाहे वे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो वहां पर लेबर डिसटरबेंसिस से कम हैं। लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल में लेबर डिसटरबेंसिस पराकाष्ठा पर है। मैं 1979 के कुछ आंकड़ों को 1980 के आंकड़ों से तुलना इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं। 1980 में श्रमिक स्थिति में सुधार हुआ है इसका कारण यह है कि 1980 हड़तालों तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रमिक दिनों की संख्या 129.1 लाख दिन है। जबकि 1979 में यह 138.7 लाख श्रम दिनों की थी। राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक यानी 30.1 लाख श्रम दिनों की हानि हुई महाराष्ट्र में 24.9, तमिलनाडु में 24.1 और उद्योग ग्रुप में विनिर्माण उद्योगों में सबसे अधिक यानी 105.7 लाख श्रमिक दिनों की हानि हुई। ये 1980 के आंकड़े हैं। 1980 में हड़तालों और तालाबन्दियों का कारण सिर्फ यूनियन बनाकर बैठे हुए है। भारतीय जनता पार्टी का तो मजदूरों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उनकी सदा मजदूर विरोधी नीति रही है। राय साहब बैठे हुए हैं, आप एक उदाहरण बता दें बिहार में जहां तक एक भी फैक्ट्री ने आमदनी की हो और वहां मजदूरों का हक न मिला हो? लेकिन फैक्ट्री पब्लिक सैक्टर में नई बनी है उसमें लेबर हड़ताल कराने की क्या जरूरत है? मंत्री महोदय आप गांधी जी की परिकल्पना श्रम नीति में लाइये कि कर्त्तव्य का ज्ञान सीखो, अधिकार पीछे पीछे आते हैं। लेकिन हमारे विरोधी भाई अधिकार की बात पहले करते हैं चाहे प्रोडक्शन हो या न हो। उसमें आपको सुधार करना चाहिए।

दोनों तरफ के माननीय सदस्य लेबर की बात करते हैं, लेकिन खेतिहर मजदूर की कोई बात नहीं करता क्योंकि वह आर्गेनाइज्ड सैक्टर नहीं है, उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है। माननीय जार्ज फर्नान्डीज एक दिन भी खेत मजदूरों की मीटिंग नहीं कर सकते, माननीय राय साहब उनकी मीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारी पार्टी ने कहा, कांग्रेस ग्रामीण श्रम आयोग के गठन की मांग की, आप 14 मार्च 1980 को नवभारत टाइम्स देख लें। अखिल भारतीय कांग्रेस (आई०) के श्रमिक सैल ने मांग की कि राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किया जाय। हम राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग के गठन की मांग करेंगे। पता नहीं हमारे उस प्रस्ताव पर मंत्री महोदय का ध्यान गया है या नहीं? मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उसको मानें।

कृषि एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें 80 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं और एग्रो लेबर की आबादी 42 प्रतिशत है। खेतिहर मजदूर गांवों में जमींदारों के यहां का काम करते है, उनका शोषण आज तक हो रहा है। उनकी मजदूरी देखिए। जब विनिमय वैजेज की बात कही गई,

1974, 75, 76 कही गई थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी का इरादा था कि जब तक 42.5 प्रतिशत लोगों की स्थिति में सुधार लायेंगे तब तक समाजवादी समाज नहीं बना सकते।

महात्मा गांधी की जो परिकल्पना थी उसको यदि मंत्री महोदय ने श्रम नीति में जोड़ा होता तो इतनी ज्यादा डिसटरबेंसिस नहीं होतीं। उनके उपदेश को श्रम नीति में समायोजित नहीं किया गया। महात्मा गांधी कहते थे कि पिछले कर्त्तव्य का पालन करो, अधिकारों की बात बाद में करो। उसकी चिन्ता मत करो, कर्त्तव्य पालन करो। कर्त्तव्य पालन करते करते देखोगे कि अधिकार तुम्हारे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। हमने श्रम नीति के सिद्धान्त बनाते समय सबसे पहले यही लिखा कि श्रमिकों को झगड़ा करने, प्रदर्शन करने, उपद्रव करने और माँग करने का अधिकार सबसे पहले होगा। प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर की कोई फैक्ट्री हो हमारे मार्क्सवादी भाई यहाँ बैठे हुए हैं। जार्ज फर्नान्डीस साहब बैठे हुए हैं, वे सबसे पहले यूनियनें बनाने लग जाते हैं।

उनके विनमय वेजेज, की बात आयी, 20 सूची आर्थिक कार्यक्रम उन्होंने देश में चलाया, लेकिन विपक्ष में बैठने वाले लोग चाहे माननीय उन्नीकृष्णन हो या माननीय जार्ज फर्नान्डीज हों, सब ने कहा इन्दिरा की तानाशाह हो रही है। यह पुरुषों की और ब्लैक मार्किटियर्स को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि यह सारा कार्यक्रम ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 43 प्रतिशत एग्रो लेबर्स की स्थिति में सुधार करने का हमारी सरकार का बंशा है, और आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है, 1974 से लेकर आज तक का इतिहास आप उठाकर देख लें। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में भी लिखा हुआ है। हमारी प्रधान मंत्री के 20 सूची आर्थिक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश के तमाम गरीबों की काया बदल सकता है बशर्ते कि विरोधी दल का सहयोग हो। लेकिन अच्छे काम को यह सदा सैबोटाज करते हैं और अड़ंगा लगाते हैं। यही असम को अलग करने की बात करते हैं। तो वहीं कुलकों के हितों की बात करते हैं। कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा यह नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह ग्रामीण मजदूरों की दशा सुधारने के लिए एक दीर्घकालीन पालिसी निर्धारित करे। इस फख के साथ कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक बूढ़े व्यक्ति को प्रति मास तीस रुपये की वृद्धावस्था पेन्शन देने का निर्णय किया है। इसी तरह हर एक प्रखंड में हरिजन और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय, मिडल स्कूल, की स्थापना की गई है और हर एक जिले में आवासीय हाई स्कूल की स्थापना की गई है।

हरिजन और आदिवासियों के बच्चे कृषक मजदूरों के बच्चे हैं। कृषक मजदूर के बच्चे का मतलब हरिजन और आदिवासी का बच्चा होता है, हरिजन का मतलब गरीब होता है और गरीब का मतलब इन्दिरा गांधी होता है हिन्दुस्तान की जनता इस बात को जानती है। (व्यवधान) सर्फ मोहक नारों से आप गरीवों के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। आपको व्यवहार में गरीबों के आंसू पोंछने का काम करना चाहिए।

गरीबी मिटाने का काम गरीब ही कर सकता है, यह काम टाटा और बिड़ला नहीं कर

सकते हैं। गरीबी मिटाने का काम डेस्ट्रक्शन से नहीं होता है, जैसा कि श्री ए० के० राय करते हैं गरीबी हटाने का काम हिन्दुस्तान का गरीब कर सकता है, जो खेतों और फैक्टरियों में काम करता है और हर जगह कड़ी मेहनत से देश को आगे बढ़ाता है (व्यवधान) चौबे जी आज तक घड़ियाली आंसू बहाते रहे हैं। अमरीका के एक अर्थ-शास्त्री ने एक पालिसी दी उनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं अर्थ-शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं कि "दि अगलियर दि वर्क दि हायर दि वेजिज।" समाज में जिसका काम कितना खराब हो, उसकी तनख्वाह उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए।

हिन्दुस्तान में सबसे खराब काम करने वाले हरिजन भंगी हैं, हरिजन चमार हैं, हरिजन पासवान हैं, हरिजन मुसहर हैं और दूसरे हरिजन हैं। भंगी पाखाना सिर पर उठाता है। चमार जूता बनाता है। जो लोग खेत में हल जोत कर वासमती चावल पैदा करते हैं, उन्हें मिलता क्या है ? दो सेर कच्चा अनाज। उसकी लाइफ की कोई गारन्टी नहीं है। हमारे यहां डा० जगन्नाथ मिश्र ने यह बड़ा कदम उठाया है कि जो खेतिहर मजदूर काम करते हुए मर जायेगा, उसके परिवार को कम से कम दो हजार रु० दिये जायेंगे।

अब मैं टाटा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। टाटा के यहां दस हजार कंट्रेक्ट लेवरर्ज काम कर रहे हैं। इसी तरह डालमिया और जे. के. ग्रुप आदि में भी कंट्रेक्ट लेवरर्ज हैं वाप भी कंट्रेक्ट लेवरर था और बेटा और पोता भी कंट्रेक्ट लेवरर हैं। लेकिन आज तक उन लोगों को फैक्टरी में एम्पलायमेंट नहीं मिली है। हमारी कोलियरीज और दूसरे प्रतिष्ठानों में कंट्रेक्ट लेवर की व्यवस्था है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वह टाटा और दूसरी फैक्टरियों में काम करने वाले कंट्रेक्ट लेवरर्ज की लिस्ट बनायें और एक कलम से यह फैसला कर दें कि फैक्टरियों में उनका एवजार्प्शन कर दिया जाये।

आप जानते हैं कि कोयले और आयरन और के कंट्रेक्ट लेवरर्ज को साढे उन्नीस रुपये मिलते हैं, लेकिन बगल में शिव प्रसाद बाबू के इलाके में बाइसाइट कम्पनी में छः साढ़े छः रुपये मिलते हैं।

कितनी विषमता है, जरा सा रोकने की बात है। हमारे विद्वान मंत्री जी काफी तजुर्बेकार हैं, हम समझते हैं कि काफी सोच समझ कर वह इसमें काम करेंगे।

अन्त में मैं अपनी दो तीन मांगें पढ़ देना चाहता हूं।

एक तो ग्रामीण श्रम आयोग का गठन अविलम्ब इसी सत्र में किया जाय।

दूसरा है ऐग्रो लेवर जो खेतों में काम करते हैं उनकी लाइफ इन्स्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि बिहार सरकार ने लाइफ इन्श्योरेंस उनका किया है दूसरी स्टेट्स में भी यह होना चाहिए।

तीसरा है लेवर ऐक्ट। उसमें क्या है कि जो व्यक्ति 240 दिन तक किसी प्रतिष्ठान में काम

कर चुका हो उसे किसी तरह से हटाया नहीं जाएगा यह लेवर ऐक्ट में हमारा कमिटमेंट है लेकिन हमारे हजारों व्यक्ति मस्टर रोल में काम कर रहे हैं, 240 दिन उनको हो गए हैं लेकिन उनको आज तक परमानेन्ट नहीं किया गया क्योंकि वहां बैठे हुए कुछ हमारे ब्यूरोकेट्स जिनको हराम की तनख्वाह दी जाती है बीच बीच में उनको डिस्कन्टीन्यू कर देते हैं।

ये मेरी तीन चार मांगें हैं। मैं समझता हूं कि तिवारी जी इनको स्वीकार करेंगे।

आप ने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : मैं श्रम मन्त्रालय की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जैसी कि हम देश की स्थिति देख रहे हैं उसमें श्रम का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। अगर श्रमिक-शांति देश में हो तो देश बहुत थोड़े समय में आगे बढ़ सकता है।

अपने पिछले कार्यकाल को हम देखें तो श्रमिकों को दो भागों में हम विभाजन कर सकते हैं—एक तो रजिस्टर्ड लोग हैं जो यूनियनों में रहते है, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और दूसरे बंधुवा मजदूर जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं होती, दूसरी तरफ उनको हम रख सकते हैं: यह दो तरफ का विभाजन उसमें है। अगर हम दोनों पर थोड़ी रोशनी डालें तो ठीक व्यवस्था हो सकता है। अगर चारों तरफ जैसा कि हम सुनते हैं कि वहां पर हड़ताल हो गई, झगड़ा हो गया, अशांति हो गई, तो इसमें ये लोग तो सब चीज मनवा लेते हैं क्योंकि उनकी कानूनी शक्ति है, संगठन है। उसमें सरकार को यह बात देखनी होगी कि आज जो असमानता की स्थिति पैदा हो गई उससे मजदूर के दिमाग में यह भी बैठता है कि इस देश के मालिक बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, काम हम करते हैं, हाथों की शक्ति हमारी है लेकिन सारा का सारा पैसा ये लेते हैं। इसके लिए हमें यह करना होगा कि सारे प्राइवेट सेक्टर के अन्दर इतनी जो असमानता हो गयी है उसको एक समान लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। दूसरे उसमें कुछ ऐसा सख्त कानून बनाने की बात है जैसा कि दूसरे देशों में है कि अगर मजदूर इतना काम करके दिखाएंगे तो उन्हें उसी तरह की बढ़ती मिल जाती है, लेकिन यहां इस तरह का कमजोर कानून अपना रखा है कि श्रमिकों पर पूरी तरह से दबाव नहीं दे सकते जिससे कि देश का प्रोडक्शन ठीक हो, फैक्ट्री का प्रोडक्शन ठीक हो। उसके लिए सारे लोगों को तैयार होना पड़ेगा, दल विहीन बात करनी होगी, तब देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो, दिन रात यही देखने, को मिलेगा कि वहां पर हड़ताल, वहां पर तालाबन्दी; वहां पर भूख हड़ताल, वहां पर गोली तरह तरह की चीजे चारों तरफ सुनाई पड़ेगी। उसके लिए मैं विरोधी दल का होते हुए भी आप से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह की चीज सरकार को लानी चाहिए और सब लोगों को उसमें शरीक होना चाहिए। लेकिन उसमें राजनैतिक बात नहीं आनी चाहिए जैसे कि बंगाल में आज हो रहा है, कांग्रेस वाले कर रहें हैं या और दूसरे लोग कर रहे हैं। इस तरह की बात जो लोग रहें हैं वह भी ठीक नहीं है उसमें सभी को सम्मिलित होना चाहिए और हड़ताल के पहले जितनी आम सहमति हो सकती है कि किन किय मामलों में क्या क्या करना जरूरी है वह पहले ही

कर देना चाहिए जैसे मकान की बात है, भत्ते की है, बच्चों की तामिल की है, आवास की है, बाद में उनकी पेन्शन की बात है, इन सारी बातों में जितनी सुविधाएं दे सकते हैं वह देने का हमें टार्गेट बनाना चाहिए और उसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम देना चाहिए। यह सब पहले ही देना चाहिए। उसके बाद भी अगर हड़ताल होती है तो सख्ती से कानून उस पर लागू होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है।

दूसरी बात रही बंधुवा मजदूरों की। बंधुवा मजदूरों का जैसा कि शोषण हो रहा है, उसके बारे में चारों तरफ शोर यही है कि कुल किसान यह कह रहे हैं कि या वैसे किसान कर रहे हैं। मगर वह मेरे भाई जो अभी बोल रहे थे वह खेतों में जाकर देखें तो मालूम होगा कि उन में किस तरह से आपस में सम्बन्ध अच्छा है और किस तरह से वे लोग रहते हैं, तभी वे तरक्की कर पाते हैं।

देहात के किसानों की जहां तक बात है और जो बन्धुवा मजदूर हैं वे मिलजुल कर एक परिवार की तरह से रहते हैं। उनके यहां शादियों में, बीमारी में और तालीम के लिए पैसे दिए जाते हैं तभी वे अच्छी पैदावार करते हैं। और जबरदस्ती से कभी भी अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है।

दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में 15, 17 या 18 वर्ष के जवान लड़के कोठियों में रह कर बर्तन मांजते हैं, होटलों पर रहते हैं, स्टेशन्स पर खड़े रहते हैं उनके लिए जरूर कुछ न कुछ करने की जरूरत है। उनका बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। उन बच्चों की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। यह किस प्रकार से हो यह सरकार के विचार करने की बात है आज देश में बेरोजगारी फैली हुई है, अगर कहीं पर एक आदमी हटने की बात करता है तो सौ वहां आने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी हालत में यह लड़के जो कोठियो, बंगलों पर बर्तन मांजने का काम करते हैं जिसके लिए उनको 50 रुपया महीना मिल जाता है वहाँ पर उनका जीवन नष्ट हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी पाबन्दी लगाए ताकि उनका उद्धार किया जा सके। आप खेती में काम करने वालों के लिए दिन रात कहते रहते हैं कि कुलक किसान शोषण करते हैं लेकिन यहां पर कोई देखने वाला नहीं है। आपको देखना चाहिए कि वास्तव में कहां पर शोषण हो रहा है शहरों में शोषण हो रहा है या देहात में जो मजदूर है उनका शोषण हो रहा है ?

आज हमारे देश में जो श्रमिक अशांति फैली हुई है उस पर भी आपको पाबन्दी लगानी चाहिए। जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, आप मिल-जुलकर कुछ ऐसे नियम और परम्परायें बनायें जिससे कि कुछ समय तक अशांति न रहे ताकि देश में जो बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है उसको दूर किया जा सके। यही चन्द बातें मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय की जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जबसे हमारी कांग्रेस

(आई) की सरकार आई है लेबर डिपार्टमेन्ट ने ठीक काम किया है। जनता पार्टी के राज में जितने श्रम दिवसों का नुकसान हुआ था और जिस प्रकार से शासन के काम काज में विगाड़ आया था, उसको दुरुस्त करने के लिए श्रम विभाग ने प्रशंसनीय काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि और आशा करता हूं कि वे उसको और भी आगे सुधारने में अग्रसर हो सकेंगे।

आज सबसे ज्यादा खराब हालत बंगाल की है। वेस्ट बंगाल में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वहां पर जान बूझकर सरकार की तरफ से हड़तालें कराई जाती हैं। सरकार की ओर से मजदूरों से कहा जाता है कि अगर हड़ताल करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जायेगा। इस प्रकार से बंगाल की सरकार देश के उत्पादन को गिराने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सीटू की यूनियन है यह सब से अधिक घातक है। यह यूनियन देश के मजदूरों को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये लोग लाठी के जोर से यूनियनों पर कब्जा करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पूंजीपतियों के दुश्मन हैं और दूसरी ओर से पूंजीपतियों के दलाल बनकर उनसे पैसा प्राप्त करते हैं और हर इण्डस्ट्री में 10-15 गुण्डे पालते हैं और फिर लाठी, तलवार, बन्दूक और पिस्तौल से फैक्टरीज पर कब्जा करते हैं, वहां अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं।

इस प्रकार की हालत है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आपको इस प्रकार की व्यवस्था को रोकना चाहिए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे सभी लोगों को ठीक प्रकार से साधन मिलें और वह अपने आपको साबित कर सके कि वह कौन सी यूनियन में ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं जयपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोटा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरीके से जब-जब मौका आया, तब-तब कितने आदमियों की जानें गई कितनी हत्यायें की गई। इसलिए श्रम विभाग को इस सम्बन्ध में निश्चित तरीके से ध्यान देना चाहिए। वे जब शिकायत करते हैं कि आपके पब्लिक सैक्टर में आपके अधिकारी लोग किस प्रकार से डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की जाती। इस वजह से दूसरे लोग मजदूर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पनपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। पब्लिक सैक्टर में जितने आपके अधिकारी है वे सब इन सीटू के लोगों मे मिले हुए हैं और व जितने कानून बने हुए हैं, वे उन कानूनों के खिलाफ काम करते हैं। इन्टक रिकांगनाइज करने में ज्यादा गड़बड़ करते हैं और उनको मान्यता प्राप्त नहीं होती है। खेतड़ी में कॉपर प्रोजेक्ट है, वहाँ पर पहले इन्टक यूनियन रिकांगनाइज थी, इन्टक के नाम से, लेकिन उसके बाद सब अधिकारियों ने मिल-जुलकर एटेकको रिकॉगनाइज कर दिया है। उनके पास कोई बहुमत नहीं है उसके बाद मैनेजमेंट के इनसे तक लोगों डरते हैं लाठी, सरकार और बन्दूक के बल पर, उन को प्रोत्साहन देते हैं। उसकी वजह से दूसरे लोग, जिनका बहुमत होते हुए भी, जिनमें ज्यादा विश्वास होता है मजदूरों को उसके होते हुए भी ऐसे लोगों को सहायता नहीं मिलती। इसलिए माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वे इस ओर ध्यान दें।

आप जहां कहते है, इस देश में कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं, वहां पर तलवार और बन्दूक वाले कब्जा करना चाहते हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाई कर रही है, श्रम विभाग क्या कार्यवाई कर रहा है, आपके अधिकारी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? मैं जानता हूं आपके अधिकारी क्या करते हैं वे बैठे रहते हैं, कमिश्नर बैठा रहता है, एसिस्टेंट कमिश्नर बैठा रहता है, लेकिन जब शिकायत की जाती है, तो कोई सुनवाई नहीं होती है । मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और वहाँ पर सेठो से मिल जाते हैं । मैं इस बारे में आपको एक नजर देना चाहता हूं । मैनेजमेंट और मजदूर लोगों ने आपस में समझौता करके सात रु० मिनिमम वेज तय किया वहां के गेनरिया (भीलवाड़ा) सोप-स्टोन के बारे में । उसके बाद वहां झगड़ा बढ़ा और हमने यह मांग को आपको सात रु० से ज्यादा मिलना चाहिए । मामला आर्बिट्रेशन में गया तो वहां के आफिसर एल० बी० ओ० ने उसको घटाकर 6 रु० 65 पैसे कर दिया । जब इस प्रकार के अधिकारी श्रम विभाग में हैं तो कैसे मजदूरों को राहत मिलेगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से खास तौर से आग्रह करूंगा कि वे उस ओर भी देखें । लेबर डिपार्टमेंट में हुकूमत करने के लिए अधिकारी नहीं बनाए गए हैं, ये मजदूरों का सहयोग करने के लिए बनाए गए है । ये बड़े-बड़े अफसर मोटरों में घूमने और अन्य प्रकार के साधन जुटाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिलकर आर्थिक तौर पर अपने आपको सम्पन्न करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि वे इसलिए बनाए गए हैं कि मजदूरों के शोषण को समाप्त करें, मजदूरों पर जो अन्याय होता है, उसको दूर करें । जब इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जब जाकर मजदूरों का हित होगा ।

मैं एक बात जब प्रोवीडेंट फण्ड के बारे में कहना चाहता हूं । प्रोवीडेंट फंड का महकमा बहुत गड़बड़ हो गया है । इसमें मैंने आपको पहले भी सुझाव दिया था कि जिस तरीके से आपने एल० आई० सी० के पांच जोन बनाए हैं, उसी तरीके से आप इसके भी बना दीजिए, ताकि जो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह समाप्त हो । दस-दस वर्षों से मजदूरों को रसीद नहीं मिलती है। रसीद न मिलने की वजह से उनको लोन नहीं मिलता है । जब वे नौकरी से भी निकल जाते हैं, तब भी उनको प्रोवीडेंट फंड का पैसा नहीं मिलता है । मर जाने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिलता है ।

इस प्रकार का हाल हो रहा है । आपके प्रोवीडेंट फंड के जो अधिकारी लोग हैं जब हम अपने मिल-मालिकों को कहते हैं कि हमारे प्रोवीडेंट फंड की रसीद दिलाओ और वे अपने अधिकारी को भेजते हैं, अपने कर्मचारियों को भेजते हैं, तो बावजूद दो-तीन महीने बीत जाने के बाद भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है इस प्रकार की हालत आपके विभाग की है और मैं चाहता हूं कि इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए । इससे हमारे जो मजदूर हैं उनके दिल व दिमाग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है हम चाहते हैं कि प्रोवीडेंट फंड के सम्बन्ध से जो कानून हमने बनाए हैं उनको ठीक तरह से पालन हो लेकिन उनका पालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है । प्रोवीडेंट फंड का जो रुपया वसूल किया जाता है, वह सेठ खा जाते हैं, और अपनी तरफ से वह एक पैसा नहीं देता है मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ने पैसा जमा नहीं किया और

उसके ऊपर आप की तरफ से 20 लाख रुपये का जुर्माना हुआ मगर आपके जो अधिकारी हैं, वे उससे मिले हुए हैं और एक पैसा भी उस से वसूल नहीं हुआ है और आज भी उस पर 20 लाख रुपया बकाया है। मजदूरों का कितना पैसा बाकी है, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जिस मालिक ने मजदूरों का शेयर खा लिया हैउसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, मगर आपके अधिकारी उससे मिले हुए हैं और उसका प्रोसीक्यूशन नहीं करते हैं बल्कि उसका बचाने की कोशिश करते है इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अधिकारी पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई हो, उनको सर्विस से निकाला जाए और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन होना चाहिए । तब जाकर सारी व्यवस्था ठीक बैठ पाएगी इसलिए मै मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मजदूरों के प्रति वे सहानुभूति रखते हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था आपके विभाग में है, उससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हम चाहते हैं कि इस विभाग में जो यह गन्दगी फैली हुई है और निश्चित रूप से गन्दगी फैली हुई है, वह ठीक हो और मजदूरों को राहत मिले। इस प्रकार की व्यवस्था आपके विभाग में होनी चाहिए।

दूसरा निवेदन मैं ई. एस. वाई. डिस्पेन्सरीज के बारे में करना चाहता हूं ये जो सेठहैं, ये जो पूंजीपति हैं, कितना पैसा मजदूरों का काट लेते हैं लेकिन आपकी जो ये ई. एस. आई. डिस्पेन्सरीज हैं, इनसे उनको अच्छी दवाएं नहीं मिलती हैं बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ तो आपके जो अधिकारी हैं वे ले जाते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर है, जो टी० बी० पेशेंट है और दूसरी भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं, उसको कितनी दवा यहां से मिलती है और किस प्रकार की उस की हालत है। कीमती दवाएं जी हैं वेमजदूरों के लिए नहीं हैं वे तो बड़े-बड़े अधिकारियों के लिए हैं, और कुछ अन्य लोगों के लिए हैं गरीब मजदूर तो मरना चाहता है और उसको मरने का राहट है। इसलिए उसके लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है इस प्रकार की व्यवस्था आपकी ई० एस० आई० डिस्पेन्सरीज की कमी तक चलती रहेगी। अगर इसी तरह की व्यवस्था चलती रही, तो जो मजदूर टी० बी० का पेशेंट हैं या दूसरी बीमारी से ग्रसित है, वह ठीक नहीं हो सकता और अपना इलाज माकूल तरीके से नहीं करवा सकता। मेरा कहना तो यह है कि इस तरह की बीमारियों के लिए मजदूर को कीमती दवा मिलनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक आपको नहीं होगी ई० एस० आई० के मामले में आप ऐसी कोई व्यवस्था जब तक नहीं कर पायेंगे और वहां जो अव्यवस्था है, उसको दूर नहीं करेंगे तब तक मजदूरों का पता नहीं होने वाला है। सेठों से, मैनेजमेंट पर जो पैसा बाकी है, वह वसूल नहीं किया जा रहा है। उनसे पैसा वसूल करके मजदूरों को राहत दी जाए और इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से करना चाहिए। तब जाकर ठीक प्रकार की व्यवस्था बैठे पाएगी।

एक बात मैं वर्क एजूकेशन सेन्टर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं पहले भीलवाड़ा में, मेरी कांस्टीटुयेन्सी में यह सेन्टर था, जिसको हटाकर जयपुर कर दिया गया है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उसको वहीं रहने दो।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जयपुर से हटाने की बात नहीं कह रहा हूं, जयपुर में वह रहे लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर पहले वर्क्स एजूकेशन सेंन्टर था, वहां पर एक वर्कस एजूकेशन सेन्टर आप दे दो। मेरी मांग यह है कि वहां पर आप एक वर्कस एजूकेशन सेन्टर दीजिए ताकि वहां के लोगों के लिए ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके।

इसी प्रकार से सोप-स्टोन के मजदूरों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आपने जो 6 रुपये 65 पैंसे मजदूरी दी है, जो मिनीमम मजदूरी दी है उससे कैसे एक आदमी का पेट भर सकता है। जो आदमी सैंकड़ों फीट खान के अन्दर जाकर खोदता है, उसको आपने 6 रुपये 65 पैंसे मिनीमम मजदूरी दी है, इसको आपको रिवाइज करना चाहिए और दूसरी खदानों में जितना पैसा और मजदूरों को मिलता है चाहे वह कोयले की खदान हो या अन्य खदान हो, उसके मुकावले में ही उसको पैसा मिलना चाहिए, तब जाकर उसकी स्थिति ठीक होगी।

लाइमस्टोन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, आप तो एक-एक मिनट में घंटी बजा देते हैं। यह तो मजदूरों का मामला है, मुझे थोड़ा समय और दीजिए ताकि मैं मजदूरों के फायदे की बात कह सकूं, तो अच्छा होगा।

आप इसमें भी मदद कीजिए और सोप स्टोन और लाइम स्टोन की खदानों के मिनिमम वेंजिज रिवाइज कीजिए। सभापति जी, चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं प्वाएंट ही बना देता हूं।

सोप स्टोन और लाइम स्टोन की खदानों में वे सारी वेलफेअर एक्टीविटीज लागू नहीं है जो कि दूसरी खदानों में है। जैसे कि मकान के बारे में, बच्चों के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में एक्टीविटील है। आप इन खदानों में भी ये एक्टीविटीज लागू करेंगे तो आपकी दुआ से वे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है जिसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उसके मालिकान मजदूरों का प्रोवीडेंट फण्ड का पैसा खा गये हैं, ई० एस० आई. का पैसा खा गये हैं, हर प्रकार का पैसा उन्होंने खाया है इसको ठीक किया जाना चाहिए इस मिल का तुरन्त नेशनेलाइजेशन होना चाहिए : चार सौ मजदूरों ने इसके सम्बन्ध में आपको श्री रेड्डी (उप श्रम मंत्री) को मेमोरेण्डम भी दिया है और निवेदन किया है कि इसको जल्दी से जल्दी नेशनेलाइज किया जाए। अगर आपने यह नहीं किया तो यह बन्द हो जाएगी और तीन हजार मजदूर बेकार हो जायेंगे। मंत्री महोदय, मजदूरों पर कृपा करके इसको नेशनेलाइज कीजिए अन्यथा उनकी रोजी-रोटी की दुरशीष हमको मिलेगी।

पहले इन्डस्ट्रियल कालोनीज बनाने के लिए 50 परसेंट सहायता राज्य सरकार देती थी तब स्टेट की तरफ से इन्डट्रियल कालोनीज बनती थी लेकिन यह पालिसी जब नहीं रही है।

मजदूरों के पास न कोई मकान होते हैं और न कोई प्लोट होते हैं। दूसरी ओर कोई व्यवस्था भी मजदूरों के रहने के लिऐ निश्चित नहीं है इसलिए इस पालिसी को रिन्यू कीजिए तकि तमाम मजदूर लोगों को देश में रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो सके वे लाभान्वित हो सके ।

दूसरे मजदूरों के लिए कालोनीज बनाई हुई जिनमें कि 15-15 और 20-20 सालों से मजदूर रहते हैं उनमें मजदूरों को हायर परचेज के बेसिस पर मकान दीजिए ताकि उन लोगों के लिए स्थाई तौर पर रहने के लिए छत की व्यवस्था हो सके।

एम्प्लाएमेंट एक्सचेंजिज की व्यवस्था बड़ी खराब है। इनके द्वारा खास तौर पर शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्ज अंजय संख्यक के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। मैंने देखा हैं कि बड़े-बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखानों में पैसा देकर के लोग बाहर से लग जाते हैं और एम्प्लाएमेंट एक्सचेंजों में भी नाम लिखा लेते हैं। इन छोटी जाति के लोगों को इन एम्प्लाएमेंट एक्सचेंजों के द्वारा कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। इन सारी व्यवस्थाओं को आपको ठीक करना चाहिए। अगर यह ठीक नहीं करेंगे तो नौकरियों में गड़बड़ी रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इनमें व्यवस्था को ठीक करें।

यूनियंस की रिकग्नीशन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उनका रिकग्नीशन वेरीफिकेशन के आधार पर होना चाहिए।

ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पहले साल में 13 दिन की ग्रेच्युटी देने का कानून था लेकिन बाद में इसको 15 दिन का किया गया लेकिन एक्ट में यह प्रावधान स्पष्ट नहीं है। एक्ट में यह प्रावधान स्पष्ट कीजिए।

आखिर में मैं पालेकर अवार्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े अखबार जैसे टाइम्स आफ इंडिया और स्टेटसमेन हैं वे इन्हें लागू नहीं कर रहे हैं। उनका प्राफिट पहले से बढ़ा है उसके बावजूद वे इसको लागू नही कर रहे हैं। मैं आपको टाइम्स आफ इण्डिया ग्रुप के मुनाफे के बारे में बताना चाहता हूं। इस ग्रुप का 1970 में 1137 लाख का रेवेन्यु था जोकि 1980 में बढ़ कर 3291 लाख हो गया। टेक्स काटने के बाद 1970 में जहां इसका प्रोफिट 32 लाख था वहां 1980 में वह 81 लाख हो गया। इस हालत में भी पालेकर अवार्ड को लागू न किया जाए तो वह गरीब जर्नलिस्टों के साथ अन्याय है। ये बड़े बड़े अखबार बड़े बड़े पूंजी-पतियों के अखबार हैं और उन्ही के लिए ये मुनाफा कमाने की व्यवस्था करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस अवार्ड को उनसे लागू करवाया जाए। अगर वे इसे लागू नहीं करते हैं तो गवंनमेंट की तरफ से इसको लागू करने की समुचित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि गरीब जर्नलिस्टो को पूरा वेतन मिल सके और वे इस देश की अच्छी तरह से सेवा कर सकें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदय, हम आश्चर्य पूर्वक यह बात अनुभव कर रहे हैं कि भारत सरकार की नीति धीरे-धीरे श्रमिक विरोधी होती जा रही है भारत सरकार

की नीति धीरे-धीरे वेतन जाम की नीति बनती जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को जो भी श्रमिक संगठन संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें बढ़ाने की बजाय उन्हें समाप्त किया जा रहा है। मैं इस संबंध मे कुछ उदाहरण दूंगा।

अभी हाल ही में बंगलौर में सरकारी क्षेत्र की हड़ताल के मामले में आपका रवैया क्या रहा? आप विवश खड़े रहे। हमने आपके विवाद को समाप्त करने के लिए श्रमिकों के बीच में नहीं पाया। हमने देखा कि श्री स्टीफन वहां जाकर श्रमिकों को श्रम मन्त्री के होते हुए डरा धमका रहे थे। भारत सरकार ने 126 करोड़ रुपये के उत्पादन की लो होने दी, परन्तु श्रम मन्त्रालय श्रमिकों को 6 करोड़ रुपये नहीं दे सका। आपकी नीति इसी दिशा में बढ़ रही है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। किस लिए? आप लोक तंत्र कानून के शासन की चर्चा करते हैं। परन्तु वास्तव में हो क्या रहा है? आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तब कर्मचारी हड़ताल न करें तो और क्या करें। कृपया बताइये। आपने जो समझौता किया, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, वे न्यायालय गये, न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय लिया जिसे आपने स्वीकार नहीं किया। तब वे और क्या कर सकते हैं? मेरा भारत सरकार, श्रम मंत्रालय से निवेदन है कि इस बात पर ध्यान दें कि इस मामले का फैसला हो जाये। यह न सोचो कि हर बार आप सख्ती से उन्हें दबा देंगे। मुझे पता चला है कि वित्त विभाग ने हड़ताल को नकाम करने का नोटिस दिया है। यह तरीका कम से कम गांधीवादी तरीका नहीं है जिसकी आप चर्चा करते हैं।

महँगाई भत्ते तथा वेतन के मामले में आप मूल्य सूचकांक के निष्प्रभावी किये जाने के विरुद्ध हैं। आप 1960 के गलत श्रमिक विरोधी सूचकांक को सुधारने से इन्कार करते हैं, यद्यपि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इसमें सुधार करने के पक्ष में कहा है। ऐसा क्यों है? क्या यह नीति श्रमिक विरोधी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सरकार द्वारा स्थापित समिति के 1960 के जीवन निर्वाह सूचकांक को सुधारे जाने के सुझाव को स्वीकार करेंगे।

मेरे दूसरे पक्ष के मित्र ने पालेकर निर्णय की चर्चा की है। आपने पालेकर निर्णय को स्वीकार कर लिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं परन्तु महँगाई भत्ते संबंधी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। ऐसा क्यों? आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया परन्तु महँगाई भत्ते संबंधी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। इस कारण से है कि आप वेतन जाम के पक्ष में है। आप नहीं चाहते हैं कि श्रमिकों के वेतन बढ़ें। आप चाहते हैं कि लाभ बढ़े परन्तु आप यह नहीं चहते कि वेतन बढ़े अपितु आप वेतन जाम चाहते हैं। पंचाट की जिन सिफारिशों को आपने स्वीकार भी किया है उन्हें भी क्रियान्वित करने पर आपने ध्यान नहीं दिया है। मुझे पता चला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पंचाट को स्वीकार नहीं किया। स्टेटस्मैन ने उसे क्रियान्वित नहीं किया और आप निष्क्रिय बैठे हुए हैं। आप कोई भी कार्यवाही नही कर रहें हैं। आप उन लोगों को संरक्षण नहीं देते जो पंचाट को क्रियान्वित कराना चाहते हैं...

सभापति महोदय : आपके दल का समय केवल 5 मिनट है।

श्री नारायण चौबे : मैं आपकी अनुमति से उसे बढ़वा सकता हूं।

जनता तथा कांग्रेस (आई) में अन्तर है। उस ओर के मेरे मित्र सदा यही कहते हैं कि यह बात जनता राज में हुई, वह बात जनता राज में हुई। मैं न जनता का और न कांग्रेश (आई) का ही पक्ष लेता हूं परन्तु एक बात में आपका जनता के साथ मेल है, वह यह कि आप दोनों श्रमिकों को नीचा दिखाना चाहते हैं। जिस औद्योगिक संबंध विधेयक को जनता पार्टी लाई थी और जिसके विरुद्ध लाखों मजदूरों ने प्रदर्शन किया था तथा दिल्ली की गलियां मजदूरों से भर गई थी उसी विधेयक को अब आप उसमें बिना कोई परिवर्तन किए लाना चाहते हैं। आप जनता पार्टी के कार्यों के खिलाफ चलने की बात करते हैं। तब फिर औद्योगिक संबंध विधेयक के मामले में आप उनका अनुसरण क्यों कर रह हैं? इस विधेयक में क्या है? मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते। आपने इसमें बहुत सी व्यवस्थाएं कर दी हैं। यदि उन सबका पालन किया जाता है तो उससे मजदूरों के हाथ पैर बंध जाएंगे और वे नियोक्ताओं की दया पर निर्भर हो जाएंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं यदि आप इस विधेयक को लाए बिना नही रहेंगे, तो मजदूर पुनः विद्रोह करेंगे। आप मज़दूरों को कमजोर बनाने की बात सोच सकते हैं परन्तु मज़दूर वर्ग एक होकर इस मामले में आपको दो टूक जवाब देगा।

इसके अतिरिक्त, महोदय, आप अपने द्वारा बनाए गए नियमों का स्वयं पालन नही करते। वे जनता पार्टी द्वारा बनाये गये नियम नहीं हैं। वे आप द्वारा, पिछली इन्दिरा सरकार द्वारा, बनाए गए थे। इसके अलावा संविदा श्रम उत्पादन और विनियमन अधिनियम है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसे भी क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। क्या इस्पात शहर जमशेदपुर में उन्होंने इसका कार्यान्वियन किया है? वहां 10,000 मज़दूरों को नौकरी से निकाल दिया गया तथा आपने और हमने विशेष रूप से अपने आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए मगरमच्छी आंसू बहाए परन्तु टिस्को से 10,000 निर्धन मज़दूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। उनमें अधिकांश हमारे आदिवासी मजदूर थे। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। क्या आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं?

दुल्लीराजहरा में आपने क्या किया? उनके नेता हमारे मित्र श्री शंकर नियोगी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें न्यायालय ने शायद रिहा कर दिया है। अब उस जंगल बोल्ट के 9000 मजदूर, 9000 खान मजदूरों को नौकरी पर नहीं आने दिया गया है। यह भी स्मरण रहे कि यह कोई राज्य सरकार का विषय नहीं है और न ही यह बिहार या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। उससे केन्द्रीय मन्त्रालय का संबंध है और फिर भी आप कुछ करने को तैयार नहीं हैं। मुझे आशा हैं इस मामले में आप कुछ करेंगे।

भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के कार्यकरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। वास्तव में यह पूर्णतया खतरे में है। वहां हिसाब-किताब भी ठीक

ढ़ंग से नही रखा जाता। वे रसीद नहीं देते। मजदूर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें अपनी भविष्य निधि की बकाया राशि नहीं मिलती और काफी संख्या में अधिकारी बड़े-बड़े व्यवसाय गृहों के प्रबन्धकों से मिले हुए हैं, उनसे निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। खड़गपुर में लक्ष्मी कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज़ (प्राइवेड) लिमिटेड नाम की एक कम्पनी है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने यहां बताया कि उस पर भविष्य निधि अधिनियम लागू होगा और उन्होंने अक्तूबर के महीने में इसे लागू कर भी दिया फिर भी अप्रैल के महीने तक भी प्रबन्धकों ने कुछ नहीं किया है। प्रबन्धक इस संबंध में यह कह रहे हैं कि वे न्यायालय जाएंगे। कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मालिकों से धन लेने और एकत्रित करने के सिवाय और कोई कार्य नहीं करता।...

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नारायण चौबे : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे हमारे बहुत अच्छे मित्र है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसे सुनेंगे और उस पर कोई कार्यवाही करेंगे? धीरे-धीरे यह मंत्रालय खिलौना बन रहा है। इस देश में लगभग 240 लाख संगठित मजदूर है। इन 240 लाख मजदूरों में से 170 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में है और इस सम्पूर्ण की सबसे खराब बात यह है कि उस सम्पूर्ण मामले में आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। कहीं ऊर्जा विभाग आता है तो कहीं खान विभाग, कहीं आपका इस्पात विभाग आ जाता है तो कहीं यह विभाग और कहीं वह विभाग को तब इस श्रम विभाग को रखने का क्या लाभ है।

आप औद्योगिक विवाद अधिनियम को भी लागू नहीं कर सकते। संस्कृत में एक लोकोक्ति है :

'किमतया क्रियते धिन्ना,
या न सुता न दुग्धदा।'

ऐसी गाय को रखने का क्या लाभ जो न दूध देती हो न बछड़ा? मैंने सुझाव दिया था कि आपके विभाग को इस बारे में कुछ करना चाहिए ताकि इन सभी मामलों में आपके विभाग को अधिकार प्राप्त हो सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : गाय को मारिए मत।

श्री नारायण चौबे : गाय को मारिए नहीं। मैं कहता हूं गाय को मारिए नहीं। पर ऐसी गाय को रखने का क्या लाभ जो दूध न देती हो न बछड़ा? मैंने सुझाव दिया है कि इन मामलों में आपके कार्यालय के पास प्राधिकार होने चाहिएं। अन्यथा मंत्रालय को बनाए रखने का कोई लाभ नहीं। रेलवे नियमों का पालन नहीं करता है। स्थायी प्रकृति के सभी पदों का विभागीयकरण कर दिया जाना चाहिए। सम्पूर्ण भारत में सभी लोको शेडों में हजारों मजदूर काम कर

रहे हैं। आप आगरा या खड़खपुर या विलासपुर या सियालदाह चले जाइये। हजारों मजदूर कई वर्षों से ठेके पर काम कर रहे हैं, काम भले ही स्थायी प्रकृति का हो, जब तक भाप इंजन है तब तक कोयला और केरी होगी। रेलवे नियमों का पालन नहीं करता है। वर्ष 1976 में उन्होंने ठेके के मजदूरों को स्थायी करने का निर्णय लिया था। वे नियमों का पालन नहीं करते हैं मुझे आशा है आप मजदूरों की समस्याओं का भी अध्ययन करेंगे। कृषि मज़दूरों के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय मज़दूरी होनी चाहिए। मैं सामने वाले अपने कांग्रेसी मित्रों को यह कहते सुन रहा था कि तांबे की खानों में मज़दूरों को 6-50 रुपये मिलते हैं। इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के हस्तक्षेप से उन्हें 7-00 रुपये मिल रहे थे। आपके विभाग ने कम करके 6-65 रुपये कर दिया। आपके विभाग के ऐसे काम हैं।

आप पश्चिमी बंगाल आइये और देखिए। वहां कृषि मज़दूर को 8-90 रुपये या 10-00 रुपये मजदूरी मिलती है। आप देखेंगे कि विहार में अलग और उड़ीसा में अलग मज़दूरी है। एक राष्ट्रीय मज़दूरी नीति होनी चाहिए। कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार मज़दूरों की रक्षा करे। सरकार हड़तालें तुड़वा सकती है परन्तु मज़दूरों की रक्षा नहीं कर सकती। आपने आपातकाल में यही किया था। वहां जब हड़ताल हुई आपने माता काली वाली भूमिका निभाई। परन्तु जब तालाबन्दी हुई तब आपने भगवान कृष्ण की तरह काम किया। ऐसा ही आपने हाल में लोको मज़दूरों के मामले में किया। आप हड़ताल को कमजोर करते हैं और तालाबन्दी का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय : आप काली तथा अन्य सभी बातों को वाजपेयी जी के लिए छोड़ दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वे पश्चिमी बंगाल से आते हैं अतः वे काली की बात अवश्य ही करेंगे।

श्री नारायण चौबे : आप जानते हैं कि 24 परगना में मोहिनी मिल्स के लगभग एक वर्ष से अधिक तालाबन्दी रही। डालमिया दादरी सीमेन्ट फैक्ट्री, हरियाणा में 19 मार्च, 1980 से तालाबन्दी है। क्या आप उनके लिए कुछ करेंगे? यदि आप नहीं कर सकते तो यह यही बात होगी 'या न सुता न दुग्धदा' अन्त में मैं चेतावनी देता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि वे संस्कृत में बात करेंगे तो उन्हें पोलित ब्यूरो में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप विस्तार में मत जाइये।

श्री नारायण चौबे : अतः मैं चाहता हूं कि अवसर के अनुसार कार्यवाही की जाए। यदि भारत सरकार की नीति मजदूरों को दबाने की है तो मैं पूर्ण नम्रता से यह कहूंगा कि आप आज या कल सफल हो सकते हैं, परन्तु आप कल के बाद सफल नहीं हो सकते क्योंकि मज़दूर एक हो जाएंगे और दो टूक जवाब देंगे।

इन शब्दों के साथ में अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री सुन्दर सिंह । आपको तीन मिनट बोलने की अनुमति है ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चैयरमैन साहब, मैं स्टेट में दस साल तक लेबर मिनिस्टर रहा हूं । मुझे पता है कि हम यूनियन वालों को किस तरह टरका देते थे । हमारे पास तीन लफ्ज थे जब हम लेबर मिनिस्ट्रीज कांफ्रेंस में जाया करते थे, तो हम आखिर में तीन लफ्ज इस्तेमाल करते थे । यह मसला हल होगा वाई डिसकशन, पर्सवेशन एन्ड कनसिडरेशन । इस सारे तरफ हममसले को हल कर देते थे ।

जब तक देश का हर एक आदमी अपने आप को लेवरर नहीं समझेगा, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा । श्री व्यास ने बहुत लम्बी-चौड़ी बाते कहीं । उनकी स्पीच खत्म नहीं हो पा रही थी । हर एक मेम्बर को पांच मिनट में अपने खयालात रख देने चाहिए । मसोलिनी ने कहा था कि आई एम ए लेवरर फर्स्ट एण्ड देन ऐनीथिंग एल्स । जैसा कि मैंने कहा है, जब तक हिन्दुस्तान का हर एक इन्सान अपने आप को लेवरर नहीं समझेगा, तब तक सिर्फ कानून बना देने मे कोई मसला हल नहीं होगा ।

आज सब लोग अपने अपने इन्ट्रेस्ट्स के लिए काम करते हैं । सब पैसा जमा करना चाहते है । लेवर के लिए कोन सोचता है ? मैं श्री वाजपेयी को भी कहना चाहता हूं कि जब तक सब लोग लेवरर नहीं बनेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा । जब मैं श्री वाजपेयी को देखता हूं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि वह लेवर से बड़ी मुहब्बत करते हैं ।

> "जब तक लाखों लोग भूखे अज्ञानी हैं मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दगाबाज मानता हूं जो उनके खर्चे से पढ़ा है और उनकी ओर ध्यान नहीं देता है, देश द्रोही मानता हूं ।"

लोग लेवर की कास्ट पर आगे बढ़ते है और फिर शहरों में आकर मजे से रहते है । जब तक इन्सान अपने आप को ठीक नहीं करेगा । तब तक कोई काम ठीक नही होगा । मैं सोशलिज्म की बात बताना चाहता हूं । हम लोगों के याद महात्मा गांधी शिक्षा को याद रखना चाहिए, स्वामी विवेकानन्द की बातों को अपने सामने रखना चाहिए ।

> "यहां तक कि हम रोटी का जो ग्रास खाते है वह भी दूसरों के मुंह से छीन कर खाते हैं ।"

इस उसूल पर चलकर लेवर का भला हो सकता है । कई लोग दस खाने खाते हैं और लेवर की हिमायत का दावा करते हैं । यह ठीक नहीं है ।

> "आपको ईश्वर की तलाश कहां करनी चाहिए ? क्या निर्धन, दुःखी और दलित व्यक्ति नहीं है ? पहले उनकी पूजा कीजिए । मैं ईश्वर और धम में विश्वास नहीं रखता क्योंकि

एक विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता और अनाथ के मुंह में भोजन का एक ग्रास नहीं डाला जा सकता।"

सिर्फ कानून बनाने से ही हमारे मसले हल नहीं हो सकते हैं। मैं किसी खास आदमी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज तो बाबा आदम ही निराला हो गया है। हर एक आदमी को अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।

"प्रसन्न रहों यह मानकर चलों कि हमें ईश्वर ने महान कार्य करने के लिए चुना है और हम उन्हें करेंगे। सदा तैयार रहों शुद्ध और पवित्र विचार और प्रेम के बदले प्रेम करो निर्धन, दुःखी और दलित से प्रेम करों, ईश्वर आपको आर्शीवाद देगा।"

जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि लेवर को कारखाने में हिस्सेदार बनाना है। कहां बनाना है ? हम लोग गरीब और लेवर का नाम लेते हैं, लेकिन सही काम नहीं करते हैं। इसी वजह से लोग हैरान और परेशान हैं।

अब मैं जरा गुजरात की बात कहूं। वहा हमारे हरिजन भाइयों को बहुत दिनों से मार-मार कर हलाल कर रहे हैं। आप देखें 1947 में जब इन को जरूरत थी तो हमारे हरिजन भाई इन के साथ थे। महात्मा गांधी की बात मान कर हम इन के साथ रहे। जब इन का काम निकल गया तो अब क्या कर रहे हैं ? एक परसेंट भी नौकरी में नहीं आ पाए हैं और मार-मार कर ढेर कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हिन्दुस्तान में सब कुछ हरिजन ले गए जी, हरिजन सब खा गए जी। क्या खा गए जी ? कुछ भी नहीं खा गए। देखिए ये कारपोरेशंस हैं, बड़े बड़े कितने कारखाने हैं, मकान हैं इन सब में कितने हरिजन हैं ? सब जगह भारत माता जिन्दाबाद ही है न हम भारत माता जिन्दाबाद कहते रहेंगे लेकिन हमारा कहीं कुछ भी नहीं होगा, न कोई मकान, न कोई दूकान, न कोई सामान, बस भारत माता जिन्दाबाद है।

सभापति महोदय : अब खत्म कीजिए।

श्री सुन्दर सिंह : गरीबों का नाम लेते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी आती है कि भाई, ये किस मुंह से गरीबों का नाम लेते हैं। यह जार्ज भी उन का नाम लेते हैं जो गाड़ियों उलटाते रहे हैं। ये वेचारे भी उन का नाम लेते हैं। बड़े पीसफुल आदमी हैं, गाड़ियों उलटाते चलते हैं।

सभापति महोदय : टाइम खत्म हो गया।

श्री सुन्दर सिंह : मैं यह सिर्फ आप से कहूंगा चेयरमैन साहब, कि बाद में और भी चेयरमैन बनने वाले हैं, उन से कहिए कि पांच मिनट से ज्यादा किसी को टाइम न दें। आप देखिए कि हरएक आदमी चाहता कि उस का नाम आए, वह अपने ख्यालात यहां बताएं। लेकिन यहां लोग

जो शुरु करते हैं तो खत्म करने को आते ही नहीं । फिर फायदा क्या हुआ ? काम एक का भी नहीं बनता । ये वेचारे अपोजीशन वाले नरस तरस कर मर रहे, हैं इन का भी काम नहीं बनता ।

मेरा सिर्फ यह कहना है कि अपने आप जब तक इस पर हम अमल नहीं करेंगे, अपने आप से जब तक इंडिविजुअलिटी नहीं लाएंगे तब तक काम नहीं बनने का है । सीधी बात है कि सारे आदमियों को अपने आप को लेबर समझना चाहिए तब गरीब का भला हो सकता है, लेबर का भला हो सकता है और सोशलिज्म आ सकता है, डेमोक्रेसी चल सकती है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि किसी भी शुल्क की बेहतरी उस के मजदूरों की संतुष्टि पर निर्भर करती है । यदि मजदूर संतुष्ट हुआ तो फिर अच्छा उत्पादन होगा और मुल्क आगे जायेगा ।

बदकिश्मती से इस मुल्क की श्रम-शक्ति सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित रही है । मैं मजदूरों को दो वर्ग बांटता हूं एक संगठित मजदूर वर्ग जो कारखानों में काम करते हैं और प्रायः शहरों में रहते हैं और दूसरे असंगठित मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करते हैं और प्रायः देहातों में रहते हैं । यदि आप गौर से देखेंगे तो दोनों प्रकार के मजदूर आज परेशान हैं । पहले तो इसलिए कि उन को काम के मुताबिक पैसे नहीं मिलते तथा महंगाई इस प्रकार आसपास को छू रही है कि वह अपना पेट भी नहीं भर पाते, परिवार का पेट भरने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता । मैंनेजमेंट कोई विहित सुविधा भी उन को देने के लिए तैयार नहीं है । इन कारणों से आए दिन हड़ताल और तालाबन्दी हुआ करती है । इस हड़ताल और तालाबन्दी के कारण करोड़ रुपये की क्षति होती है । मंत्री जी ने 1980 में 12.91 मिलियम मैंन डेज लास बताया है जब कि 1979 में 43.87 मिलिक्म मैंन डेज का लास हुआ यह इन का कहना है । पता नहीं क्यों यह सरकार बार-बार जब कोई बात करती है तो इस से पहले की सरकार का आंकड़ा लेकर सदन में आती है । पूछना चाहता हूं कि अभी जो आंकड़े इन के ही मुताबिक आप के सामने हैं 12.91 मिलियन मैंन डेज लास्ट के क्या यह वाजित है ?

बदकिश्मती से यह सरकार हड़ताल और तालाबन्दी के बिना कोई काम कर ही नहीं सकती मैं अगर यह कहूं कि यह सरकार वास्तव में हड़ताल की ही भाषा समझती है तो कोई अत्युक्ति नही होगी । मैं आग्रह करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या आप नहीं देख सकते कि वास्तव में जिन कारणों से ये हड़तालें और तालाबन्दी हो रही है उस के पहले जो वाजिब उनकी मांग है उसे मान लिया जाय जिसे आप मानते हैं कि माना जाना चाहिए और जो हड़ताल के वाद आप मानते हैं, और करोड़ों रुपये की क्षति होने के बाद मानते हैं ? क्या वह पहले नहीं किया जा सकता ?

क्या सरकार हड़ताल तथा तालाबन्दी से पहले वाजिब मांगों को मान कर उस विशेष प्रतिष्ठान को घाटे से बचा सकती है या नहीं ? पर इसके लिए भी सहृदयता चाहिए और मजदूरों की समस्या के प्रति सहानुभूति । बदकिस्मती से सरकार के पास वह भी नहीं है ।

देहाती असंगठित खेतिहार मजदूरों की हालत और भी दयनीय है। भूखे भारत को खिलाने वाला धरती का लाल आज भूखा है। सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बावजूद भी वह खुद का भी पेट नहीं भर पाता, भूखे परिवार को तो खिलाने का प्रश्न ही नहीं है।

सप्ताह और महीनों भूखे रहने वाले मजदूर के पेट की ज्वाला में सारा देश स्वाहा होने वाला है। चार महीने काम करने के बाद आठ महीने काम नहीं मिलने पर उनकी मुश्किलें और भी जटिल हो जाती हैं। सरकार कहने के लिए तो कागज पर बहुत से काम चलाती है लेकिन हकीकत यह है कि जहां से हम आते हैं वहां गांवों में यदि आप देखें तो वास्तव में 8 महीने उनको कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह कोई ऐसी योजना बना सकती है या नहीं जिसमें, जब मजदूरों के पास कोई काम न हो तब उस समय उनको काम दिया जा सके ; इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

यद्यपि सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत से नियम-कानून बनाए हैं जैसें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैंनेजमेंट, इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तथा लेबरकोर्टस की स्थापना, मिनिमम वेजेजऐक्ट, एम्पलाईज प्राविडेन्ट फंड ऐक्ट, एबालिशन आफ बाण्डेड लेबर ऐक्ट-परन्तु क्या ये सारे ऐक्ट्स जमीन पर उतर पा रहे हैं ? आपने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैंनेजमेन्ट की व्यवस्था की लेकिन क्या वास्तव में यह हो पाता है ? कतई नहीं। यदि यह हो गया होता तो यह समस्या ही सामने नहीं आती। आपने इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ऐंड लेबर कोर्ट्स की स्थापना की लेकिन आप देखेंगे कि आज की हजारों केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह से आपने मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाया लेकिन क्या वह गांवों के मजदूरों पर लागू हो पाता है ? आज भी उन्हें जो कम से कम मजदूरी मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है।

इसी तरह से जहां तक एम्पलाईज प्राविडेन्ट फंड की बात है, आज भी बहुत से ऐसे प्रतिष्ठानों को जिनको इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, खास कारणों से इसके अन्तर्गत नहीं लाया जाता है। मैं सरकार से इस तरफ भी ध्यान देने के लिए आग्रह करूंगा।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है, मंत्री जी के मुताबिक ही आज देश में दो करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिनको कि रोजगार की जरूरत है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए जगह-जगह एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज के दफ्तर खुले हुए हैं लेकिन वहां पर भी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है इसकी जानकारी भी सरकार को होनी चाहिए। अगर कहीं से एम्पलायमेन्ट की नोटिस आती है तो वहां नाम भिजवाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है कुछ देना पड़ता है तभी नाम भेजा जाता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें।

शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज ऐंड अदर बैकवर्ड क्लासेज में जो लोग आते हैं उनको कहने के लिए तो सांवैधानिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन हकीकत यह है कि यह कह दिया जाता है

कि उनका स्टैण्डर्ड उतना नहीं है। आखिर इसके लिए कौन जवाव देह है? सदियों से जो लोग पिछड़ रहे हैं उनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होनी? मैं कहता हूं इसके लिए सरकार जवावदेह है। उनको अपटू द मार्क लाने के लिए अगर विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत हो या कोई अन्य सुविधा देने की बात हो, जैसे भी हो सरकार का यह भौतिक दयित्व है कि संविधान के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है उसकी पूर्ति उनके लिए की जाए। पता नहीं क्यों सरकार उनके द्वारा गठित आयोग और कमेटियों की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं करना चाहती है, जिससे मजदूरों में कुछ शान्ति पैदा हो। उदाहरणस्वरूप मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। भुतलिंगम कमेटी और रथ कमेटी की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया। यदि इन समस्याओं का आप समाधान करना चाहते हैं, मजदूरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए करना मजदूर मजबूर होकर उठ खड़ा होगा, तो शायद वह सरकार व मुल्क दोनों के लिए हो एक समस्या पैदा कर सकता है। आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता है नेशनल लेवर तथा वेज पॉलिसी की जिसके कार्यान्वियन के बाद शायद औद्योगिक शान्ति पैदा हो जाए, जो कि समय का तकाजा है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी और कुछ कारगर कदम उठायेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): सभापति महोदय, आदरणीय श्री नारायण दत्त तिवारी जैसे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति के श्रम मंत्री होने के बावजूद भी उन्हीं के प्रदेश में श्रमिकों का भयंकर शोषण हो रहा है और उनको यातनायें दी जा रही हैं यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है।

मान्यवर, अभी मैं गाजियाबाद से चला आ रहा हूं। यहां से डेढ़ बजे गया था और वहां पर मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन करके आ रहा हूं, इसलिए मैं चाहता था कि तुरन्त उसके बारे में कुछ बताऊं। मजदूरों के ऊपर वहां बहुत अत्याचार हो रहा है। कल एक संसद सदस्य जिनको पीटा गया था, उनके बारे में जहां सारी चर्चा हुई हैं, मैं वहां पर, थोड़ी जानकारी करने के लिए गया था मैंने वहां की पुलिस चौकी को देखा और वहां के पुलिस अफसरों को पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां पर जो आठ-नौ कुर्सियां पड़ी हुई थीं, वे सब काम्यूनिस्ट पार्टी के लेबर दफ्तर की कुर्सियां थी, जिसको वे लोग उठा लाए थे। उनके दफ्तर को तोड़ा है और उनके सामान को लूटा गया। वे कुर्सियां पुलिस के दफ्तर में रखी हुई हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं और उन लोगों ने मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया है, गोलियां चलाई हैं, जबकि किसी भी उत्तेजना का कोई कारण नहीं था, फिर भी उत्तेजनात्मक कार्यवाही पुलिस की तरफ से की गई है। लोगों ने शिकायत की है एक पुलिस अधिकारी श्री दिनेश पांडे के बारे में, कि वह सबसे ज्यादा लोगों को टेरराइज़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से कह करके इस को देखें, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, बंगलौर में जिस तरीके से स्ट्राइक चली वह सरकार की मौजूदा इस नीति का

परिणाम है। अभी हम कटिहार गए हुए थे वहां जूट मिल के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, उनके ऊपर भी दमनचक्र चलाया गया, वहां के शासक रेल के लोग, पुलिस के अफसर, प्रशासन के अफसर और अभी मिल-मालिक से मिले हुए थे। नतीजा यह हुआ कि मजदूरों की बुरी तरह से पिटाई हुई। श्रीमती राम दुलारी सिन्हा वही से आती है, उनको तो इस सबंध में पुरी जानकारी होगी कि कटिहार जुट मिल की क्या समस्यायें थी। इसके साथ हमारे एक भूतपूर्व संसद सदस्य वहां पर अनशन कर रहे थे, वे 35 दिन अनशन करते रहे और कांग्रेस के लोग कहते थे कि इसको मर जाने दो और समस्याओं का समाधान करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता पार्टी के एक भूतपर्व संसद सरस्य थे। मान्यवर, इस तरह की ये सारी चीजें हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयकंर बेरोजगारी फैली हुई है। वहां से लोग दूसरे प्रदेशों में महाराष्ट्र, पंजाब और कलकत्ता आदि सभी जगहों पर जाते हैं और वहां जाकर रोजगार कमाते हैं। ट्रेनों की छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं और वहां पर जाते हैं। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की तरफ भी देखना चाहिए, बेरोजगारी नहीं तो खत्म नहीं होने वाली है। इस देश में बेरोजगारी की भीषण समस्या है।

मान्यवर, दिसम्बर, 1979 में जैसी कि लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक करोड़ 43 लाख लोग 1979, दिसम्बर, तक बेरोजगार थे, जबकि दिसम्बर, 1980 तक यह संख्या बढ़कर एक करोड 62 लाख हो गई है। इस प्रकार से लगभग 13 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। चार लाख 65 हजार लोगों को केवल नौकरी मिल पाई। मान्यबर; इस समय जो शिक्षित बेरोजगार है, जून, 1980 में इनकी संख्या 76.62 लाख थी जबकि 1979 में, एक साल पहले जब जनता पार्टी और लोकदल की सरकारें थी, यह संख्या केवल 69.37 लाख थी। दस फीसदी की वृद्धि केवल इनके एक साल के शासन में हुई है।

मान्यवर; में बताना चाहता हूं कि 76.62 लाख लोगों में से 14.5 लाख ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हैं या पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं या स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल कर चुके हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों की भी बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

जहां तक महिलाओं का सवाल है, गत वर्ष तक 65881 महिलाएं बेरोजगार थीं और केवल 11 फीसदी को ही इन में से नौकरी मिली है। यह सब सरकारी गाथा है, जो मैं बतला रहा हूं। इस तरह से आप देखें कि देश के सामने एक भयंकर बेरोजगारी समस्या है और इस को दूर करने के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए, नहीं तो यह सरकार पूरी तरह से असफल रहेगी। हमारा केवल आलोचना करने से ही काम नहीं बनता, हम चाहते हैं कि सरकार ठोस काम करे जिस से यह समस्या दूर हो।

एक बात में वोडेड लेबर के बारे में कहना चाहता हूं: आज भी देश में विभिन्न भागों में बहुत बडी संख्या मे वोडेड मजदूर हैं। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता कि बांडेड

मजदूर और भी हैं लेकिन सरकार की जानकारी में यह है कि बोंडेड लेबर अभी भी हैं और हरियाणा के अन्दर इन्डियन एक्सप्रैस में कुछ घटनाएं निकली है ओर पुलिस भी उनको छुड़ा नहीं सकी है। वहां पर कुछ कास्ट्रेक्टर्स वगैरह है, जो उन लोगों को भगा ले गये है। इस तरह की सारी बातें निकली हुई हैं।

कृषि मजदूरों के बारे में अभी श्री आर० पी० यादव ने बताया है कि वे किस प्रकार से रह रहे है। सरकार ने जो उन के लिए मजदूरी निर्धारित की है, वह भी वे नहीं ले पाते हैं। उन की बहुत दुर्दशा है और उन की समस्याओं के समाधान की तरफ सरकार को तुरन्त विशेष ध्यान देना चाहिए।

एक विशेष समस्या की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है। हमारे पोस्ट आफीसेज में जो काम करने वाले हैं, जो केजुअल वर्कर्स हैं, जो आकस्मिक मजदूर हैं, ये पिछले 6-7 वर्षकाम करते चले जा रहे हैं लेकिन इन की सविसेज को नियमित नही किया जाता है। उसी प्रकार से रेलवे के मजदूरों की बात है। मैं खास तौर से पोआफीसेज के बारे में बताना चाहता हूं कि और 240 दिन इनका काम हफ्तावार तो उनको जरूर स्थायी कर देना चाहिए लेकिन उन को स्थायी नहीं किया जाता है। वहां पर घसखोरी चलती है। जिससे पैसा लिया जाता है, उसको रख लिया जाता है यहां तक कि लोकल एम्पलायमेंट एक्स-चेन्जेज से भी लोग नहीं लिये जाते।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि टाइम्स आफ इडिया के एम्पलाइज ने और नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के एम्पलाइज ने अपनी समस्याओं के बारे में सरकार के सामने कुछ आवेदन दिये हैं, कुछ मत्रक दिये है लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाए और उन की समस्याओं का समाधान किया जाए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मालेकर ट्रिब्यनल का जो एवार्ड है, उस के बारे में सरकार क्यों उदासीन है। जो बड़े-बड़े अखबार चलाते हैं, वे जिले के स्तर पर जो करने वाले कर्मचारी है, पत्रकार है, उन की सेवाएं समाप्त कर रहे हैं। जो सुविधाएं उन को देनी चाहिए वे उन को नहीं दी जा रही है और उन की सेवाएं समाप्त की जा रही है। इस का नतीजा यह हो रहा है कि बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ाने में थे सहायक हो रहे हैं। इस को रोकने के लिए सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ में श्रम मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इन से जो सममस्याएं हैं, उन का कोई समाधान होने वाला है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, मैं बिहार में धनबाद की औद्योगिक पट्टी से आता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कारण इस्पात श्रमिक, दो लाख से अधिक कोयला खदानों के श्रमिक, कोई 2000 उर्वरक श्रमिक तथा अन्य उद्यगों में एक लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत

हैं ।मैं पिछले 15 वर्षों से श्रम विभाग की गतिविधियों को देखता चला आ रहा हूं सबसे अधिक दु:ख मुझे इस बात का हुआ है कि देश में श्रमिकों तथा श्रम मंत्रालय की भी प्रतिष्ठा में धीरे-धीरे ह्रास और अवमूल्यन हुआ है। यह मंत्रालय बिल्कुल निकम्मा है और कोई काम नहीं करता है । मैं एक उदाहरण दे रहा हूं । यह ऐसा मंत्रालय है जो केवल भौंकना जानता है किन्तु काटने के लिए इसके पास दांत नहीं है । मैं एक उदाहरण दे रहा हूं धनबाद में पहले एक कोयला खदान कल्याण संगठन होता था जो कोयला खदान श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों को चला रहा था । इसे अब श्रम मंत्रालय से छीन कर ऊर्जा मंत्रालय को दिया जा रहा है । केन्द्रीय अस्पताल, जो श्रम विभाग द्वारा चलाया जा रहा था, अब ऊर्जा मंत्रालय को दे दिया गया है । कोयला खदान भविष्य निधि, जिसकी व्यवस्था श्रम विभाग द्वारा की जाती थी, उसे उससे वापस ले लिया गया है। सुरक्षा संगठन कहीं बीच में है । श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए इसमें पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं हैं । श्रम आयुक्त को कार्यालय में बहुत अधिक कार्य हैं । अभी हाल तक धनबाद और आसन मोल के लिए अलग से कोई क्षेत्रीय श्रम आयुक्त नहीं होता । एक ही क्षेत्रीय श्रम आयुक्त दोनों ही स्थानों का कार्य देखा करता था इस औद्योगिक क्षेत्र के श्रम विभाग को इस प्रकार का सम्मान और महत्व दिया जा रहा है ।

मैं आपके सामने उदाहरण दूंगा । यहां पर अनेक प्रकार के श्रमिक हैं जिनमें संगठित उद्योग के स्थायी श्रमिक है, नैमित्तिक श्रमिक हैं तथा ठेके पर कार्यरत श्रमिक इनमें से अधिकांश गरीब लोग जैसे दलित, हरिजन तथा आदिवासी ठेके पर कार्य करते हैं । संगठित क्षेत्र में 60 लाख श्रमिक हैं जो स्थायी हैं और 2 करोड़ श्रमिक ठेकेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करते हैं । सरकार ठेकेदारी प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए एक विधेयक लाई थी जिसका नाम ठेकेदारी श्रम (उन्मूलन एवं विनियमन) विधेयक, 1970 था इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्होंने बारह-मासी कार्य की परिगणना की है। परिभाषा में यह कहा गया है कि यदि कोई कार्य पिछले 12 महीनों में 120 दिन से अधिक समय के लिए निष्पादित किया जाता है तो इसे बारहमासी कार्य माना जायेगा ।

इस अधिनियम की धारा 10 (2) के अन्तर्गत ठेकेदारी प्रणाली पर रोक लगाई गई है । इसमें यह नहीं कहा गया है कि ठेकेदारी श्रमिकों का क्या होगा । मैं यह चाहता हूं कि उत्तर देते समय मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं—क्या इसका उद्देश्य ठेकेदारी श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है अथवा उन्हें दण्डित करना है ।

ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के नाम पर सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिकों की छंटनी कर रहे हैं जबकि इस अधिनियम की भावना तो ठेके पर कार्यरत श्रमिकों के विभागीकरण की होनी चाहिए थी । और श्रम विभाग निसहाय-सा होकर इसे देखता रहा है ।

यह बताया गया है कि टिसको ने 10,000 ठेकेदारी श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया

है । डल्ली राजहरा लौह अयस्क खानों तथा मध्य प्रदेश की लौह खानों का क्या हुआ ? उनके नेता श्री शंकर गुह नियोगी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया और राज्य सरकार के परामर्श दाता बोर्ड ने इसे अवैद्य घोषित कर दिया । वहां पर पुलिस द्वारा आंतक फैलाया जा रहा है । डल्ली राजहरा लौह अयस्क खान में 8500 श्रमिक श्रम सहकारिता के अन्तर्गत ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत कार्यरित थे । उन्हें पुन: कार्य पर जाने की अनुमति नहीं दी गई वह अब भी बेरोजगार हैं । ये लौह अयस्क खानें भिलाई इस्पात संयत्र के अन्तर्गत आती हैं जो केन्दीय इस्पात मंत्रालय के अधीन है और खान स्रमिक केन्द्रीय स्रम मंत्रालय द्वारा अधिशासित होते हैं । केन्द्रीय सरकार इस तर्क का सहारा नहीं ले सकती कि यह स्रमिक राज्य के स्रम-विभाग के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि उन्होंने टिस्को के मामले में किया था ।

16-5-1980 को श्रम शक्ति भवन में एक समझौता हुआ था ।

सभापति महोदय : इस समझौते के बारे में कह कर आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री ए० के० राय : यदि समझौता लागू किया जाता है तो मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । इस समझौते में हस्ताक्षर करने वाले महानुभाव मुख्य स्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा क्षेत्रीय स्रम आयुक्त (केन्द्रीय) हैं, और स्रमिकों की ओर से छत्तीसगढ़ स्रमिक संघ के नेता श्री शंकर गुहा नियोगी ने हस्ताक्षर किये थे और इस समझौते में यह आश्वासन दिया गया है कि स्रमिकों का 15-9-1981 तक विभागीयकरण कर दिया जाएगा और यह विभागीयकरण की प्रक्रिया 15-11-1981 तक पूरी कर दी जाएगी । और इसके खंड 10 में यह व्यवस्था है कि प्रबन्धकों ने अपन पूर्ण आश्वासन दोहराया है कि स्रमिकों की छंटनी नहीं की जाएगी । इसमें यह लिखा गया है और उसके पश्चात् 8500 स्रमिक बेरोजगार हो गये हैं । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्रम विभाग इस्पात मंत्रालय को यह लिख रहा है कि उसके सभी अधिकारियों को यह पता है कि वहां पर बड़ी गड़बड़ की जा रही है । भारत में कहीं भी 8500 स्रमिकों को बेरोजगार नहीं किया गया होगा और इस्पात मंत्रालय उसका उत्तर नहीं दे रहा है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहना है या तो आप शासन ठीक से चलायें या फिर उसे जोड़ दें । ऐसे स्रम मंत्रालय का क्या लाभ जिसके पत्रों के उत्तर दूसरे मत्रालय द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि आप अपने विभाग, आपने मंत्रालय को प्रभावी बनाने के लिए क्या कर रहे है और अन्य मंत्रालयों पर उसको पूर्ण प्राधिकार के लिए क्या कर रहे है ?

श्री चित्त बसु (बारसात) : आरम्भ में मैं स्रम मन्त्रालय के प्रभारी मंत्री महोदय का ध्यान उस प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है । यह न केवल असन्तोषजनक है बल्कि जब इस मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों के कार्य-निष्पादन को इकठ्टे रूप में भी देखा जाता है तो मुझे यह जानकर बड़ा धक्का पहुंचा कि उसमें कुछ विशेष नहीं है । इसको सही ढंग से तैयार नहीं किया गया है । इस प्रतिवेदन का प्रमुख दोष यह है कि इसमें किसी स्रम नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया है ?

क्या सरकार के पास औद्योगिक सम्बन्धों, वेतन, बोनस तथा श्रम सम्बन्धी सभी पहलुओं पर कोई श्रम नीति है ? यदि आप इस प्रतिवेदन को पढ़ें तो आप पायेंगे कि इसमें कोई स्पष्ट और सुपरिभाषित श्रम नीति नहीं है । क्या इससे मैं यह निष्कर्ष निकालूं कि सरकार भी कोई श्रम नीति नहीं है । वास्तव में जो श्रम-नीति है वह हमारे देश के श्रमिक वर्ग पर प्रहार करती है और समूचे श्रमिक वर्ग के श्रमिक सघों के लोकतांत्रिक और उचित अधिकारों का दमन करती है ।

सामान्य तौर पर इस देश में एक धारणा पैदा की जा रही है कि श्रमिक वर्ग को बिगाड़ा जा रहा है और उनके वेतन बढ़ने जा रहे हैं और अतः वेतन जमा की नीति बनाई जाये ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : मुझे याद है कि आपने पहले वाले बजट के दौरान भी यही शब्द कहे थे । (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : जब तक आप वहां हैं यही शब्द दोहरायें जाते रहेंगे और इसलिए आपको वही बातें सुननी होंगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे पता चलता है कि पिछला बजट इतना बुरा था कि···

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे प्रसन्नता है कि आप पीठासीन हैं, क्योंकि आप भी तो श्रमिक संघ के नेता हैं । हमारे देश में गलत फहमी पैदा की गई है कि हमारे देश के संगठित श्रमिक वर्ग को अधिक वेतन मिल रहा है । यह कोरा झूठ है और इसका परपाकाश होना चाहिए मैं कुछ श्रोतों से उदाहरण देता हूं जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं :

> "1975-76, 1976-77 के दौरान कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में पारिश्रमिक बिल (कुल व्यय) 11.2 प्रतिशत से घटकर 10.2 प्रतिशत हो गया ।"

निस्सन्देह, यह आपातस्थिति के दौरान हुआ । क्रोधित मत होइए, मैं जानता हूं कि जनता सरकार के सम्बन्ध में भी यह गिरावट आई हुई थी अर्थात् कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में वेतन बिल घटता रहा है और निरन्तर घट रहा है । यदि आप एक अन्य उदाहरण ले तो आप पायेंगे श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में इसमें अधिक गिरावट आई है । वहां पर यह 17.7 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गया है । वेतनों में धीरे-धीरे गिरावट आई है ।

अतः वेतनों में भारी गिरावट आई है । प्रतिशत के मूल्य को जोड़ते हुए, निजी क्षेत्र में वेतन, बिल 51 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत हो गया और सरकारी क्षेत्र में 63 प्रतिशत से घटकर 40.3 प्रतिशत हो गया । मेरा यह कहना कि वास्तविक आय घट रही है । ठीक है, उनका कहना है कि देश मुद्रास्फीति के दौरे से गुजर रहा है ? मैं इस बात को और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति तो है, परन्तु वेतन वृद्धि इसका कारण नहीं है । वेतन वृद्धि के कारण

मुद्रास्फीति पैदा नहीं हुई है। मुद्रास्फीति तो लागत अभि वृद्धि के कारण आती है। श्रम मंत्रालय को हमारे देश की अर्थव्यवस्था की उलझनों को समझाना चाहिए। दूसरी ओर, इस बहाने कि वेतनों में बृद्धि हुई है, चूंकि मुद्रास्फीति है, वे चाहते हैं कि वेतन का स्थिरीकरण कर दिया जाए। अर्थात् जिसे वेतन स्थिरीकरण नीति कहते हैं। मैंने स्थिरीकरण की इस नीति का विरोध न किया होता, परन्तु श्रमिक संघ का नेता होने के नाते आपको जानना चाहिए कि कीमतों का कोई स्थिरीकरण नहीं हो रहा है मुनाफे का कोई स्थिरीकरण नहीं हो रहा है, खर्चे का कोई स्थिरीकरण नहीं हो रहा है और हो रहा है तो बस वेतन का स्थिरीकरण हो रहा है। आय का कोई स्थिरीकरण नहीं है कीमतों का भी नहीं है। यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि निजी क्षेत्र के उद्योग भारी मुनाफा कमा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि निजी क्षेत्र के 10 विशाल भारतीय औद्योगिक गृह आस्तियों के मामले में सबसे ऊपर रहे और 1978-79 का वर्ष एक उत्तम वर्ष रहा है। मुनाफे एकदम से सनसनी पैदा करने वाले थे। कुल लाभ में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें कि गत वर्ष की वृद्धि से पांच गुणा बढ़ोतरी थी। मैं और अधिक उदाहरण नहीं दूंगा। इससे पता चलता है कि लाभ में बड़ी भारी वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति की आड़ में मुनाफा बटोरा गया। परन्तु दूसरी ओर, मजदूर प्राप्ति की कतार में सबसे पीछे खड़े हैं। यहां संगठित श्रमिक वर्ग सर्वाधिकार घाटे में हैं। अतः जब श्रम मंत्रालय ही वेतनों के मामले में कोई नीति निरूपित नहीं करता है तो वेतन-क्षरण को कैसे, रोका जा सकता है।

अब मैं दूसरा मुद्दा उठाता हूं। दूसरी बात यह है कि श्रम मन्त्री यह देखने के लिए दृढ़ संकल्प है कि श्रमिक वर्गों ने इन वर्षों में औद्योगिक सम्बन्धों की जो इमारत खड़ी की है वह नष्ट हो जाए। इस भवन को बनाए रखना है। परन्तु में यह देख रहा हूं कि औद्योगिक सम्बन्धों की सम्पूर्ण इमारत को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है और नष्ट भी इस अर्थ में किया जा रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकारों से व्युत्पन्न सामूहिक सौदे के अधिकार से उन्हें वंचित किया जाए। श्रम मंत्रालय को समझना चाहिए कि हमारे संविधान में संगठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। संगठित के मौलिक अधिकार से ही सामूहिक सौदे का सिद्धान्त निकलता है। सामूहिक लाभ का यह सिद्धान्त ही औद्योगिक सम्बन्धों की नाभि है। सामूहिक लाभ का अधिकार ही श्रमिक वर्गो के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक शस्त्र है। श्रम मंत्रालय ही उस मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित करने का प्रयास कर रहा है जैसे कि उदाहरण स्वरूप जीवन बीमा निगम के मामले को ही लीजिए, जिसमे आप भली-भांति परिचित हैं। सामूहिक सौदे के मुख्य अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है और समस्त श्रमिक वर्ग केवल अपनी एकता, शक्ति, अपनी अखंडता और अपने वीरभाव पर टिकी हुई है? इससे उत्पादन घटता है इससे औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़ते हैं। जबकि श्रम मंत्रालय औद्योगिक सामजस्य, मेलभाव को बनाए रखने का एक उपकरण है जो नीति वे अपना रहे हैं उससे औद्योगिक अलगाव, वैमनस्य भड़क रहा है. इस सम्बन्ध में मैं बी० पी० ई० सरकारी उपक्रमों के ब्यूरों की विद्यमानता का उल्लेख करूंगा। बी० पी० ई० श्रम मंत्रालय के ऊपर कार्यरत है। यह सामूहिक सौदे के साथ विभिन्न उद्देश्यों से कार्यरत है। जब तक बी०

पी० ई० अनुमति देती, तब तक न तो सीधा संवाद हो सकता है न ही सीधी बातचीत की जा सकती है और न ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कोई समझौता हो सकता है ? समझौता तन्त्र खड़ा करने में फिर क्या अच्छाई है ? यदि केवल बी० पी० ई० द्वारा तैयार की गई शर्तों के आधार पर ही औद्योगिक बातचीत हो सकती हैं तो औद्योगिक विवाद अधिनियम को बनाए रखने की क्या तुक है ? अतः सामूहिक सौदे के मौलिक अधिकार पर प्रहार किया जा रहा है उसे नष्ट किया जा रहा है। आज सरकार की यह श्रम नीति है । अतः यदि वे औद्योगिक सामजस्य को बनाए रखने के इच्छुक हैं तो इस नीति परिशोधन करना होगा । इस नीति का परिशोधन करने के लिए, संगठित श्रमिक वर्ग के नेताओं और सरकार के बीच, आपसी सलाह-मशवरे, बातचीत और चर्चा द्वारा नए सिद्धान्त तैयार करने होंगे।

कई सदस्यों ने बन्धुका मजदूर (उन्मूलन और विनिमय) अधिनियम का उल्लेख किया है। वे योजना मन्त्री रहे हैं और योजना मन्त्री होने के नाते उन्होंने जो कुछ टिप्पणी की है मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। छठी योजना का जो दस्तावेजा उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें कहा गया है :

"बन्धुका मजदूरी के उन्मूलनार्थ, पिछले वर्षों में, अधिनियम को कार्य निष्पति ने प्रगति की कुछ कुछ धीमी दर दर्शायी है।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को वे स्वयं स्वीकार करते हैं।

श्री चित्त बसु : यह उन्हीं की तो देन है । क्या वे इस अधिनियम को उचित ढग से लागू करवाने के लिए कार्यवाही करेंगे ? विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों के बारे में भी छठी योजना के दस्तावेज में यह टिप्पणी की गई है :

"इस अधिनियम को निश्चित रूप से लागू करवाने के लिए अन्तर्राजकीय प्रवासी कामगार (रोजगार विनिमय और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1979 छठी योजना के दौरान केन्द्रीय और राज्य स्तर पर एक उपयुक्त तन्त्र द्वारा प्रभावी कदम उठाए जायेंगे ।"

क्या वे सदन को यह आश्वासन देंगे कि उस प्रकार कार्यान्वित करने वाला तन्त्र स्थापित किया जाएगा, जिससे कि इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सोशलिस्ट पार्टी को जो आप ने समय दिया है और विशेष रूप से मुझे, उसके लिए मैं आभारी हूं । मुझे यह कहना है कि श्रम नीति से जो उम्मीद की गई थी और देश के लोगों को उम्मीद थी कि कोई बुनियादी परिवर्तन उसमें किया जाएगा क्योंकि हमारे पुराने साथी और आज के मौजूदा श्रम मन्त्री जी हमारे समाजवादी साथियों में से हैं जिन्होंने श्रमिकों के लिए पहले बहुत बड़ा संघर्ष किया था लेकिन जो

नीतियां देखी हैं वही जर्जर नीतियां हैं जो घिसी मिटी हैं जिन्होंने हमेशा पूंजीपतियों का साथ दिया है। सारे विवरण को देखने के बाद मालूम होता है कि यह तो पूंजीपतियों के सहयोग का मंत्रालय बन गया है।

वह सरमाएदारों और उद्योगपतियों को सहयोग देने वाला मंत्रालय बन गया है। इस सरकार ने संगठनों के लिए गए निर्णयों को भी लागू नहीं किया है। उसने बहुत से श्रमिकों को छोड़ दिया है, उनकी अपेक्षा की है। उसने क्या सोचा है छोटे-छोटे होटलों में काम करने वाले मासूम बच्चों के बारे में, जिनका भयंकर शोषण होता है? जो लोग दिल्ली की सड़कों पर ठेला खींचते हैं, उसने उनके बारे में नहीं सोचा है। जो नदी और पानी में काम करते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, इस सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उसने केवल संगठित मजदूरों के बारे में इतना ही सोचा है कि किस प्रकार पूंजीपतियों उनका शोषण कर सकते हैं। इस सरकार ने श्रमिकों के लिए कोई उपयोगी काम नहीं किया है, इसलिए मैं इस मंत्रालय की डिमांड्ज़ का विरोध करता हूं।

आज मजदूर कीड़े-मकोड़े की जिन्दगी जी रहे हैं। उनकी कालोनी में जाकर देखिए : भिनभिनाते मच्छर और गन्दगी। उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया गया है। उनके बच्चों के पढ़ने-लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है वे लोग करते रहें मेहनत और सारा मुनाफा उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को मिले, सरकार ने उनके शोषण का यह तरीका बना लिया है।

आज भी ठेकेदारी प्रथा इस देश में चल रही है, लेकिन सरकार ने उसको समाप्य नहीं किया है। एक बड़ा मजाक आज भी देश में चल रहा है जो एम्प्लाईज दसियों सालों से काम कर रहे हैं उन्हें आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया है। भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पी एंड टी में कई लाख कर्मचारी हैं, जिन्हें कनफर्म नहीं किया गया है, वे आज तक एड हाक टेम्पोरेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं यह व्यवस्था करती कि लोग कनफर्म किए जायें और उन्हें पर्मानेंट जाव मिले? इस मंत्रालय को पूंजीपतियों और बड़े-बड़े लोगों के हाथ में खिलौना बना दिया गया है।

रोजगार दफ्तरों का तो कुछ कहना ही नहीं है। वे भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। अगर नोट खिसकाइये, तो चिट्ठी खिसकेगी। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि लोगों के नाम पांच-पांच साल से दर्ज हैं, लेकिन उन्हें आज तक चिट्ठी नहीं मिली है। अगर उन्हें चिट्ठी भी भेजी जाती है, तो वह उस समय मिलती है, जब डेट एक्सपायर हो जाती है, इन्टरव्यू हो चुकता है। कम से कम एक महीने का नोटिस देना चाहिए, ताकि लोग इन्टरव्यू या काम्पटीशन में जा सकें। मंत्री महोदय को बड़ी गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिए।

जैसा कि श्री डागा ने कहा है, अगर सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं देती, तो देश के लोग

किस तरफ बढ़ेंगे, इस देश के संविधान और प्रजातन्त्र का क्या होगा, यह सोचा भी नहीं जा सकता है। अगर सरकार बेरोजगारी का भत्ता न दे सके श्रमिकों को प्रबन्ध और मुनाफे में हिस्सा न दे सके, तो देश में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ? आज वे लोग मंहगाई से परेशान हैं। उन्हें जितना वेतन मिलना चाहिये, आज उससे कम वेतन उन्हें मिलता है।

आज श्रमिकों और श्रमिक नेताओं की कोई सुरक्षा नहीं है। पता नहीं, पुलिस कब किसका हाथ तोड़ देगी। आज इस सदन के माननीय सदस्यों के भी हाथ तोड़े जाते हैं। मजदूर नेताओं को पीटा जाता है। पिछले साल कितने श्रमिक नेताओं की हत्यायें हुई हैं ? उनके बच्चों और स्त्रियों तक को मारा गया है। यह सरकार और यह मंत्रालय उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट फन्ड में घोटाले का प्रश्न तो सरकारी बेंचों में ही उठाया गया है।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन लोगों को रोजगार की गारन्टी और पर्मानेंट एम्लायमेंट मिलनी चाहिए। आज सरकार द्वारा जो मशीनीकरण, अभिनवीकरण या राशन-लाइजेशन हो रहा है, उससे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ रहा है। मैंने गोवा और बहुत सी दूसरी जगह देखा कि जहां मजदूर काम कर सकता है, वहां मशीन से काम लिया जा रहा है। आयरन और को लादने, तौलने और धोने का काम मशीने कर रही हैं। इस तरह से यह सरकार इस देश के करोड़ों मजदूरों को बेरोजगार कर रही है। अगर ऐसा ही होता रहा, तो देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा, जबकि यह सरकार श्रमिकों की पेट की आग को बंदूकों की गोलियों से ठंडा नहीं कर पाएगी, पुलिस के डंडे से उनकी जुबान को बन्द नहीं कर सकेगी। आज देश का मजदूर और किसान जग चुका है। जितना यह सरकार बन्दुक, लाठी और डंडे से उन्हें दबाने का प्रयास करेगी, देश में उतनी ही ज्वाला भड़केगी।

हमारे श्रम मंत्री जी जो हमारे पुराने साथी हैं, उनको आज मैं याद दिलाना चाहता हूं डा० लोहिया की, याद दिलाना चाहता हूं जय प्रकाश नारायण की, याद दिलाता हूं उस समाजवाद की जिसके लिए उन्होंने एक बार संकल्प लिया था, आज उसी को ध्यान में रखकर देश के श्रमिकों को ऐसा कुछ दीजिए जिससे देश का श्रमिक आपको याद कर सके। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्रीमन्, मैं किन शब्दों में उन सभी माननीय विद्वान सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करूं जिन्होंने श्रम मंत्रालय के अनुदान के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं और अपने सुझावों से हमको गौरवान्वित किया है। मैं नतमस्तक हूं श्रीमन्, आपके सम्मुख कि इस सदन के विनम्र सेवक होने के नाते मुझे प्रथम बार यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं श्रम विभाग जैसे महत्व के विभाग के अनुदानों के संबध में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके सन्दर्भ में कुछ निवेदन करने की विनम्र चेष्टा करूं।

यह हमारा सौभाग्य है कि इस सदन में ऐसे विद्वान सदस्य विराजमान हैं जिनका जीवन

श्रमिक आन्दोलन के प्रति समर्पित रहा है। चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के, उभय पक्ष के बोलने वाले विद्वान सदस्य जो श्रमिक आन्दोलन के प्रति समर्पित हों यदि वह अपना सुझाव देते हैं तो भले ही उसमें आलोचनात्मक पुट हो, भले ही उसमें विरोधाभास हो, भले ही उसमें विरोधात्मक भावनाओं का समन्वय हो, फिर भी शासन पक्ष को समादर के साथ उन सुझावों को सुनना पड़ता है।

यह कहा गया कि आज श्रम संबधी कोई नीति नहीं है। यह भी कहा गया बलपूर्वक शब्दों में, परिमार्जित, परिष्कृत, संसदीय भाषा में कहा गया कि हमारी नीति श्रम विरोधी, ऐंटी लेबर नीति है। मैं विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करूं कि जो आज श्रम नीति चल रही है क्या वह चन्द महिनों की नीति है? नहीं, हमारी श्रम नीति को हमारे संविधान ने शक्ति प्रदान की। हमारी श्रम नीति को जब से यह संसद स्थापित हुआ है तब से उस समय के विद्वान सदस्यों ने समय-समय पर जो यहां विचार व्यक्त किए हैं, जो कानन अधिनियमित किए हैं, जो विधि विधान बनाए हैं उन सब ने परिमार्जित, परिष्कृत और संपुष्ट किया है। हमारी श्रम नीति, देश की चलती आ रही लेबर पालिसी का इतिहास है। इसके इतिहास निर्माता हैं वी० वी० गिरी, एन० एम. जोशी, वासवदा, गुलजारी लाल नन्दा, एस० ए० डांगे ऐसे लोग व विभिन्न संसदीय समितियां जो समय-समय पर गठित होती रहीं। यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं रहा। हमने जो श्रम कानून बनाए हैं, में विनम्रतापूर्वक लेकिन गर्व के साथ कह सकता हूं, अपने लिए नहीं, मैं व्यक्ति के रूप में कुछ नहीं हूं लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस संसद ने जो श्रम संबंधी कानून पारित किए हैं पिछले तीस वर्षों में, संसार में इसकी मान्यता है कि ऐसे कम कानन बने हैं अन्य देशों में। संसार के दसरे देशों की तुलना में आज हमारे भारत की जो श्रम-संहिता है श्रम काननों की उसका एक आदर है एक स्थान है, और यह कहा जाता है अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन में कि भारत ने जो कानून श्रमिकों के लिए बनाए है वे संसार में अनेक देशों की तुलना में प्रगतिशील है, अधिक साध्य है और श्रमिकों के हित का संवर्द्धन करने वाले है। यह मान्यता आज अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संसार के दूसरे देशों में है।

हमारे श्रम कानूनों की एक और विशेषता यह है कि कोई एक दल नहीं, पहले से ही यह त्रिदलीय रूप से अभिभूत होते रहे हैं। इनका विकास होता रहा है त्रिदलीय सम्मेलनों में। मेरे एक दो मित्र, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, उनको यह लगा कि क्यों इतनी कमेटीज बैठती है, क्यों इतना विचार-विमर्श होता है, क्यों लम्बा विचार-विमर्श होता है, लेकिन यह विभाग ही ऐसा श्रम कानूनों का मतलब ही यह है, इममें त्रिदलीय सम्मेलनों के माध्यम से, संविधान की कानकर्रेंट लिस्ट में जो लिखा हुआ है, प्रदेश सरकारों से भी और प्रदेश स्तर के मजनूर संगठनों से भी इस संबंध में परामर्श करके पग-पग आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा कानून एकदम बनाएं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस समय जो हम श्रमिकों की साझीदारी का कानून बनाना चाहते हैं, जो विधेयक हम प्रस्तावित कर रहे है इससे संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सम्मानित भूतपूर्व श्रम मंत्री रवीन्द्र वर्मा जी। इसके सदस्य कौन थे? सदस्य थे :

श्री कुर्ने, सीटु के,

श्री के० पी० त्रिपाठी, इन्टक के,

श्री वाई० डी० शर्मा, ए. आई. टी. यू. सी. के,

श्रीयुत श्रीकांठन नायर, यू. टी. यू. सी. के,

श्री एन० सी० गांगुली, भारतीय मजदूर संघ के,

श्री आर० एम० शुक्ला, नेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन के और

श्री राम देसाई, हिन्द मजदूर सभा के।

इस कमेटी ने साझेदारी के संबंध में जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर हम यह विधेयक प्रस्तावित करने जा रहे है। अब इसमें अवश्य समय लगता है। हम मानते है और स्वीकार करते है कि समय लगता है लेकिन क्या यह उचित नहीं है कि हम श्रम विभाग के संबंध में जो भी कानन बनावें उसमें इस बात का प्रयास करें कि जो अखिल भारतीय श्रम संगठन है या अन्य संबंधित मजदूर व उद्योगकर्त्ताओं के सुझाव है, उनके विचारों को यथासम्भव समन्वित कर सकें? अपने विधान और कानूनों कों बनाते समय सदैव हमारी यही चेष्टा रहती है।

यह कहा जाता है और आज भी कहा गया है जिसमें कुछ तथ्य भी है कि हमारी राष्ट्रीय वेतन नीति, नेशनल वेज पालिसी अभी तक नहीं बन पाई है। इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास रहा है, पिछले शासन के दो वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं पिछले शासन का भी यही प्रयास रहा है कि राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन बुलाया जाए, नेशनल लेबर कांफ्रेंस बुलाई जाए और उसमें राष्ट्रीय वेतन नीति के बिन्दु-बिन्दु पर विचार किया जाए। वह सम्मेलन बुलाया नहीं जा सका। कारण यह रहा कि कौन प्रतिनिधित्व करे—यह प्रश्न उठ गया। कल हमारे विद्वान सदस्य आनन्द भाई ने एक सारगर्भित भाषण दिया और यह उल्लेख किया कि यू० टी० यू० सी० (लेनिन सारणी) नामक संगठन है जिसकी सदस्य संख्या 10 लाख हो गई है जो सम्भवत: सीटु की संख्या से ज्यादा है। अब हमारे सामने कठिनाई यह है कि हम क्या करें? मैंने चाहा कि पता लगे कि आखिर लेनिन सारणी की इतनी दस लाख सदस्य संख्या कैसे हो गई। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं; केवल सूचना के लिए कह रहा हूं—पश्चिमी बंगाल से आने वाले सदस्य इसको दूसरे मायनों में न लें—मैंने जब सूचना मांगी तो देखा कि इसकी मेम्बरशिप की जो सूचना आई है उसमें 9 लाख और कुछ हजार सदस्य संख्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ही भेजी है लेनिन सारथी की। अब हम क्या करें? जब एक प्रदेश सरकार रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन्स हमारे पास कोई सूचना भेजते हैं तो उसको स्वीकार करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। लेकिन चूंकि कल माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया इसलिए मैं दोबारा जांच करूंगा कि क्या कारण है कि लेनिन सारणी की संख्या इतनी बढ़ गयी। पग-पग पर कठिनाइयां हैं कि कैसे श्रमिक संगठनों को मान्यता दी जाए। थोड़ी देर के लिए हम स्वीकार कर लें कि गुप्त रूप से मतदान प्रणाली के द्वारा हम चुनाव कराते हैं लेकिन जहां पर ग्यारह मुख्य केन्द्र संगठन हों, जहां पर देश को हजारों यूनिट में, हजारों

कारखानों में, सैंकड़ों प्रतिष्ठानों में एक-एक नहीं 12-12 और 14-14 यूनियनें तक हों। श्रीमन्, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो देश के वरिष्ठ श्रमिक नेता हैं, उनसे परामर्श करने का, सबसे बड़ा प्रश्न उनके सामने क्या था ? प्रश्न यह था कि क्या मान्यता प्राप्त यूनियन की मान्यता आज उतनी रह गई है जितनी कि पहले थी। क्योंकि मान्यता प्राप्त यूनियन एक है, जो सिक्रेट बैलेट के आधार पर चुनी गई हैं, लेकिन आज दूसरी जो आठ-नौ यूनियनें हैं, उनके सदस्य कुल मिलाकर ज्यादा हैं। इस संबंध में उनसे, अमान्यता-प्राप्त यूनियनों से किस प्रकार बातचीत की जाए, आज सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ गया है। आज वे मज़दूर यूनियनें, जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन कुछ केन्द्रीय मज़दूर संगठनों से उनका सम्बन्ध है, वे फिर शिकायत करती हैं कि मान्यता प्राप्त यूनियन से ही क्यों बातचीत हो रही है—यह मिलीभगत है फिर वे आन्दोलन करते हैं, इस वजह से भी आज औद्योगिक अशान्ति है। कई स्थानों में वह एक परिकाष्टा में पहुंच गई है। उसमें केवल एक मान्यता प्राप्त यूनियन से ही या इस तरह बैलेट से ही काम चलने वाला नहीं है। हममें अपनी अपनी सूचना बताती है कि टिस्को में भी यही हुआ। जिस टिस्को ने कान्ट्रक्ट लेबर की बात की है, वहां पर मान्यता प्राप्त यूनियन यह कहती है कि टैम्पोरेरी तो लेबर है, जो अस्थायी मज़दूर है, उनको स्थायी किया जाए, स्थायी जगहों पर रखा जाए और जो दूसरी यूनियनें हैं, वह कह रही हैं कि कान्ट्रेक्ट लेबर को पहले जगह दी जाए। अब श्रीमन् क्या किया जाए ? मान्यता प्राप्त यूनियन की बात को माना जाए या अमान्यता प्राप्त यूनियन की बात को माना जाए। यह प्रश्न सिर्फ मेरे सामने नहीं है, बल्कि सबके सामने है। मेरे सामने यह प्रश्न मजदूर विभाग के मंत्री होने के नाते नहीं है। अपने हृदय पर हाथ रख कर अन्तरतर की गहराइयों में जाकर हमारे साथी सोचें कि इसका क्या रास्ता हो सकता है ? जब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक औद्योगिक शान्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आज यह आवश्यक है कि हम इन प्रश्नों को राजनीति से ऊपर ले जायें, अगर हम वास्तव में औद्योगिक शान्ति चाहते हैं, अगर हम वास्तव में इन सब प्रश्नों का निबटारा करना चाहते हैं, तो मैं श्रीमन् आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इन विद्वान सदस्यों को सहयोग देना चाहिए। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता कि इनकी मंशा बुरी है, जिनका जीवन श्रमिक आन्दोलन को समर्पित रहा हो, उनसे मैं कह दूं कि उनकी मंशा बुरी है—यह मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर रास्ता क्या है, आखिर उपाय क्या है ?

हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी, श्री चित्त बसु, ने यहां पर कहा कि शासन तो आज जो संगठित मज़दूर पक्ष है, आर्गेनाइज़्ड लेबर है, शासन उनके विरोध में हैं और उसके प्रति हमला बोला हुआ है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि क्या ये स्वीकार नहीं करते कि आज करोड़ों श्रमिक ऐसे हैं, यह प्रश्न नहीं है कि संगठित मजदूरों को ज्यादा मिलता है, लेकिन क्या ये इससे सहमत नहीं हैं कि आज जितने संगठित मजदूर है, उससे बहुत बड़ी संख्या में, शायद छौगुनी संख्या में आज असंगठित मज़दूर है। यह ठीक है कि आप अवश्य स्वीकार करते है, मुझे भरोसा है और इसे मस्तक हिलाकर स्वीकार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज श्रमिक संगठनों की क्या स्थिति है। हमारे वरिष्ठ सदस्य, मेरे पुराने

मित्र, प्रो० दण्डवते जो बैठे हुये हैं, उन्होंने उनके जनता मंत्री मंडल ने शायद स्वीकार किया था और जनता प्लानिंग कमीशन ने जो एक अपर योजना भी बनाई थी। हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बैठें हुए हैं, उन्होंने भी शायद मंत्रीमंडल में स्वीकार किया था, यह पार्टी का प्रश्न नहीं है, हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे हम हों या कोई ओर हो, उनके प्लान डाक्युमेंट में था कि :

1. निम्न आय वर्ग के मजदूरों का वास्तविक वेतन घटने नही देना चाहिये। पर्यवेक्षी और प्रबन्धकीय कार्मिकों (सर्वाधिक आय वाले समान कार्यों के लिये औसत वेतन से जिनका वेतन कही बहुत ऊंचा है) को छोड़कर अन्य कामगारों को लागत में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के लिए वर्गीय क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए।

2. प्रत्येक कामगार की वास्तविक उत्पादकता में हुए परिवर्तन के संबंध में वास्तविक वेतनों में भी परिवर्तन होना चाहिए।

मान्यवर, आज प्रश्न यह है कि क्या हम केवल कुछ पेड़ों को देखें या सारे वन को देखें ? हमारा कहना यह है कि हम सारी वन राशि वन राशि को देखें, सारे जंगल को भी देखें और पेड़ों को भी देखें, केवल एक वर्ग को देखना या यह कहना कि एल० आई० सी० में ऐसा हो गया या बैंक में ऐसा हो गया— यह काफी नहीं है। श्रम नीति की सफलता केवल यूनिट या हड़तालों की संख्या से नहीं देखी जा सकती।

अब आप बंगलोर की कहानी सुनिए। कल मेरे परम मित्र एक संसद सदस्य ने बंगलोर की कहानी के बारे में कहा कि हम चुपचाप बैठे रहे। हम क्या चुपचाप बैठें रहे ? हमारे आग्रह पर मैनेजमेंट द्वारा 220 रु० से बढ़ाकर 225 रु० किया गया, प्रस्ताव रखा गया और पांच रुपया बढ़ाया गया है और 300 रु० से 600 रु० एडवांस का प्रस्ताव रखा गया।

यह भी कहा गया कि अगर मामला सही है, एग्रीमेंट में बल है और यह कहा जाता है कि एग्रीमेंट को मान लिया गया था, समझोता मान लिया गया था, तो सरकार बाधक है, मजदूर है, उस एग्रीमेंट मानने के लिए। एग्रीमेंट ठीक है या नहीं, सरकार एग्रीमेंट मानने के लिए बाध्य है। तो सरकार की ओर कहा गया कि इस सम्पूर्ण प्रश्न को पंचनामे को दे दीजिए, आर्बीट्रेशन में दे दीजिए, एडजूडीकेशन में दे दीजिए, जिस में एक हाई कोर्ट का जज रहे, यह प्रस्ताव मैनेजमेंट की ओर से, प्रवन्ध वर्ग की ओर से रखा गया था। अब यह कहना कि कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं कहां जा सकती। यह कहा जा सकता है कि हमारी सारी मांगें मंजूर नहीं हुई लेकिन यह कहना कि कोई प्रगति नहीं हुई और कुछ नहीं किया गया, यह सत्य से परे होगा क्योंकि पंचनामे की बात भी कही गई थी, आर्बीट्रेशन, एडजूडीकेशन की भी बात कही गई थी लेकिन संघर्ष समिति को स्वीकार नहीं हो सकी। श्रीमन् यह जो स्वीकार नही किया गया, तो उसके अपने कारण होंगे, मैं इस में नही जाना चाहता मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो यह

कहते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में दरवाजे बिल्कुल बन्द कर दिये, यह सत्ता से परे है। केवल यह तथ्य सदन के सामने लाना चाहता हूं।

श्रीमन्, यह जो शासन है और यह जो सरकार है, जिस का इतिहास श्रमिकों ने बनाया है, जिस का इतिहास इस देश के दलिक शोषित और पीड़तों ने बनाया है और 94 साल का जो इस पार्टस का इतिहास है, वह इन्हीं लोगों ने बनाया है। महात्मा गांधी जी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन अहमदाबाद में बनाई थी। यह वही पार्टी हैं, जिसका आज शासन है। तो वह कांग्रेस शासन मज़दूर विरोधी कैसे हो सकता हैं। जवाहरलाल नेहरु जी का जिसे आशीर्वाद प्राप्त रहा हो श्री मौलाना आजाद का जिसे आशीर्वाद प्राप्त रहा हो, श्री वी० वी० गिरी और श्री एन० एम० जोशी का जिसे आशीर्वाद प्राप्त रहा हो वह पार्टी, वह शासन मजदूर विरोधी कैसे हो सकता है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्री वी० वी० गिरी को रिजाइन करना पड़ा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं और हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं। क्या यह सम्भव है कि हर हड़ताल की हर यूनियन की हर बात कोई भी शासन क्या मान सकता है? हमारा काम तो यह है कि हम दोनों के बीच समझौता कराएं। क्या यह बात है कि लेबर मिनिस्ट्री खुद यह हुक्कुम दे दे कि हड़ताल की हर बात को मान लो? क्या यह सम्भव है और श्री मन् मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सम्भव नहीं है। किसी भी देश में और आज दुनिया में कोई देश ऐसा नही है, जहाँ हर हड़ताल की हर बात मान ली गई हो। हर हड़ताल में एक समझौता होता है, एक समन्वन होता है और इस समन्वय को लाने की चेष्टा करना लेबर मिनिस्ट्री का यही काम है।

पब्लिक सेक्टर की बात कही गई, सार्वजनिक क्षेत्र की बात कही जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फर्क है। पब्लिक सेक्टर के लिए इस संसद ने नियम बना है क्योंकि वह पूंजीपतियो का सेक्टर नही है, सरमायेदारों का सेक्टर नहीं है। पब्लिक सेक्टर का एक कल्चर होना अभी शेष है और पब्लिक सेक्टर में समन्वन होना भी अभी शेष है और पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज इतने बुरे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ, श्री चित वसु जी की बात सुन कर। वे तो इतने बुजुर्ग हैं।

श्री चित्तबसु बारसाट : वह तो देश से बड़ा है, कैविनट से भी बड़ा है?

श्री नारायण बत्त तिवारी : कैबिनट से बड़ा नहीं है वैकिनट का बनाया हुआ चालक है। श्रीमन् मैं कह रहा था...

श्री नारातण चौबे : लेकिन वह भस्मासुर है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) वह आप के सिर पर सवार है व्यवधान

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज पब्लिक सेक्टर के कई यूनिटों को सुधारने की जरूरत है, यह मैं स्वीकार करता हूं। पब्लिक सेक्टर का एक कल्चर होना चाहिए और हमें उसे और सुदृढ़ करना चाहिए। वह एक संस्कृति है, एक विचार है और सार्वजनिक क्षेत्र के उस विचार को हमें और परिपक्ष करना चाहिए, इसे मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि हम पब्लिक सेक्टर को कमजोर कर दे, पब्लिक सेक्टर में विश्वास रखते हुए, जो पब्लिक सेक्टर की मर्यादा हैं मान्यताएं हैं और जो उस का उत्पादन है, उस को भी हम कम कर दें या आधार ही समाप्त कर दें। तो मैं चाहूंगा कि जो नेशनल लेबर कान्फ्रेन्स होने जा रही है, राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को हम निमंत्रित कर रहे है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस संसद के जो विधान सदस्य हैं, जो इन संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनके या उनके संगठनों के विचार का पूरा लाभ हमें वहां प्राप्त होगा। इसलिए मैं इस समय वहां कोई ऐसा वातावरण नहीं पैदा करना चाहता जिस से हमारे जो उद्देश्य हैं, जिन को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस से हम में और आप में किसी प्रकार का भेद बढ़ जाए। चाहते हैं कि हम उस राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में बहुत सी बातें चाहे वे नेशनल वेज पालिसी के बारे में और चाहे श्रम नीति के बारे में हों,

चाहे वह किसी प्रकार के मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन के चयन करने के बारे में हो, उन सब प्रश्नों को हम सुलझाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमन् यह कहा गया कि हमारा जो श्रम विभाग है उसके कुछ सेक्शंस वगैरहा में ढिलाई आ रही है। अगर आप देखे कि हमारे श्रम विभाग द्वारा 1 लाख 82 हजार इरेंगुलरिटीज पायी गई थीं जिनमें से लगभग 1 लाख 61 हजार पर कार्यवाही की गयी।

श्रीमन चाइल्ड वेल्फेअर के बारे में, बालकों के कल्याण के बारे में राजस्थान के मेरे मित्र को पूरी सूचना नहीं हुई इसके लिए में क्षमा प्रार्थी हूं। उन्होंने इसका जिक्र किया, मैं उनकी भावानाओं की कद्र करता हूं और उनको समझ सकता हूं। इन भावनाओं के पीछे उनकी जो पीड़ा है, दर्द है, उसको भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर मामला विचाराधीन है। ऐसा नहीं है उसकी रिपोर्ट को अगर आप कृपा करके आप पूरा देखें तो मालूम होगा कि आर्डर्स आर अण्डर इशु। मेरे पास भी लिखा हुआ आर्डर है जिसमें चाइल्ड वेल्फेअर, चाइल्ड लेबर के बारे में है कि अभी फरवरी में रिपोर्ट आयी और इस पर 13 मार्ग, 1981 को निर्णय लिया गया इसमें में एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाइल्ड वेल्फेअर एडवायजरी बोर्ड बन गया है। उसकी पहली बैठक भी हो चुकी है। उसकी एक जो संस्तुति वह बड़े महत्व की है। कमेटी ने यह कहा है। जिसे हमने सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है —

समिति सिफारिश करती है कि वर्तमान कानून के चाइल्ड लेबर सम्बन्धी प्रावधानों के उलंघन की सजा को और अधिक सख्त किया जाए ...। और जेल की अवधि एक वर्ष तक बढ़ायी जाय और जुर्माने की रकम भी 2000 रुपये तक बढ़ायी जाये। दूसरे अथवा जारी रहने वाले अपराध के मामले में सजा केवल जेल ही होनी चाहिए और वह भी दो वर्ष।

इस संस्तुति को स्वीकार कर लिया गया है ।

अब श्रीमन् एक बात और है हमें श्रम मंत्रालयों का भी ध्यान रखना चाहिए । हमें इस बात को जानकारी है कि सारे राज्यों में श्रम मंत्रालय और पूरे श्रम विभाग हैं । कल श्री आनन्द जी ने इस बात को कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 11 सौ कांट्रेक्ट लेबर को रेगुलाइजर कर दिया है । जब यहां पर राज्यों की बात आती है तो उसमें राज्य सरकार की तारीफ होती है । जैसे उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार की तारीफ की लेकिन हमारी तारीफ नहीं की । अगर वे यह कह देते कि आपने भी इसे कराया तो उचित होता । लेकिन जहां हो गया वहां राज्य की तारीफ हो गयी और जहां नहीं हुआ वहां हमको जिम्मेदार कह दिया गया । (व्यवधान) इसका अर्थ क्या है ? इसी तरह से कहा गया कि वेस्ट बंगाल में कृषि के न्यूनतम वेजिज आठ रुपये सबको मिल रहे हैं —

उपाध्यक्ष महोदय : श्रेय आपको भी जाता है क्योंकि श्रम समवर्ती विषय है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं श्रेय नहीं चाहता । मैं बदनामी भी नहीं चाहता ।

श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि एग्रीकल्चरल मिनिमम वेजिज के बारे में एग्रीकल्चरल वर्कर्स के बारे में बिल बन गया है । अब जब कोई बिल बनता है तो उसके बारे में राज्य सरकारों से भी पूछना पड़ता है । अगर हम राज्य सरकारों से न पूछें तो क्या उचित होगी ? आप देखें कि कुछ राज्य सरकारों ने हमारी छटी पंचवर्षीय योजना को भी मंजूर नहीं किया, उसके उसूलों का विरोध किया, बाद में उन्होंने मान लिया कि योजना के प्रोग्रामों को, कार्यक्रमों को हम मान लेंगे । अगर किसी बिल के बारे में हम राज्य सरकारों से न पूछें तो हमें जो शक्ति चाहिए, उसे लागू करने के लिए, वह पूरे अर्थ में नहीं मिलती है । अधिकार कानून या नियम राज्य ही लागू करते हैं ।

श्रीमन्, इस प्रकार के एक नहीं कई कानून ऐसे हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि उन को हम जल्दी से जल्दी यहा लाएं । प्रोवीडेंट फंड एक्ट के बारे में रामानुजम कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके 6 महीने के अन्दर हमने कानून लाने का वायदा किया, प्रतिज्ञा की, उसको हम यथा संभव पूरा करेंगे । इसके लिए कांग्रेस बुलानी पड़ेगी, राज्य सरकारों से पूछना पड़ेगा । श्रमिक संगठनों से पूछना पड़ेगा तभी हम 6 महीने के अन्दर प्रोविडेंट फण्ड एक्ट के बारे में कानून ला पायेंगे । उसमें यह भी व्यवस्था है कि दस मजदूरों तक वह प्रोविडेंट फण्ड एक्ट लागू होगा ।

इसी प्रकार से एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन के बारे में शिकायतें आयी हैं मैं यह कह दूं कि वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यह उचित नहीं है । कुछ शिकायतें हैं । यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने प्रोविडेंट फण्ड के बारे में भी कहा । उसके सम्बन्ध में हम जांच करायेंगे । मेरा प्रत्येक माननीय सदस्य से आग्रह है कि कहीं भो प्रोविडेंट फण्ड के लागू करने के

बारे में या एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस की कोई शिकायत उनके पास आये तो वह कृपा करके हमें भेजिये ताकि हम उस पर उत्तर दे सके कि हमने क्या किया है इसलिए आपने आग्रह है कि आप ऐसी बातें हमारे प्रकाश में लाएं ताकि हमें विवरण प्राप्त हो सके। इसी प्रकार सम्मानित व्यास जी ने भीलवाड़ा के बारे में कहा, अगर ऐसा कोई कारण नहीं है तो हम इस पर भी उचित निर्णय लेंगे और इसी प्रकार से आपने "मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स" के बारे में कहा, उसकी भी हम पूरी जांच करेंगे। इसी प्रकार से तमिलनाडु के श्री कंद स्वामी ने जो विवरण पेश किया है, उसके बारे में भी संबंधित राज्य सरकार से बात की जाएगी।

एक माननीय सदस्य : बंधुआ मजदूरों के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : बंधुआ मजदूर कानून तो 1975 में ही मुक्त हो गए थे, तब मेरे छोटे भाई हमारे साथ थे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : व्यवहार में क्या हो रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : व्यवहार में श्रीमान् 25 करोड़ रुपया छटी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। 25 करोड़ रुपया बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए रखा गया है, इससे बंधुआ मजदूरों का रीहैब्लीटेशन किया जाएगा। और बंधुआ मजदूरों को तो इसी साल रीहैब्लीटेट किया जाएगा। एग्रीकल्चर लेबर के संगठन में सहायता के लिए एक करोड़ रुपया रखा गया है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : 50 करोड़ रखा था अब 25 करोड़ कम कर दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस साल 3 करोड़ 25 लाख रुपया 17264 बंधक मजदूरों को रीहैब्लीटेट करने के लिए रखा गया है।

इस प्रकार एम्प्लाइज स्टेट इंशोरेंस एक्ट के बारे में हमारा इरादा यह है कि ढाई लाख और मजदूरों को जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं और जो सीजनल मजदूर हैं, जैसे चीनी मजदूर, उन पर भी इस एक्ट को लागू किया जाए।

ग्रेच्युटी एक्ट में भी संशोधन प्रस्तावित है वर्क मैन्स कंपंसेशन एक्ट में भी मुआवजे की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है। पेमेंट आफ वेजेज एक्ट में कवरेज के विस्तार का प्रस्ताव है। इसके अलावा तीन और एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लाएमेंट स्टेंडिंग आर्डर्स एक्ट और ट्रेड यूनियन्स एक्ट, इन तीनों के बारे में हम चाहेंगे कि इसी सत्र में अगर सदन इजाजत दे और इनमें से 2-4 कानून पास कर दिए जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूं कि 60-70-100 बिल आपके सामने और बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के सामने आ जाते हैं और आपके सामने कठिनाई यह होती है कि किसको प्राथमिकता दी जाए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया श्रम-कानून को प्राथमिकता दिलाएं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : महिलाओं के बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं कहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमान्, इसी प्रकार केरल के नायर जी ने सरकस इण्डस्ट्री के बारे में कहा, इसके बारे में भी कानून प्रस्तावित है। प्लांटेशन लेबर एक्ट अभी पास नहीं हुआ है, मुझे दुख है कि इसमें देर हुई है, राज्य सभा में यह बिल प्रस्तावित हुआ था, अब हम राज्य सभा में आग्रह करेंगे, संसदीय भाषा में हम दूसरे सदन से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सत्र में इस पर विचार करें।

पालेकर एवार्ड के बारे में चर्चा की गई। स्टेचुटरी वेज बोर्ड जरनलिस्ट्स के लिए है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही अन्य वेज बोर्डों को स्टेचुटरी बनाया जाए। इसके लिए हम कानून प्रस्तावित कर रहे हैं। पालेकर एवार्ड के बारे में कहा गया कि टाइम्स आफ इंडिया और स्टेट्स मैन वगैरह पत्र इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कुछ समाचार पत्रों के मालिकान कोर्ट में चले गए हैं और उन्होंने वहां से स्टे आर्डर ले लिया है। हमारी कठिनाई यह यह है कि अदालत के सामने हम मजबूर हो जाते हैं लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, हमने प्रत्येक मुख्यमन्त्री से इस बारे में बातचीत की है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के अवसर पर भी उनसे अलग से बातचीत की गई।

अधिकांश राज्यों में अधिकांश समाचारपत्रों ने पालेकर एवार्ड को मान लिया है। दुख की बात है कि चन्द समाचारपत्र अभी भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अदालतों का सहारा लिया है। यह उनका अधिकार है। लेकिन उन से भी मैं आग्रह करूंगा कि वे पालेकर एवार्ड की और आत्मा है, जो परिधान है, उसको समझें और उसको स्वीकार करें। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे दुख है कि टाइम्स आफ इंडिया और स्टेट्समैन जैसे अखबार भी इतनी देर लगा रहे हैं। इस सब को देखते हुए हम ने निर्णय लिया है कि इसको लागू करने के लिए राज्य श्रम मन्त्री के संयोजकत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए जो पालेकर एवार्ड को सही मानों में लागू कराने की पूरी चेष्टा करें।

पार्ट टाइम संवाददताओं के निकाले जाने की बात भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कही है और इसके बारे में भी बहुत से समाचार आए हैं। वर्किंग जरनलिस्ट्स की परिभाषा में ये भी आते हैं, अंशकालिक संवददता भी आते हैं। इस बात को समाचारपत्र भी जानने हैं। बहुत से मुख्य मंत्रियों ने नस सम्बन्ध में कदम उठाए हैं और उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि वे उनको विज्ञापन देना बन्द कर देंगे। इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों के मालिकों को भी उनके बुलाया गया है। विशेष रूप से जो छोटे समाचारपत्र है वे कठिनाई व्यक्त कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जल्दी ही इन मालिकों को जब बुलाया जायेगा तो इसका कुछ समाधान निकल आएगा।

बहुत से विषय हैं जिन का में उल्लेख कर सकता था। लेकिन सदन के माननीय सदस्य तमाम बातों की जानकारी रखते हैं। जहां तक एम्पालयमेंट का सम्बन्ध है छठी योजना में 304

करोड़ लोगों को नए रोजगार देने की बात कही गई है। सब से अधिक हम ने स्वारोजगार के अवसर उपलब्ध करने पर जोर दिया है। सैल्फ एम्प्लायमेंट के माध्यम से मैं समझता हूं कि करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। बहुत सी योजनाएं हैं जिन का उल्लेख समय पर दिया जा चुका है और बहुत सी जानकारी प्रश्नों के उत्तरों में दी जा चुकी है। लेकिन में इस बात को स्वीकार करता हूं कि बेकारी का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है, न केवल शासन के समक्ष बल्कि सारे देश के समक्ष भी। बढ़ती हुई जन संख्या भी है। शिक्षा का जो हमारा पुराना ढंग है उसको बदलने मैं भी हम उतने सफल नहीं हुए हैं। ये सब बातें हैं जिस की वजह से यह बेकारी का प्रश्न हमारे सामने है। यह ऐसा प्रश्न है जिस को हम सब को मिलकर सोचना होगा और हम कैसे इन योजनाओं को सफलीभूत बनाए यह देखना होगा और बेरोजगारी दूर करने की योजनायें तभी सफल हो सकतीं है जब सदन का प्रत्येक सदस्य अपना सहयोग दे और बिना पार्टी का विचार किए, पार्टी से ऊपर उठ कर हम सब एक राष्ट्रीय वातावरण बनाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अतिविनम्र शब्दों में इस माननीय सदन के सम्माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इन अनुदानों को वे स्वीकार करें। इस देश के निर्माण में श्रमिकों का महान योगदान है। इस देश के भविष्य को बनाने में, देश का निर्माण करने में कोटि-कोटि श्रमिकों का महानयोगदान रहा है और रहेगा। श्रमिकों के नाम पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे कुछ साथियों ने कटौती के प्रस्ताव पेश किए है। श्रमिकों के नाम पर कटौती प्रस्ताव? उनको यह कहना चाहिए था कि श्रमिकों के लिए रुपया और बढ़ाओ। में आग्रह करूंगा कि हमारे मित्रों ने जिन्होंने श्रमिकों के लिए अपना जीवन अर्पित किया है वें अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें और दिखा दें कि वे श्रमिकों के लिए कोई कटौती नहीं बल्कि और बढोत्तरी चाहते हैं। धन्यवाद।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : विमेंज एम्प्लायमेंट के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है। मिनिस्टर आफ स्टेट महिला हैं। यह देश का बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन्होंने कोई टारगेट फिक्स किए हैं? इक्वल रिम्युनरेशन एक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, बीड़ी वर्कर्ज के लिए कुछ नहीं कहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महिलाओं के बारे योजना में 27 वां पूरा चेप्टर है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : नेशनल कमीशन फौर वमिन के बारे में अपने कुछ नहीं कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आप जब मिलेंगी तो बात करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय कृपया भाषण न दें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : ठेका मजदूर निवारण अधिनियम में बताय गया है कि काम किस प्रकार का है। विभागीयकरण के बाद मजदूरों का क्या बनेगा? पहले मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करें? दूसरी बात यह है कि दली राजा हरे आयस्क के 9000 मजदूर हड़ताल

पर हैं। मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि क्या आप इस बारे कोई पहल करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं इस मामले पर विचार करने के लिये आपको चाय पर बुलाना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : कटमोशन जितने लिये गये हैं उनका आप जवाब देंगे ? और 30 लाख बीड़ी मजदूरों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जितने भी माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं और जो भी उल्लेखनीय बातें कही हैं, मैं उनका उत्तर अलग-अलग भिजवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय की अपील को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिये सहमत हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो मैं इस मांग सम्बन्धी सभी कटौती प्रस्तावों को इकट्ठे रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव सभायें मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 65 तथा 66 के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये।"

श्रम मंत्रालय के संबंध में 1981-82 वर्ष की अनुदानों की निम्नलिखित मांगों को लोक सभा द्वारा स्वीकृत किया गया।

मांग संख्या	मांग का नाम	12 मार्च, 1981 का सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
				रुपये लाखों में	
श्रम मंत्रालय		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
65.	श्रम मंत्रालय			16,21,000	
66.	श्रम और रोजगार			12,11,60,000	2,12,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष को पुलिस आयुक्त, कलकत्ता का निम्नलिखित बेतार संदेश आज प्राप्त हुआ :—

"मैं आपको सादर सूचित करता हूं कि श्री अशोक सेन, सदस्य लोक सभा ने अन्य लोगों के साथ 7-4-1981 को 13.20 बजे अलीपुर दांडिक न्यायालय परिसर, कलकत्ता में अपनी गिरफ्तारी दी।"

सभा 8 अप्रैल, 1981 के म० पू० 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न पश्चात् 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 8 अप्रैल 1981, 18 चैत्र 1903 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सनलाइट प्रिंटिंग प्रेस, फौआरा, दिल्ली-110006.